वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

''गणतंत्र दिवस–2016 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी।

''गणतंत्र दिवस–2016 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

जनजातीय विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप

अधिकारों की सुरक्षा

स्वास्थ्य

आर्थिक विकास

सांस्कृतिक शिल्प, विरासत, फसलों का संवर्धन

सामाजिक सशक्तिकरण

आवास

शिक्षा

संपर्क

खेलों को प्रोत्साहन

स्वच्छता

पेयजल

सिंचाई

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय : एक परिचय	1-6
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप – सिंहावलोकन	7-9
3	वर्ष 2015–2016 की विशेषताएं	10-18
4	अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा	19-28
5	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	29-35
6	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	36-50
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	51-55
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	56-68
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	69-71
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	72-74
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	75-78
12	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	79-84
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	85-87
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	88-97
15	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	98-99
16	जेंडर संबंधी मामले	100-102
17	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	103-104
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	105
19	विभागीय लेखा संगठन	106-107
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	108-118

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1क	भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित विषय	121
1ख	संगठन चार्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय	122
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची	123
3क	जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय	124-127
3ख	जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2015-16 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2015 तक व्यय	128-131
4क	लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार जनसंख्या: जनगणना 2011	132-134
4ख	राज्य-वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता	135-136
4ग	50% से अधिक तथा 25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले राज्य-वार जिले: जनगणना 2011	137-140
4घ	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग सबंधी सरंचना	141
4ड़	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जगणना 2011	142
4च	अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक स्तर-स्नातक तथा उससे ऊपर	143-144
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एस.सी., पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी.) की स्थिति	145-146
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम	147-148
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी तथा सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	149-150
4ञ	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	151
4ट	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत	152
4ठ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है	153
4ड	जनगणना की शर्त वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता	154
4ढ	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	155
4ण	वर्ष 2014 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं तथा दर	156
4प	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की गरिमा को भंग करने के लिए उन पर किए गए हमले (भा.द.सं. की धारा 354)	157
5क	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	158-159
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	160-172

5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	173-206
5घ	अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति (15.01.2015 तक)	207
5ड़	वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (15.01.2015 तक)	208
6क	वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान मंत्रालय/विभागवार जनजातीय उप-योजना आवंटन	209
6ख	वार्षिक योजना 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य-वार टीएसपी परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण	210
6ग	वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधायों को दर्शाने वाला विवरण	211
6घ	वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण	212
6ड़	वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के तहत आवंटित, निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	213
6च	वर्ष 2015-16 के दौरान वनबंधु कल्याण योजना के तहत निधायों का राज्य-वार क्षेत्रिय आवंटन	214
6छ	शामिल किए जाने वाले केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग-वार मुद्दों तथा परिकल्पित लक्ष्यों/परिणामों को दर्शाने वाला विवरण	215-221
6ज	संविधाान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान निधियों के राज्यवार तथा क्षेत्रवार आवंटन एवं निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण	222
6झ	टीएसपी को एससीए के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान निधियों के राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार आवंटन एवं निर्मुक्ति दर्शाने वाले विवरण	223
6ञ	टीएसपी को एससीए तथा 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान मुख्य पहलों के लिए पीएसी द्वारा अनुमोदित निधियों की राशि दर्शाने वाला विवरण	224
6ट	टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) तथा सह-शिक्षा/आश्रम विद्यालय दर्शाने वाला विवरण	225
6ठ	अब तक स्वीकृत एवं कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.2015 तक)	226
6ड	2015-16 के दौरान ईमआरएस के लिए निर्मुक्त निधियों की राज्यवार राशि दर्शाने वाला विवरण (31. 12.2015 तक)	227
7:	दिनांक 31.12.2015 तक अनुसूचित जनजाति एवं (वन अधिकारों की मान्यता) अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में प्राप्त दावों की संख्या पर वितरित अधिकार पत्रों के प्रतिशत के संबंध में स्थान दर्शाने वाला वितरण	228
8क :	2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ	229
8ख :	2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ	230

8ग :	वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां	231
8घ :	वर्ष 2012-13 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ	232
8ड़ :	2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ	233
8च:	2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ	234
9 क:	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नाम	235-236
9 ख:	2013-14 से 2015-16 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशियों का सारांश दिखाने वाला विवरण	237
10 :	राज्य जहां जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं एवं उनके पते	238-239
11:	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)-पुनर्निर्मित बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्ष्य	240-241
12 :	'जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहयोग' की स्कीम जो कि पहले 'लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान' कहलाती थी उसको वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान के विवरण	242
13 :	राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायाधिकार क्षेत्र	243
14क :	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान निधि-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	244-256
	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियो के ब्यौरे	257
14ख :	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान	258
	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	259
14ग :	2013-14 से 2015-16 के दौरान 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची	260-262
	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे	263

14घ :	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत निधि पोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	264
	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	265
15क :	वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां	266
15ख :	वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	267-269
16 :	वार्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	270-272
17 :	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	273-274
18क :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	275
18ख :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	276
19क :	लेखा-परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिसकी कृत कार्रवाई टिप्पणी लंबित है	277
19ख :	2015 की रिपोर्ट संख्या 33-8 दिसंबर, 2015 को संसद में प्रस्तुत जनजातीय उप-योजना का लेखा-परीक्षा निष्पादन	278

शब्दावली

शब्द/छोटा रूप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएसएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
जीईआर	समग्र भर्ती अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईटीडीपी/आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एजेंसी
जेबीवाई	जनश्री बीमा योजना
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
माडा	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमईएस	मॉड्यूलर एम्प्लोएबल स्किल्स
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु उद्देश्य जनजातीय विकास परियोजनाएं
एनएईबी	राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारस्थितकीय विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर इमारती लकड़ी वाला वन उत्पाद

एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात)
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
टीएसपी को एससीए	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
अनुसूचित जनजातियां	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है कि वे समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुरूप अनुसूचित किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें प्रारम्भिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अथवा संसद के परवर्ती संशोधनकारी अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजातियां माना जायेगा।
एससीएसवीई	स्वेच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्व सहायता समूह
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय परामर्शदात्री परिषद
ट्राईफेड	भारतीय जन जातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
यूजीसी	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
वीकेवाय	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय : एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. कल्याण मंत्रालय: सितंबर, 1985 से मई, 1998 तक।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है **(अनुलग्नक- 1क)**

भूमिका

1.3 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में भारी अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं तथा यह संस्थान निर्माण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देश में कार्य कर रहा है और राज्य मंत्री द्वारा इनकी सहायता की जाती है। मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया सचिव हैं तथा इनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उपमहानिदेशक तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आतंरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 138 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 112 है। समूह "क" के 41 पद, समूह "ख" (राजपत्रिक/अराजपत्रिक) के 41 पद, समूह "ग" के 36 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1-ख** में दिया गया है।

प्रशासन

1.5 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वे मामले जिनमें मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत होती है, उन्हें मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, भारतीय सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे सांख्यिकी, आर्थिक तथा एफआरए तथा वन बंधु कल्याण योजना का परियोजना कार्यान्वयन सेल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है। माननीय राज्य मंत्री, (जनजातीय कार्य) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

कंप्यूटर केन्द्र

1.7 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन समर्थन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)/मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (एमएएन) तथा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के कार्यकरण को देखता है। साइबर आक्रमण की रोकथाम करने के लिए विंडोज, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और पैच मैनेजमेंट का ऑन-लाइन अपग्रेडेशन करेन के लिए शास्त्री भवन में एक पृथक एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर कार्यरत है।

1.8 एनआईसी ने अगस्तक्रांति भवन के लिए भी लोकल एरिया नेटवर्क(एलएएन)/मेट्रोपोलिटनएरिया नेटवर्क (एमएएन) स्थापित किया है तथा यह सीजीओकाम्पलैक्स, एनआईसी मुख्यालय से 20 एमबीपीएसआरएफ के बैकअप के साथ एमटीएनएल लीज्ड लाइन के माध्यम से ई-मेल तथा इंटरनेट कनैक्टिविटी वाला है।

1.9 मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.tribal.nic.in) का रखरखाव भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यह बेबसाइट डायनमिक, दिव्यांगों के अनुकूल, अधिक पारदर्शी, सूचनापरक तथा सोशल मीडिया लिंक के साथ अद्यतन है।

1.10 एनआईसी ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईसीटी सहायता तथा उनकी वेबसाइट की देखरेख करता है एवं आईसीटी सेवाएं भी प्रदान करता है।

1.11 इसके अतिरिक्त एनआईसी ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए है:-

- ई-आफिस (कार्यालय स्वाचालित साफ्टवेयर) वैयक्तिक सूचना तंत्र के साथ फाइलों के संचालन देखने के लिए कार्यान्वित की गई है पोर्टल को व्यापक डीडीओ (कॉम्प डीडीओ) के साथ एकीकृत किया गया है। ताकि कोई भी कर्मचारी अपने, व्यक्तिगत डाटा प्राप्त कर सके। अधिकतर काम्पडाटा प्रविधियां (सभी डीडीओ कार्य) मंत्रालय में चलाई जा रही हैं।
- मंत्रालय में राज्य अनुदान प्रभाग की योजनाओं के लिए वेब आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (एसएमआईएस) विकसित किया है जो जांचाधीन है। वेब आधारित एफआरए एमआईएस (संशोधन नियमावली 2012 के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 भी प्रगति पर है।
- वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के लिए एक वेबसाइट का विकास किया है तथा 10 दिन के रिकार्ड समय के अंदर यह वेबसाइट शुरू की गई है।
- मंत्रालय के लिए ई-स्टोर (सूची प्रबंधन) हेतु वेब आधारित एमआईएस भी कार्यान्वित किया गया है जो सफलतापूर्वक चल रहा है।
- ई-छात्रवृत्तियों के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल (एनआईएसपी) एमआईएस भी कार्यान्वयाधीन है।
- नए नियमों के साथ एनजीओ-एमआईएस को तैयार करने के लिए आरंभिक कार्य किया गया है।
- ई-अभिशासन पहलों/परियोजनाओं (भविष्य पेंशन पोर्टल, ई-समीक्षा, ई-संविदाकरण, ई-सेवा पुस्तिका, एसपीपीएआरओ, ई- विजीटर प्रबंधन प्रणाली, आधार पर आधारित ई-उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि) के सफलतापूर्वक संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना।
- वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) की सुविधा का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ प्रगति (अति सक्रिय अभिशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन) के विस्तार किया है।

सचिव (जनजातीय कार्य) हिन्दी पखवाड़े (14-28 सितंबर, 2015) के अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए

- योजना/कार्यक्रम के दिशानिर्देश, स्वीकृति पत्र आदि लोक जागरूकता के लिए तथा इसके लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.12 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनयम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय इसके अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधि कारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.13 वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्रा हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिर्पोटे द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनयिम की धारा 3(3)का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इस मंत्रालय के अधिकारयों/कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करने की हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अंतर्गत दो संगठनों द्वारा सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण भी किए गए थे। मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया है।

हिन्दी पखवाड़ा

1.14 मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान

हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण और श्रुतलेख जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

1.15 सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मंत्रालय केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा इस मंत्रालय के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। संयुक्त सचिव (प्रशासन) को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में पदनामित किया गया है। एक उप-सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता संबंधिक कार्यों का भी निपटान करते हैं। जनसामान्य के सूचनार्थ ब्यौरे नोटिस बोर्ड पर दिए गए हैं।

1.16 मंत्रालय ने दिनांक 26.10.2015 से 30.10.2015 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया । दिनांक 26.10.2015 को संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने शास्त्री भवन में तथा उप महानिदेशक (डीडीजी) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.17 मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन)को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्योरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं और कभी-कभी उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित करते हैं ताकि उनकी समस्याएं और शिकायतें सुन सकें। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की आन लाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से तथा सीधे ही ऑन लाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑन-लाइन किया जा रहा है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

1.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 20 में दिए गए हैं।

1.19 इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी प्रणाली सृजित की गई है।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री 31.01.2016 को जनजातीय अतिथियों तथा झांकी कलाकारों जिन्होंने 67वें गणतंत्र दिवस परेड, 2016 में भाग लिया है, के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित करते हुए

गणतंत्रता दिवस समारोह, 2016 के दौरान 31.01.2016 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में असम के झांकी कलाकार नृत्य प्रस्तुत करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह, 2016

1.20 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, इस वर्ष भी मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2016 में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रुप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया।

1.21 गणतंत्र दिवस समारोह 2016 में 29 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से 59 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2016 तथा 29 जनवरी, 2016 को बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखा। जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री से भी मिले। जनजातीय अतिथियों ने दिनांक 30.01.2016 को राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य राज्यमंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में रात्रि-भोज का आयोजन किया तथा उन्हें उपहार प्रदान किए गए। रक्षामंत्री द्वारा भी उन्हें उपहार दिए गए थे। मेहमानों को दिल्ली, मथुरा एवं आगरा के दर्शनीय स्थानों पर भी ले जाया गया।

संसदीय स्थायी समिति

1.22 श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2015-16 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 31.03.2015 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए।

1.23 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) ने दिनांक 10.08.2015 को लोक सभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/अवलोकनों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी अपनी 19वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसी दिन इसे राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया गया।

1.24 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ''जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के कार्यक्रम'' विषय पर स्थायी समिति (15वीं लोक सभा)

के अवलोकन/सिफारिश पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई वाली 44वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.25 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.26 अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय आबादी का समेकित विकास प्राप्त करने के लिए समर्पित है। मंत्रालय की भूमिका अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) के विकास के लिए बने कार्यक्रमों की योजना एवं समन्वयन, उचित नीतियों के निर्माण के लिए भागीदारी एवं वकालत करना है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी गई है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि शामिल है। अधोसंरचनात्मक विकास क्रियाकलापों का प्रमुख भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माधयम से पूर्ण किया जाता है, जबकि मंत्रालय गंभीर अंतरों को भरने के द्वारा इन पहलुओं को योगज प्रदान करता है। ये योजनाएं जो उनके आर्थिक शैक्षिक तथा सामाजिक विकास के लिए हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 अब तक मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए सभी प्रयासों को योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान तथा जनजातीय उपयोजना को केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुलग्नक-2** में दी गयी है।

2.3 मंत्रालय की कुछ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.5 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है।

2.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को मानदण्डों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सहायता दी जाएगी। संशोधित योजना के प्रावधान राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ एनजीओ द्वारा संचालित केन्द्रों पर समान रूप से लागू हैं।

2.7 'कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना' 01-07-2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा मैट्रिक-पूर्व स्तर की कक्षा 9 - 10 कक्षाओं में अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर के चरणों में उन्हें बेहतर प्रगति करने का मौका मिल सके।

2.8 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की फ्लेगशिप योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के समूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है।

2.9 विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत मंत्रालय स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.10 अनूसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य करने और इसके स्तरों जो समय खराब करते हैं, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं को ''अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति'' नामक एकल केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मिला दिया है।

2.11 चयनित सूची के ख्याति प्राप्त संस्थानों में से किसी एक ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय अनुसूचति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2008-09 से आरंभ की गई।

2.12 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत मंत्रालय अनुमोदित ''संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं'' के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पीवीटीजी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

2.13 मंत्रालय ने ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए निधि पोषित किया है।

2.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2.15 जनजातीय संस्कृति, आदत तथा भाषा की भिन्नता/विशिष्टता के उच्च संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता देता है तथा अनुसंधान एवं प्रलेखन (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण), प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (कानूनी/संवैधानिक प्रावधान पर) तथा कार्यकरणों और जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण (सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम) के क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

2.16 ''न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र'' की योजना वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की गई ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है उनके लिए बहु अपेक्षित सुरक्षा नेट और समर्थन दिया जा सके। प्रारम्भ करने के लिए 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

2.17 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। इसकी स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियमए 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियमए 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी। जो जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजातीय-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2.18 जनजातीय उपयोजना निधियों तथा अनुच्छेद 275 (1) के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के संबंध में परियोजना आंकलन समिति के तंत्र की वर्ष 2014 में शुरूआत की गई है। समिति की अध्यक्षता सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा की जाती है जिसमें राज्य सरकारों, वित्तीय सलाहकार तथा योजना आयोग आदि के प्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा अनुमोदन करती है। इसने राज्यों के साथ परामर्श को सुनिश्चित करने, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में तालमेल बैठाने, मूल्यांकन तथा निधियों की निर्मुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता की है।

2.19 सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी-समन्वय समिति गठित की गई है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधि हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों में समुचित निवेश सुनिश्चित करती है।

2.20 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की जनजातीय योजना निधियों का उपयोग संयुक्त तरीके से करना वर्षों से सरकार के लिए एक चुनौती रहा है। इन वित्तीय संसाधनों के तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए उचित संस्थागत तंत्र की कमी की परिणीति निधियों के बेतरतीब तरीके से व्यय में हुई और इस प्रकार वांछित परिणाम नहीं मिल सके। जनजातीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ''वन बन्धु कल्याण योजना (वीकेवाई)'' को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। वन कल्याण योजना के माध्यम से जनजातीय उपयोजना के तहत वित्तीय संसाधनों का प्रभावी रुप से तालमेल को प्रकल्पित किया है। इसके अतिरिक्त परिणामों को अधिकतम करने की दृष्टि से और वास्तविकता में जनजाति लोगों की आवश्यकताओं और मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के बीच विवेकपूर्ण संतुलन करने की दृष्टि से मंत्रालय संसाधनों के तालमेल पर जोर देता है इसके लिए वह मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का संयुक्त स्वरुप के रुप में उपयोग करने की सलाह देता है।

2.21 हितधारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता के अनुसार विशेष रुप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, मंत्रालय जनजातीय विकास की विभिन्न स्वरुपों को सुगम बनाने के लिए नियमित रुप से विचार विमर्श कर रहा था।

2.22 मंत्रालय का एक कार्य समुदायों का अनुसूचीकरण/गैर-अनुसूचीकरण है। संविधान राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। वर्षो से समुदायों के अनुसूचित जनजातियों के रुप में अनुसूचीकरण के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव रहे हैं। प्रस्तावों को अनुमोदित प्राविधियों के अनुसार प्रक्रियान्वित किया गया है।

अध्याय 3

2015-16 के प्रमुख कार्य/उपलब्धियां

योजना परिव्यय तथा इसके उपयोगः

3.1 वर्ष 2015-16 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित योजना परिव्यय 4792.19 करोड़ रूपए था तथा संशोधित अनुमान 4550.00 करोड़ रूपए था। वर्ष 2015-16 के दौरान (31.12.2015 तक) मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 3621.96 करोड़ रूपए थी जो संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान का 79.60 प्रतिशत है।

3.2 वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के योजना-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-3 क** तथा **अनुलग्नक 3-ख** में दिए गए हैं।

परियोजना मूल्यांकन समितिः

3.3 जनजातीय उपयोजना निधियों और अनुच्छेद 275(1) के निरुपण कार्यान्वयन व निगरानी के लिए दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार परियोजना मूल्यांकन समिति का तंत्र 2014 में प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति की 22 बैठकें आयोजित की गई थी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास तथा वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए), अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, शिक्षा की योजनाओं, अनुसंधान योजनाओं, संरक्षण-सह-विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी।

पीएसी बैठकों की तिथि	राज्यों के नाम
23.03.2015	ओडिशा
24.03.2015	छत्तीसगढ़
25.03.2015	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर
26.03.2015	महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु
27.03.2015	राजस्थान
08.04.2015	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
09.04.2015	बिहार, कर्नाटक, केरल
10.04.2015	गोवा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
13.04.2015	उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश
21.04.2015	उत्तर प्रदेश, झारखंड
27.04.2015	असम, नागालैंड
21.08.2015	नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और मेघालय

27.08.2015	जम्मू-कश्मीर, मेघालय और नागालैंड
21.09.2015	नागालैंड, राजस्थान और तेलंगाना
22.09.2015	गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश
23.09.2015	झारखंड और छत्तीसगढ़
24.09.2015	पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और अरुणाचल प्रदेश
26.10.2015	झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय और कर्नाटक
27.10.2015	मिजोरम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जम्मू-कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा
03.12.2015	मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम और तमिलनाडु
20.01.2016	बिहार, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु
21.01.2016	अरुणाचल प्रदेश, असम और केरल

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदानः

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार दिए गए हैं:

- ईएमआरएस (आवर्ती तथा गैर-आवर्ती लागत)
- ईएमआरएस के अलावा अन्य स्कूलों का निर्माण
- छात्रावास
- स्वास्थ्य अवसंरचना
- अतिरिक्त कक्षाएं/कोचिंग
- वीटीसी/आईटीडीए/टीआरआई/आईटीडीए/आईटीडीपी
- संपर्क
- पेयजल
- बिजली
- बाजार विकास
- आवसायी विद्यालयों में किचन गार्डन/शौचालय/पेयजल/खेल
- आजीविका-डेयरी/मछली पालन/मुर्गीपालन/कौशल विकास
- एफआरए/निगरानी प्रकोष्ठ

जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए):

3.5 जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार है:

- कौशल विकास
- बागवानी/फूलों की खेती/रेशम कीट पालन/मधुमक्खी पालन/सब्जियां/किचन गार्डन
- स्वास्थ्य केंद्र आदि
- डेयरी विकास
- मुर्गीपालन
- मछली पालन
- शीत भंडारण/बाजार विकास आदि
- संपर्क
- शिक्षा की पहलें
- कृषि/खेती-बाड़ी

- खेल/संस्कृति
- आईएलडी केंद्र
- एफआरए

वन बंधु कल्याण योजनाः

3.6 वर्ष 2015-16 के दौरान वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के तहत अनुमोदित प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैः

- छात्रावासों तथा विद्यालयों में शिक्षा/अवसंरचना/शौचालय
- स्वास्थ्य/खेल/सुरक्षित पेयजल
- स्व-रोजगार/कौशल विकास/फलों की खेती/आजीविका/डेयरी/मछली पालन
- सिंचाई
- संस्कृति/पर्यटन
- निगरानी प्रकोष्ठ/संस्थान
- संपर्क/बाजार/बिजली/सौर ऊर्जा

अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजनाः

3.7 मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना प्रदान करने तथा छात्रवृत्तियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अपनी शैक्षिक योजनाओं की पुनः इंजीनियरी कर रहा है। यह छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ लाइन मंत्रालय की योजनाओं के तालमेल के माध्यम से तथा अधिगम गतिविधियों में सुधार करने में प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से भी प्राप्त किए जाने के लिए निर्दिष्ट है। चूंकि, आवश्यकताएं राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हैं, अतः प्रस्तावित नई योजना प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए लचीली होनी संभावित है। प्रस्तावित अंब्रैला योजना में निम्नलिखित योजनाओं को मिलाया गया हैः

(क) आश्रम विद्यालयों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

(ख) छात्रवासों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

(घ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ड़) मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

3.8 सरकार द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना प्रतीक्षित है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तिः

3.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) की संशोधित योजना अनुमोदित की हैं। यह योजना स्नातकोत्तर, पी.एच.डी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतर अध्ययनों के अनुसरण हेतु चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इसे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने हेतु मंत्रालय ने इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है।

3.10 अध्ययन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए अवार्डों की संख्या को विद्यमान 15 से 20 तक बढ़ाया गया है इस योजना को और अधिक अंतरवेशी बनाने के लिए कुल 20 अवार्डों में से 3 अवार्ड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए चिन्हित किए गए हैं तथा 30% अवार्ड छात्राओं के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब योजना में और अधिक विषय के समावेश तथा बृहद आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विषयों के समूहन द्वारा अध्ययन के क्षेत्र को पुनर्गठित करते हुए और अधिक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे क्योंकि विषयों की संख्या 30 से 52 तक बढ़ा दी है। पूर्व में पात्रता मानदंड 60% अंक थे, जिसे अब घटा कर 55% अंक कर दिया गया है ताकि, एनओएस के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हों। आय की अधिकतम सीमा को 6 लाख वाल्षक तक बढ़ाया गया है। तथापि, अन्य सभी मापदंड समान है, प्राथमिकता निम्न आय वाले विद्यार्थियों को दी जाती है। इसी प्रकार, मंहगाई दर को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता, उपस्कर भत्ते तथा अनुषंगिक यात्रा व्यय 10% तक बढ़ाए गए हैं।

3.11 घटते-बढ़ते हवाईजहाज के किरायों को ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा की अधिकतम सीमा में छूट दी गई है तथा अब अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भारत से निकटतम

शैक्षिक संस्थान तक तथा वापसी की यात्रा राष्ट्रीय कैरियर अर्थात एअर इंडिया द्वारा आर्थिक श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति के साथ कर सकते हैं। आगे से पूर्व के अवार्ड प्राप्तकर्ता भी जो पहले से विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, जो योजना में यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता की संशोधित दरें प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में, यह पाया गया था कि कुछ देशों में मास्टर डिग्री कार्यक्रम 1 से 3 वर्ष की अवधि का होता है। अत: संशोधित योजन में कार्यक्रम की अवधि डॉक्टरोत्तर के लिए 1.5 वर्ष तकय पीएचडी के लिए 4 वर्ष तक तथा मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए 1 से 3 वर्ष के बीच रखी गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए चयन प्राप्त करने में विद्यार्थियों के अवसरों को बढ़ाने के लिए टीओईएफएल/जीआरई/जीएमएटी हेतु कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान अभ्यर्थियों के चयन के लिए किया गया है।

उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों हेतु सामान्य पोर्टल:

3.12 आवेदन करने, प्राधिकारियों द्वारा मामलों की जांच करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करने तथा अंतिम स्वीकृति और पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे ही संवितरण के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल विकसित किया जा रहा है जो छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करता है। सीजीजी (सुशासन केंद्र) की सहायता से डीईआईटीवाई (इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2015 को डिजीटल इंडिया वीक के बैनर के अंतर्गत आरंभ किया गया है।

नागरिक इंटरफेस:

3.13 परामर्श/विचार विमर्श के लिए और अनुसूचित जनजाति के विकास, अर्थात् अनुसूचित जनजाति बच्चों में निम्न साक्षरता और स्कूल छोड़ने से संबंधित मुद्दों पर नागरिक अन्त:स्थिति रखने के लिए भी माई गवर्नमेंट वेबसाइट का उपयोग किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार:

3.14 उच्चतर शिक्षा, जनजातीय नृत्य, कला, कौशल, चित्रकारी, चिकित्सा, खेल इत्यादि के लिए छात्रवृत्ति का प्रस्ताव उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया। परियोजना मूल्य निर्धारण समिति शिक्षा पर, विशेषत: बालिकाओं और निम्न साक्षरता वाले जनजाति, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और जीवनयापन पर प्राथमिकता दी है। अनुसूचित जनजाति बच्चों में सफलतापूर्वक सांस्कृतिक एवं भाषिक निर्माण करने के लिए, राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में प्राथमिक कक्षा में प्रासंगिक रूप से संब) और उचित सांस्कृतिक अध्ययन के विषय तथा जनजातीय प्राथमिक भाषा का भी उपयोग और विकास करने का सुझाव दिया गया। आवासीय विद्यालयों में शौचालयों, स्वच्छता और स्वास्थ्य-विज्ञान के पहलुओं पर पुन: बल दिया गया। स्थानीय जनजातीय उत्सवों पर स्कूल बंद रखे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया एक राज्य के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद किया है।

अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान:

3.15 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान, इस स्कीम के तहत 7 राज्यों में 30 आवासीय विद्यालयों से 4808 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला, 6 राज्यों में 10 छात्रावास से 933 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला, 7 राज्यों में 16 चल-औषधालय स्थापित किए गए जिससे 1,31,784 अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को लाभ मिला, 4 राज्यों में 68 अस्पताल स्थापित किए गए जिससे 1,24,521 अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को लाभ मिला, 1 राज्य में 1 कंप्यूटर (प्रशिक्षण केंद्र) स्थापित किए गए जिससे 30 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला।

3.16 आगे, निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति बालिकाओं में शिक्षा को सशक्त करने की योजना के तहत 3 राज्यों में 25,770 अनुसूचित जनजाति बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 104 शैक्षिणक काम्प्लेक्स के लिए 41.12 करोड़ रूपए की राशि की गई।

विशेष रूप से कमजोर समूह के लिए विकास की योजना (पीवीटीजी):

3.17 मंत्रालय से सभी पणधारी के साथ सहयोग द्वारा व्यापक सीसीडी योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को चालू योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमी और पीवीटीजी की आवश्यकताओं के बारे में आवश्यक जमीनी कार्य करने का सुझाव दिया गया। वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक), परियोजना मूल्य निर्धारण समिति (पीएसी) की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार

पर विभिन्न परियोजना के लिए 12 राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा को निधियां दी गई।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए समर्थन:

3.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय संस्कृति, आदत और भाषा के सुदृढ़ीकरण/एकीकरण को सुरक्षित और रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्रों में चुनौतियों को पहचानना एवं उनकी संस्कृति को समझना, प्रोन्नत करना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण हो गया है। यह तब है जबकि जनजातीय लोगों के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को निर्मित किया जाता है और ज्ञान के समर्थन के लिए आवश्यकता है जो कि प्रतिफल में साक्ष्य आधारित नीति और योजना निर्मित करने में सहायता करेगी। तद्नुसार, मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान इस मंत्रालय ने अवसंरचना एवं मानवशक्ति के संबंध में टीआरआई को सशक्त करने के लिए शुरूआत की है। इस अवधि के दौरान खेल प्रतिभा को पहचानना, जनजातीय औषधियों और उपचार पद्धतियों, टीआरआई के माध्यम से पोषक खाद्य पदार्थों की वकालत जैसी अन्य शुरूआत की गई।

वन अधिकार अधिनियम, 2005:

3.19 वर्ष के दौरान प्रगति पहल के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा की। मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि अधिनियम के कार्यान्वयन को अभियान स्तर पर लिया जाए। वन अधिकार अधिनियम को अभियान स्तर पर लेने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किए गए कुल दावे 44,13,727 हैं जिनमें से 38,32,021 दावे निपटाए गए हैं और 17,11,045 स्वत्व जारी किए गए हैं। स्वत्वों को जारी करने के मामले में ओडिशा सर्वप्रमुख है जो कि 3,54,4.4 संख्या में है। (3,49,400 व्यक्तिगत स्वत्व और 5,004 सामुदायिक स्वत्व हैं)। मध्य प्रदेश इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए स्वत्वों के मामले में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। कुल वन क्षेत्र जिस पर स्वत्व जारी किए गए है, में महाराष्ट्र 20,36,382.10 एकड़ क्षेत्र है। वर्ष के दौरान, टीआरआई परिसर, ओड़िशा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र न केवल ओड़िशा में बल्कि अन्य राज्यों में भी जो वन अधिकार अधिनियम लागू कर रहे हैं, वन अधिकार अधिनियम पर कुशल प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। कई राज्य में वन अधिकार अधिनियम एवं नियमावलियों को स्थानीय एवं जनजातीय भाषाओं में अनूदित किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी):

3.20 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों का प्रोन्नयन करने के लिए अभिप्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष, 2015-16 के दौरान, 31.12.2015 के स्थिति की अनुसार, निगम ने 36,780 लाभार्थियों के लिए 100.90 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की हैं। इसमे 807 महिला लाभार्थियों के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत 4.94 करोड़ रूपए, 3858 लाभार्थियों के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 4.19 करोड़ रूपए और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 20 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 0.56 करोड़ रूपए की स्वीकृति शामिल है। 30.11. 2015 की स्थिति के अनुसार निगम ने विभिन्न स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 46.65 करोड़ रूपए भी स्वीकृत किए हैं।

एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ((एमएसपी) और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र:

3.21 ''एमएफपी के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र'' की एक स्कीम अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों, जिनकी आजीविका पूरी तरह से एमएफपी के संग्रहण एवं विक्रय पर आधारित है, के लिए अत्यंत आवश्यक सुरक्षा जाल उपलब्ध करने के लिए 2013-14 में मंत्रालय द्वारा शुरू की

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री 2.11.2015 को दिल्ली हाट, नई दिल्ली में ''आदिशिल्प मेला-2015'' का उद्घाटन करते हुए

गई। वर्ष 2015-16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे जनजातीय विकास सहकारी निगम, ओड़िशा लिमिटेड (टीडीसीसीओएल) और झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन और प्रापण संघ लिमिटेड (जेएएससीओएलएएमपीएफ) रांची, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर (सीजीएमएफपीएफईडी) और भारत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) को 106.73 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

भारत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड):

3.22 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दूकानों ''ट्राइब्स इंडिया'' के नेटवर्क के माध्यमों से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्ष 2015-16 (31.12.2015 के स्थिति के अनुसार) के दौरान, ट्राइफेड ने 949.90 लाख रूपए के जनजातीय उत्पादों का विक्रय किया।

3.23 विपणन विकास गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- ट्राइफेड ने अब स्वयं की 35 ''ट्राइब्स इंडिया'' दुकानों एवं प्रेषण आधारित 10 दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है।
- ट्राइफेड ने अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान भारत में 60 से अधिक प्रदर्शनियों में भाग लिया।
- ट्राइफेड ने बैंगलोर, दिल्ली, दार्जिलिंग, हैदराबाद और पुणे में जनजातीय चित्रकारी की पांच ''आदिचित्र'' प्रदर्शनियाँ आयोजित की।
- ट्राइफेड ने दिल्ली हाट, आरएनए, नई दिल्ली और भोपाल में जनजातीय कला एवं शिल्प की तीन ''आदिशिल्प'' प्रदर्शनियाँ आयोजित की जिनमें 131 जनजातीय कारीगरों ने भाग लिया और 109.97 लाख रूपए की विक्रय राशि अर्जित की।
- ट्राइफेड ने 31.12.2015 तक 584.42 लाख रूपए के जनजातीय उत्पाद खरीदे।
- ट्राइफेड के झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में से प्रत्येक मे 4 टीएएम आयोजित किए।
- ट्राइफेड के पास अपने पैनल वाले आपूर्तिकर्ताओं के रूप में 1289 वैयक्तिक/एसएचजी/को-आपरेटिव/एनजीओ/राज्य

सरकारें/संगठन इत्यादि है जो लगभग 58,388 जनजातीय लाभार्थी परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं।

लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना का कार्यान्वयन:

3.24 ट्राइफेड में गठित मूल्य प्रकोष्ठ की सिफारिश पर मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत निम्नलिखित लघु वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन् मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है:

क्रम सं.	एमएफपी का नाम	मूल्य प्रति किग्रा. (रुपयों में)
1	इमली	22/-
2	शहद	132/-
3	गोंद कराया	108/-
4	करंज बीज	21/-
5	साल बीज	10/-
6	महुआ बीज	22/-
7	साल के पत्ते	21/-
8	बीज के साथ चिरौंजी की फलिया	100/-
9	हरीतिका	11/-
10	लाख	
(क)	रंगीनी	230/-
(ख)	कुसुमी	320/-

पुरस्कार:

3.25 मंत्रालय ने वर्ष दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं:

भारत के महामहिम राष्ट्रपति से सर्वोत्तम अभिगम्य वेबसाइट के लिए ''राष्ट्रीय पुरस्कार''

वेबसाइट की उत्कृष्ट विषय वस्तु के लिए गोल्डेन ऑइकन, ''वेबरत्न पुरस्कार''

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ बैठक:

3.26 हितधारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता के साथ-साथ विशेष रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रालयों ने पूरे देश में जनजातीय लोगों के विनिर्दिष्ट विकास पहलों की गति बढ़ाने के लिए प्रविधियां तैयार करने और विद्यमान जनजातीय विकास रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 29.10.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री 29.10.2015 को विज्ञान भवन में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिवों/सचिवों को संबोधित करते हुए

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय पर ई-पुस्तक तथा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' का तथा मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका का लोकार्पण किया

ई-पुस्तक तथा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका का लोकार्पण करते हुए

3.27 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने दिनांक 05.06.2015 को पीआईबी सम्मेलन कक्ष, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ई-पुस्तक, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' तथा मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका का लोकार्पण किया।

अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप/यात्राओं का आदान-प्रदान:

3.28 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री 10-12 जनवरी, 2016 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल का आस्ट्रेलिया में नेतृत्व करते हुए

8-15 जून, 2015 के दौरान पेरू का मेल-मिलाप दौरा करने वाला भारतीय प्रतिनिधि मंडल

की अध्यक्षता में एक 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने 10-12 जनवरी, 2016 के दौरान मेलबर्न तथा सिडनी, आस्ट्रेलिया का दौरा किया। मेल-मिलाप का यह दौरा मूल समुदायों की सहायता करने तथा इस संबंध में सर्वोत्तम प्रक्रिया को सीखने और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत की सकारात्मक नीतियों की साझेदारी करने के लिए आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियो का अध्ययन करने, मूल रिवाजों और परंपराओं को समझने के निर्दिष्ट था। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने न्यू साउथ वेल्स (एनएसडबल्यू) मिनीस्ट्री ऑफ एबओरिजनल अफेयर्स, एनएसडबल्यू ऑफ एजुकेशन एंड यूनीवर्सिटी आर्फ सिडनी के साथ बैठक की थी।

3.29 5-9 अक्टूबर, 2015 के दौरान श्री अरूण झा, सचिव (जनजातीय कार्य) के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कनाडा का दौरा किया। मेल मिलाप का यह दौरा मूल जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण तथा बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के लिए कनाडा द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रक्रिया को समझने तथा उनका अध्ययन करने के निऌदष्ट था। ये हस्तांतरित सीखे प्रतिमान के रूप में कार्य करेगी तथा ऐसे विचार सुझाएंगे जो देश में अनुसूचित जनजातियों के उनके मानव विकास संकेतकों के सुधार हेतु भारत के संदर्भ के लिए प्रासंगिक बनाते हुए दोहराए जा सकते हैं।

3.30 श्री अशोक पै, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 8-15 जून, 2015 के दौरान पेरू का दौरा किया। मेल मिलाप का यह दौरा पेरू में मूल समुदायों के परंपरागत ज्ञान तथा आधुनिक शिक्षा के शिक्षण तथा अधिगम की परंपरा पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा उन्हें समझने के निर्दिष्ट था जो प्रतिमान के रूप में कार्य करेगा तथा देश में अनुसूचित जनजातियों के सुधार के लिए विचार देगा। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, मूल समुदाय के नेताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल ने बैठकें की थी तथा विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, कला और सांस्कृतिक केंद्रों आदि के क्षेत्र दौरे किए थे।

3.31 महामहिम श्री नगुयेन दिन्हडूक, उपाध्यक्ष वियतनाम फादर लैंड फ्रंट (हनोई अध्याय) के नेतृत्व में हनोई के फादर लैंड फ्रंट समिति से 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अगस्त 2015 में भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 19 अगस्त, 2015 को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियो के साथ बैठक की थी जिसमें दोनों ओर से अपने संबंधित देश में जनजातीय/मूल नागरिकों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभवों की साझेदारी की।

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा

जनसांख्यिकी रुझान

4.1 जनसंख्या विवरण: जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पुरूष जनसंख्या 5.25 करोड़ और अनुसूचित महिला जनसंख्या 5.20 करोड़ है। 1961 से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दशकीय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि 2001 की तुलना में जनगणना 2011 के अनुसार 24 प्रतिशत है। लिंग और आवास के आधार पर राज्यवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण **अनुलग्नक 4क** पर दिया गया है। राज्यवार संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य में कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता और भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या से राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता का विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले जिलों (90 जिले) और 25 से 50 प्रतिशत के बीच अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों (62 जिले) को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 4ग** में दिया गया है।

4.2 लिंग अनुपात : जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 2001 में प्रति 1 हजार पुरूषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिला हो गया है जोकि 943 के राष्ट्रीय लिंग अनुपात औसत से उच्च है। गोवा, केरल, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात उच्चतर दर्शाता है जबकि जम्मू कश्मीर में 2011 में 924 की तुलना में अनुसूचित जनजाति अनुपात निम्न है। 2001 और 2011 में आवास के आधार पर अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात राज्यवार **अनुलग्नक 4घ** में दिया गया है।

4.3 बाल लिंग अनुपात : जनगणना 2011 के आंकड़े दर्शाते हैं कि सामान्य जनसंख्या के लिए 0-6 आयु समूह में बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 927 लड़कियों से गिरकर प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियां हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 972 से गिरकर 2011 में 957 हो गया है। यद्यपि सामान्य जनसंख्या हेतु बाल लिंग अनुपात की तुलना में यह उच्चतर है।

4.4 साक्षरता दर: जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 47.1: से 2011 में 59: तक की बढ़ोतरी हुई है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अन्तराल है। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर संपूर्ण महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 15 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निम्नतर है। ब्यौरे तालिका **4.1** में दिए गए हैं।

सारणी 4.1 अनुसूचित जनजाति और सभी सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता दर

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2011	68.5	49.4	59.0	80.9	64.6	73.0

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशतता बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरतादर और अंतराल के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक- 4 ड.** में दिए गए हैं।

4.6 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर 15 वर्षों तथा उससे ऊपर के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक 4च में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लिंग-वार अलग-अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10-14 वर्ष, 15-19 वर्ष, 20-24 वर्ष की आयु) किशोर (10-19 वर्ष) तथा युवा (15-24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, निम्नलिखित तालिका 4.2 में दी गई है :

तालिका 4.2 : साक्षरता दर

सभी श्रेणियां (आयु समूह)	साक्षरता दर								
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

युवा साक्षरता दर - ग्रामीण :

4.7 वर्ष 2001 तथा 2011 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए युवा साक्षरता दर (आयु समूह 15-24 वर्ष) जैसा निम्नलिखित ग्राफ 4.1 में दर्शाई गयी है में सभी श्रेणियों के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में लगभग 12 प्रतिशत बिंदुओं तक बढ़ोत्तरी हुई है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर ने 21 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाई है। तथापि, अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा अनुसूचित जाति की श्रेणी में महिला तथा पुरूषों दोनों के लिए युवा साक्षरता दर उच्चतर है।

ग्राफ 4.1 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-ग्रामीण जनगणना 2001 और जनगणना 2011

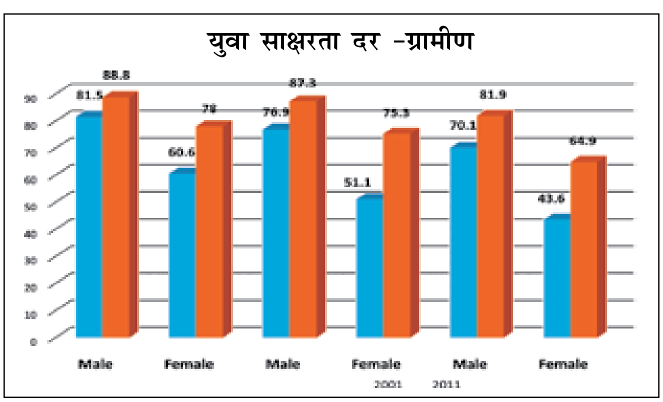

युवा साक्षरता दर-शहरी

4.8 वर्ष 2001-2011 के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए जैसा कि ग्राफ 4.2 में दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 4 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। महिला युवा साक्षरता दर के संबंध में 10 प्रतिशतता बिंदुओं की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ग्राफ 4.2 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-शहरी जनगणना 2001 और जनगणना 2011

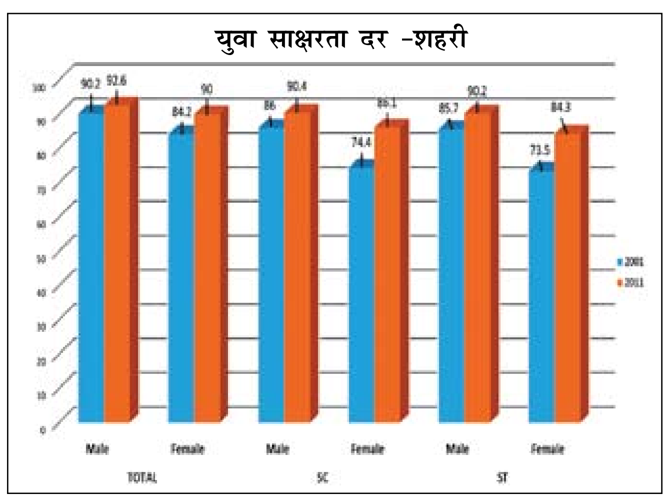

युवा साक्षरता दर-अखिल भारत

4.9 जनगणना 2001 तथा 2011 के अनुसार युवा साक्षरता दर ग्राफ 4.3 में दर्शाई गयी है। अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति श्रेणी के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 9 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है, वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 11 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर ने वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में महत्वपूर्ण 20 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाई है। तथापि, अनुसूचित जाति तथा कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दरों के बीच बड़ा अंतर है।

ग्राफ 4.3 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-अखिल भारतीय जनगणना 2001 और जनगणना 2011

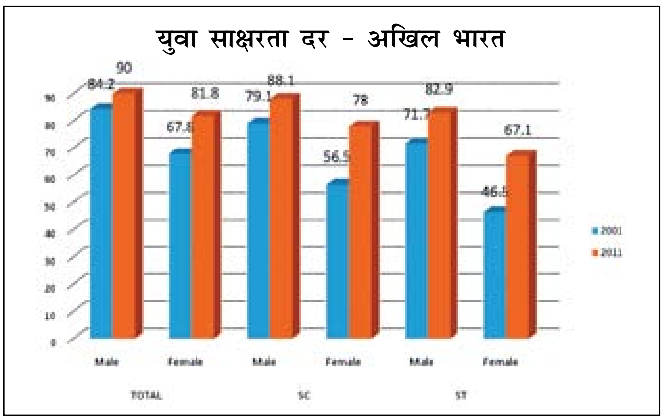

संपूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर) :

4.10 प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर) निम्नलिखित तालिका 4.3 में दिया गया है। वर्ष 2014-15 में प्राथमिक स्तर पर जीईआर में आंशिक गिरावट आई है। तथापि, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा शिक्षा के उच्चतर स्तरों में जीईआर में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। जैसा कि तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

आंकड़ों के स्रोत :

(क) विद्यालय शिक्षा के संबंध में वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े प्रकाशन से लिए गए हैं: विद्यालय शिक्षा की सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(ख) वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए आंकड़े शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) शैक्षिक आयोजना तथा प्रकाशन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) से लिए गए हैं।

(ग) उच्चतर शिक्षा के लिए आंकड़े उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लिए गए हैं।

सारणी 4.3 : अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6-10 वर्ष			अपर प्राथमिक (VI-VIII) 11-13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6-13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12	117.8	115.6	116.7	76.8	74.1	75.5	103.0	100.6	101.8
2012-13(P)	115.7	113.5	114.6	86.2	86.5	86.4	105.1	103.9	104.5
2013-14(P)	114.4	111.9	113.2	90.5	92.2	91.3	105.9	105.0	105.5
2014-15(P)	110.6	108.2	109.4	93.0	95.2	94.1	104.4	103.7	104.0

सारणी 4.4 : अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण दाखिला अनुपात

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14-15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 16-17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18-23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12	56.7	50.6	53.8	35.4	29.0	32.3	12.4	9.7	11.0
2012-13(P)	62.6	61.2	61.9	32.3	29.0	30.7	12.4	9.8	11.1
2013-14(P)	70.3	70.1	70.2	36.7	34.1	35.4	12.5	10.2	11.3
2014-15(P)	71.8	72.6	72.2	39.8	37.8	38.8	14.6	12.0	13.3

P-अनन्तिम

लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.11 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) ने माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर अत्याधिक सुधार किया है। निम्नलिखित तालिका 4.5 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इसने उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भी वर्ष 2011-12 में 0.78 से वर्ष 2014-15 में 0.82 तक सुधार दर्शाया है।

सारणी 4.5 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंगीय समानता सूचकांक

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्च शिक्षा
2011-12	0.89	0.82	0.78
2012-13(पी)	0.98	0.90	0.79
2013-14(पी)	0.99	0.94	0.81
2014-15(पी)	1.0	0.95	0.82

पी-अनन्तिम

स्रोत : विद्यालय शिक्षा के लिए : शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई)

उच्चतर शिक्षा के लिए : उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा में ड्राप आउट दरें

4.12 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा में ड्राप आउट दरों में वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के दौरान अलग-अलग कक्षाओं में लगातार गिरावट आई है। ब्यौरे नीचे सारिणी 4.6 में दिए गए हैं:

सारणी 4.6 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंगीय समानता सूचकांक

वर्ष/कक्षाएं	कक्षाएं (I-V)			कक्षाएं (I-VIII)			कक्षाएं (I-X)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12	36.1	34.4	35.3	57.3	57.1	57.2	64.4	67.6	65.9
2012-13 (P)	33.3	31.2	32.3	50.6	47.5	49.2	63.2	62.2	62.7
2013-14 (P)	31.9	30.7	31.3	49.8	46.4	48.2	63.2	61.4	62.4

स्रोत : शिक्षा पर एक दृष्टि, विद्यालय शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्वास्थ्य संकेतक

4.13 वर्ष 2005-06 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ सभी श्रेणियों के लिए कुछ स्वास्थ्य संकेतक **तालिका 4.7** में दर्शाये गए हैं।

सारिणी 4.7 : स्वास्थ्य संकेतक

स्वास्थ्य संकेतक	अ.ज.जा.	कुल
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)[1]	62.1	57.0
नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) [2]	39.9	39.0
प्रसवपूर्व मृत्यु दर (पीएमआर) [3]	40.6	48.5
प्रसव पश्चात मृत्यु दर (पीएनएमआर) [4]	22.3	18.0
बाल मृत्यु दर (सीएमआर)[5]	35.8	18.4
5 वर्ष से कम की मृत्यु दर (यू5एमआर)[6]	95.7	74.3
महिलाओं में किसी प्रकार की रक्ताल्पता (<12.0 ग्राम प्रतिशत डेसीलीटर)	68.5	55.3

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3, 2005-06

[1]आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार जन्म पर वर्ष के दौरान शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[2]एनएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार जन्म पर वर्ष के दौरान 29 दिन से कम के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[3]पीएमआर प्रसवपूर्व और पूर्व नवजात मृत्यु की संख्या (जन्म से 6 दिनों के बीच की आयु के बच्चों की मृत्यु) 7 माह या अधिक माह के गर्भधारण की संख्या से विभाजित।

[4]पीएनएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार पर वर्ष के दौरान 29 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[5]सीएमआर प्रति 1 हजार पर वर्ष के दौरान 1-4 वर्ष की आयु के बच्चों की इस आयु समूह में मृत्यु की संख्या है।

[6]यू5एमआर प्रति 1 हजार पर वर्ष के दौरान 0-4 वर्ष की आयु के बच्चों की इस आयु समूह में मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)- 3 जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम/ओडब्ल्यूसीडी) द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रशासित 'रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन' (आरएसओसी) के आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशतता को पोषण स्थिति के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रूकी हुई वृद्धि

(आयु के अनुसार कद), कुपोषण (आयु के अनुसार वजन) तथा कम वजन (आयु के अनुसार वजन होना) निम्नलिखित **तालिका 4.8** में दिए गए हैं।

सारिणी 4.8 : 5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

(संख्या प्रतिशत में)

स्रोत	रूकी हुई वृद्धि	गंभीर रूप से रूकी हुई वृद्धि	कृशकाय	गंभीर रूप से कृशकाय	कम वजन	गंभीर रूप से कम वजन
एनएफएसएच-3 (2005-06)	53.9	29.1	27.6	9.3	54.5	24.9
आरएसओसी (2013.14)	42.3	19.5	18.7	5.3	36.7	13.0

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएच)-3, 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बच्चों पर त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14 एम/ओ डब्ल्यूसीडी

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर 12-23 माह के अनुसूचित जनजाति के बच्चे जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (वीसीजी), डिप्थीरिया, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके लगा दिए जाते हैं; और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

सारिणी 4.9 : पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त/टीकाकरण रहित 12-23 माह की आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रतिशतता

स्रोत	पूर्ण प्रतिरक्षण	टीकाकरण रहित
एनएफएसएच-3 (2005-06)	31.3	11.5
डीएलएसएच-3 (2007-08)	45.5	9.4
सीईएस-2009	49.8	9.9
आरएसओसी-(2013-14)	55.7	7.4

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएच)-3, 2005-06, एम/ओ एमएचएंडएफडब्ल्यू
जिला स्तर पर परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण (डीएलएसएच)-3, 2007-08, एम/ओ एमएचएंडएफडब्ल्यू
कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण (सीईएस), 2009, एम/ओ एमएचएंडएफडब्ल्यू
बच्चों संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14, एम/ओ डब्ल्यूसीडी

संस्थागत प्रसूति

4.16 तालिका 4.10 में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005-06 में 17.7 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 में 70.1 प्रतिशत तक बढ़ी है। कुशल स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा कराई गई प्रसूतियां भी वर्ष 2005-06 से 2013-14 की अवधि के दौरान 25.4 प्रतिशत से 72.7 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हैं।

सारिणी 4.10

स्रोत	संस्थागत प्रसूति (%)	कुशल कार्मिक[1] द्वारा कराई गई प्रसूतियां (%)
एनएफएसएच-3 2005-06	17.7	25.4
डीएलएचएस-3 2007-08	32.5	37.6
सीईएस-2009	57.0	61.3
आरएसओसी- 2013-14	70.1	72.7

[1] कुशल स्वास्थ्य कार्मिक में शामिल हैं डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी/मिडवाइफ

प्रसवपूर्व संपूर्ण देखभाल

4.17 वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक के दौरान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं जिनकी प्रसवपूर्व पूरी देखभाल (एएनसी[2]) की गई की स्थिति निम्नलिखित तालिका 4.11 में दर्शाई गयी है।

सारिणी 4.11

स्रोत	प्रसवपूर्व पूर्ण देखभाल प्राप्त अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की प्रतिशतता
डीएलएचएस-3 (2007-08)	14.7
सीईएस-2009	18.9
आरएसओसी-2013-14	15.0

नोट : [2]पूर्ण देखभाल : 3 से अधिक एएनसी प्राप्त, कम से कम टिटनेस टॉक्साइड (टीटी) टीके की एक खुराक और 100 आयरन फॉलिक एसिड (आईएफए) टेबलेट/सीरप की खपत

स्रोत :
(i) जिला स्तर पर परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण (डीएलएचएस)-3, 2007-08, एम/ओ एचएंडएफडब्ल्यू
(ii) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण (सीईएस), 2009 एम/ओ एचएंडएफडब्ल्यू
(iii) बच्चों संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14, एम/ओ डब्ल्यूसीडी

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.18 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2015 तक 27958 उपकेन्द्र (एससी), 3957 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) तथा 998 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) कार्यरत हैं। विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में मार्च 2013 से मार्च 2015 तक 1.5 प्रतिशत तक की आंशिक वृद्धि हुई है। 2013-2015 तक की अवधि के दौरान पीएचसी तथा सीएचसी की संख्या में क्रमशः 78 तथा 18 तक की कमी हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च 2015 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 6796 एससी, 1267 पीएचसी तथा 309 सीएससी की कमी है। निम्नलिखित तालिका 18.12 में दिए गए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना हेतु निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4छ** में दिए गए हैं।

सारिणी 4.12

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	समतल क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/मुश्किल क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4.19 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला)/ सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 7.6 प्रतिशत पद 31.3.2015 तक रिक्त थे। ब्यौरे **अनुलग्नक 4ज** में दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या वर्ष 2013 में 4787 से घटकर वर्ष 2015 में 4298 हो गई है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृति चिकित्सकों के 26 प्रतिशत पद और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत नर्सिंग स्टाफ के 20.4 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। ब्यौरे 4झ से ञ में दिए गए हैं।

गरीबी अनुमान

4.20 पूर्व के योजना आयोग में वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान उपलब्ध कराए हैं जिसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 था। वर्ष 2009-10 और 2011-12 के लिए राज्य-वार ब्यौरे नीचे सारिणी 4.13 में दिए गए हैं:

सारिणी 4.13 : वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता

(तेंदुलकर पद्धति)

क्र सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्रप्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखण्ड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्यप्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तरप्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखण्ड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता और उनकी प्रकाश की व्यवस्था के स्रोत-अनुसूचित जनजाति एवं सभी सामाजिक समूहों की एक तुलनात्मक तस्वीर :

4.21 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों

के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षद्वीप में 99.7 प्रतिशत परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन एवं दीव (96.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.5 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (94 प्रतिशत) तथा गोवा (93.8 प्रतिशत) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान उच्चतम (91.5 प्रतिशत) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3 प्रतिशत) तथा नागालैण्ड (81.2 प्रतिशत) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5 प्रतिशत परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार की तुलना में 15.6 प्रतिशत परिवार बिजली का उपययोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। (विस्तृत सारिणी **अनुलग्नक-4 ट** में देखें)

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है- अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.22 जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9 प्रतिशत के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं जबकि कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षदीप सबसे ऊपर स्थान पर है क्योंकि उसके 98.3 प्रतिशत परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम 991.9 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (88.2 प्रतिशत), सिक्किम (85.9 प्रतिशत), मणिपुर (82.3 प्रतिशत), नागालैंड (74.8 प्रतिशत) और केरल (71.4 प्रतिशत) है। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1 प्रतिशत के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवारों का 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है।

4.23 अखिल भारत स्तर पर सभी परिवारों के 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 17.3 प्रतिशत के मकानों में स्नान घर की सुविधा है। मकानों में स्नान घर की सुविधा वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उच्चतम प्रतिशत लक्षदीप में देखा गया है जो 96.6 प्रतिशत है तथा 3.4 प्रतिशत के साथ ओडिशा न्यूनतम स्थान पर है। ब्यौरे अनुलग्नक-4ठ में देखें।

जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं -अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.24 जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनूसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अण्डमान और निकोबार दीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत के साथ बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत के साथ और असम 32 प्रतिशत के साथ आता है। दस राज्य अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातीय परिवारों द्वारा अच्छे मकान रखने में नीचे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में देखे गए हैं वे अण्डमाव व निकोबार (97.7 प्रतिशत) देखे गए हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षदीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। परिसर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (22.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखण्ड (34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-4ड में दिए गए हैं।

परिवार जो पेयजल के मुख्य स्रोतों के पास हैं

4.25 जनगणना 2011 के अनुसार यह देखा गया है कि देश के अधिकांश सभी परिवारों 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा हैं वहीं 20 के प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-4ढ में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण सारिणी 4.14 में दिया गया है।

सारिणी 4.14 : पेयजल के स्रोत

जनगणना	पेयजल स्रोत का स्थान	शोधित स्रोत से जलापूर्ति	हैंडपम्प	ट्यूबवेल/ बोरवेल	कुआँ	तालाब/ पोखर/झील	नदी/नहर	सोता	अन्य स्रोत
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर के अंदर	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नजदीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर के अंदर	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नजदीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

भूमि जोत

4.26 जनवरी से दिसम्बर 2013 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें चक्र में किए गए भूमि एवं पशुधन सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों द्वारा स्वामित्व का अनुमानित कुल क्षेत्र प्रति स्वामित्व वाले 0.592 हेक्टेयर भूमि के आकार के औसत के साथ 92.369 मिलियन हेक्टेयर था। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा ग्रामीण भारत में स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए 13.06 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9.23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.68 प्रतिशत तथा अन्यों के लिए 32.03 प्रतिशत था। प्रति परिवार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि का औसत क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए 0.650 हेक्टेयर, अनुसूचित जातियों के लिए 0.272 हेक्टेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.603 हेक्टेयर और अन्यों के लिए 0.816 हेक्टेयर था। प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए जोत भूमि श्रेणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के आबंटन का ब्यौरा नीचे सारिणी 4.15 में दिया गया है।

सारिणी 4.15 : प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए भूमि जोत के आकार श्रेणी द्वारा परिवारों के आबंटन की प्रतिशतता

जोत की श्रेणी (भूमि आकार वर्ग हेक्टेयर में)	परिवार सामाजिक समूह				
	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी (संसूचित नहीं सहित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमिहीन (<=0.002)	9.41	7.18	6.98	7.40	7.41
अत्यल्प (0.002-1.000)	68.83	85.70	75.25	70.22	75.42
लघु (1.000-2.000)	14.64	4.77	10.43	11.31	10.00
अर्द्ध-मध्यम (2.00-4.00)	5.74	1.84	5.12	7.18	5.01
मध्यम (4.000-10.000)	1.36	0.48	1.99	3.34	1.93
वृहद (>10.000)	0.03	0.03	0.23	0.55	0.24
सभी आकार	100	100	100	100	100

स्रोत : एनएसएस रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

एच.ए. : हेक्टेयर, एन.आर. : संसूचित नहीं

4.27 परिवारों का सर्वोच्च अनुपात (75.42 प्रतिशत) निम्न जोत वाली श्रेणी से संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात दीर्घ जोत (0.24 प्रतिशत) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी परिवार सामाजिक समूहों में देखा गया है।

4.28 सारिणी 4.16 में दी गई संख्याएं ये दर्शाती हैं कि अनुसूचित जनजाति के मामले में परिवारों का सर्वोच्च प्रतिशत कृषि में (50.95 प्रतिशत) स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। इसके पश्चात मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार (32.90 प्रतिशत) की श्रेणी से संबंधित है, जबकि परिवारों का सबसे कम प्रतिशत पशुपालन (0.75 प्रतिशत) में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। यह पैटर्न अनुसूचित जाति के अलावा सभी सामाजिक समूहों में देखा गया है।

सारिणी 4.16 विभिन्न सामाजिक समूहों में परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता

सामाजिक समूह	परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता						
	में स्वरोजगार प्राप्त						
	कृषि	पशुपालन	अन्य कृषि कार्यकलाप	गैर-कृषि उद्यम	मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ.ज.जा.	50.95	0.75	3.70	5.54	32.90	6.17	100.00
अ.जा.	30.88	1.50	4.79	11.41	43.22	8.19	100.00
अ.पि.व.	42.58	2.17	2.81	13.44	31.23	7.77	100.00
अन्य	49.90	1.67	3.49	11.27	24.82	8.85	100.00
सभी	42.92	1.75	3.47	11.59	32.36	7.91	100.00

स्रोत : एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

4.29 सारिणी 4.17 में दी गई अखिल भारतीय स्तर पर परिवार सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि के संवितरण की प्रतिशतता यह संकेत करती है कि अनुमानित परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (11.89 प्रतिशत) के लिए सबसे कम है और स्वामित्व प्राप्त भूमि की क्षेत्र प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (9.23 प्रतिशत) के लिए सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (0.650 हेक्टेयर) अनुसूचित जाति (0.272 हेक्टेयर) के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों (0.603 हेक्टेयर) की तुलना में उच्चतर है।

सारिणी 4.17 : सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि का संवितरण

संकेतक	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवारों की प्रतिशतता	11.89	20.06	44.82	23.23	100.00
स्वामित्व प्राप्त भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र (एमएचए)	12.062	8.528	42.190	29.588	92.369
स्वामित्व प्राप्त भूमि के क्षेत्र की प्रतिशतता	13.06	9.23	45.68	32.03	100.00
प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.650	0.272	0.603	0.816	0.592
* सामाजिक समूह में गैर अभिलेखित मामले शामिल, एमएचए : मिलियन हेक्टेयर					

स्रोत : एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 : भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरूद्ध किए गए अपराध

4.30 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध राजस्थान में कुल अपराधों का 34.5 प्रतिशत (11451 मामलों में से 3952) इसके पश्चात मध्य प्रदेश (19.9 प्रतिशत) और ओडिसा (11.0 प्रतिशत) रिपोर्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध औसत 11.0 की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध 42.8 की सर्वोच्च दर राजस्थान में रिपोर्ट की गई है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक–4ण में दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर छेड़छाड़ संबंधी आक्रमण (भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत) के ब्यौरे अनुबंध–4त पर दिए गए हैं। वर्ष 2013 और 2014 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों की तुलनात्मक संख्या नीचे **सारिणी 4.18** में दी गई है।

सारिणी : 4.18 अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध

वर्ष	घटनाएं	अपराध की दर
2013	6793	6.5
2014	11451	11.0

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों केरुप में किया गया है जो संविधान केअनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया होतो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय व के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार है:-

- आदि, जनजातीय गुण,
- अनूठी संस्कृति
- आम लोगों से संपर्क करने से कतराना
- भौगोलिक अलगाव और
- पिछड़ापन।

5.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए प्रक्रिया इस अध्याय में बाद में दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

5.4 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में है।

5.5 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोरजनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), निम्नलिखित विशेषताएं होती है:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

5.6 भारत के अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011) **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1 विभिन्न राज्यों/संघ रा.क्षे. के अ.ज.जा.जनसंख्या का वितरण		
क्रम सं.	राज्य	अ.जजा. जनसंख्या का %
1	मध्य प्रदेश	14.69
2	महाराष्ट्र	10.08
3	उड़ीसा	9.20
4	राजस्थान	8.86
5	गुजरात	8.55
6	झारखंड	8.29
7	छत्तीसगढ	7.50
8	आंध्र प्रदेश	5.68
9	पश्चिम बंगाल	5.08
10	कर्नाटक	4.07
11	असम	3.72
12	मेघालय	2.45

13	नगालैंड	1.64
14	जम्मू और कश्मीर	1.43
15	बिहार	1.28
16	त्रिपुरा	1.12
17	उत्तर प्रदेश	1.09
18	मिजोरम	0.99
19	अरुणाचल प्रदेश	0.91
20	मणिपुर	0.87
21	तमिलनाडु	0.76
22	केरल	0.46
23	हिमाचल प्रदेश	0.38
24	उत्तराखंड	0.28
25	सिक्किम	0.20
26	दादरा एवं नागर हवेली	0.17
27	गोवा	0.14

5.7 जबकि, कुछ राज्यों में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर कम है किन्तु यह राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अंदर बहुसंख्य बनाते हैं (उदाहरण लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश तथा दादर एवं नगर हवेली)। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, जनजातीय जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में रहता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिशत में जनजातीय जनसंख्या चित्र 5 (क) में दर्शायी गई है। देश के कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या चित्र 6 (ख) में दिया गया है।

चित्र 5(क) जनगणना 2011, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत

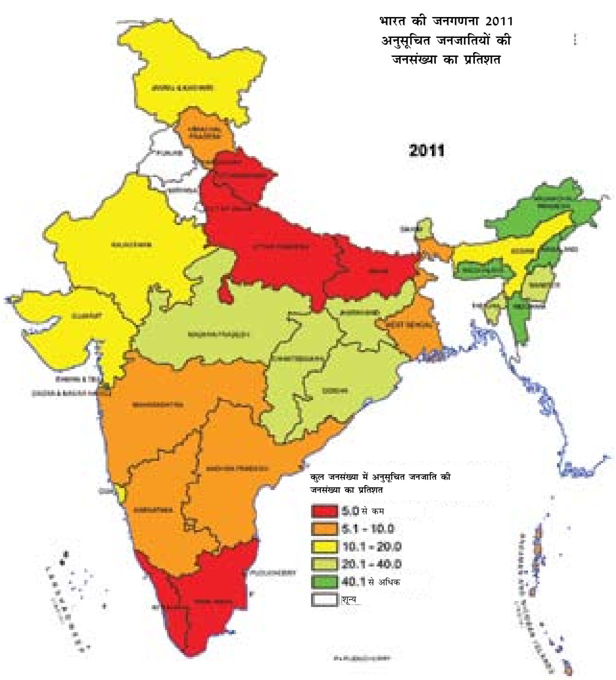

प्रमुख जनजातियां

5.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में (अर्थात् 62) है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अननुसूचीकरण:

5.9 अनुसूचित जनजातियां शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25)में इस प्रकार की गई है, ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भाग या समूह, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है अनुच्छेद 342में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.10 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1)के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.11 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.12 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-5क** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित

जनजाति का सूचीकरण का प्रावधान अखिल भारतीय आधार पर न करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया या है।

5.13 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5.14 इस मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगण ाना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955,अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति)1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति)1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.15 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक 5-ख** में दर्शाई गई है।

5.16 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.17 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:-

कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(i) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(ii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उसक्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iii) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

5.18 वह व्यक्ति जो लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षाप्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो वह उसके मामले में वह उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य ने जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

5.19 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवा सस्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

5.20 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.21 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करना

5.22 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/उप–मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुकामजिस्ट्रेट/ कार्य पालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तरके न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर केन हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, के उप–मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी(लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.23 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानी पूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उनपर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना:

5.24 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां सेवे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारितप्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारीकरने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है,उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उसराज्य/ संघ राज्य क्षेत्रा जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों केपात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने संबंधी प्रक्रिया:

5.25 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों मेंशामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों केनिर्णय केलिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.5. 2002 को औरसंशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों केअनुसार केवलउन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर

राज्य सरकार,भारत के महापंजीयक (आरजीआई)तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है)की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि प्रविधियों के अनुसार है, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार, अथवा आरजीआई, अथवा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.26 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों केलिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

5.27 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

5.28 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवींअनुसूची इन ''अनुसूचित क्षेत्रों'' को ऐसे क्षेत्रों केरूप में परिभाषितकरती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य केसंबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

5.29 संविधान केअनुच्छेद 244 (2)के अंतर्गत छठी अनुसूचीमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को जनजातीयक्षेत्र'' के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है। इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

5.30 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्रा का औचित्यपूर्ण आकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

5.31 एक राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

5.32 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं:-

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा

5क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य)	12.2.1981	राजस्थान
	आदेश, 1981 (सी.ओ.114)		
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

5.33 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रमूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव गठितराज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार,गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा)आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश केपूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथामध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य मे अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य)आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229)दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुन: परिभाषित किया गया है।

5.34 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-5ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

5.35 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं:

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करनाय

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसदया राज्य विधान मंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्व जनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधान मंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रा पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे,

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ)संविधन की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-2008 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति को दर्शानेवाला विवरण **अनुलग्नक-5घ** में दिया गया है।

(ड़) नौवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें (टीएसी) गठित कर ली गई हैं। यद्यपि, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्रा नहीं है, तो भी उनकी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद है। उत्तराखंड राज्य में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने पर भी राज्य में टीएसी के गठन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश 2010 में राज्य को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में टीएसी के गठन के बारे में सूचना प्रतिक्षित है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्यो द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वालाविवरण **अनुलग्नक-5ड.** में दिया गया है।

अध्याय 6

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

पृष्ठभूमि:

6.1 योजना प्रक्रिया के आरंभ से ही यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि जनजातीय लोगों को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाए। तथापि विभिन्न विकासीय प्रयास से नई जानकारी के साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ रणनीति विकसित होती गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने की बजाए सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। इन वर्षों में, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने देश की जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न पहल कि हैं। इसमें 1974-75 से कार्यान्वित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) रणनीति शामिल है। टीएसपी एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि शामिल है। अवसंरचनात्मक विकास के क्रियाकलापों का मुख्य भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। जबकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के माध्यम से इन पहलों को योगज प्रदान करता है। मोटे तौर पर, टीएसपी रणनीति के तहत जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित है:-

- राज्य योजना का टीएसपी घटक
- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के टीएसपी घटक
- जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान;
- संस्थागत वित्त तथा;
- निगमित संस्था का सीएसआर।

6.2 टीएसपी रणनीति के माध्यम से किये गये प्रयास से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि से संबंधित विभिन्न सूचकांकों के मामले में जनजातियों के लिए कुछ सुधार हुआ है। तथापि, यहां अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास सूचकांकों में अब भी काफी अंतर है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनजातीय जनसंख्या 10.45 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनगणना 2011 में प्रतिबिंबित आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालने पर निम्नलिखित ग्राफ में सभी सामाजिक समूहों की तुलना में देश में अनुसूचित जनजाति की स्थिति का उल्लेख तैयार करता है।

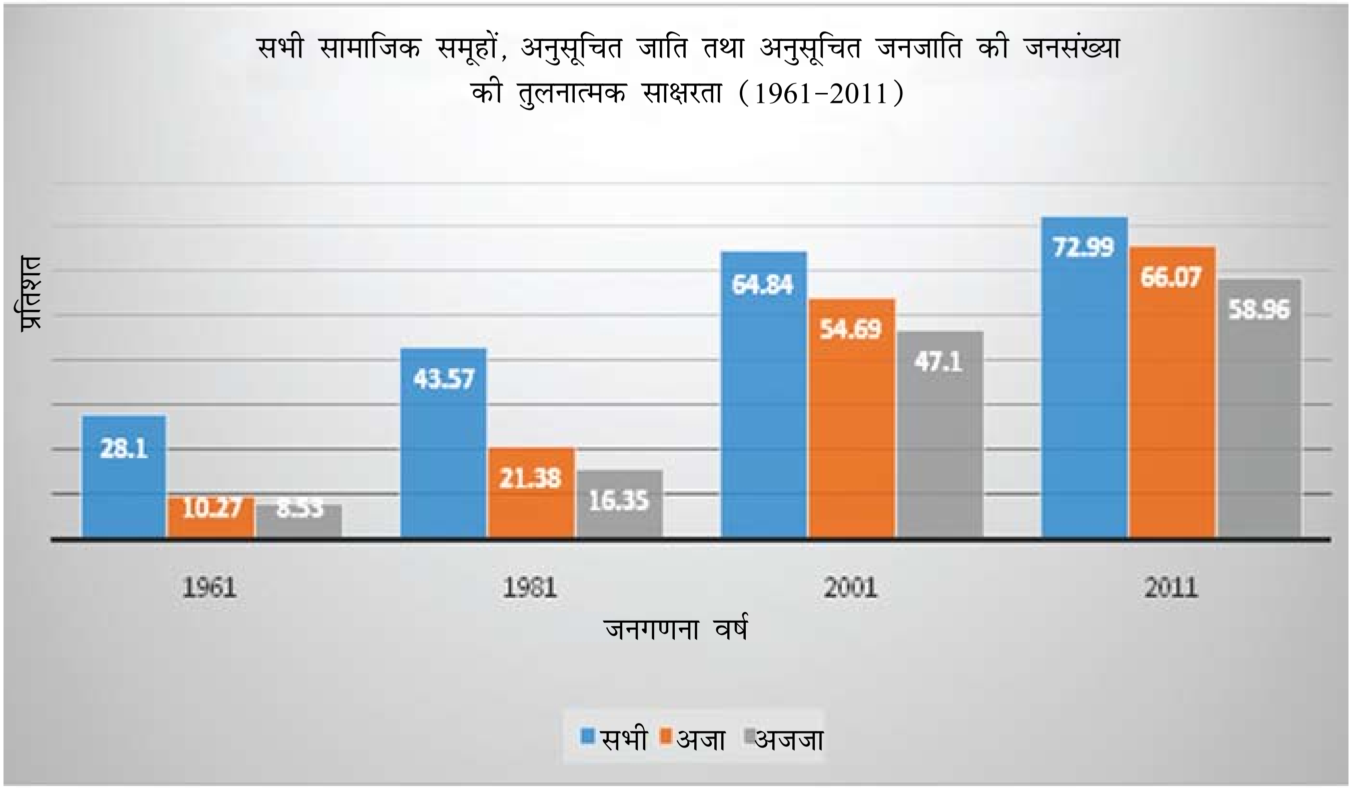
सभी सामाजिक समूहों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
की तुलनात्मक साक्षरता (1961-2011)
प्रतिशत
28.1
10.27
8.53
43.57
21.38
16.35
64.84
54.69
47.1
72.99
66.07
58.96
1961
1981
2001
2011
जनगणना वर्ष
सभी
अजा
अजजा

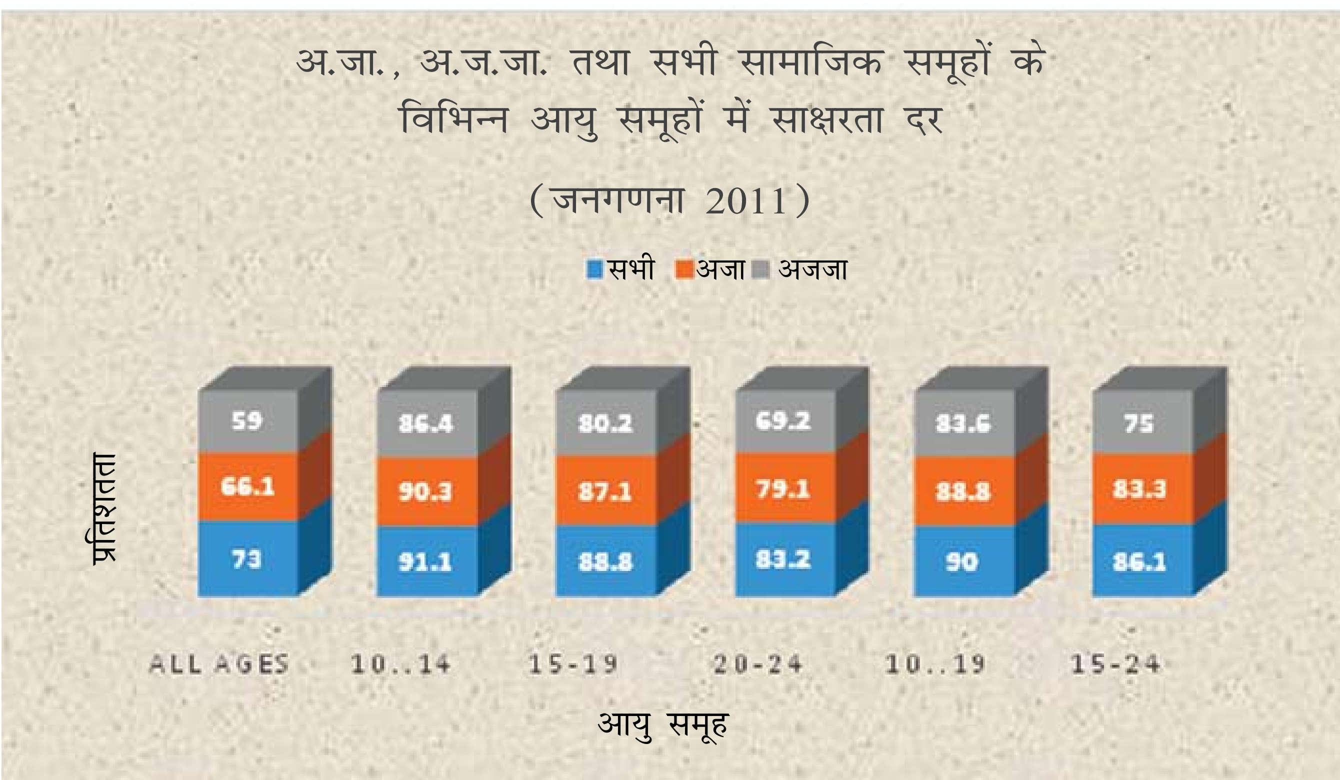
अ.जा., अ.ज.जा. तथा सभी सामाजिक समूहों के
विभिन्न आयु समूहों में साक्षरता दर
(जनगणना 2011)
सभी
अजा
अजजा
प्रतिशतता
59
66.1
73
86.4
90.3
91.1
80.2
87.1
88.8
69.2
79.1
83.2
83.6
88.8
90
75
83.3
86.1
ALL AGES
10..14
15-19
20-24
10..19
15-24
आयु समूह

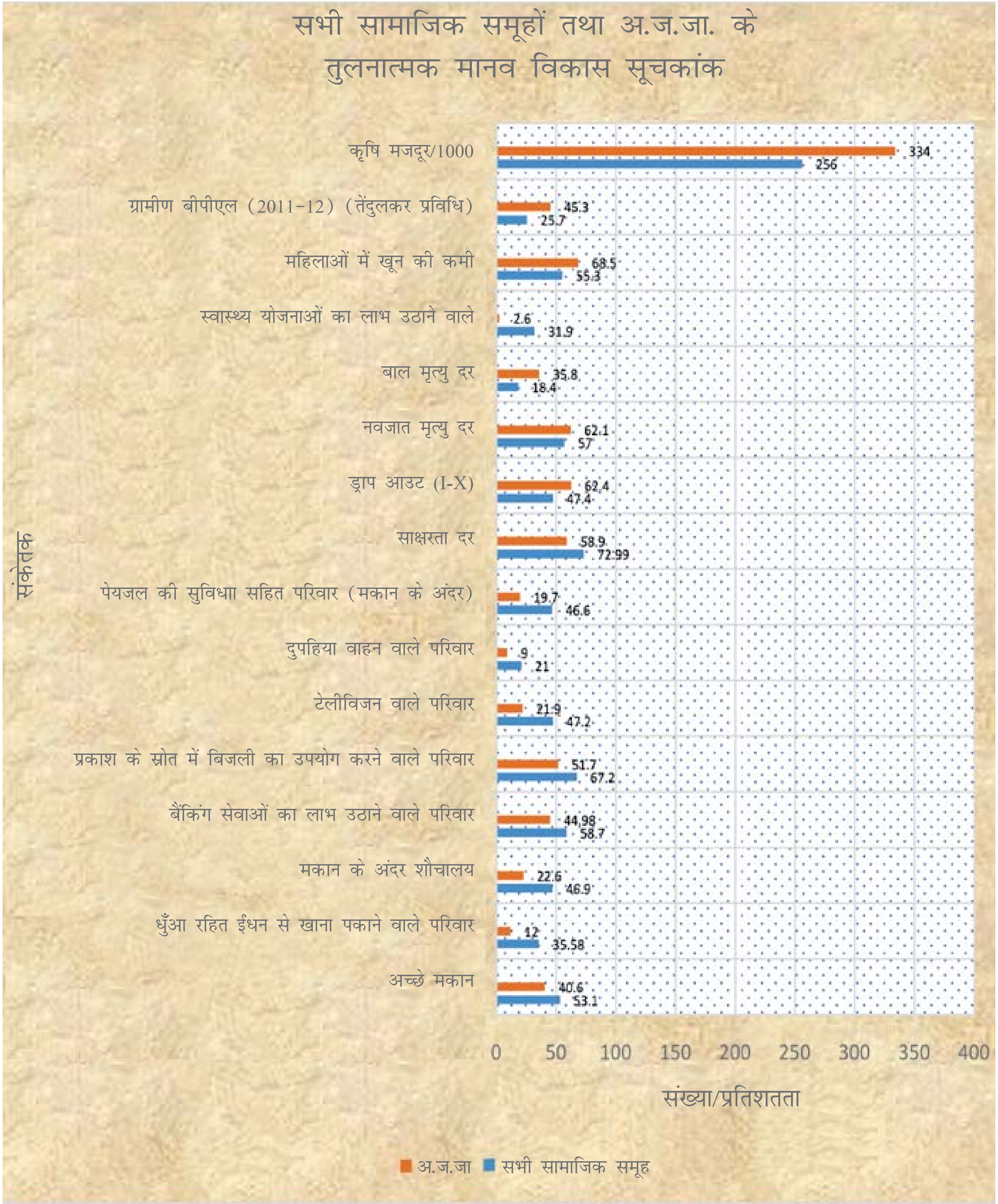
सभी सामाजिक समूहों तथा अ.ज.जा. के
तुलनात्मक मानव विकास सूचकांक
कृषि मजदूर/1000
334
256
ग्रामीण बीपीएल (2011-12) (तेंदुलकर प्रविधि)
45.3
25.7
महिलाओं में खून की कमी
68.5
55.3
स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने वाले
2.6
31.9
बाल मृत्यु दर
35.8
18.4
नवजात मृत्यु दर
62.1
57
ड्राप आउट (I-X)
62.4
47.4
साक्षरता दर
58.9
72.99
पेयजल की सुविधा सहित परिवार (मकान के अंदर)
19.7
46.6
दुपहिया वाहन वाले परिवार
9
21
टेलीविजन वाले परिवार
21.9
47.2
प्रकाश के स्रोत में बिजली का उपयोग करने वाले परिवार
51.7
67.2
बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले परिवार
44.98
58.7
मकान के अंदर शौचालय
22.6
46.9
धुँआ रहित ईंधन से खाना पकाने वाले परिवार
12
35.58
अच्छे मकान
40.6
53.1
संकेतक
0
50
100
150
200
250
300
350
400
संख्या/प्रतिशतता
अ.ज.जा
सभी सामाजिक समूह

जनजातीय विकास में चुनौतियां

6.3 जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांक में अंतर के कई कारण। उनमें से कुछ अच्छी तरह से समझे गए तथ कुछ को कम समझा गया है। औपनिवेशिक दिनों के दौरान, वनों के आरक्षण से बहुत से जनजातीय लोग व वन्य धन से वंचित हुए जिससे उनके पोषण पर भी प्रभाव पड़ा। वास्तविक अथवा मनगढ़ंत वन अपराधों के लिए अत्यधिक सजा उन्हें गहरे क्षेत्रों अथवा मोरिशस एवं असम के चाय बागानों में जाने वाले अनुबंधित मजदूरों के रुप में जाने के लिए बाध्य करती है। स्वतंत्रता के पश्चात, आश्रम विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना 1950 में आरंभ हुआ तथा आईटीडीए 1970 में आरंभ हुआ। इसी समय पर, 1951-1990 के दौरान, 85 लाख जनजातीय लोग बांधों, खदानों, उद्योगों, वन्य जीव अभ्यारणों आदि के कारण विस्थापित हुए जो 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी के विपरीत, 2.13 करोड़ लोगों के कुल विस्थापन का 40 प्रतिशत है। 85 लाख विस्थापितों में से, लगभग 21 लाख जनजातीय लोग पुनर्विस्थापित किए गए (योजना आयोग की दसवीं पंचवर्षीय योजना ''अनुसूचित जनजातियों का सुदृढ़ीकरण'' के लिए प्रचालन समिति की रिपोर्ट)। भौतिक सुदूरता इन लोगों को लोकवस्तु एवं सेवा प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। प्राय: ऐसे निष्पादन के प्रभारी लोक सेवक इन सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं रहते हैं। वहां भाषाई बाधा भी थी। इसके अलावा, जनजातीय लोगों को वस्तु तथा सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रुप से बनाई गई समर्पित संस्था जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) तथा अन्य सक्षम परियोजनाएं समय के साथ कमजोर हो गई। स्पष्ट रुप से, संस्थाओं के कमजोर होने के कारण से वित्तीय स्रोतों का निष्पादन कम रहा। सभी प्रतिकूलता के बावजूद, वहां विकास हुआ, जिसे पहचानने की आवश्यकता है।

6.4 एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के टीएसपी घटकों के तहत उपलब्ध निधियों की एक बड़ी राशि जनाजतीय जनसंख्या के लाभ के लिए जिस तरीके से खर्च की जानी चाहिए, नहीं की गई है। जनजातीय लोगों के लाभ के लिए राज्य योजना के तहत टीएसपी निधियों के प्रचालन में आरंभ की खामियां भी जनजातियों के बीच अल्प मानव विकास सूचकांक के लिए समस्या रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान टीएसपी के तहत निधियों के उपलब्धता को देखते हुए, यह पता चला है कि, औसतन, देश की जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए प्रति वर्ष निधियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 8 हजार-10 हजार रुपये है।

टीएसपी निधियों की उपलब्धता

(रुपये करोड़ों में)

टीएसपी निधियों की उपलब्धता	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (सं.अ.)	2015-16 (सं.अ.)
सीएस/सीएसएस के तहत निधियां	20184	22030	20,536	18,438.62
राज्य योजना के अंतर्गत टीएसपी घटक	55019	59938	70,240	82,971 (BE)
अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियां	852	1050	1133	1392.28
टीएसपी को एससीए के तहत निधियां	820	1097	1040	1132.27
कुल	76875	84115	92,949	103,934.17

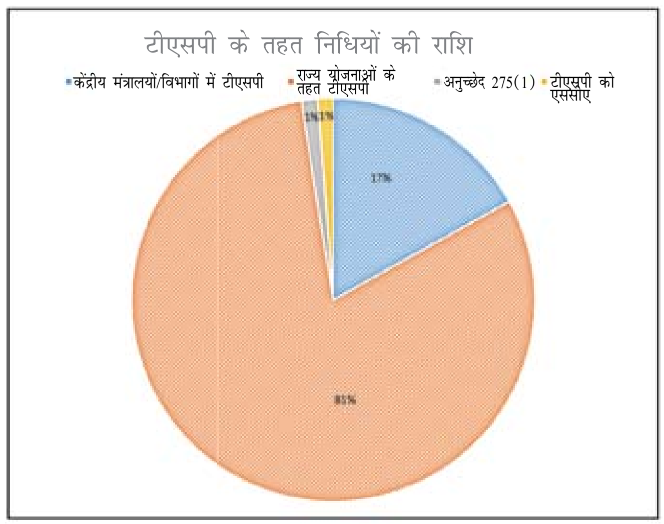

6.5 वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान टीएसपी निधियों के मंत्रालय/विभागवार आवंटन के ब्यौरे **अनुलग्नक-6क** में दिये गए हैं।

6.6 वार्षिक योजना 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य योजना के तहत टीएसपी घटक **अनुलग्नक-6ख** में दिए गए हैं।

6.7 वर्ष 2002-03 से 2015-16 के दौरान (23.02. 2016 तक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के

तहत सहायता अनुदान के अन्तर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-5ग** में दिया गया है। वर्ष 2002-03 से 2015-16 के दौरान (23.02.2016 तक) निधियों का वर्षवार आवंटन तथा निर्मुक्ति और गत 3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति क्रमशः आकृति 6क तथा 6ख में दी गयी है।

आकृति 6क- वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान निधियों का वर्ष-वार आवंटन तथा निर्मुक्तियां

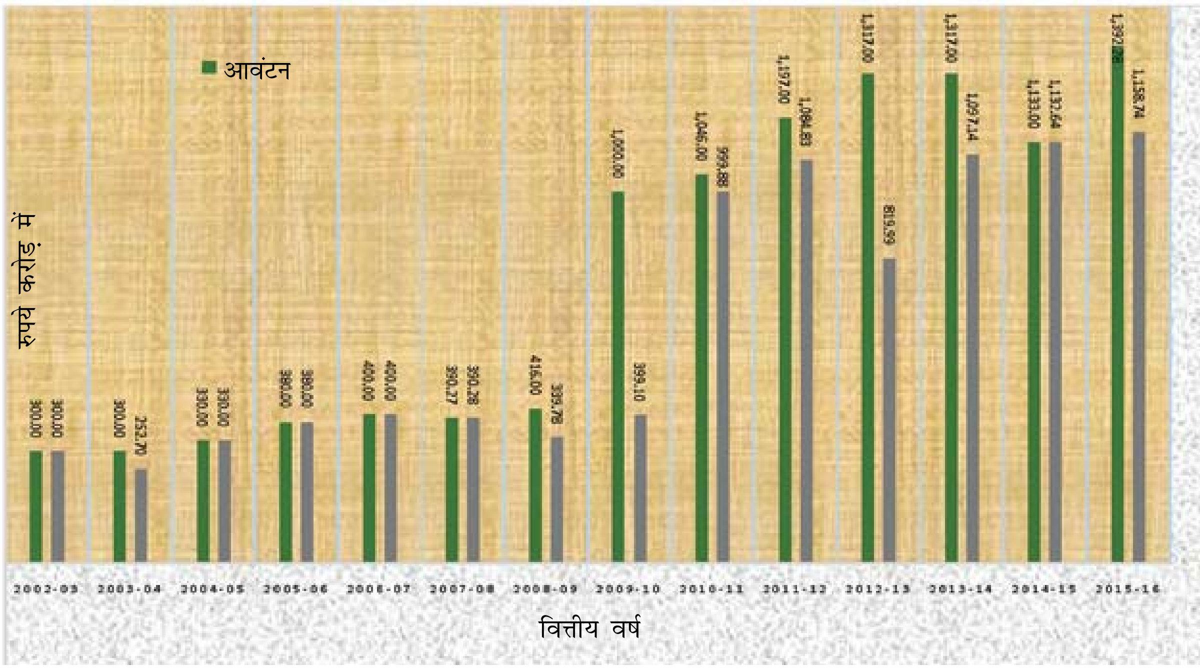

आकृति 6 ख- गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्तियां

6.8 वर्ष 2002-03 से 2015-16 के दौरान (23.02.2016 तक) के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्ति राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 6घ** में दिया गया है। वर्ष 2002-03 से 2015-16 के दौरान (23.02.2016 तक) निधियों का वर्षवार आवंटन तथा निर्मुक्ति और 6ठी से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति क्रमशः निम्नलिखित आकृति 6ग तथा 6घ में दी गयी है।

आकृति 6 ग- वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान निधियों का वर्षवार आवंटन तथा निर्मुक्तियां

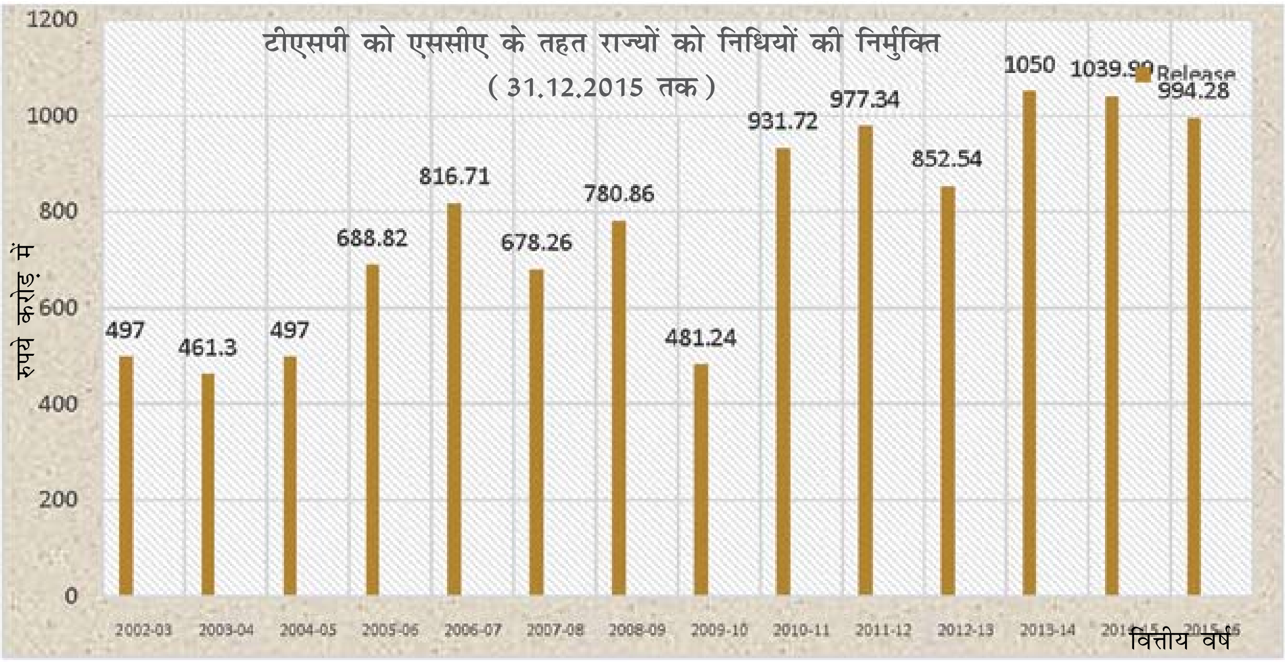

आकृति 6 घ- छठी से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्तियां

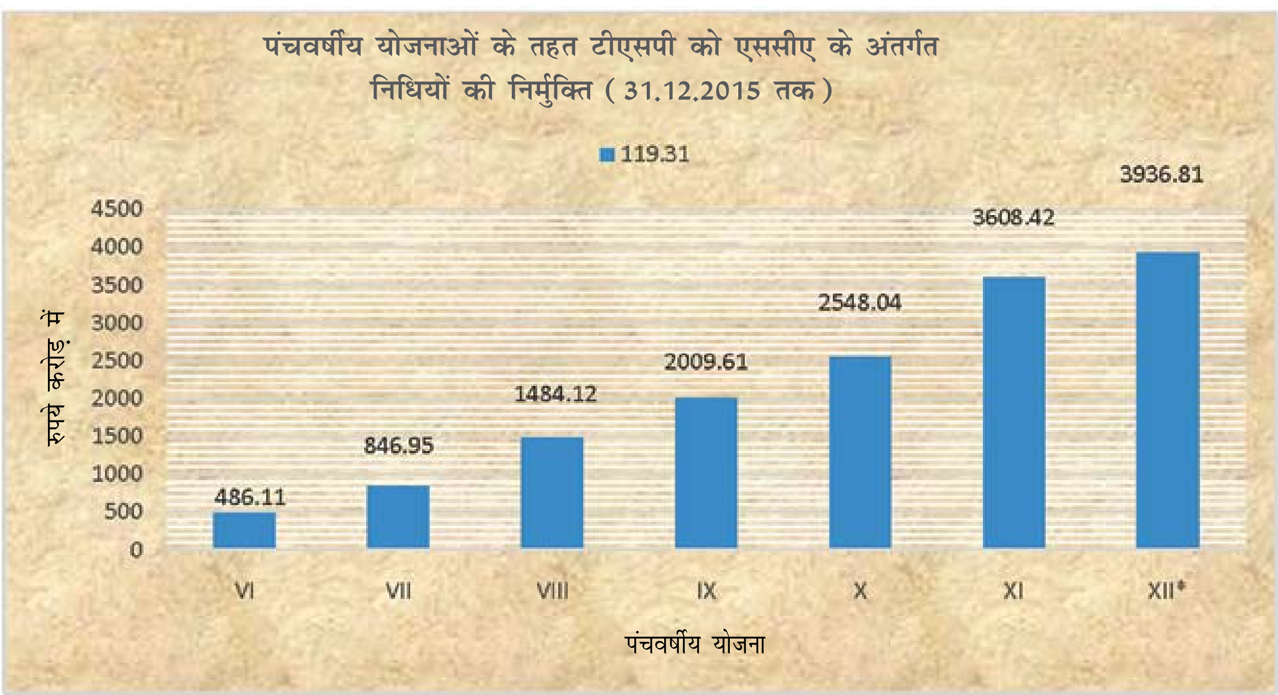

टीएसपी रणनीति के तहत आने वाले राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	राज्य का नाम
1.	आंध्रप्रदेश	9.	झारखंड	17.	सिक्किम
2.	असम	10.	कर्नाटक	18.	तमिलनाडु
3.	बिहार	11.	केरल	19.	तेलंगाना
4.	छतीसगढ़	12.	मध्य प्रदेश	20.	त्रिपुरा
5.	गोवा	13.	महाराष्ट्र	21.	उत्तराखंड
6.	गुजरात	14.	मणिपुर	22.	उत्तर प्रदेश
7.	हिमाचल प्रदेश	15.	ओडिशा	23.	पश्चिम बंगाल
8.	जम्मू और कश्मीर	16.	राजस्थान		

वनबंधु कल्याण योजना

6.9 केन्द्रीय सरकार ने परिणाम आधारित पूर्वाभिमुखीकरण के साथ जनजातीय जनसंख्या के सम्पूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के परिवर्तन के विचार से "वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई)" नामक पहेलु आरंभ किया गया है। वन बंधु कल्याण योजना को रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता आधारित तथा परिणाम उन्मुख सहज वातावरण सृजित करना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना की जाती है कि उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा केन्द्रीय के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत वस्तुओं और सेवाओं के सभी निर्दिष्ट लाभ लक्षित समूह तक वास्तव में पहुंचे।

6.10 वर्ष 2014-15 के लिए योजना के तहत किए गए कुल 100.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 10.00 करोड़ रुपये की राशि 31.03.2015 तक अनुसूची-5 क्षेत्रों वाले निम्नलिखित 10 राज्यों को प्रदान की गयी थी जो योजना के उद्देश्य को पूरा करने के कार्यकलाप करने हेतु अंतर भरने के रूप में थी।

6.11 वर्ष 2015-16 के दौरान 200.00 करोड़ रुपये का कुल बजटीय आवंटन किया गया था। जिसमें से 197.72 करोड़ की राशि 23.02.2016 तक राज्यों को उनके प्रस्तावित कार्यकलापों के प्रति अभी तक जारी की गयी थी। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान वीकेवाई योजना के तहत राज्य सरकारों को निधियों को निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ङ** में दिया गया है। वन बंधु कल्याण योजना के तहत राज्य-वार क्षेत्रीय आवंटन **अनुलग्नक-6च** में दिया गया है।

6.12 तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के लिए वन बंधु कल्याण योजना की स्कीम के तहत आवंटित क्रमशः 100.00 करोड़ रुपये तथा 200.00 करोड़ रुपये के समान टोकन बजटीय प्रावधान छोटी राशि होने के कारण वन बंधु कल्याण योजना के सारे पहलुओं में दिए गए अर्थपूर्ण उद्देश्यों जो पूरे देश में 27 राज्यों को कवर करने की परिकल्पना करती है, के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। इसके अलावा वीकेवाई रणनीति के तहत आवश्यक निधि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों को पूरा किया जाना प्रस्तावित है। यह महसूस किया जाता है कि वन बंधु कल्याण योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा टोकन बजटीय प्रावधान वर्ष 2016-17 के बाद से प्रबंधित किया जाना है।

6.13 इस योजना के तहत परिकल्पित तालमेल रणनीति के भाग के रूप में मंत्रालय ने एक तालमेल का मॉडल तैयार किया गया है जो निम्नलिखित 14 केन्द्रीयकृत क्षेत्रों के सम्बन्ध में मुद्दों और लक्ष्यों को शामिल करना है।

(i) गुणवत्तापरक एवं निरंतर रोजगार

(ii) गुणवत्तापरक शिक्षा तथा उच्चत्तर शिक्षा पर बल

(iii) जनजातीय क्षेत्रों का तीव्र आर्थिक विकास

(iv) सभी के लिए स्वास्थ्य

(v) सभी के लिए आवास

(vi) सभी के घर तक सुरक्षित पेयजल

(vii) क्षेत्र के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं

(viii) निकटवर्ती कस्बों/शहरों तक संपर्क के साथ सभी मौसम वाली सड़कें

(ix) बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता

(x) शहरी विकास

(xi) निरंतरता के साथ विकास को गति देने के लिए प्रबल संस्थागत तंत्र

(xii) जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन एवं संरक्षण

(xiii) जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना

(xiv) सुरक्षा

6.14 वर्ष 2014-15 से अपनाई गई वीकेवाई रणनीति के भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा अपने लाइन विभागों तथा क्षेत्र स्तर की इकाईयों के साथ परामर्श से आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, पेयजल, सिंचाई, आवास, बिजली, सड़क एवं सपंर्क, खेल, संस्कृति, सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा शहरी विकास सहित 14 केन्द्रीयकृत क्षेत्रों में परिणाम उन्मुख पहलु के साथ अंतराल विश्लेषण पर आधारित लम्बी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना को निरूपित करने पर बल दिया गया है। अधिकतर राज्यों ने 31.12.2015 तक पहले ही परिप्रेक्ष्य प्लान निरूपित कर लिए हैं। परिप्रेक्ष्य योजना में राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय उपयोजना निधियों के रूप में केन्द्रीय संसाधनों के साथ राज्यों में उपलब्ध संसाधनों के तालमेल को ध्यान में रखते हुए सभी जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। वर्ष 2016-17 से इन परिप्रेक्ष्य योजनाओं को परियोजना आंकलन समिति द्वारा टीएसपी को एससीए सहित इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों को निधियां आवंटित करने के लिए आधारभूत दस्तावेज के रूप में माना जायेगा।

6.15 जहां तक केन्द्रीय टीएसपी के हिस्से का संबंध है यह वार्षिक रूप में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है। कार्य नियमावली के आवंटन के अनुसार प्रत्येक लाइन मंत्रालय/विभाग अपनी सम्बन्धित योजनाओं और कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार है। टीएसपी घटक वाले 28 मंत्रालय तथा विभाग हैं। जनजातीय कार्यमंत्रालय ने वीकेवाई रणनीति के भाग के रूप में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के तहत कार्यकलापों के तालमेल की रूपरेखा का अभिसरण मॉडल निरूपित किया है। यह दस्तावेज अन्य बातों के साथ-साथ नॉडल मंत्रालय के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय को घोषित करने के तंत्र को देखता है जो उनके साथ परामर्श से लाइन मंत्रालय/विभागों के केन्द्रीय टीएसपी के क्षेत्रीय परिव्यय को अंतिम रूप देगा तथा वीकेवाई के तहत प्राथमिकता क्षेत्रों में योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें दिशा-निर्देश देगा। इस दस्तावेज पर मंत्री मंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक में विचार किया गया था जबकि हितधारी मंत्रालयों/विभागों के सचिव वहां मौजूद थे। सचिवों की समिति की बैठक की अनुवर्ती के रूप में इस मंत्रालय ने जनजातीय उपयोजना (टीएसपी के तहत शामिल किए जाने के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा करने हेतु लाइन मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की। सम्बधित मंत्रालयों/विभागों ने शामिल किए जाने मुद्दों तथा उपलब्ध किए जाने वाले परिणामों की स्पष्ट रूप से रूप रेखा देते हुए वर्ष 2016-17 के लिए मंत्रालय के साथ अपनी कार्ययोजनाओं की साझेदारी करने पर सहमति प्रकट की है। शामिल किए जाने वाले केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग वार मुद्दों तथा परिकल्पित परिणामों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्लक-6छ** में सारणीबद्ध किया गया है।

6.16 टीएसपी के तहत प्रक्रियाओं तथा कार्यकलापों की पुन: इंजीनियरिंग की नियमित निगरानी तथा अनुमोदन के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभागों के प्रतिनिधियों (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) के साथ सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति पहले से ही गठित की गयी है।

6.17 इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने जनजातीय विकास कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन की निगरानी के विचार से यूएनडीपी के सामंजस्य में एमआईएस तैयार करने का निर्णय लिया है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान

6.18 इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 27 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निर्मुक्त की जाती है जो सड़कों, पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना कार्यकलापों में अंतर भरने और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने के

लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की महसूस की गयी आवश्यकताओं के आधार पर होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यवार/क्षेत्रवार निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ज** में दिया गया है।

जनजातीय उप-योजना को विशेष सहायता (टीएसपी को एससीए):

6.19 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 23 टीएसपी राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं जो रोजगार-सह-आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा उससे तत्संबंधी अनुषंगिक अवसंरचना के लिए राज्यों में जनजातीय लोगों का अधिक तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए राज्य योजनाओं के योगज के रूप में दी जाती है। निधियों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार आवंटन तथा निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6झ** में दिया गया है।

जनजातीय उप-योजना दिशा-निर्देशों का संशोधन:

6.20 डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में तथा अंतरमंत्रालयीय समिति के तहत गठित कार्यबला की सिफारिशों के आधार पर पूर्व के योजना आयोग ने 18 जून 2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है जो कुल योजना परिव्यय में से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातीयों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है। दिशा-निर्देश जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के मानकों के साथ-साथ परिणामों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुन: अनुबद्ध करते हैं। टीएसपी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएसपी के लिए चिह्नित/आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय सामान्य प्रावधानों के ऊपर, अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास में कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होना चाहिए।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्यय से चिन्हित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना-ईएपी तथा कोई अन्य योजना के तहत निवेश को बिना छोड़े)।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छ: माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अत: टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नहीं हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा।

v अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों को अधिक आवंटन का भुगतान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझोता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौशल मूल्यांकन करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे एवं बारहवीं पंच वर्षीय योजना में गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों के प्रकाश में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रम में तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ एकीकृत तरीके से तालमेल स्रोतों के प्रभावी उपयोग के लिए सुनिश्चित हैं।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य मद/उप मुख्य मद के नीचे एक पृथक उप मद के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

xi. लघु मद के अंतर्गत टीएसपी निधियां क्षेत्रवार तथा योजनावार आतंटन एवं वास्तविक लागत व्यय के साथ होंगे।

6.21 योजना आयोग ने निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 11 फरवरी, 2014 को अन्य कार्यालय ज्ञापन संख्या एन-11016/14(1)/2010-पीसी जारी किया:

- मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं की प्राथमिकता, अंतर का आंकलन करेगें तथा योजनाओं को अन्तर भरने के लिए उन्मुख करेगें।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों/अधिवासों को प्रत्यक्ष तथा मात्रात्मक लाभ दें।
- दर्शायी गयी प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्न प्रतिशतता के रूप में माना जाये
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिह्नित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी एकक के मुखिया के रूप में एक पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- नोडल एकक जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है। सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत हैं चिह्नित करने के लिए वाध्य हैं।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिह्नित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी एकक के मुखिया के रूप में एक पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- नोडल एकक जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है। सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ टीएसपी के तहत हैं चिह्नित करने के लिए बाध्य हैं।

6.22 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्च, 2014 के महीने में ''जनजातीय उपयोजना तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश'' भी जारी किए है जिसमें निधियों के आवंटन, प्राथमिक क्षेत्रों, राज्यों में नोडल विभागों की आवश्यकता, टीएसपी निधियों का उचित उपयोग, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यंत्रों को संस्थागत करना, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। कार्यात्मक दिशानिर्देशों में संस्थाओं जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया है जिसके माध्यम से राज्यों में कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। योजना आयोग के प्रतिनिधियों, वित्तीय सलाहकार तथा सदस्यों/आगंतुकों के रुप में राज्य के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए अन्य प्रावधान बनाए गए हैं।

परियोजना आंकलन समिति (पीएसी):

6.23 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान निधियों के निरूपण, उपयोग तथा कार्यान्वयन के लिए मार्च 2014 में मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो परियोजना आंकलन समिति (पीएससी) के गठन का प्रावधान करते हैं। पीएससी का गठन निम्नानुसार है:

i.	सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय	-अध्यक्ष
ii.	वित्तीय सलाहाकार, जनजातीय कार्यमंत्रालय	-सदस्य
iii.	सलाहाकार, नीति आयोग	-सदस्य
iv.	संयुक्त सचिव/निदेशक (प्रभारी), जनजातीय कार्यमंत्रालय	-संयोजक सदस्य
v.	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	-आंमत्रित
vi.	विशेष राज्य अथवा परियोजना की विशेष श्रेणी के लिए कोई अन्य सहयोजित विशेषज्ञ	-आंमत्रित

परियोजना आंकलन समिति के बारे में:

6.24 परियोजना आंकलन समिति निम्नलिखित के लिए एक मंच है:

- इस बात का आंकलन करना कि टीएसपी मुद्दों के दिशा निर्देशों में निहित प्रावधानों का पूर्व के योजना आयोग तथा मंत्रालय द्वारा पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
- राज्यों द्वारा उपयोग की गयी टीएसपी निधियों के परिणाम की समीक्षा
- यह देखना कि क्या राज्य सरकार क्षेत्रवार निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों में संसाधनों के तालमेल कर रही है अथवा नहीं
- यह देखना कि क्या टीएसपी निधियों का अन्यत्र उपयोग तो नहीं हो रहा।
- सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को तालमेल को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के प्रस्ताव का आंकलन तथा अनुमोदन
- जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण विकास आधारित परिणामों के लिए राज्य सरकार की नीतियां/प्राथमिकताएं और रणनीतियां घोषित करना।
- जनजातीय लोगों के विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कठिनाईयों का आंकलन करने के लिए उच्चतर स्तर पर राज्य सरकार में नीति निर्माताओं के साथ चर्चा।
- कठिनाई वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उनके सुझावात्मक उपायों पर ध्यान देने के लिए कठिन बिन्दुओं का पता लगाना
- नीतियों के कार्यान्वयन तथा उनके तत्काल निर्णय के आड़े आने वाले मुद्दों और कठिनाईयों को हल करना

परियोजना आंकलन समिति की बैठक आयोजन करने के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया

6.25 पीएसी की बैठक आयोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गयी है:

- राज्यों को उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जो इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पीएसी के समक्ष रखे जाने हैं।
- राज्यों को वार्षिक योजना दस्तावेज के निरूपण के लिए विचार किए जाने हेतु क्षेत्रवार प्राथमिकता का सुझाव दिया जाता है।
- राज्यों से प्रस्तावों की प्रस्तुति पर इस मंत्रालय ने सम्बन्धित प्रभाग द्वारा उनकी जांच की जाती है तथा पीएसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए एक संक्षिप्त सारांश तैयार किया जाता है।
- बैठक के संदर्भ को सैट करने के लिए पीएसी बैठक में अध्यक्ष ने मंत्रालय/सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां, प्राथमिकताएं और रणनीतियां प्रस्तुत कीं।
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि अपने वार्षिक योजना दस्तावेज की मुख्य विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पीएसी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं।
- पीएसी समिति के समक्ष रखे मुद्दों पर विचार विमर्श करती है तथा प्रस्तावित गतिविधियों का आंकलन और अनुमोदन करती है।
- पीएसी बैठक के कार्यवृत्त अध्यक्ष अर्थात सचिव (जनजातीय कार्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किए जाते हैं तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।
- पीएसी के कार्यवृत्तों के आधार पर आईएफडी की सहमति से पीएसी द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों के प्रति राज्य सरकार को निधियों की निर्मुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं।

पीएसी की बैठकें:

6.26 तद्नुसार संविधान के अनुच्छ 275(1) के तहत सहायता अनुदान, जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, शिक्षा योजनाओं, अनुसंधान योजनाओं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास तथा वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के विकास के लिए योजना के तहत संरक्षण सह-विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आंकलन तथा अनुमोदन के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान अलग-अलग तिथियों को पीएसी की 22 बैठकें आयोजित की गयीं थीं। पीएसी की बैठकों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम परिणाम के लिए इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत संसाधनों के तालमेल को सुनिश्चित करना तथा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और जमीनी तौर पर जनजातीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच न्यायपरक संतुलन स्थापित करना भी था।

6.27 पीएसी की बैठकों के दौरान निम्नलिखित मुद्दे दर्शाये गये थे तथा सुझाए गये थे:

i. राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के संबंध में जून 2014 में पूर्व के योजना

आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा मार्च 2014 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप-योजना और अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिनका राज्य सरकारों द्वारा सत्यनिष्ठा से पालन किया जाए।

ii. राज्यों में जनजातीय कल्याण विभाग को टीएसपी विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए प्राधिकृत नोडल विभाग के रूप में घोषित किया जाए।

iii. राज्य सरकार के कुल योजना परिव्यय में से टीएसपी के तहत निधियों का आवंटन जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण निगरानी मसौदे के माध्यम से इस बात पर बल दिया गया था कि राज्य द्वारा जनजातीय विकास की निधियों का अन्यत्र उपयोग न हो। इस बात पर बल दिया गया था कि राज्य सरकारें महिला लाभार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियों के तहत मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गयी निधियों के 50प्रतिशत का उपयोग करने हेतु प्रयास करेगें।

iv. जनजातीय विकास के लिए निरूपित कार्यक्रमों में सुपरिभाषित संकेतक, सेवा सुपुदर्गी के मानकों के साथ-साथ परिणाम शामिल होने चाहिए। परिणाम सुस्पष्ट, मात्रापरक तथा मापे जा सकने वाले होने चाहिए।

v. वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) रणनीति के तहत यथा परिकल्पित संसाधनों के तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को गुजरात के प्रतिमान पर राज्य में उच्च स्तरीय समन्वय समिति निरूपित करने की सलाह दी गयी थी जो राज्य योजना स्कीमों तथा अन्य हस्तक्षेपों के टीएसपी घटक के रूप में उपलब्ध निधियों/संसाधनों के उपयुक्त तालमेल के रूप में निगरानी वाले परिणाम के साथ राज्य में जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रभावी नियोजन को सुसाध्य बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो संशोधन के अधीन हो। कुछ राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गयी थी कि वे वीकेवाई में परिकल्पित उद्देश्यों को वास्तविक रूप देने के लिए अगले पांच वर्षो के लिए परिप्रेक्ष्य योजना निरूपित करे तथा उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रस्तुत करे।

vi. टीआरआई, आईटीडीपी/आईटीडीए, जिला स्तरीय संगठन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पीआरआई)/स्वायत्व जिला परिषदों/गांव सलाहाकारी परिषदों के समन्वय में जनजातीय विकास पहलु के विकास निष्पादन की निगरानी के लिए एक समर्पित कार्यक्रम कार्यन्वयन प्रकोष्ठ स्थापित करना।

vii. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के गुणवत्ता मानदण्डों का कठोरता से पालन किया जाए। राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ईएमआरएस के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में यह सुविधा से बचने के लिए ईएमआरएस के लिए आई निधियां समय पर निर्मुक्त की जायें।

viii. नक्सल प्रभावित विद्यार्थियों को राज्य में एकाकी स्कूलों में नहीं रखा जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे बच्चे मुख्य धारा वाले बच्चों के साथ रखे जाना चाहिए।

ix. विद्यमान छात्रावासों तथा विद्यालयों जिन्हें आवासीय सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में परिवर्तित किया जा सकता है का मापन किया जाए।

x. राज्य स्वास्थ्य समस्या तथा निम्न साक्षरता के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा इसके विरूद्ध अभियान चलाने के लिए प्रभावी नीतिगत पहल हेतु जनजाति-वार विषलेषण करे।

xi. राज्य में जनजातीय लोगों में साक्षरता दर सुधारने के लिए सरकारी एजेंसियों तथा पीआरआई को शामिल करते हुए जानजातीय बच्चों के 100 प्रतिशत दाखिले हेतु अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्यों को जनजातीय लोगों में ड्रॉपआउट की आवृत्ति का पता लगाने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करने की भी सलाह दी गयी थी तथा इस कठिनाई के समाधान के लिए उपयुक्त उपाय भी किये जाने चाहिए।

xii. गर्भवती माताओं के 100 प्रतिशत टीकाकरण तथा उनके एएनएम के पास पंजीकरण के लिए विशेष ध्यान के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, ग्राम सभा आदि को शामिल करते हुए स्वास्थ्य के मोर्चे पर समान अभियान चलाया जाए। जनजातीय विद्यार्थियों में सिकल सैल एनीमिया के मामलों की 100 प्रतिशत जांच यथा शीघ्र पूरी की जाए।

xiii. राज्य में जनजातीय/समाज कल्याण विभाग को मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी निधियां सम्बन्धित आईटीडीएस/आईटीडीपी अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को एक माह के समय के अंदर हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

xiv. सम्बन्धित पीआरआई को उसके अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली जनजातीय विकास से सम्बन्धित

परियोजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विधिवत सूचित किया जाए।

xv. जनजातीय लोगों के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए बने संस्थानों जैसे आईटीडीएस/आईटीडीपी/लघु परियोजनाओं/टीआरआई आदि के सुदृढ़ीकरण के लिए और पहल की जाए।

xvi. निधियों की निर्मुक्ति में असुविधा, यदि कोई, से बचने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित जीएफआर 2005 में अनुबद्ध मानकों के अनुसार राज्यों द्वारा समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

xvii. स्वच्छ शौचालयों के रख-रखाव सहित औषधीय/स्वच्छता/कीटाणुनाशन/फोलिक एसिड की खुराक देना/व्यक्तिगत साफ-सफाई तथा स्वच्छता की आदतों के लिए संलेख।

xviii. आवासीय जनजातीय विद्यालयों में किचन गार्डेन स्थापित करने को बढ़ावा देना तथा परम्रागत फसल जैसे ज्वार, बाजरा आदि बच्चों के भोजन का हिस्सा होना चाहिए।

xix. जनजातीय विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा की पहचान तथा उसके रेखांकन करना तथा सरकार द्वारा जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाएं प्रदान करना; जनजातीय त्यौहार तथा खेल उत्सव आयोजित करना; तथा जनजातीय औषधियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रलेखन विकसित करना।

xx. मत्स्य उत्पादन इकाईयों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए जलाशयों की विद्यमान क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

6.28 अन्य बातों के अलावा परियोजना आंकलन समिति की बैठकों के दौरान जनजातीय लोगों को उनकी आजीविका कमाने के लिए सहज वातावरण सृजित करने हेतु आवश्यकता आधारित एकीकृत आजीविका पहलों जैसे राज्य सहकारिता के साथ डेरी विकास, बागवानी, फूलों की खेती, सब्जियों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, घरेलू मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाया गया था। राज्य सरकारों से परम्परागत फसलों की खेती की आवश्यकता तथा परम्परागत खाद्य पदार्थ जैसे लघु ज्वार-बाजारा, हरे पत्तेदार सब्जियों को बढ़ावा देने और जनजातीय जनसंख्या के संबंध में चालू फोलिक एसिड खुराक के प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त महिला केन्द्रित ट्रेडों को शामिल करते हुए महिला जनसंख्या की उचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हुए जनजातीय लोगों के कौशल विकास उन्मुख नौकरी की आवश्यकता की बात पर ध्यान दिया गया था। सह-शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने पर नियंत्रण रखना भी केन्द्रियकृत क्षेत्रों में थे। स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, टीकाकरण सहित जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुधारने के उपायों की इस मंत्रालय द्वारा अत्यधिक हिमायत की गयी थी। सिकल सैल अनीमिया, मलेरिया, कोढ़ आदि बीमारियों पर ध्यान दिया गया है। स्वच्छता के उपायों विशेष रूप से आवासीय विद्यालयों में पानी की सुविधा के साथ शौचालयों की सुविधाओं पर बल दिया गया था।

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास:

6.29 आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास के वाहक बल के रूप में पहचाने जाने के कारण कौशल विकास भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यसूची के रूप में उभरा है। तीव्र एवं अंतर्वेशीय वृद्धि के लिए अनुसूचित जनजातीय के लोगों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

6.30 जनगणना 2013 के अनुसार 33प्रतिशत जनजातीय परिवारों के पास खेती की जमींन है जो 0.025 एकड़ से 1 एकड़ के बीच है तथा उनमें से केवल 19प्रतिशत वास्तव में इन जोतों पर खेती करते हैं। जनजातीय लोग आजीविका साधनों के लिए कृषि पर अत्याधिक रूप से निर्भर हैं (कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत)। यह तथ्य कि जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उनकी निम्न सामाजिक आर्थिक तथा भागीदारी संकेतकों में पाया जा सकता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों का एक तीव्र विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है:

i. ग्रामीण जनजातीय परिवारों में उन परिवारों का अनुपात जिनका प्राथमिक पेशा श्रम मजदूरी है खेती करने वाले परिवारों की अपेक्षा उच्चतर है।

ii. जनजातीय महिलाओं में कार्य की भागीदारी की दर अन्य सामाजिक समूहों में कार्य की भागीदारी से उच्चतर है यद्यपि जनजाति महिलायो कि मजदूरी निम्नतर है

iii जनजातीय कार्यकर्त्ताओं का सापेक्षिप उच्च अनुपात छोटी अवधि के प्रवासियों का है

iv जनजातीय अधिवासों में जीवन शर्तो के सम्बन्ध में अत्याधिक अवभावा है तथा अन्य समाजिक समूहों की तुलना में जनजातीय जनसंख्या में गरीबी के स्तर उच्च हैं।

v शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की संख्या तथा अनुपात में वृद्धि हुई है।

vi शिक्षित जनजातीय युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

6.31 यद्यपि जनजातीय समुहदाय अपनी अजीविका के मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, गैर-कृषि में कुशल विकास तथा अजीविका सृजन की क्षमता अभी भी वृहद रूप से अविकसित रही हैं तथा अनुसूचित जनजाति की बहुसंख्या इन क्षेत्रों में वृद्धि का पूरा लाभ नहीं उठाते है। उन्हें परम्परागत कृषीय प्रक्रिया से अपनी दैनिक मजदूरी कामनी पड़ती हैं जिसके अवसर कम हैं तथा कृषि आधारित कार्यलापों को और अधिक अर्थ पूर्ण तथा निरन्तर बनाने के लिए सोचे-समझे हस्तक्षेपों की मांग करते है। इस प्रतिपृष्ठ में बहु-भुजाई दृष्किोण जिसका लक्ष्य जनजातीय समुदाय की कौशल विकास अवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को हल करना हैं, जिसे मंत्रलाय द्वारा अपनाया गया हैं:

- सम्भावित आजीविका कार्यलापों अर्थात कृषि, बागवानी, पशुधन, मछलीपालन, गैर-कृषि उद्यम, वनकी आदि के द्वारा विद्यमान आजीविका पणाली को बढ़ाना
- 'रोजगार' पर ध्यान देना-बाहर तथा ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में नौकारी के बाजार के लिए कौशल निर्माण, तथा
- 'उद्यम' - व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता (लघु उद्यम के लिए) का पोषण।

6.32 मंत्रालय अपने कार्यक्रमों जैसे जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275(1) सहायता अनुदानों के माध्यम से रोजगार-सह-आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा उसकी अनुषंगिक अवसंरचनाओं के सृजन पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त व्यवसायी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन वाली योजनाएं हैं। इसके अलावा ट्राईफेड विपणन, जनजातीय उत्पादों के विकास तथा कौशल विकास/उन्नयन तथा जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों और जनजातीय लोग जो अपनी आय को बढ़ाने के अन्तिम उद्देश्य से लघु वन उत्पाद के संग्रह तथा निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में लगे हुए है। जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की आवश्यकता आधारित एकीकृत आजीविका पहलों तथा कौशल के उन्नयन को बढ़ावा देने तथा उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में सम्मानजनक नौकरियां दिलाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है:

- राज्य सहकारिता के साथ विविध फसलें, बागवानी, डेरी विकास, बाजार के साथ उपयुक्त संपर्क के साथ घरेलू मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि।
- आधुनिक कौशल: (i) कार्यालय प्रबंधन, (ii) सोलर टेक्नीशियन, (iii) ब्यूटीशियन (iv) फ्रिज तथा एसी की मरम्मत (v) मोबाइल की मरम्मत (vi) पोषण (vii) सूचना प्रौद्योगिकी (viii) डाटा एन्ट्री (ix) घरेलू नर्स प्रशिक्षण (x) वाहन चालन तथा मैकेनिक (xi) सुरक्षा गार्ड (xii) गृह सज्जा तथा प्रबन्धन (xiii) खुदरा प्रबन्धन (xiv) मेजबानी (xv) पारिस्थितिकीय पर्यटन आदि।
- विपणीय परम्परागत कौशल: चित्रकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प, संरचना, कारीगरी, अन्य कला एवं शिल्प, पलम्बिंग, राजमिस्त्री, इलैक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक तथा मोटर वाइडिंग, फिटर, बैल्डर, बढ़ई, आयुर्वेदिक और जनजातीय औषधियां आदि।

वर्ष 2015-16 के दौरान परिकल्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	निर्मुक्ति निधि की राशि (करोड़ रु. में)	निर्दिष्ट लाभार्थियों की संख्या (लगभग)
1.	कौशल विकास/ व्यवसायिक प्रशिक्षण/ स्वास्थ्य सहवर्ती	233.90	72,000
2.	डेरी विकास	191.77	62,000
3.	मुर्गी पालन	39.76	13,000
4.	मछली पालन	57.40	18,000
5.	बागवानी/मधुमक्खी पालन/ रेशमी कीटपालन/ कृषि	165.94	50,000
कुल		688.77	2,15,000

6.33 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान परियोजना आंकलन

समिति द्वारा अनुमोदित वृहद कार्यकलाप इस प्रकार हैं: कौशल विकास, डेरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी, रेशम कीटपालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी/किचिन गार्डन आदि; सह-शिक्षा, आश्रम विद्यालय, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, चारदीवारी, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थान; संपर्क, सड़क, पुल, पुलिया, बांध। इन प्रमुख कार्यकलापों के लिए पीएसी द्वारा अनुमोदित निधियों की राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ञ** में दिया गया है।

6.34 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) तथा सह-शिक्षा/आश्रम विद्यालयों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ट** में दिया गया है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):

6.35 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणात्मक मिडिल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनको न केवल उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध कराने और सार्वजनिक और निजी व सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में समर्थ बनाना है बल्कि गैर अनुसूचित जनजाति के बराबर शिक्षा में उत्तम अवसर उपलब्ध कराना भी है। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) प्रत्येक विद्यालय 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है।
- ईएमआरएस की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि अपेक्षित है और अकादमिक शिक्षा और पाठ्यतर गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं देना भी आश्यक है। स्कूल भवन के अतिरिक्त खेल कूद के लिए जगह, विद्यार्थी कम्प्यूटर लैब, अध्यापक संसाधन कक्ष इत्यादि की व्यवस्था भी ईएमआरएस में इस दृष्टि से की गई हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाया जा सके ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में उभरने के लिए अवसरों का उपयोग करें। स्थापित मानदण्डों के अनुसार केवल 60 विद्यार्थी प्रति कक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा छठी से दसवीं कक्षा तक होंगे और प्रति कक्षा 90 विद्यार्थी 3 भागों में होंगे विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों में कक्षा 11 और 12 में 30 विद्यार्थी एक कक्षा में अनुमत्य हैं। यह भी अपेक्षित है कि राज्य सरकारें अध्यापकों और अकादमिक तथा पाठ्यतर गतिविधियों के लिए स्टाफ के चयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें और बनाए रखें।
- ईएमआरएस दिशानिर्देश 2010 के अनुसार कम से कम एक ईएमआरएस प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में स्थापित किया जाना है। छात्रावास और स्टाफ मकानों सहित विद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत 12.00 करोड़ रुपये के रुप में रखी गई है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानों व द्वीप समूहों में यह प्रावधान 16.00 करोड़ रुपये तक जा सकते हैं। विद्यालय के लिए पहले वर्ष के दौरान आवर्ती लागत 42 हजार रुपये प्रति बच्चे की दर पर होगी जिसमें महंगाई आदि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रति दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत तक प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं।

6.36 आज की तारीख में देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 214 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से 139 ईएमआरएस पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और शेष 94 निर्माणाधीन हैं। अब तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्यवार सूची और आज की तारीख में जो कार्यरत हैं उनकी स्थिति **सारणी-6ठ** में दी गई है। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार के लिए आवर्ती निधियों के जारी करने का विवरण **सारणी-6ड** में है।

अध्याय 7

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

पृष्ठ भूमिः

7.1 वन निवासी इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। कई जनजातीय लोग तथा अन्य वन समुदायों के लिए वन आजीविका, पहचान, रीति-रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रहे वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रुप से रह रहे हैं, विधायी ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर-अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा आधुनिक नियामक ढांचे की अनभिज्ञता, जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं तथा जिन पर वे निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकार को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधान के स्वरुप में शामिल किया। वन तथा वन भूमि से जनजातीय समुदाय भावनात्मक रुप से तथा वास्तविक रुप से हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शायद कार्यकाल में असुरक्षा की भावना तथा भूमि से बेदखली, जहां वे पीढियों से रहते आ रहे थे तथा संपन्न थे, का डर होगा। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

7.3 अधिनियम वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंध का भी अधिकार देता है। संसाधान प्रशासन में यह निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे ठीक ही मील का पत्थर कहा गया है। अधिनियम में सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े साकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

7.4 वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

नीचे दी गई हैं:-

1. अधिनियम की धारा 3 में अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

क वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार है।

ख भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त समुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जो भी नाम हो।

ग लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

घ सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों के परंपरागत मौसमी संसाधान तक पहुंच।

ड. आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

च किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार।

छ अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

ज सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर-सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

झ किसी समुदाय वन संसाधान की सुरक्षा, सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

ञ अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

ट जैव-विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविध ता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

ठ वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

ड वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

2 इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधन है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

3 इस अधिनियम की धारा 4 (1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

4 अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुन:स्थापन हेतु प्रावधान है जो विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अनुत्क्रमणीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुन:स्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुन:स्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुन:स्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुन:स्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए पुन: बदला नहीं जाएगा।

5 अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4)में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्यिों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

6 धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

7 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

8 इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

9 अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती आवाह क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थतिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों और जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

10 इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय-4) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधि करण है। उप-मण्डल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

11 अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियमया इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13 धारा 12 इस अधिनियम के अधयाय-4 में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थितिः-

7.5 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 44,13,727 है, जिसमें से 38,32,021 दावे निपटा दिए गए हैं और 17,11,045 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 3,54,404 है (3,49,400 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 5,004 सामुदायिक अधिकार पत्र।) मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल वन क्षेत्र जहां अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं 20,36,328.10 एकड़ है। 31.12.2016 तक अधिनियम के तहत दावों की संख्या (राज्यवार) पर वितरित अधिकार पत्रों के प्रतिशत के अनुसार स्थान दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-7** पर है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.6. माननीय प्रधाानमंत्री ने ''प्रगति'' पहल के तहत वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा की थी तथा निदेशित किया था कि अधिनियम का कार्यान्वयन अभियान स्तर पर हो। वन अधिकार अधिनियम को अभियान स्तर पर करने की दिशा में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- ➢ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखा है जहां वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी है। मंत्रालय ने सुझावात्मक योजना भी बनाई है तथा इसे राज्यों के साथ साझा किया है ताकि वे समय आधारित तरीके से कार्य योजना बना सके।
- ➢ मंत्रालय ने अन्य राज्यों को भी लिखा है जिन राज्यों में कुछ विशेष लंबित मामलों के समाधान के लिए कार्यान्वयन अच्छी तरह चल रहा है।
- ➢ गृह मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर बुरी तरह से वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों के राज्यों के मुख्य सचिवों/सचिवों के साथ आयोजित की गई।
- ➢ निरस्तिकरण की उच्च्च दर के मुद्दों की उनके साथ समीक्षा की गई तथा राज्यों को गलत तरीके से निरस्त दावों की समीक्षा का निदेश दिया गया।

- सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में 02.07.2015 को एक विमर्श आयोजित किया गया जहां कम निष्पादन वाले 9 राज्यों ने अभियान स्तर पर वन अधिकार अधिनियम चलाने के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की और राज्यों ने समय-सीमा आधारित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियां पूर्ण करने का आश्वासन दिया है।

- अन्य राज्यों, जहां कार्यान्वयन पर लंबित कार्य को शीघ्रता प्रदान करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, उनके साथ दिनांक 14.07.2015 को एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। इन राज्यों से आगामी तीन महीने के भीतर लंबित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

- एक बार फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, झारखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा बिहार राज्यों के मुख्य सचिवों/सचिवों के साथ दिनांक 18.09.2015 को वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

- सभी राज्यों को दावे के लिए एवं निरस्त दावे के पुनः परीक्षण के लिए भी अन्य साक्ष्यों के समर्थन हेतु जैव संदर्भित चित्रण तथा प्रौद्योगिकी की सहायता लेने की सलाह दी गई है। उन्हें संभावित दावेदारों की संख्या तथा संभावित क्षेत्र जहां वन अधिकार अधिनियम संचालित किए जा सकते हैं उनकी संख्या के साथ तैयार रहने की सलाह दी गई है चूंकि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया अनंत रुप से नहीं चलाई जा सकती। विशेष रुप से वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अधिकार प्रदान करने तथा निरस्त दावे की समीक्षा को वन अधिकार अधिनियम के सार्थक परिणाम के रुप में जोर दिया गया था।

7.7 वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा स्थापित टीआरआई परिसर में राष्ट्रीय संसाधान केन्द्र न केवल ओडिशा के बल्कि वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करने वाले अन्य राज्यों के मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कई राज्यों ने वन अधिकार नियम तथा नियमों का स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में अनुवाद कर लिया है। मंत्रालय अब उन राज्यों पर जिन्होंने अच्छा निष्पादन नहीं किया है, उदाहरणार्थ झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल पर ध्यान केंद्रित किया है।

7.8 मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों अनुशंसा की है कि प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों, वार्ड सदस्यों, ग्राम सभा सदस्यों, पंचायत सचिवों, वन के क्षेत्रीय अधिकारियों, जनजातीय कल्याण एवं भूमि प्रशासन विभाग और उप-क्षेत्रीय स्तर की समिति (एसडीएलसी) एवं जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) सदस्यों के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रशिक्षण प्रायोजित होनी चाहिए तथा वन अधिकार जिन्हें प्राप्त करने का उन्हें पूरा हक है, उन्हें प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व बनाने हेतु लोगों को सक्षम करना चाहिए।

आगे की राह

7.9 इस मंत्रालय के सतत प्रयासों से यह आशा की जाती है कि सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेषतः सामुदायिक अधिकारों एवं पीटीजी के अधिवास अधिकारों को मान्यता देने से, आने वाले वर्षों में जोर पकड़ेगा। राज्य सरकारें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से, जमीनी स्तर पर इस ऐतिहासिक अधिनियम का पूरा उद्देश्य हासिल करने के लिए अंतिम कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन एक मिशन के तौर पर करेंगी।

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

उद्देश्य

8.1 योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 से संशोधित कर दिया गया था।

कवरेज

8.2 योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव हो स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

निधियन प्रतिमान

8.3 यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़कों तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

8.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

आवंटन

8.5 वर्ष 2015-16 के दौरान 113.48 करोड़ (अंब्रेला योजना के तहत पूंजी घटक) के बजट अनुमान के बजटीय आवंटन के विरुद्ध 31 दिसंबर, 2015 तक कोई निधि खर्च नहीं की गई।

कार्य निष्पादन

8.6 वर्ष 2013-14 से 2015-16 क दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा विश्वविद्यालयों को जारी सहायता अनुदान तथा स्वीकृत छात्रवासों का विवरण **अनुलग्नक- 8-क** में है।

8.7 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ विश्वविद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से शौचालयों, स्नान घरों, पेय जल, बिस्तर, पोषक, आहार जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा छात्रवासों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने एवं पर्याप्त सहायक स्टाफ की व्यवस्था करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है।

दिनांक 30 अक्टूबर 2015 को गायरकटा, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में वनवासी कल्याण आश्रम के बालक छात्रावास का उद्घाटन करते हुए जनजातीय कल्याण मंत्री, श्री जुएल ओराम।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

उद्देश्य

8.8 इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित कर दिया गया है।

कवरेज

8.9 यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

निधियन पद्धति

8.10 यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लड़कियों के सभी आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्रदान करती है। उपर्युक्त स्कूलों से भिन्न, लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं

8.11 योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न लिखित हैं:

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु मौजूदा आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों के लिए नि:शुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाएगा। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

आवंटन

8.12 वर्ष 2015-16 के दौरान 113.48 करोड़ (अंब्रेला योजना के तहत पूंजी घटक) के बजट अनुमान के बजटीय आवंटन के विरुद्ध 31 दिसंबर, 2015 तक कोई निधि खर्च नहीं की गई।

कार्य निष्पादन

8.13 वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान जारी अनुदान तथा स्वीकृत आश्रम विद्यालयों का विवरण **अनुलग्नक 8 ख** में दिया गया है।

8.14 आश्रम विद्यालयों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की होती है। यदि आश्रम विद्यालय के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति के अग्रम स्कूलों में शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार होती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (2)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों और लड़कों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएस पी क्षेत्रों में राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य सभी आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो वित्त पोषण 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ					

छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-4-2013 से अधिकतम आय 2.50 लाख रू प्रतिवर्ष)

प्रतिभा उन्नयन
प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक

उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
सरकारी संस्थानों के लिए-पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय देय राशियो। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 4.50 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते, यदि लागू हों।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना
अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 15400/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9900/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते, यदि लागू हों।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से; वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए।

छात्रावासों का निर्माण
समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए लड़कियों एवं लड़कों के छात्रावासों नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि जैसी मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
छात्रावासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ क्रमश: 350रु. तथा 150 रु. मासिक की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमश: 1000रु. तथा 750रु. वार्षिक की दर से है।

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

उद्देश्य

8.15 इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

कार्य क्षेत्र

8.16 यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.4.2013 से 2.50 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएं

8.17 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं :

(1) छात्रों को जो पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है। अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(2) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(3) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(4) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

निधियन प्रतिमान

8.18 इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को भी 2007-08 से छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

निष्पादन

8.19 2015-16 के दौरान 1023.36 करोड़ रुपये (अंब्रेला योजना के सामान्य घटक) के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2015 तक 760.11 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-8ग** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

उद्देश्य

8.20 : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

मुख्य विशेषताएं

8.21 : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के

लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक योजना के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की कालावधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव-विज्ञान	

8.22 इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

निधियन प्रतिमान

8.23 : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

उद्देश्य

8.24 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। यह योजना पीएमएस की उस योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया था।

मुख्य विशेषताएं

8.25 योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (अवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज

अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आवंटन

8.26 : 2015-16 के चालू वर्ष में निधियां जारी नहीं की गई हैं और यह प्रगति पर है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान बजट आवंटन 1023.36 करोड़ रु. है।

निष्पादन

8.27 : वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा निर्मुक्त की राशि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-8घ** में दी गई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना:

उद्देश्य

8.28 : इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनके रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान क्रियान्वयन हेतू सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों (एनओएस) के संशोधित योजनाओं को अनुमोदित किया है।

कार्य क्षेत्र

8.29 : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 17 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

8.30 योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम फिल या पीएचडी पाठयक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/ एम.फिल डिग्री कार्य में वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है। ?

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.31 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम

जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध है।

निधियन प्रतिमान

8.32 : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

आबंटन

8.33 : 2015-16 के दौरान 1 करोड़ रू. ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 0.39 करोड़ रुपये की राशि 31.12. 2015 तक खर्च की गई थी।

कार्य निष्पादन

8.34 : चयन वर्ष 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान 9 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए चयन प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति

8.35 : स्तरों को हटाने के परिणामस्वरुप विलंब तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाएं उदाहरण राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा की दिशा में, मंत्रालय ने इन दो योजनाओं को मिलाकर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: ''अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अधयेतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति'' बनाई है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

उद्देश्य

8.36 : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

कवरेज

8.37 : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल + पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

वित्तपोषण पद्धति

8.38 : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

मुख्य विशेषताएं

8.39 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को कार्यान्वित करता है।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

उद्देश्य

8.40 : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

कवरेज

8.41 : उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थाओं की सूची 2015-16 के बाद से संशोधित की गई है तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति की मिश्रित योजना के तहत प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में 158 मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। प्रत्येक वर्ष कुल नई छात्रवृत्तियां वित्तीय वर्ष 2015-16 से 1 हजार होंगी। उच्च श्रेणी संस्थानों के लिए संस्थानवार तथा विषयवार स्तरों की संख्या में कोई सीमा नहीं होगी।

मुख्य विशेषताएं

8.42 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

(i) 1.4.2013 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4.50 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस योजना में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

आबंटन

8.43 : वर्ष 2015-16 के दौरान योजना के तहत 50.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 32.32 करोड़ रुपये खर्च की गई।

कार्य निष्पादन

8.44 : 31.12.2015 तक 20 संस्थानों में 122 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

उद्देश्य

8.45 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4.2009 से संशोधित किया गया है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों,

सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

कवरेज

8.46 : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिंए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/क्रम सुविधा पाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

निधियन प्रतिमान

8.47 : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

मुख्य विशेषताएं

8.48 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी शुरू की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवादी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ गैर-सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान/संगठन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व-रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए,

संगठन वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यतः दूरस्थ क्षेत्रों कम सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट-। में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/- रुपये में निम्निलिखित शामिल है :-

(i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/- रुपये वजीफा।

(ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/- रुपये।

(iii) प्राध्यापक वर्ग/सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास/आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/- रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा **किराया आकलन प्रमाणपत्र** के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व/संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% किराया मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति ट्रेड 0.48 लाख रुपये की दर से पांच ट्रेडों के लिए 2.40 लाख रुपये।

आवंटन

8.49 : 2015-16 के दौरान राज्यों के लिए 1023.36 करोड़ (अंब्रेला योजना का सामान्य घटक) रुपये ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 31 दिसम्बर, 2015 तक 15.06 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई थी।

कार्य निष्पादन

8.50 : वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरे **अनुलग्नक-8 (ङ)** में दिये गये हैं।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

उद्देश्य

8.51 : इस योजना का उद्देश्य :-

(i) कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर (ड्रोप आउट) की घटना, विशेष रूप से

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके, तथा

(ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

कवरेज

8.52 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती है जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

मुख्य विशेषताएं

8.53 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

- यह एक केन्द्रिय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।
- छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।
- राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जहाँ से आवेदक वास्तव में सम्बधित है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सेकें।

पात्रता

8.54 : पात्रता मानदंड हैं-

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय/ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्ण कालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

लाभ

8.55 : योजना के तहत उपलब्ध लाभ निम्नलिखित हैं-

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आयामों के आधार पर 160 रु. से 240 रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

आवंटन

8.56 : वर्ष 2015-16 के दौरान 1023.36 करोड़ रु. (अंब्रेला योजना का सामान्य घटक) के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2015 तक 215.65 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

कार्य निष्पादन

8.57 : 31.12.2015 तक राज्यवार निर्मुक्त निधियां तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक 8-च** में दी गई है।

जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना

8.58 : शिक्षा को व्यक्तिगत परिवारों और सामाजिक स्तर दोनों पर विकास की रीढ़ समझा जाता है। किन्तु जनजातीय बच्चों को शिक्षित करना सरकार के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और प्रशासनिक कारणों से एक चुनौती रहा है। अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सरकार की पहलों और प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता हमेशा कम रही है और महिला साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में कम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के अधिदेश के साथ शिक्षा योजनाओं को पुनः तैयार कर रहा है, जिसमें विद्यमान स्कीमों को अंब्रैला योजना के तहत मिलाया और जोड़ा जा रहा है। विद्यमान स्कीमों का विलय और पुनर्गठन हस्तक्षेपों के दायरे और लचीलेपन को बढाएगा यह अपेक्षित है जो अभी प्रत्येक एकाकी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है। यह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उन्नयन के प्रयास में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विकल्पों का कैफेटोरिया पद्धति उपलब्ध कराएगा। शिक्षा को पुनःसंगठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराना है और छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इसे छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के साथ लाइन मंत्रालय की स्कीमों के सम्मिलन के माध्यम से और सीखने की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए तकनीकी उपकरणों के माध्यम से भी प्राप्त किया जाना है। अंब्रैला योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के शिक्षा प्रभाग की निम्नलिखित विद्यमान स्कीमों को समाहित करेगी:

(i) आश्रम विद्यालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण ।

(ii) छात्रवासों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iv) दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियां।

(v) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

उच्चत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों हेतु आम पोर्टल

8.59 : उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति और राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एक स्कालरशिप पोर्टल विकसित किया गया है जो आवेदन करने अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच व अंतिम चयन तथा पात्र अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराता है। ये दोनों स्कीमें एक ही स्कीम में विलय कर दी गई हैं और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए है व इसका नाम बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति स्कीम कर दिया गया है और इसके शीघ्र ही प्रारंभ होने की संभावना है।

अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दायरे को बढ़ाना

8.60 : 5-16 वर्ष आयु समूह के अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा को संदर्भगत संगत व सांस्कृतिक रूप से समुचित बनाया गया है। पाठ्यक्रम को जबकि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाया गया है वहीं अनुसूचित जनजाति बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि वे जीवन और आजीविका के लिए आर्थिक रूप से संभाव्य विकल्पों को सीख सकें। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षण व सीखने के लिए क्षेत्रीय लिपि में जनजातीय भाषाओं में प्राइमर का उपयोग करके और विकास करके बहुभाषीय शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अवकाश के समय को स्थानीय जनजातीय उत्सवों और फसल की ऋतुओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जनजातीय खेलकूद, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, मौखिक परंपराओं, लोक कथा, कार्य और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जा रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

अध्याय 9

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना

9.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्यवार सूची **अनुलग्नक: 9-क** पर है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी आबादी के घटते रुझान को रोकने के लिए प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। अत: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की कमजोरी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता हैं कि पीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर 1.4.2015 से योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया।

कार्यक्षेत्र

9.3 इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी), के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की सम्मिलन का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

योजना का कार्यान्वयन (संरक्षण और विकास (सीसीडी) योजनाएं)

9.4 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों के साथ आयोजित परियोजना आकलन समिति की बैठकों में मध्यावधि समीक्षा के रूप में संरक्षण और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई थी और उनके अन्तर्गत गतिविधियों को पुन: तैयार किया गया था ताकि उन्हें ओर अधिक संगत तथा पीवीटीजी की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक बनाया जाए। संरक्षण-सह-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त

आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.5 एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

- सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – अध्यक्ष।
- संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सह-अध्यक्ष।
- सलाहकार, योजना आयोग।
- निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
- पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
- निदेशक (एसजी), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) – सदस्य-सचिव।
- अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

9.6 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 12 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा को परियोजना आकलन समिति के समक्ष चर्चा के आधार पर निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

9.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यान्वयन अभिकरण

9.8 यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

निधियन पद्धति

9.9 यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

निगरानी

9.10 सीसीडी योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ध्यान केन्द्रित करना

9.11 मंत्रालय ने सभी हितधारियों के सहयोग से समग्र सीसीडी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहले ही कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीटीजी समुदायों की आवश्यकताओं तथा वर्तमान योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी स्तर के कार्य करने का सुझाव दिया गया है। सीसीडी योजनाओं के परिणामों के अनुवीक्षणीय होने के साथ उपयुक्त कार्यान्वयन अनुसूची होनी चाहिए। योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निम्नलिखित पहलु दर्शाए गए हैं:

- छोटी जनसंख्या वाले पीटीजी तथा वे पीटीजी जिनकी संख्या स्थिर है/घट रही है पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पीटीजी के विकास का बैंचमार्क निर्धारित किया जाए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय अनुसूची तैयार की जाए।
- राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं के अधिकतम लाभों का उपयोग करना तथा निरूपणाधीन योजनाओं में विभिन्न विभागों से समर्थन प्राप्त करना है।
- स्वास्थ्य, आय सृजन, शिक्षा तथा शिल्प विकास, आवास, सड़क संपर्क, भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, भूमि का विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के केन्द्रित क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के अलावा योजनाओं में प्रबल पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना।
- सीसीडी योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए अंत:निर्मित तंत्र निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीटीजी की निधियों का विपथन नहीं हो रहा है, विशिष्ट कदम उठाना।

आवंटन

9.12 वर्ष 2015-16 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आवंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आवंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **तालिका 9.1** में दिए गए हैं:-

तालिका 9.1 : वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान*	संशोधित अनुमान*	व्यय*
2013-14	244.00	207.00	206.90
2014-15	207.00	180.00	180.00
2015-16	217.35	217.35	151.05 (31.12.2015 तक

* पूर्वोत्तर पूल से निधियाँ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान निष्पादन

9.13 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं, के आधार पर 10 राज्यों को 134.54 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-9 (ख)** में दिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

10.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय यह मानता है कि जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान संबंधी, सामाजिक-आर्थिक तथा संबंधित मुद्दों पर निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों की, ज्ञान की हिमायत करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित तीन घटक है: -

(i) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को अनुदान।

(ii) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईएस) को सहायता अनुदान।

(iii) जनजातीय मुद्दों से संबंधित अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने तथा जनजातीय साहित्य के प्रकाशन के लिए अखिल भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं, संगठनों तथा विश्व विद्यालयों को सहायता प्रदान करने वाली परियोजनाएं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान

10.2 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नामक राज्यों और अंडमान तथा निकाबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का विवरण **अनुलग्नक 10** पर है।

10.3 ये संस्थान राज्य सरकारों को आयोजना संबंधी जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने, आंकड़े एकत्र करने, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का पता लगाने और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण करने के काम में लगे हैं। हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और ज्ञान की हिमायत से कि साक्ष्य आधारित नीति और आयोजना तैयार करने में मदद मिलेगी जो इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने में बल देने वाले क्षेत्र हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) अनुसंधान क्रियाकलापों के रूप में, मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए टीआरआई के परिसर के भीतर जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण की सहायता भी करता है।

10.4 वर्ष 2013-14 के दौरान योजना को संशोधित किया गया है और अब ये केवल चुनिंदा कार्यकलापों के लिए केंद्र सरकार से 100% अनुदान वाली केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना बन गई है।

10.5 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) इस रुप में कार्य करेंगे:

क. जानकारी और अनुसंधान के निकाय के रुप में।

ख. साक्ष्य आधारित नीति, आयोजना और कानूनों का समर्थन।

ग. जनजातीय कार्यो से जुड़े लोगों और कार्मिकों और संस्थानों का क्षमता निर्माण करना।

घ. सूचना के प्रचार-प्रसार और जागरुकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

10.6 वर्ष 2015-16 के लिए बजट आवंटन 28.50 करोड़ रु. था जिसकी तुलना में 8.20 करोड़ रु. 31.12.2015 तक निर्मुक्त किए गए हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

10.7 अनुसंधान संस्थान और संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय से देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहें हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

क. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ख. बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

ग. भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

घ. विश्व भारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल।

10.8 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय विभागों की जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधान क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है। संस्थान/संगठन जिन्हें उत्कृष्ठता केंद्र घोषित किया है उन्हें मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2015-16 को बजट आवंटन के 334 लाख रूपए के प्रति 22.27 लाख रूपए इन उत्कृष्ठता केंद्रों को 31.12.2015 तक जारी किए गए हैं।

अखिल भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं

10.9 यह योजना अध्ययन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रें से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10.10 अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए, विश्व विद्यालयों/संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुसंधान अध्ययन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और स्वीकृत राशि को 70 और 30 प्रतिशत की दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। परियोजनाएं/प्रस्ताव की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा चयन किया जाता है।

10.11 कार्यशाला/सेमिनार के लिए संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/-

तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं) 1,00,000/-

10.12 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिस से ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

सूचना और जनसंचार

10.13 योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10.14 इस वर्ष मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, 2016 आयोजित करने का इच्छुक है जो पूरे देश के जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियां प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि आगामी महोत्सव वृहद प्रतिभागिता के साथ बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 16.10.2015 को आयोजित जनजातीय कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के दौरान सदस्यों से सुझाव मांगे गए थे। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने दिनांक 16.12.2015 को माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य विशेष अतिथियों के साथ बैठक भी आयोजित की थी जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि महोत्सव पूरे देश के जनजातीय लोगों के वृहद प्रतिभागिता के साथ काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए, सुझाव मांगे गए थे।

दिनांक 16.12.2015 को आगामी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, 2016 के लिए माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की बैठक

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में :

11.1 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

मिशन :

11.2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

उद्देश्य :

11.3 एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकिस्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर के अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके कौशल और प्रक्रियाओं विकास काउन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीए) की परियोजना निमार्ण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कार्य

11.4 एनएसटीएफडीसी के मुख्य कार्य हैं-

क. अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ख. कौशल विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।

ग. एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

अंश पूंजी

11.5 : निगम की अधिकृत अंश पूंजी 750 करोड़ रुपये है तथा 30-11-2015 तक प्रदत्त पूंजी 485.99 करोड़ रुपये है।

पात्रता मानदण्ड

11.6 : एनएसटीएफडीसी से वित्तीयसहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:-

**क	व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह**

i. सभी आवेदकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

ii. आवेदन कर्ताओ की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना(डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।

**ख.	सहकारी समितियाँ:** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

योजनाएं

11.7 निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाए :

i. **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 25.00 लाख रुपए तक की लागतवाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफ-डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत को 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।

ii. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास केलिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी 1,00,000 रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

iii. **लघु ऋण योजना:** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य को 50,000/-रु. और प्रति स्व-सहायता समूह को 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।

iv. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

iv. **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना:** इस योजना का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, के लिए जागरुकता पैदा करने, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देने, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों द्वारा देय 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

v. **ट्राइफेड के पैनलबद्ध कारीगरों को सहायता:** इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों तथा कार्यकारी पूंजी की खरीद के लिए ट्राइफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर व्यक्तियों हेतु 50,000 रु- तथा एसएचजी/सहकारी सोसाइटी के 5 लाख रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान कीजाती है।

ख. विपणन समर्थन सहायता:

निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	25.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रू	ऋण राशि का 90%	3%	6%
6.	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए योजना	25 लाख रू.	इकाई लागत का 90%	सावधिक ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दर के अनुसार	
7.	ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/कारीगरों के लिए योजना	व्यक्तिगत सदस्यों के लिए 50000 रू तथा प्रति सदस्य 50,000 रू. की सीमा के साथ 5 लाख रू. प्रति एसएचजी	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, एसएचजी तथा सहकारी संस्था के लिए	
				2%	4%
				अनुसूचित जनजाति की व्यक्तिगत महिलाओं के लिए	

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम: स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य उपलब्धियां/पहलें:

11.8 मुख्य उपलब्धियां/पहलें निम्नलिखित हैं-

क. पुनर्वित्तीयन समझौता : वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी में अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक तथा नागालैण्ड ग्रामीण बैंक के साथ पुनर्वित्तीयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके आगे, पुनर्वित्तीयन समझौते के लिए एक परिशिष्ट झारखण्ड ग्रामीण बैंक के साथ हस्ताक्षरित किया गया है।

ख. गरीबी रेखा से दोगुनी (डीपीएल) आय सीमा को बढ़ाना : योजना आयोग द्वारा जारी नियमों के आधार पर, गरीबी रेखा से दुगुनी आय-सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रु. प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रु. प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह क्रमशः 81,000 प्रतिवर्ष तथा 1,04,000 प्रतिवर्ष थी।

ग. अधिकृत अंशपूजीः निगम की अधिकृत अंशपूजी 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 750 करोड़ रु. कर दी गई है।

घ एनएसटीएफडीसी के अधिकारी योजनाओं की स्थिति के कार्यान्वयन के साथ साथ प्रभावका अनुमान करने के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायित इकाईयों की जांच करने हेतु आवधिक रुप से क्षेत्र दौरा करते हैं। वर्ष के दौरान गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 537 इकाईयों की जांच की गई थी।

ड. अनुसूचित जनजातियों के लिए रियायती योजनाओं के बारे में सूचना के प्रसार के लिए एनएसटीएफडीसी जनजातीय बहुल क्षेत्रें में आवधिक रुप से जागरुकता कैम्प चलाता है।

निष्पादन

11.9 निगम का कार्य निष्पादन निम्नलिखित है-

क **संस्वीकृतियाँः** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओंकी संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रुप से 200-00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 30-11-2015 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 100.90 करोड़ रुपए के अपने भाग को 36,780 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 91 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपर्युक्त में, महिला लाभार्थियों के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 807 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान हेतु 4.94 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 3,858 लाभार्थियों के लिए 4.19 करोड़ रुपये तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 20 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 0.56 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शामिल है।

ख **संवितरणः** वर्ष के दौरान 30.11.2015 तक निगम ने 28071 लाभार्थियों का लाभान्वित करने वाली स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 46.45 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं। उपर्युक्त में एएमएसवाई के तहत 338 महिला लाभार्थियों के लिए 1.04 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 2841 लाभार्थियों के लिए 2.86 करोड़ रुपए तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 20 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 0.56 करोड़ रुपए का संवितरण शामिल है।

ग **वसूलीः** 30-11-2015 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 89.55 प्रतिशत है।

11.10 वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन(एमओयू)ः निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज का लक्ष्य **अनुलग्नक 11** में दिया गया है।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र।

12.1 लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों, जोकि अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक सदस्य हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में 2013-14 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र' प्रारम्भ किया है।

12.2 यह स्कीम उनके एकत्रकरण, प्राथमिक संसाधन, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के प्रयासों के लिए उचित मोद्रिक वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करना चाहती है। यह लागत घटाने के सहित बिक्री आय में से राजस्व का हिस्सा उन्हें दिलाने का भी प्रयास करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया के स्थायित्व के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

12.3 यह योजना चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा करना प्रकल्पित करती है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन प्रचालन निर्धारित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ ही अन्य मध्यम व दीघ्रकालिक मुद्दों जैसे निरंतरणीय संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसरंचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास, ग्राम सभा/पंचायत के मोल भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12.4 इस योजना में गैर राष्ट्रीयकृत और बहुतायत में उपलब्ध 12 लघु वन उत्पाद शामिल हैं नामतः (i) तेंदू, (ii) बांस, (iii) महुआ बीज, (iv)साल पत्ते, (v) साल बीज, (vi) लाख, (vii) चिरोंजी, (viii)जंगली शहद, (ix) हरितिका, (x) इमली, (xi) गोंद (गोंद कराया), (xii) करंज के लिए है।

12.5 योजना कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की गई है:

(क) योजना के तहत चिन्हित लघु वन उत्पादों के प्रापण और बिक्री के लिए प्रचालानात्मक दिशा निर्देश 03.01.2014 को जारी किए गए हैं। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्धा हैं।

(ख) 10 लघु वन उत्पाद नामतः इमली, शहद, गोंद कराया, करंज बीज, साल बीज, महुआ बीज, साल पत्ते, चिरोंजी फली, हरितिका, लाख (रंगीनी और कुसुमी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 106.73 लाख करोड़ रुपये विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेंसियों जैसे जनजातीय विकास सहकारी निगम, ओड़िसा लि. (टीडीसीसीओएल) और झारखण्ड राज्य सहकारी लाख विपणन और प्रापण संघ लि.(जेएएससीओएलएएमपीएफ) रांची, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर (सीजीएमएफपीएफईडी) और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन एवं विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) के लिए जारी किए गए।

जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग

12.6 : पूर्व की स्कीमों (i) लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

(ii) जनजातीय उत्पाद/उपज के बाजार विकास की समीक्षा की गई है। तदानुसार 'जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग' की पुन: तैयार की गई स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 शुरु किया गया है। इस स्कीम का दायरा इस प्रकार है:-

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को सम्पूर्ण उत्पादन की श्रेणियों, उत्पाद विकास, पारम्परिक विरासत का आरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि उत्पाद दोनों को सहायता, उपर्युत क्रियाकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बहतर अवसंरचना की व्यवस्था, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निरंतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक सहयोग देने के लिए।

(ii) ग्रामपंचायत और ग्रामसभा के साथ सूचना की साझेदारी।

(iii) बाजार में मूल्य वृद्धि के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

12.7 स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना जिससे उन क्रियाकलापों के विपणन और विकास में सहयोग दिया जा सके जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन (iii) अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (vi) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के दौरान राज्यवार जारी की गई राशि के ब्यौरे **अनुलग्नक 12** पर दिए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड)

12.8 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (टाइफेड) एक बहु राज्य सहकारी समिति है। इसे बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में गठित किया गया था।

12.9 ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकास कर्ता दोनों के रुप में कार्य कर रहा है। आगे यह क्षमता निर्माता की भूमिका में अनुसूचित जनजातीय कलाकारों एवं लघु उत्पाद एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

12.10 ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2015 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। 31.03.2015 को ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

विपणन विकास गतिविधियां

12.11 : भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) ने देश में अपने खुदरा विक्रय केन्द्र 'ट्राइब्स इण्डिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन जारी रखा है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ट्राइफेड ने 949.90 लाख रुपये (31.12.2015 के अनुसार) मूल्य के उत्पाद बेचे हैं, बाजार विकास गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क. ट्राइफेड में अब स्वयं की 35 'ट्राईब्स इंडिया' दुकानों की श्रृंखला तथा 10 दुकानें प्रेषण आधार पर स्थापित की हैं।

ख. अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान भारत में ट्राइफेड ने 60 से ज्यादा प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया।

ग. ट्राइफेड ने बंगलौर, दिल्ली, दार्जिलिंग, हैदराबाद और पूणे में जनजातीय चित्रकारी की 5 "आदिचित्र" प्रदर्शनियां आयोजित किया है।

घ. ट्राइफेड ने दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में जनजातीय कला और शिल्प की 3 "आदिशिल्प" की एक प्रदर्शनी आयोजित की है जिसमें 131 जनजातीय कलाकारों ने भाग लिया और 109.97 लाख रु. की विक्रय राशि सृजित की है।

ड. ट्राइफेड ने 31.12.2015 तक 584.42 लाख रु. से अधिक के जनजातीय उत्पाद खरीदे।

च. ट्राइफेड ने 4 जनजातीय कारीगर मेले आयोजित किए, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रत्येक में एक-एक।

छ. ट्राइफेड के पास इसके पैनलबद्ध आपूतिकर्त्ता के रुप में 1289 व्यक्तिगत/स्व-सहायता समूह/सहकारी संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार संगठन आदि हैं जो लगभग 58,388 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से संबद्ध हैं।

केंद्रीय जनजातीय मंत्री, श्री जुएल ओराम 02 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला ''आदिशिल्प'' का उद्घाटन करते हुए

जनजातीय लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:

12.12 जनजाति एमएफपी संग्रहकर्ताओं के लिए ट्राइफेड निम्नलिखित प्रशिक्षण तथा क्षमतानिर्माण करता है-

क. **लाख पैदावार प्रशिक्षण कार्यक्रम :** पूर्वोत्तर राज्यों (नागालैण्ड 1000 लाभार्थी और असम 395 लाभार्थी) में 1395 लाभार्थियों के लिए लाख की वैज्ञानिक पैदावार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम खेतों पर आयोजित किए गए। ये पहली बार है जब नागालैण्ड राज्य में लाख की पैदावार की जा रही है।

ख. **अगरबत्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम :** तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में 30 लाभार्थियों के लिए मुरझाए पुष्पों से अगरबत्ती बनाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिहिनत जनजातीय लाभार्थियों को केन्द्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित पौध संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ग. **शहद एकत्र करने वालों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:** केरल राज्य में 300 जनजातीय लाभार्थियों के लिए वैज्ञानिक संग्रहण/खेती, संसाधित करने, मूल्य वृद्धि और

विपणन आदि पर कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

घ. **आंवला प्रशिक्षण कार्यक्रम :** तमिलनाडु राज्य में 20 लाभार्थियों के लिए आंवला की सर्वोत्तम संग्रहण पद्धति और मूल्यवर्द्धन के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना के तहत ट्राइफेड का प्रशिक्षण क्रियाकलाप

12.13 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ट्राइफेड के निम्नलिखित प्रशिक्षण क्रिया-कलाप हैं-

क. **वृक्षों से मिलने वाले तेल बीजों (महुआ, करंज, साल बीज व चिरोंजी) में गुणात्मक परिवर्तन और उत्तम संग्रहण रीतियां:** ओडिसा, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5160 लाभार्थियों के लिए इन बीजों के संग्रहण, गुणात्मक परिवर्तन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ख. **चिरौंजी प्रशिक्षण कार्यक्रम:** मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में 450 लाभार्थियों के लिए सर्वोत्तम संग्रहण, मूल्यवर्धन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ग. **इमली प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इमली पर संग्रहण, मूल्य संवर्द्धन का प्रशिक्षण कार्यक्रम उड़ीसा में 300 लाभार्थियों के लिए आयोजित किया गया था।

घ. **शहद एकत्र करने वालों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:** महाराष्ट्र राज्य में 30 जनजातीय लाभार्थियों के लिए वैज्ञानिक संग्रहण/खेती, संसाधित करने, मूल्य वृद्धि और विपणन आदि पर कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्कीम का कार्यान्वयन:

12.14 ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रलय, भारत सरकार ने गठित मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ की सिफारिश पर न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के तहत निम्नलिखित लघु वनोत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है:

क्रम सं.	एमएफपी मद	दर प्रति किलोग्राम (रु. में)
1.	इमली	22/-
2.	शहद	132/-
3.	गम कराया	108/-
4.	करंज के बीज	21/-
5.	साल के बीज	10/-
6.	महुआ बीज	22/-
7.	साल की पत्तियां	21/-
8.	चिरौंजी की फलियां बीज सहित	100/-
9.	हरीतिका	11/-
10.	लाख	
(क)	रंगिनी	230/-
(ख)	कुसुमी	320/-

राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी योजना के तहत एमएफपी की खरीद:

12.15 राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी योजना के तहत एमएफपी की खरीद के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क. ओडिशा राज्य: ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लि., भुवनेश्वर ने 66.66 लाख रु. मूल्य की 3030.00 क्विटल इमली और 12.44 लाख रु. की 124.36 क्विटल चिरौंजी की फली की खरीद की है।

ख. छत्तीसगढ़ राज्य : छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोत्पाद सहकारी संघ, रायपुर ने 1,024.44 लाख रु. मूल्य के 1,02,444.230 क्विटल साल के पत्तों की खरीद की है।

ग. राजस्थान राज्य : राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर (राजस्थान) ने 3.30 लाख रु. मूल्य की कुल मात्र 25.00 क्विटल शहद और 3.21 लाख रु. मूल्य के 153 क्विटल करंज बीज की खरीद की है।

घ गुजरात राज्य : गुजरात राज्य वन विकास निगम, बड़ौदरा ने 34.74 लाख रु. मूल्य की 1579.30 क्विटल इमली की खरीद की है।

ड. महाराष्ट्र राज्य : महाराष्ट्र राज्य सहकारी जनजातीय विकास

निगम लि., नासिक ने 25.73 लाख रु. मूल्य के 111.86 क्विटल लाख (रंगिनी) की खरीद की है।

च. झारखण्ड राज्य : झारखण्ड राज्य सहकारी लाख विपणन एवं खरीद संघ लि., रांची ने 200.61 लाख रु. मूल्य की 626.60 क्विटल लाख (कुसुमी) की खरीद की है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उभरती कार्यप्रणाली के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण

12.16 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उभरती कार्यप्रणाली के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण करने के लिए प्रावधान के अनुसरण में ट्राइफेड ने यह परियोजना शुरु की है। 12000 परिवारों पर एक आधार लाइन सर्वेक्षण किया जाएगा और तब योजना के तहत शामिल मदों के लिए संग्रहण की लागत पर पहुंचने के लिए 8 राज्यों में 1200 व्यक्तियों पर कार्य अध्ययन किया जाएगा।

जनजातीय कारीगरों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

12.17 वर्ष के दौरान ट्राइफेड ने राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में 4 व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए हैं। इसमें लौह और पीतल धातु, पिपली कार्य, वस्त्र उत्पादों पर कढ़ाई और सिलाई के शिल्प शामिल हैं। वर्ष के दौरान कुल 80 लाभार्थियों को इन 4 शिल्पों में प्रशिक्षित किया गया है।

अनुसंधान और विकास

12.18. अनुसंधान और विकास की शुरु की गई परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:-

शुरु की गई परियोजना

» भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी (आईआईसीटी) हैदराबाद द्वारा ''महुआ (मधुकालोंजीफोलिया), करंज (पोंगामियाग्लाब्रा) और वन तुलसी (ओसिमममग्राटिसिमम) के रस पर आधारित मच्छर मारने (मास्क्यूटोसाइडल) और लार्वा समापन (लार्वीसाइडल) निर्माण संबंधी अध्ययन'' शीर्षक वाली परियोजना का वित्तीय मदद के लिए चयन किया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी (आईआईसीटी) हैदराबाद द्वारा महुआ (मधुकालोंजीफोलिया), करंज (पोंगामियाग्लाब्रा) और वन तुलसी (ओसिमममग्राटिसिमम) के रस पर आधारित मच्छर मारने (मास्क्यूटोसाइडल) और लार्वा समापन (लार्वीसाइडल) निर्माण का विकास करना है।

जारी अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

» टमाटर के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए गम कराया की खाद्य परत'' संबंधी एक परियोजना मैसर्स श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को प्रयोजित की गई है। वैज्ञानिकों ने ग्लिसरोल, पीईजी, सोर्बिटोल और इनके ऑक्सीजन पर्मिएबिलिटी और मेकेनिकल पोपर्टिज जैसे प्लास्टिसाईजर के प्रयोग के साथ खाद्य परत के विभिन्न निर्माणों को विकसित किया है और परत के रुप में इसकी प्रभाविता की जांच की है। टमाटर पर विकसित परत के प्रयोग से टमाटर के शेल्फ जीवन को 6 दिनों से 18 दिनों तक बढ़ाने का खुलासा हुआ है।

» बीआईटी, मेसरा द्वारा कम लागत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इमली बीज, साल बीज तेल और करंज तेल से न्यूट्रासिटिकल और कॉस्मासिटिकल- परियोजना का परिणाम इमली बीजों से खाद्य जेली और करंज तेल से सेलवग क्रीम, कोल्ड क्रीम, सन स्क्रीन और लिक्विड सोप जैसे सौंदर्य प्रसाधानों के विकास के रुप में सामने आया है। करंज तेल से विकसित सौंदर्य प्रसाधानों का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैटेंट फाइल किया गया है। इसके अलावा, विकसित उत्पादों का विश्लेषण भारतीय मानक के विशिष्ट लक्षणों के अनुसार है और सूर्य किरणों से रक्षा के कारक (एसपीएफ) के मानदंडों के अलावा सभी उत्पादों को ठीक पाया गया है और यही विश्लेषण एक प्रतिष्ठित वाणिज्यिक प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। विकसित परियोजना का वाणिज्यीकरण होगा।

सफलतापूर्वक पूरे किए गए लघु वनोत्पादों के मूल्यवर्धन संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजना

» खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), भुवनेश्वर द्वारा गुणवत्तापूर्ण लघु वन उत्पादों के उत्पादन के लिए एकीकृत फसलोपरांत प्राद्योगिकी का विकास: ट्राइफेड ने स्थिर संकर ड्रायर विकसित करने के लिए संस्थान प्राप्त कर लिया है जो अपने प्रचालन

के लिए जैवमॉस और सोलर ऊर्जा का प्रयोग करता है। अनुकूलतम स्तर पर नमी को लाते हुए लघु वन उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में यह लाभदायक है। पेसा राज्यों के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रें में 3 स्थिर संकर ड्रायर और 4 मोबाइल ड्रायर की संरचना और स्थापना से संबंधित कार्यादेश देने की प्रक्रिया प्रगतिधीन है।

» जेयूआईटी, सोलन (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के साथ संयुक्त रुप से) द्वारा महुआ फूल से पोषक पेय पदार्थों का निर्माण: परियोजना का परिणाम महुआ ग्वावा ब्लंडेड वाइन (शराब) के विकास के रुप में सामने आया है। वैधीकरण और मानकीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। वाणिज्यिक प्रयोग झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लि. (जेएसबीसीएल) और सीएआरडी, भोपाल के साथ शुरु किया गया है।

» एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा जैव-कीटनाशक और नाइट्रीकरण अवरोधक कार्बनिक खाद के स्रोत के रुप में साल बीज तेल केक का विस्तार : साल बीज तेल केक से आर्गेनिक खाद/जैव-उर्वरक के वैधीकरण और बढ़ाने का मामला मैसर्स सावित्रीश्री बायो आर्गेनिक प्रा. लि., गाजियाबाद के साथ शुरु किया गया है। इसके अलावा, फिल्ड प्रयोगों के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराने के लिए कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क किया गया है। प्रयोग से संबंधित नियम और शर्तें तथा वाणिज्यिक मुद्दों को भी शुरु करने के लिए समनुदेशन अवलोकन और जांच के अधीन हैं।

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अत: जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

कार्यालय की अवधि

13.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

कार्य एवं कर्त्तव्य

13.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के डा. रामेश्वर ओरांव-अध्यक्ष हैं; श्री रवि ठाकुर उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में सदस्यों के तीन पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दिए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए

जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय; अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 राष्ट्रीय आयोग;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्तत: समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

13.5 338 (क) के खंड (9) में यह व्यवस्था है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छ: क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक 13** में दिए गए हैं।

आयोग की रिपोर्ट

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने गठन से लेकर वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8.8.2006 को; वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3.9.2008 को; वर्ष 2007-08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29.3.2010 को; वर्ष 2008-09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27.8.2010 को तथा वर्ष 2009-10 के लिए पांचवी रिर्पोट दिनांक 13.07.2011 को; वर्ष 2010-11 के लिए छठी रिपोर्ट, भारत के राष्ट्रपति को 16.11.2015 को 2011-12 के लिए सातवीं रिपोर्ट तथा जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन पर विशेष रिपोर्ट 18.06.2012 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (6) के अनुसार, इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। तदनुसार की गई कार्रवाई के साथ वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित पहली रिपोर्ट है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट लोक सभा पटल पर दिनांक 26 अप्रैल 2013 तथा राज्य सभा में 2मई, 2013 को सभा पटल पर रखी गई। वर्ष 2012 के लिए विशेष रिपोर्ट राज्य सभा के सदन पटल पर 12 दिसम्बर, 2013 तथा लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2013 को सभा पटल पर रखी गई। बची हुई रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम ने दिनांक 02 मार्च, 2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नई पुनर्निर्मित वेबसाइट आरंभ की।

आयोग की पुनर्निर्मित वेबसाइट का शुभारंभ

13.8. आयोग ने वर्ष के दौरान अपनी वेबसाइट का पुनर्निर्माण किया है। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम ने 02 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आयोग की नई पुनर्निर्मित वेबसाइट का शुभारंभ किया।

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका

14.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

14.3 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीम पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन

14.4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

(ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;

(v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका

14.5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका है-

1. राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।
2. राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
3. प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

» सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही है;

» सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

» परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

» आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

» कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

» लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;

» जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

» प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

» ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता परक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

» नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।

4. राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए)

14.6 : मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाएं जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। ये संगठन निम्नानुसार हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।

6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

14.7 वर्तमान में मंत्रालय की चार योजनाएं चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग।
3. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण।
4. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
5. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पीटीजी) (एनजीओ घटक)

अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

14.8 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन पत्रों इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.9 : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया एवं वित्त पोषण

14.10 : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर-सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.11 गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से

करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

14.12 सामान्यतया प्रतिवर्ष अनुदान निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

14.13 गैर-सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बाहरी निगरानी एजेंसियों को सभी एनजीओ की परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का कार्य सौंपा है।

योजना का निष्पादन

14.14 : वर्ष 2015-16 के दौरान योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किया गया व्यय आवंटन के व्यौरों तथा विगत 2 वर्षों में किए गए व्यय के साथ **तालिका 14.1** में दिया गया है:

तालिका 14.1: वर्ष 2015-16 तथा पिछले दो वर्षों वे दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2013-14	60.00	41.50	41.18
2014-15	36.50	40.00	44.62
2015-16	72.00	75.65	49.56 (31.12.2015 तक)

* इस राशि में अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के अंर्तगत पूर्वोत्तर पूल की निधियां शामिल हैं।

** बजट में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शैक्षिक संगठनों को सहायता अनुदान, अजजा के लिए कोचिंग, कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए निधियन शामिल हैं।

14.15 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैच केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
15. वृद्ध आश्रम

16. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना

17. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

14.16 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय विद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टॉयलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14.17 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 7 राज्यों में 30 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 4808 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

ओडिशा से विशेष रुप से कमजोर जनजातीय डोंगरिया कंधा के आवासीय विद्यालय का चित्र

गैर-आवासीय विद्यालय

14.18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14.19 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 1 राज्य में संचालित 1 गैर-आवासीय विद्यालय को निधिपोषित किया गया जिनसे 180 अनुसुचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

14.20 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

14.21 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 06 राज्यों में 10 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 933 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

14.22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

14.23 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 7 राज्यों में 16 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 131784 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

14.24 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14.25 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 4 राज्यों में 68 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 124521 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

14.26 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

14.27 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 1 राज्य में 1 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को निधिपोषित किया गया जिससे 30 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

14.28 पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी

संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 14-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

14.29 अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। आवेदन-पत्र इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.30 : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति

14.31 : इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को मंत्रालय से 80% सहायता दी जाती है।

14.32 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

14.33 : योजना की मुख्य विशेषताएं हैं-

» राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।

» प्रस्तावों की जांच चयन समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

» कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिएं।

» कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम-वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।

» प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के स्कीम के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।

» प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/ अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

» छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है। बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र

प्रति माह 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।

» राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

» कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम-वार सूची जमा करानी होती है। कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

14.34 वर्ष 2015-16 के दौरान तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुलग्नक: 14-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना :

14.35 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। आवेदन-पत्र सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.36 : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का अधिकाधिक संख्या में नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

कवरेज :

14.37 योजना के कवरेज निम्नानुसार हैं-

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को** प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

14.38 इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति"** (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों

की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान

14.39 योजना के तहत प्रक्रिया एवं प्रद्धति निम्नानुसार है–

(क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन–पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित प्रपत्र में) पात्र गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। संशोधित योजना में निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवेदन–पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर–सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा–परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ लेखा–परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर–सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य–निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के अधीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह तारीख सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बाह्य निगरानी अभिकरण के माध्यम से सभी गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का कार्य सौंपने का कार्य आरंभ किया है।

मुख्य विशेषताएं :

14.40 जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू–भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

(ग) अपवाद–स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं हैं, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना का कार्य निष्पादन

14.41 विगत दो वर्षों में आवंटन तथा व्यय के व्यौरों सहित चालू वर्ष के दौरान किया गया आवंटन तथा व्यय **तालिका 14.2** में दर्शाया गया है :-

तालिका 14.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2013-14	40.00	42.00	40.30
2014-15	40.00	35.00	35.00

14.42 वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान, 104 शैक्षिक परिसरों के लिए 41.12 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए, जिसमें 3 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 25770 लाभार्थी लड़कियों को कवर किया गया। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की अंतर सूची जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, **अनुलग्नक: 14-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

14.43 इस योजना का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 8 में दिया गया है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया था संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हे वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान की गई, **अनुलग्नक: 14-घ** में दी गई है।

14.44 "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजनाओं को 12वीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित किया जा रहा है। "कम सक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण", "अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग", "अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण" की विद्यमान योजनाओं को एक सिंगल विंडो योजना "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" में मिला दिया गया है। तथापि, ये पूर्व योजनाएं संशोधित योजना के घटक के रूप में जारी रहेंगी।

अध्याय 15

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

15.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि आबंटित की जाती है।

15.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय ''गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन के कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

15.3 वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 15-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई **आकृति 15 (i)** में भी दी गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां-**आकृति 15 (i)**

चित्र 15(i) केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

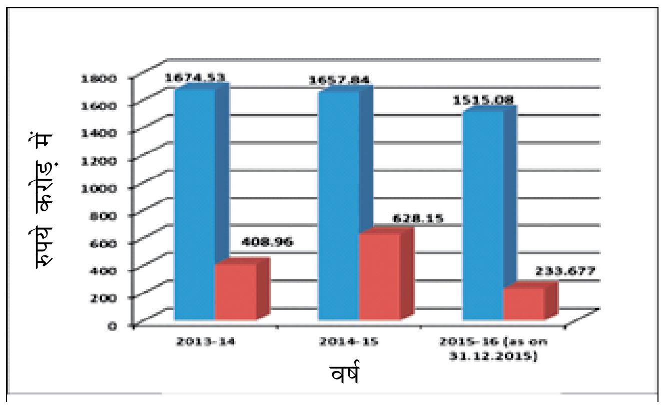

15.4 वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) की अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत निर्मुक्तियों का विवरण अनुलग्नक 15 क में दिया गया है।

15.5 वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रतिशत प्रवाह को नीचे दी गई आकृति 15(ii) में दर्शाया गया है:

*चित्र 15(**ii**) केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता*

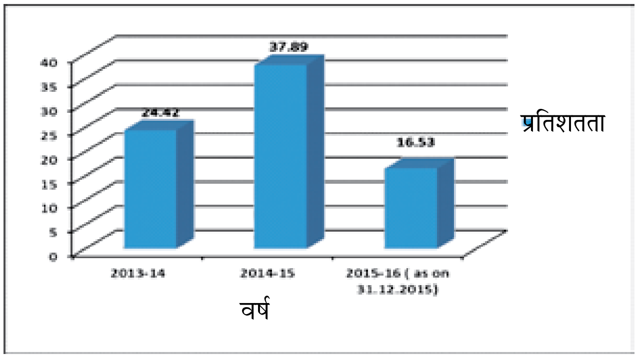

15.6 वित्तीय वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों का योजना-वार विवरण अनुलग्नक 15 ख में दिया गया है।

15.7 पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए परिकल्पना दस्तावेज पर सेमिनार दिनांक 07-08 अगस्त, 2015 को तंगाबाड़ी, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम ने 08 अगस्त, 2015 को सेमिनार में शिरकत की।

दिनांक 08 अगस्त, 2015 को तंगाबाड़ी, गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए परिकल्पना दस्तावेजों (विजन डॉक्यूमेंट) पर सेमिनार में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम।

अध्याय 16

जेंडर संबंधी मामले

संवैधाानिक तथा कानूनी ढांचा

16.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारी का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

मंत्रालय की पहलें

16.2 किसी भी देश के समग्र समाजिक-आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

16.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय उन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिन्तित है जो एक समूह के रूप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व तुलनात्मक अलगाव के कारण कष्ट उठाते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियां तद्नुसार अनुसूचित जनजातीय महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएँ और अधिक अलाभकारी स्थिति को झेलती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अतएव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएँ व सामान्य स्कीमों से समान लाभ प्राप्त करें वहीं कुछ विशेष स्कीमें अनुसूचित जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए होनी चाहिए।

16.4 मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग एकक बनाया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन के साथ-साथ और मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार देखेगा जिससे कि वह जेंडर असंतुलन, जेंडर समानता और विकास को प्रोत्साहित करने के कार्य को कर सके और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से लोक संसाधन आवंटित किए जाए और तद्नुसार प्रबंधित किये जाएं।

16.5 मंत्रालय जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदान प्रदान करता है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आय-सृजनकारी गतिविधियों के लिए बनाई गई है। दिशानिर्देश में बताया गया है कि महिला लाभार्थियों की आय-सृजनकारी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

16.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिए हैं। निधियां देश के अन्य हिस्सों के समान जनजातीय क्षेत्र को बनाने में आवश्यक गम्भीर और संरचनात्मक आवश्यकता के निर्माण एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु राज्य सरकारों को दी जाती हैं। दिशानिर्देश विशेष रुप से बताते हैं कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संबंधित मुद्दे आयोजना से प्रारंभ होकर कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं की भागीदारी सहित, परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करने में मुख्य स्थान पर होने चाहिए।

16.7 वर्ष 2015-16 के दौरान 200 करोड़ रुपए का एक बजटीय प्रावधान एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के लिए प्रदान किया था। वीकेवाई एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो कि जनजातीय लोगों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यकता आधारित और परीणामों के लिए और समर्थकारी वातावरण बनाने का उद्देश्य लिए हुए है। वीकेवाई उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा लक्षित समूहों तक वास्तव में पहुंचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत हितों और

सेवाओं के सभी लक्षित लाभों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। स्कीम के तहत क्रियाकलाप करते समय राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बजटीय आवंटनों का 50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों/कृषकों के लिए उपयोग हो। संबंधित राज्य/कार्यान्वयनकारी एजेंसियां इन घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जैसा भी मांगा जाए वैसी रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

16.8 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से आरंभ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा-छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए 750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है। सहायता न दिए जाने वाले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी विकलांगता की डिग्री के आधार पर 160 रु. से 240 रु. प्रतिमाह की दर से मासिक भत्तों हेतु पात्र हैं। छात्रवृत्ति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

16.9 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाए जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशसनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है जिनके माता-पिता की आय सीमा 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

16.10 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो योजना कार्यान्वित करता है उन्हें एमफिल तथा पीएचडी के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत अध्येतावृत्ति देने के प्रयास के लिए को निर्देश दिए गए हैं।

16.11 मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण को निधिपोषित करता है जो अन्यथा अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते वह भी अपनी खराब आर्थिक स्थिति व सुदूरता के कारण। राज्य सरकार सभी छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए केन्द्रीय हिस्से से 100% लेने के पात्र है।

16.12 राज्य को बालिकाओं के लिए आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में, 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए होती हैं।

16.13 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसे वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नया नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिह्नित जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से या इसके अंशों से कम है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिन्हें पूर्व में उपर्युक्त चिन्हित किए गए 54 जिलों के अलावा, किसी जिले के अन्य किसी जनजातीय ब्लाक, जहां वर्ष 2001 की जनगणना अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25% या इससे अधिक है और जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम या इसके अंशों में है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (जिसे पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था) वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिह्नित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में प्राथमिक स्तर पर कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की परिकल्पना

की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है।

16.14 जनजातीय कार्य मंत्रलय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 1,00,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% वार्षिक की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। 30.11.2015 तक एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 338 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 1.04 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम अन्य आय सृजनकारी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

16.15 ''जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान'' नामक योजना को संशोधित स्कीम के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के क्रियाकलापों में जोड़ दिया गया है। ''जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान'' की स्कीम के तहत जनजातियों द्वारा यात्राओं के आदान-प्रदान को आयोजित करने के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान दिया जाता है ताकि वे ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। विद्यमान प्रावधानों के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सकेगी।

16.16 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को इस प्रकार परिभाषित (धारा 2 छ) किया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और राज्यों के मामले में जहाँ कोई पंचायत, पडा, टोला और अन्य परंपरागत ग्रामीण संस्थान और चयनित ग्राम समितियां महिलाओं के पूर्ण और अप्रतिबंधित भागीदारी के साथ नहीं है।'' इसके अतिरिक्त धारा 4 (4) उपबंधित करती है कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे। किन्तु परिवर्तन योग्य या अंतरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे और एक व्यक्ति मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस की अनुपस्थित में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को अंतरित हो जाएँगे। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप प्रभागीय स्तर समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राजस्व विभाग, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे और पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य समुचित स्तर पर जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है।'' इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 प्रावधान करती है कि (धारा 3 (1) के तहत) ग्राम सभाएँ ग्राम पंचायत द्वारा बुलायी जाएंगी और इसकी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ हों। यह आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। कम से कम एक तिहाई ऐसे सदस्य महिलाएं होंगी।

16.17 इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका जैसे विशिष्ट मुद्दों को मंत्रालय द्वारा लाइन मंत्रालयों के साथ अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम/स्कीमों की निगरानी, आयोजना व प्रगति के लिए गठित समन्वय समिति की बैठकों मे उठाया जाता है तथा जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति भाग को सशक्त करने की प्रक्रिया में महिलाएं छूट न जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद भी किया जाता है।

16.18 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक महिला तथा एक पुरुष भेजे।

16.19 वर्ष 2015-16 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां **अनुलग्नक-16** पर उपलब्ध हैं।

अध्याय 17

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

17.1 मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त/विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं-

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

17.2 योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरक्त प्रावधान बनाए गए हैं:-

क. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता,

ख. दिव्यांग विद्यार्थी जो ऐसे छात्रवासों में नहीं रहते जो शैक्षणिक परिसर के अंदर हैं, उनके लिए यातायात भत्ते का प्रावधान,

ग. निचले अंगों की गंभीर विकलांगता वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मार्गरक्षक भत्ता,

घ. किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रवास में रह रहे गंभीर रुप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रवास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन।

ड. मानसिक रुप से विक्षिप्त अथवा रोगी विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए भत्ता।

उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक-17** पर दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन:

17.3 इस योजना के अंतर्गत जहां कहीं संभव हो, 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त, विकलांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है।

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन अनुमत है;

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कॉलर विद्यार्थियों के लिए अंगरक्षण भत्ता।

उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक 17** में दिया गया है।

कक्षा 9 तथा 10 मे पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

17.4 निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा

कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत 3,000 रुपये वार्षिक की दर से सहायता, सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकाय के विद्यालयों तथा सरकार द्वारा सहायित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे विकलांग विद्यार्थियों को इसके 'विद्यार्थी उन्मुख घटक' के तहत पहले ही दी जा रही है। तथपि, गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अत: निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे-

क. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता,

ख. दिव्यांग विद्यार्थी जो ऐसे छात्रवासों में नहीं रहते जो शैक्षणिक परिसर के अंदर हैं, उनके लिए यातायात भत्तो का प्रावधान,

ग. निचले अंगों की गंभीर विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक की विकलांगता) वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मार्गरक्षक भत्ता,

घ. किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रवास में रह रहे गंभीर रुप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रवास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन।

ड. मानसिक रुप से विक्षिप्त अथवा रोगी विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए भत्ता।

उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक 17** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

17.5. शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

17.6. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

17.7. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

एनजीओ की योजनाएं

17.8. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 18

सूचना का अधिकार-आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

18.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है।

18.2 मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नक: 18-क तथा 18-ख** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए श्री गोपाल साधवानी, उप-सचिव (प्रशासन/पीसी एण्ड वी) को "नोडल अधिकारी" मनोनीत किया गया है।

18.3 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

18.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

- 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या – 438
- उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या – 376

अध्याय 19

विभागीय लेखा परीक्षण

संगठन :

19.1 प्रत्येक विभाग के सचिव अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। वेतन एवं लेख अधिकारी सहायता अनुदान, लेखों के समेकन, अवंटन, वजट, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के संबंध में व्यय की निगरानी सहित विभिन्न प्रकार की जिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेख अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखों, लेखों के विनियोजन, केन्द्रीय लेनदेन के विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओं को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी

19.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

19.3 लेखों और भुगतान कार्य का का कम्प्यूटरीकरण

कॉम्पैक्ट

19.3. पूर्व में वेतन तथा लेखा कार्यालय कॉम्पैक्ट के सभी मॉडयूल जैसे जांच संकलन सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर-योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन तंत्र (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉडयूल बंद कर दिए गए हैं। केवल वेतन बिल तथा पेंशन के मामले 01 अक्टूबर, 2015 के बाद कॉम्पैक्ट के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। जीईपीजी के माध्यम से ई-भुगतान का तंत्र भी परिवर्तित कर दिया गया है तथा सभी भुगतान (योजना एवं गैर-योजना) पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माधयम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई-परामर्श डाउनलोड करते हैं तथा आईटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा प्राप्तकर्त्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं। अब चैक जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ई-लेखा

19.4. दैनिक आधार पर ई-लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफएमएस स्वत: ही आंकड़े अद्यतन कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य प्रतिभागियों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई-लेखा में आंकड़े देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

19.5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी हस्तियों को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए विकसित

विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी प्लान योजनाओं का नियोजन इस संगठन द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा सभी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विगत योजनाओं के अंतर्गत कार्यन्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

19.6 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों मे निधियों के प्रत्यक्ष लाभा हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तरीका इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में प्रदान किया गया है।

19.7 राज्यों को निमुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंत:सरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजिन के लिए नया तरीका प्रदान किया गया है। तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है। जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल ऋण सुनिश्चत करता हैं।

नई पेंशन योजना:

19.8 नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्से के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीएल (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र:

19.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर पर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हे स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिर्पोटें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

आंतरिक लेखा-परीक्षा:

19.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा-परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा-परीक्षा निम्नलिखत पर ध्यान दें।

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टो की विश्वसनीयता;
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना

19.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

1.	1.4.2014 तक बकाया पैराओं की सं.	46
2.	2014-2015 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	06
3.	2014-15 के दौरान समायोजित पैराओं की सं.	0
4.	31.3.2015 तक बकाया पैराओं की संख्या	52

सीएजी लेखा-परीक्षा के पैरा पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन)

19.12. जनजातीय कार्य मंत्रलय से संबंधित सीएजी लेखा-परीक्षा के पैरा पर ख्रत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति अनुलग्नक-19 क मे दी गई है।

19.13. रिपोर्ट सं. 33-जनजातीय उपयोजना का निष्पादन लेखा-परीक्षा जो 08 दिसंबर, 2015 को 2015 संसद में रखा गया, अनुलग्नक-19-ख में दिया गया है।

अध्याय 20

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पताः शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110 001

वेबसाइट आई डीः www.tribal.nic.in

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैः

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी

मुख्य सेवाएं / लेन-देन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास! ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना ङ.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20	श्री एस.एम. सहाय निदेशक (एसजी)	sm.sahai@nic.in	9810324269 (23073176)	1. राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 3) विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदान जहां उपयोगित प्रमाण पत्र देय नहीं हैं, के लिए व्यय रिपोर्ट			
						3 पीएसी बैठक का आयोजन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						4 मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन 5 I/II किस्त की स्वीकृति/निर्मुक्ति का मुद्दा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थान ों/गै.स.सं. को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शौक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिककोत्तर स्तर पर छात्रवृतियां	15	सुश्री निवेदिता उपसचिव (शिक्षा)	nivedita. iofs@gmail. com and nivedita.13@ nic.in	9582397114 (23386893)	1. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						4. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3. छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक के संबंध में प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास	15	श्री एस.दास निदेशक (एनजीओ)	subrata.d@nic.in	9818893570 23387396	संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र/निधि हस्तांतरण प्रमाण पत्र 2. वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय त्यौहार	10	श्री गोपाल साधवानी उपसचिव (अनुसंधान)	Sadhwani.gopal@nic.in	23383965 9818001425	1. अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना 2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छटनी एवं अनुमोदन 4. संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव 2. राज्य सरकार की संस्तुति 3. लेखा का लेखा परीक्षित विवरण (II तथा अंतिम किस्त के लिए) 4. निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र 5. प्रबंधन समिति की सूची 6. कर्मचारियों की सूची 7. पंजीकरण प्रमाण पत्र 8. पूर्व से ही स्योरिटी बांड 9. नियम एवं शर्तों की स्वीकृति 10. बैंक अधिकृत पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता के लिए वित्तीय सहायता जारी करना	5	श्री गोपाल साधवानी उपसचिव (अनुसंधान)	Sadhwani.gopal@nic.in	23383965 9818001425	1. राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 2. मंत्रालय में सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन व संवीक्षा 3. संस्वीकृति /I/II किश्त जारी करना (जैसा लागू हो)	1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 2. पिछले वर्षों में की गई निर्मुक्ति के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र 3. गत दो वर्षों में की गई निर्मुक्ति के संबंध में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट 4. वार्षिक रिपोर्ट (विगत 3 वर्ष के) 5. लेखा का लेखा परीक्षण विवरण 6. वित्तीय विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10	सभी			1. संबंधित मंत्रालय/विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना 2. संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना 3. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10	सभी			1. संगत साहित्य का सदंर्भ लेकर गहरा अध्ययन, अपने मत का निरूपण और विश्लेषण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना				
						3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति				
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/ पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री एम.डी. कुमार उप सचिव (प्रशासन)	mdilipkumar.edu@nic.in	23073706	1. जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. शिकायत की प्राप्ति	समर्थनकारी दस्तावेज/ आदेश			
						3. आवेदक को उत्तर	लागू नहीं			

9	आवासीय/ गैर अवासीय/ आश्रम विद्यालयों, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों/ एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री एस. दास निदेशक (एनजीओ)	subrata.d@nic.in	9818893570 23387396	1. राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 2. प्रस्तावों की छटनी तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति	1. आवेदन पत्र 2. राज्य सरकार की संस्तुति 3. जिलाधीश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण रिपोर्ट 4. बजट अनुमान 5. लेखाओं का लेखा परीक्षण विवरण 6. निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र 7. प्रबंधन समिति की सूची 8. कर्मचारियों की सूची 9. लाभार्थियों की सूची 10. वार्षिक रिपोर्ट 11. पंजीकरण प्रमाण पत्र, नियम एवं उपनियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं 12. अद्यतन किराया करार/ किराया आंकलन प्रमाण पत्र 13. पूर्व में स्योरिटी बांड 14. नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति 15. अधिकृत पत्र 16. परियोजना के लिए पासबुक के बैंक लेन-देन की प्रति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ समव्यवहार	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	भार	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी की गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास (ग) अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास (घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना (ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20.0	समय	40	दिन	20.0	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	15.0	मंत्रालय रिकार्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति	15.0	समय	45	दिन	15.0	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन (ग) जनजातीय त्यौहार, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/ टिप्पणी प्रस्तुत करना	10.0	समय	25	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10.0z	समय	आवश्यकता के अनुसार	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ता की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर आवासीय/ आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों व एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना	5.0	समय	90	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को शुरू करने के लिए

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री अशोक पाई, संयुक्त सचिव तथा शिकायत निदेशक	011-23073489	ashokpai@nic.in	
2	श्री आर.एस. मीणा, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	011-26522652	rsmeena@nic.in	9868100042
3	डॉ. एम.डी.एस. त्यागी, महाप्रबंधक (परियोजना) एनएसटीएफडीसी	011-26712583	mdstyagi@gmail.com	9871266373

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठनों की जिम्मेदारी	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26866084	Bala.PRASAD@NIC.IN	9818985476	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519	cmd.nstfdc@gmail.com	9871819778	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का समय पर व पहले प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1क

भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित विषय

भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित विषय निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा;

2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण की आयोजना, परियोजना निरूपण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण;

3. जनजातीय कल्याण संबंधी स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;

4. ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित अनुसूचित जनजातियां;

5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5क) वन भूमियों पर वन निवासियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

टिप्पण: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की संपूर्ण नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि तथा उनका समन्वय भी संबंधित केंद्रीय मंत्रलयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

6. (क) अनुसूचित क्षेत्र;

   (ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7. (क) आयोग अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

   (ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियां के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग;

9. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 की संख्या 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) जहाँ तक वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, के मामले में अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।

अनुलग्नक-1ख

संगठनात्मक संरचना
जनजातीय कार्य मंत्रालय

एसजी	:	राज्य अनुदान
प्रशा.	:	प्रशासन
सं.सम.स.	:	संसद, समन्वय एवं सतर्कता
सीपीएंडआर	:	सहकारी विपणन एवं विनियमन
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
शि.	:	शिक्षा
सीएंडएलएम	:	संवैधानिक एवं विधायी मामले
वि.	:	वित्त
सा.	:	सामान्य
स्था.	:	स्थापना
रा.भा.	:	राजभाषा

अ.स. एवं सं.स.	:	अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स.	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मु.स.अ.	:	मुख्य सतर्कता अधिकारी
आ.स.	:	आर्थिक सलाहकार
उ.म.निदे.	:	उप महा निदेशक
मु.ले.नि.	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे.	:	निदेशक
उ.स.	:	उप सचिव
सं.निदे.	:	संयुक्त निदेशक
ले.नि.	:	लेखा नियंत्रक
अ.स.	:	अवर सचिव
उ.निदे.	:	उप निदेशक
स.निदे.	:	सहायक निदेशक
अनुसं.अधि.	:	अनुसंधान अधिकारी
अनु.अधि.	:	अनुभाग अधिकारी
वे. एवं ले.अधि.	:	वेतन एवं लेखा अधिकारी

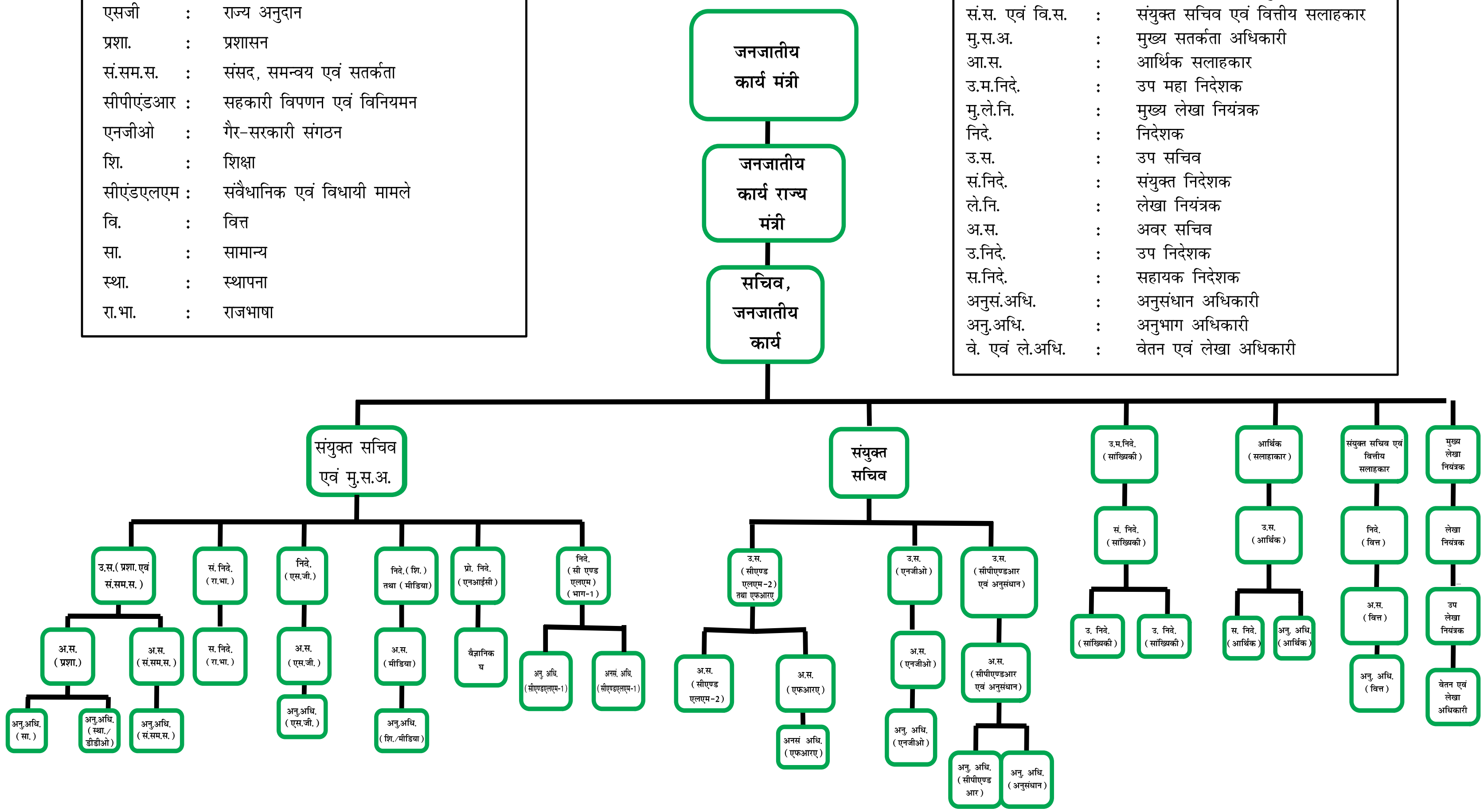

अनुलग्नक-2

जनजातीय कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजनाओं/कार्यक्रम के नाम
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)
2	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
3	लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी)को सहायता अनुदान
4	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
5	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता
6	अनुसूचित जनजातियो के लिए कोचिंग
7	कम साक्षरता वाले जिलों मे अनुसूचित जनजाति की बालिकाओ के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
8	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (एनजीओ घटक)
9	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक/बालिका छात्रावास
10	टीएसपी क्षेत्रों मे अनुसूचित जनजातियो के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना
11	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
12	प्रतिभा का उन्नयन
13	कक्षा 9 तथा 10 मे अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
14	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
15	अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा
16	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
17	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
18	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)का विकास
19	अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य

अनुलग्नक-3क

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रूपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2013-14			2014-15 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं							
2225	स्वैच्छ्क संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं संबद्ध योजना सहित अ.ज.जा. के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार	39.50	25.00	40.00	35.00	44.50	44.50
2225	अनुकरणीय कार्य करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन							
2225	कोचिंग एवं संबद्ध योजना		4.50	1.50	1.1842	1.50	0.50	0.12
	2225 का कुल		44.00	26.50	41.1842	36.50	45.00	44.62
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	2.80	2.7075	3.00	2.90	2.70
3601			5.00	6.62	6.1092	डमतहम ूपजी न्उइतमससं ैबीमउम		
	2225 तथा 3601 का कुल		8.00	9.42	**8.8167**	**3.00**	**2.90**	**2.70**
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	**40.00**	**42.00**	**40.3001**	**40.00**	**35.00**	**35.00**
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	**34.31**	**34.31**	**34.31**	**35.00**	**35.00**	**30.82**
3601	लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	**20.00**	**10.00**	**10.00**	**15.00**	**11.09**	**11.09**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)का विकास	5.80	5.40	5.2954	5.40	4.50	4.50
3601			234.20	197.60	201.60	201.60	175.50	175.50
	2225 तथा 3601 का कुल		**240.00**	**203.00**	**206.8954**	**207.00**	**180.00**	**180.00**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2013-14			2014-15 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	70.00	70.00	60.50	70.00	70.00	70.00
4225	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम							
	4225 का कुल		70.00	70.00	60.50	70.00	70.00	70.00
2225	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	90.00	**10.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	0.00
2225	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	**13.00**	**9.50**	**9.50**	अ.ज.जा. के विद्यालथयों के लिए अंबैला योजना के साथ मिला दी		
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	1.00	0.98	**0.6831**	**1.00**	**1.00**	0.99
2225	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	0.00	5.65	0.00	40.00	7.00	7.00
3601			0.00	116.35	112.49	277.00	93.00	93.00
	2225 तथा 3601 का कुल		**0.00**	**122.00**	**112.49**	**317.00**	**100.00**	100.00
2225	विश्व बैंक परियोजना- जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार	विश्व बैंक परियोजना- जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार	0.00	1.16	0.00	**3.86**	**1.44**	0.56
	क का कुल (केंद्रीय क्षेत्र की योजना)		560.31	538.87	524.6795	778.36	481.43	475.78

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2013-14			2014-15		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
ख	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं							
2225	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/पुस्तक बैंक	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन	0.10	0.10	0.0074	अ.ज.जा. के लिए अंबैला योजना में विलय		
	2225 का कुल		0.10	0.10	0.0074			
3601	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/पुस्तक बैंक		623.40	623.40	748.2777			
3601	अ.ज.जा के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन		1.50	1.50	0.1614			
	3601 का कुल		624.90	624.90	748.4391			
	2225 तथा 3601 का कुल		625.00	625.00	748.4465			
2225	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति		1.00	0.33	0.00			
3601	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	201.19	201.19	219.43			
	कुल		202.19	201.52	219.4320			
2225	लड़कियों के छात्रावास	अ.ज.जा की लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावास	5.00	5.00	0.00			
2225	लड़कों के छात्रावास							
	2225 का कुल		5.00	5.00	0.00			
3601	लड़कियों के छात्रावास		100.80	100.80	101.06			
3601	लड़कों के छात्रावास							
	3601 कुल		100.80	100.80	101.0550			
	2225 तथा 3601 का कुल		105.80	105.80	101.0550			
2225	आश्रम विद्यालयों की स्थापना		0.00	0.00	0.00			
3601		आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00	72.17	72.17			
		3601 का कुल	75.00	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00
2225	घरेलू यात्रा व्यय	अ.ज.जा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना (प्रशासनिक व्यय)	0.00	0.00	0.00	4.23	0.00	0.00
	विदेश में यात्रा व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यालय व्यय		0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00
	पेशेवर सेवाएं		0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00
	अन्य प्रभार		0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00
		2225 का कुल	0.00	0.00	0.00	21.16	0.00	0.00
2225		अ.ज.जा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना	0.00	0.00	0.00	18.84	30.84	23.52
3601			0.00	0.00	0.00	1018.00	1035.01	1035.01
		2225 तथा 3601 का कुल	0.00	0.00	0.00	1036.84	1065.85	1058.53

2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		0.10	0.03	0	0.50	0.50	0.00
2225	सूचना एवं मास मीडिया		3.00	2.52	1.1179	3.00	1.99	0.12
2225	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार		0.50	3.43	2.1551	3.50	2.26	2.45
2225	उत्कृष्टता केंद्र		0.56	1.59	1.04	3.34	3.34	2.22
2225	अ.ज.जा के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	0.30					
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन		1.60					
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.44					
		2225 का कुल	6.50	7.57	4.3130	10.34	8.09	4.79
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		4.00	2.57	2.7069	8.00	16.00	16.00
		2225 तथा 3601 का कुल	10.50	10.14	7.0199	18.34	24.09	20.79
2225	निगरानी एवं मूल्यांकन	निगरानी एवं मूल्यांकन	4.00	1.43	0.6503	4.00	1.99	1.21
		2225 का कुल	4.00	1.43	0.6503	4.00	1.99	1.21
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	2.80	2.20	1.0356	2.80	1.70	1.27
2225		एनसीएसटी	0.20	0.20	0.0399	0.50	0.23	0.26
		2251 तथा 2225 का कुल	3.00	2.40	1.0755	3.30	1.93	1.53
3601	वन बंधु कल्याण योजना		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		3601 का कुल				100.00	100.00	100.00
	ख का कुल (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं)		1025.49	1018.46	1149.8492	1183.64	1193.86	1182.06
ग	विशेष केंद्रीय सहायता							
3601	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता		1200.00	1050.00	1050.00	1200.00	1040.03	1039.61
3601 तथा 2225	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के तहत योजना		1317.00	1097.14	1097.1398	1317.00	1134.68	1133.15
	ग का कुल (विशेष केंद्रीय सहायता)		2517.00	2147.14	2147.1398	2517.00	2174.71	2172.76
	क, ख तथा ग का कुल योग		4279.00	3879.00	3821.6685	4479.00	3850.00	3830.60

अनुलग्नक-3ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2015-16 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2015 तक व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2015-16	31.12.15 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
क	सामान्य अनुदान					
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	प्रशासनिक व्यय	2225	घरेलू यात्रा व्यय	1.50	0.00
				विदेश में यात्रा व्यय	1.00	0.00
				कार्यालय व्यय	2.00	0.00
				पेशेवर सेवाएं	0.30	0.00
				अन्य प्रभार	7.20	0.00
				कुल	12.00	0.00
		अनुदान	3601	सामान्य	780.00	674.71
				पूंजी	333.00	313.80
				कुल	1113.00	988.51
		2225 तथा 3601 का कुल			1125.00	988.51
2	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	प्रशासनिक व्यय	2225	घरेलू यात्रा व्यय	1.50	0.01
				विदेश में यात्रा व्यय	1.00	0.00
				कार्यालय व्यय	2.00	0.07
				पेशेवर सेवाएं	0.30	0.07
				अन्य प्रभार	8.20	0.00
				कुल	13.00	0.15
		अनुदान	3601	सामान्य	240.00	202.22
				पूंजी	977.30	916.00
				कुल	1217.30	1118.22
		2225 तथा 3601 का कुल			1230.30	1118.37
ठ	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं					
3	कोचिंग एवं संबद्ध योजना सहित अ.ज.जा. के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार	अ.ज.जा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	2225	सामान्य	72.00	49.56
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	72.00	49.56
		2225 का कुल			72.00	49.56
4	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण		2225	सामान्य पूंजी	एनजीओ योजना के साथ मिला दिया गया	

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2015-16	31.12.15 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
5	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास		2225	सामान्य	11.98	11.98
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	11.98	11.98
				वेतन	23.02	18.28
			3601	सामान्य	15.00	0.00
				कुल	38.02	18.28
		2225 तथा 3601 कुल			50.00	30.26
6	नई योजना: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास		2225	सामान्य	10.00	5.00
				पूंजी	30.00	0.00
				कुल	40.00	5.00
			3601	सामान्य	250.00	101.73
				पूंजी	17.00	0.00
				कुल	267.00	101.73
		2225 तथा 3601 का कुल			307.00	106.73
7	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास		2225	सामान्य	5.40	0.36
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	5.40	0.36
			3601	सामान्य	87.60	84.90
				पूंजी	120.35	66.14
				कुल	207.95	151.04
		2225 तथा 3601 का कुल			213.35	151.40
8	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम		सामान्य	70.00	40.23
		राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम	4225	पूंजी	0.00	0.00
				कुल	70.00	40.23
9	अ.ज.जा के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति		2225	समान्य	50.00	32.31
				पूंजी	0.00	0.00
				2225 का कुल	50.00	32.31
10	विश्व बैंक परियोजना- जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार		2225	घरेलू यात्रा व्यय	0.20	0.01
				विदेश में यात्रा व्यय	0.75	0.00
				कार्यालय व्यय	0.16	0.02
				प्रकाशन	0.08	0.00
				अन्य प्रशासनिक व्यय	0.20	0.07
				पेशेवर सेवाएं	0.60	0.51
				अन्य प्रभाग	0.01	0.01
				कुल	2.00	0.62
		2225 का कुल			2.00	0.62

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2015-16	31.12.15 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
11	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान प्रशिक्षण			0.50	0.00
		सूचना तथा मास मीडिया			3.00	0.00
		उत्कृष्टता केंद्र			3.34	0.23
		अन्य प्रभार	2225	समान्य	3.86	0.07
		2225 का कुल			10.70	0.30
		अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	3601		27.00	7.94
		2225 तथा 3601 का कुल			37.70	8.24
12	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	2251	अन्य प्रभाग	2.80	0.14
		एनसीएसटी	2225	अन्य प्रभार	0.50	0.00
		2251 तथा 2225 का कुल			3.30	0.14
13	निगरानी एवं मूल्यांकन		2225	समान्य	0.50	0.00
				अन्य प्रभार	3.50	0.86
				कुल	4.00	0.86
		2225 का कुल			4.00	0.86
14	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना		2225	समान्य	1.00	0.39
				छात्रवृत्ति	0.00	0.00
				कुल	1.00	0.39
		2225 का कुल			1.00	0.39
15	वन बंधु कल्याण योजना		3601	समान्य	200.00	66.01
				पूंजी	0.00	69.93
				कुल	200.00	135.94
		3601 का कुल			200.00	135.94
	पीएमएस, पुस्तक बैंक तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों के उत्कृष्टता की उन्नयन की योजना/अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/अ.ज.जा. बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/उत्कृष्टता के संस्थानों की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा		2225	घरेलू यात्रा व्यय	4.00	0.00
				विदेश में यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	4.00	0.08
				पेशेवर सेवाएं	8.00	0.00
				अन्य प्रभार	2.00	0.00
				कुल	18.00	0.08
		2225 का कुल			18.00	0.08
16	नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552 का कुल	2552	सामान्य	10.00	0.00

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2015-16	31.12.15 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
ग	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम					
17	अ.ज.जा. के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना					
	पीएमएस, पुस्तक बैंक तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों के उत्कृष्टता की उन्नयन की योजना/अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/अ.ज.जा. बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रवास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रें में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/उत्कृष्टता के संस्थानों की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा		2225	सामान्य	1.10	0.00
				पूंजी	5.00	0.00
				कुल	6.10	0.00
			3601	सामान्य	834.74	958.30
				पूंजी	88.48	0.00
				कुल	923.22	958.30
		2225 तथा 3601 का कुल			929.32	958.30
18	नॉर्थ ईस्ट के लिए एकमुश्त प्रावधान		2552	सामान्य	307.52	0.00
				पूंजी	161.70	0.00
		2552 का कुल			469.22	0.00
	क+ख+ग का कुल				4792.19	3621.96

अनुलग्नक-4क

लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
	भारत	कुल	104545716	52547215	51998501
		ग्रामीण	94083844	47263733	46820111
		शहरी	10461872	5283482	5178390
1	जम्मू और कश्मीर	कुल	1493299	776257	717042
		ग्रामीण	1406833	730075	676758
		शहरी	86466	46182	40284
2	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
3	उत्तराखंड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
4	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
5	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
6	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
7	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
8	अरूणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
9	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
10	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
11	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
12	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
13	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
14	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
15	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
16	झारखंड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
17	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
18	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
19	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
20	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
21	दमन और दीव	कुल	15363	7771	7592
		ग्रामीण	7617	3843	3774

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
		शहरी	7746	3928	3818
22	दादर और नगर हवेली	कुल	178564	88844	89720
		ग्रामीण	150944	75049	75895
		शहरी	27620	13795	13825
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्ष्यद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पण: पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुद्दुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

अनुलग्नक-4ख

राज्य-वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. का %	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्रप्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	4,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर	1,25,41,302	14,93,299	11.9	1.4
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
15	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
16	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
17	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
18	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
19	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
20	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
21	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
23	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
24	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
25	तेलंगाना	11,97,74,755	92,05,00,01	7.7	8.8
26	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
27	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. का %	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का %
28	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
29	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
31	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32	दादर और नगर हवेली	3,43,709	1,78,564	52.0	0.2
33	दमन और दीव	2,43,247	15,363	6.3	0.0
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
35	लक्ष्यद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुद्दूचेरी	12,47,953	एनएसटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएचटी: कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है, एनए उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक-4ग

50% से अधिक तथा 25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले राज्य-वार जिले: जनगणना 2011

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. का प्रतिशत	50% से अधिक अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले	25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले
जम्मू और कश्मीर	12541302	1493299	11.9	1. कारगिल (86.9%) 2. लेह (लद्दाख) (71.8%)	1. पुंछ (36.9%) 2. राजौरी (36.2%) 3. रियासी (28.1%)
हिमाचल प्रदेश	6864602	392126	5.7	1. लाहौल तथा स्पीती (81.4%) 2. किन्नौर (57.9%)	1. चम्बा (26.1%)
राजस्थान	68548437	9238534	13.5	1. बांसवाड़ा (76.4%) 2. डूंगरपुर (70.8%) 3. प्रतापगढ़ (63.4%)	1. उदयपुर (49.7%) 2. सिरोही (28.2%) 3. दोसा (26.5%)
सिक्किम	610577	206360	33.8	1. उत्तर जिला (65.7%)	1. पश्चिम जिला (42.4%) 2. दक्षिण जिला (28.2%) 3. पूर्व जिला (27.7%)
अरूणाचल प्रदेश	1383727	951821	68.8	1. कुरूंगकुमे (98.6%) 2. अपर सुबनासिरी (93.9%) 3. पूर्वी कामेन (92.0%) 4. तिरप (87.9%) 5. लोअर सुबनसिरी (87.8%) 6. पश्चिम सियांग (82.6%) 7. अपर सियांग (80.6%) 8. अन्जाव (77.7%) 9. दीबांग वैली (71.2%) 10. पूर्व सियांग (70.5%) 11. त्वांग (69.7%) 12. पापुंपारे (66.4%) 13. पश्चिम कामेंग (55.2%)	1. लोअर दीबांग वैली (48.0%) 2. चांगलांग (36.3%) 3. लोहित (32.5%)
नागालैण्ड	1978502	1710973	86.5	1. त्वेंगसांग (97.1%) 2. जून्हेबोटो (97.0%) 3. किफिरे (96.5%) 4. लोंगलेंग (96.3%) 5. फेक (96.2%) 6. मॉन (95.2%) 7. बोखा (94.2%) 8. मोकोकचुंग (91.7%) 9. पेरेन (88.5%) 10. कोहिमा (83.9%) 11. दीमापुर (59.1%)	....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. का प्रतिशत	50% से अधिक अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले	25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले
मणिपुर	2855794	1167422	40.9	1. तेमेंगलांग (95.7%) 2. उखरूल (94.4%) 3. चुराचन्दपुर (92.9%) 4. चन्डेल (89.0%) 5. सेनापति (87.5%)	....
मिजोरम	1097206	1036115	94.4	1. चम्फाई (98.2%) 2. सेरहित (96.8%) 3. साइहा (96.6%) 4. लावांगव्लाई (95.3%) 5. लुंगलेई (95.1%) 6. मामित (95.0%) 7. आइजोल (93.3%) 8. कोलासिब (87.7%)	....
त्रिपुरा	3673917	1166813	31.8	1. ढालाई (55.7%)	1.दक्षिण त्रिपुरा (39.4%) 2. उत्तर त्रिपुरा (25.9%) 3.पश्चिम त्रिपुरा (25.0%)
मेघालय	2966889	2555861	86.1	1. पश्चिम खासी हिल्स (97.8%) 2. पूर्व गारो हिल्स (96.0%) 3. जैन्तिया हिल्स (95.2%) 4. दक्षिण गारो हिल्स (94.3%) 5. रिभोई(88.9%) 6. पूर्व खासी हिल्स (80.1%) 7. पश्चिमगोरा हिल्स (73.7%)	....
असम	31205576	3884371	12.4	1. दिमा हसाओं (70.9%) 2. काबी आंगलोग (56.3%)	1. धमाजी (47.4%) 2. चिराग (37.1%) 3. बक्सा (34.8%) 4. उदलगुरी (32.1%) 5. कोकराभार (31.4%)
झारखंड	32988134	8645042	26.2	1. खुंटी (73.3%) 2. सिमडेगा (70.8%) 3. गुमला (68.9%) 4. पश्चिमी सिंहभूम (67.3%) 5. लोहारडागा (56.9%)	1. लातेहर (45.5%) 2. दुमका (43.2%) 3. पाकुर (42.1%) 4. रांची (35.8%) 5. सरायकेला-खरसावन (35.2%) 6. जमतारा (30.4%) 7. पूवी सिंहभूम (28.5%) 8. साहिबगंज (26.8%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. का प्रतिशत	50% से अधिक अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले	25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले
ओडिशा	41974218	9590756	22.8	1. मयूर भंज (58.7%) 2. कलकानगिरी (57.8:) 3. रायगाडा (56.0%) 4. नवरंगपुर (55.8%) 5. गजापट्टी (54.3%) 6. कंधमाल (53.6%) 7. सुन्दरगढ़ (50.7%) 8. कोरापुट (50.6%)	1. केन्दूझर (45.4%) 2. देवगढ़ (35.3%) 3. संबलपुर (34.1%) 4. नवपाड़ा (33.8%) 5. झरसुगुडा (30.5%) 6. कालाहाडी (28.5%)
छत्तीसगढ़	25545198	7822902	30.6	1. बीजापुर (80.0%) 2. नारायणपुर (77.4%) 3. दक्षिणबस्तर दांतेवाड़ा (76.9%) 4. बस्तर (65.9%) 5. जशपुर (62.3%) 6. उत्तर बस्तर कांकेर (55.4%) 7. सरगुजा (55.1%)	1. कोरीया (46.2%) 2. कोरबा (40.9%) 3. रायगढ़ (33.8%) 4. महासुमुन्द (27.1%) 5. राजनन्दगांव (26.4%) 6. धमतारी (26.0%)
मध्य प्रदेश	72626809	15316784	21.1	1. अलोराजपुर (89.0%) 2. झाबुआ (87.0%) 3. बरवाडी (69.4%) 4. डिडोरी (64.7%) 5. मांडला (57.9%) 6. धार (55.9%)	1. अनूपपुर (47.9%) 2. उमरिया (46.6%) 3. शाहदोल (44.7%) 4. बैतुल (42.3%) 5. खरगोन (पश्चिम निमार) (39.0%) 6. सियोनी (37.7%) 7. छिन्दवाड़ा (36.8%) 8. खाण्डवा पूर्व निमार) (35.1%) 9. सिंगरौली (32.6%) 10. बुरहानपुर (30.4%) 11. रतलाम (28.2%) 12. हरदा (28.0%) 13. सीधी (27.8%)
गुजरात	60439692	8917174	14.8	1. डंग्स (94.6%) 2. तापी (84.2%) 3. नर्मदां (81.6%) 4. दोहाद (74.3%) 5. वलसाड (52.9%)	1. नवसारी (48.1%) 2. भड़ौच (31.5%) 3. पंचमहल (30.2%) 4. वडोदरा (27.6%)
दादर और नगर हवेली	343709	178564	52.0	1. दादर और नगर हवेली (52.0%)	.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. का प्रतिशत	50% से अधिक अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले	25% से 50% के बीच अ.ज.जा. की जनसंख्या वाले जिले
महाराष्ट्र	112374333	10510213	9.4	1. नन्दुरबार (69.3%)	1. गढ़चिरौली (38.7%) 2. धुले (31.6%) 3. नासिक (25.6%)
तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	-	1. खम्मम (27.4%)
लक्ष्यद्वीप	64473	61120	94.8	1. लक्षद्वीप (94.8%)	-
अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह	380581	28530	7.5	1. निकोबार (64.3%)	-
जिला की कुल संख्या				90	62
अ.ज.जा की कुल जनसंख्या				33378919 (3.34 बत)	25910209 (2.59 बत)
अ.ज.जा की कुल जनसंख्या का प्रतिशत				31.93%	24.78%

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4घ

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग सबंधी सरंचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन एवं दीव	947	952	928	977	982	972
दादर और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्रप्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्ष्यद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अण्डमान और नागालैण्ड द्वीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ड.

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जगणना 2011

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति			पुरूष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा	अंतर	सभी	अ.ज.जा	अंतर	सभी	अ.ज.जा	अंतर
	भारत	**73.0**	**59.0**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.3**
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.4	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70.0	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85.0	1.5	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58.0	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80.0	-0.5	82.8	83.1	-0.4	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.4	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.4
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.2	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.2	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76.0	75.5	0.4	72.9	73.5	-0.7
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79.0	-1.1	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.3	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.7	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.6	81.6	63.7	17.9	64.0	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.5
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.8	78.7	59.6	19.2	59.2	41.5	17.8
20	गुजरात	78.0	62.5	15.6	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन एवं दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादर और नगर हवेली	76.2	61.9	14.4	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14.0
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57.0	18.8
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75.0	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्रप्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60.0	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.3	68.1	53.0	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.5	84.7	71.5	13.1
28	लक्ष्यद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.2
29	केरल	94.0	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21.0
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25.0	73.4	46.8	26.6
31	अण्डमान और नागालैण्ड द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पणः पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुद्दुचेरी में कोई अ.ज.जा अधिसूचित नहीं है।

अनुलग्नक-4च

अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक स्तर-स्नातक तथा उससे ऊपर

क्र. सं.	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्नातक तथा उससे ऊपर	स्नातक तथा उससे ऊपर की कुल प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातकोत्तर डिग्री	डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष तकनीकी डिग्री अथवा डिप्लोमा					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	1763879	64.08	18.28	5.92	1.94	0.36	0.11	9.27	0.04
1	जम्मू और कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखंड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखंड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादर और नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01

क्र. सं.	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र		स्नातक तथा उससे ऊपर की कुल प्रतिशतता (कॉलम 3)							
		कुल स्नातक तथा उससे ऊपर	तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातकोत्तर डिग्री	डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष तकनीकी डिग्री अथवा डिप्लोमा					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	आंध्रप्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्ष्यद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अण्डमान और नागालैण्ड द्वीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

*शिक्षण-जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4छ

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एस.सी., पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी.) की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या	(31 मार्च, 2015 तक)								
			उप केन्द्र			पी.एच.सी.			सी.एच.सी.		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्रप्रदेश	2293102	764	691	73	114	130	**	28	11	17
2	अरुणाचल प्रदेश	789846	263	286	**	39	117	**	9	52	**
3	असम	3665405	1221	1283	**	183	283	**	45	31	14
4	बिहार	1270851	423	23	400	63	6	57	15	0	15
5	छत्तीसगढ़	7231082	2410	2950	**	361	411	**	90	85	5
6	गोवा	87639	29	66	**	4	8	**	1	1	0
7	गुजरात	8021848	2673	2775	**	401	382	19	100	70	30
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	374392	124	104	20	18	43	**	4	10	**
10	जम्मू और कश्मीर	1406833	468	307	161	70	48	22	17	11	6
11	झारखंड	7868150	2622	2333	289	393	160	233	98	104	**
12	कर्नाटक	3429791	1143	321	822	171	64	107	42	7	35
13	केरल	433092	144	831	**	21	137	**	5	12	**
14	मध्य प्रदेश	14276874	4758	2952	1806	713	332	381	178	104	74
15	महाराष्ट्र	9006077	3002	2057	945	450	315	135	112	67	45
16	मणिपुर	791126	263	226	37	39	45	**	9	7	2
17	मेघालय	2136891	712	428	284	106	110	**	26	27	**
18	मिजोरम	507467	169	370	**	25	57	**	6	9	**
19	नागालैंड	1306838	435	396	39	65	128	**	16	21	**
20	ओडिशा++	8994967	2998	2689	309	449	426	23	112	135	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	8693123	2897	1574	1323	434	210	224	108	63	45
23	सिक्किम	167146	55	48	7	8	12	**	2	0	2
24	तमिलनाडु	660280	220	564	**	33	66	**	8	20	**
25	तेलंगाना	2939027	979	698	281	146	93	53	36	23	13

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या	(31 मार्च, 2015 तक)								
			उप केन्द्र			पी.एच.सी.			सी.एच.सी.		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
26	त्रिपुरा	1117566	372	499	**	55	45	10	13	7	6
27	उत्तराखंड	264819	88	176	**	13	10	3	3	8	**
28	उत्तर प्रदेश	1031076	343	NA	NA	51	NA	NA	12	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल	4855115	1618	3195	**	242	304	**	60	108	**
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	26715	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	150944	50	56	**	7	7	0	1	1	0
33	दमन और दीव	7617	2	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्ष्यद्वीप#(2)	13463	4	14	**	1	4	**	0	3	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारत	**93819162**	**31257**	**27958**	**6796**	**4676**	**3957**	**1267**	**1156**	**998**	**309**

टिप्पण: जनगणना 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानकों को उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। कुछ राज्यों में विद्यमान अधिकता को अनदेखा करते हुए कमी के राज्य-वार आंकड़ों को जोड़ते हुए अखिल भारतीय कमी की तैयार की गयी है। एस.सी.: उपकेन्द्र, पीएचसी: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सी.एच.सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एन.ए.- आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आर: आवश्यक; पी: तैनात; एस: कमी; **: आधिक्य, *: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है; #: राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं, ++: राज्यों ने सूचित किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में 23 अन्य अस्पताल प्रचलन में हैं जो पीएचसी स्तर की सुविधाओं के समकक्ष हैं, 2 जनसंख्या 80 हजार के मानक (सीएचसी) से कम है। ^: वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़े दोहराये गये हैं, +: वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराये गये हैं।

अनुलग्नक–4ज

जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		आवश्यक[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर1-पी)
1	आंध्रप्रदेश	821	1873	1438	435	*
2	अरुणाचल प्रदेश#	403	एनए	298	एनए	105
3	असम++	1566	568	1405	**	161
4	बिहार@	29	24	24	0	5
5	छत्तीसगढ़	3361	3097	2745	352	616
6	गोवा	74	68	68	0	6
7	गुजरात##	3157	3607	3180	427	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	147	104	76	28	71
10	जम्मू और कश्मीर^	355	250	790	**	**
11	झारखंड	2493	4826	4713	113	**
12	कर्नाटक	385	321	242	79	143
13	केरल	968	970	970	0	**
14	मध्य प्रदेश	3284	3332	4020	**	**
15	महाराष्ट्र	2372	4532	6833	**	**
16	मणिपुर^^	271	560	462	98	**
17	मेघालय#	538	1118	959	**	**
18	मिजोरम#	427	388	670	**	**
19	नागालैंड #	524	599	888	**	**
20	ओडिशा	3115	3089	3396	**	**
21	पंजाब	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1784	3754	2246	1508	**
23	सिक्किम***	60	83	97	**	**
24	तमिलनाडु	630	633	556	77	74
25	तेलंगाना	791	1158	1158	0	**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		आवश्यक[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर1-पी)
26	त्रिपुरा	544	321	319	2	225
27	उत्तराखंड	186	178	178	0	8
28	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29	पश्चिम बंगाल+	3499	2576	2506	70	993
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	45	87	86	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	63	36	107	**	**
33	दमन और दीव	5	5	5	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्ष्यद्वीप#	18	48	48	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
कुल		**31915**	**38205**	**40483**	**3190**	**2407**

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2015 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पण: +वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराये गये, ##वर्ष 2011 के लिए आंकड़े दोहराये गए, #राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं,

*** वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया गया ** आधिक्य, [1] प्रति उपकेन्द्र तथा पीएचसी के लिए एक

^ वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया गया, * राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है।

^^ वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़े दोहराये गये, ++वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया गया

एनए: उपलब्ध नहीं, पीएचसी: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

अनुलग्नक-4 झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी तथा सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		आवश्यक[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर1-पी)
1	आंध्रप्रदेश	207	295	261	34	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	481	NA	319	NA	162
3	असम	500	NA	609	NA	**
4	बिहार@	6	8	4	4	2
5	छत्तीसगढ़	1006	1081	578	503	428
6	गोवा	15	41	45	**	**
7	गुजरात##	872	1703	1474	229	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	113	63	41	22	72
10	जम्मू और कश्मीर	125	NA	185	NA	**
11	झारखंड	888	368	577	**	311
12	कर्नाटक	113	144	93	51	20
13	केरल^	221	235	282	**	**
14	मध्य प्रदेश	1060	1033	555	478	505
15	महाराष्ट्र	784	684	646	38	138
16	मणिपुर^	94	142	119	23	**
17	मेघालय#	299	413	413	0	**
18	मिजोरम#	120	NA	224	NA	**
19	नागालैंड #	275	117	378	**	**
20	ओडिशा^	1371	318	383	**	988
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	651	1116	888	228	**
23	सिक्किम	12	NA	12	NA	0
24	तमिलनाडु	206	425	320	105	**
25	तेलंगाना	254	216	190	26	64
26	त्रिपुरा	94	377	331	46	**
27	उत्तराखंड^	66	36	51	**	15
28	उत्तर प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		आवश्यक[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर1-पी)
29	पश्चिम बंगाल##	1060	334	239	95	821
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11	33	33	0	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	14	8	37	**	**
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्ष्यद्वीप#	25	52	52	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
ज्वजंस		10943	9242	9339	1882	3526

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2015 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराये गये   *राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है।

^ वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़े दोहराये गये, #राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं, @ वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराये गए

[1] प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक तथा प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 7

अनुलग्नक-4ञ

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		आवश्यक[1] (आर1)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर1-पी)
1	आंध्रप्रदेश	130	291	270	21	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	117	एनए	102	एनए	15
3	असम	283	एनए	200	एनए	83
4	बिहार@	6	1	1	0	5
5	छत्तीसगढ़	411	366	156	210	255
6	गोवा	8	19	18	1	**
7	गुजरात+	382	679	271	408	111
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	43	60	45	15	**
10	जम्मू और कश्मीर ++	48	38	76	**	**
11	झारखंड	160	160	160	0	0
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	227	229	**	**
14	मध्य प्रदेश	332	360	299	61	33
15	महाराष्ट्र	315	370	352	18	**
16	मणिपुर^	45	130	75	55	**
17	मेघालय #	110	128	114	14	**
18	मिजोरम #	57	152	49	103	8
19	नागालैंड #	128	108	133	**	**
20	ओडिशा^	426	426	221	205	205
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	210	293	245	48	-35
23	सिक्किम##	12	20	15	5	**
24	तमिलनाडु	66	128	98	30	**
25	तेलंगाना	93	211	196	15	**
26	त्रिपुरा	45	135	135	0	**
27	उत्तराखंड	10	10	12	**	**
28	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29	पश्चिम बंगाल +	304	909	765	144	**
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4	9	6	3	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	7	6	8	**	**
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्ष्यद्वीप#	4	9	9	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
कुल		**3957**	**5309**	**4298**	**1382**	**706**

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2015 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पण: +वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराये गये, ++ वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया गया, #राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं, एनए: उपलब्धा नहीं, @ वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराये गए, *: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है, **: आधिक्य, ##वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया गया

[1] प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक

अनुलग्नक-4ट

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत							
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर ऊर्जा		अन्य	
	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा	सभी
भारत	23,329,105	246,692,667	51.7	67.2	45.6	31.4	1.1	0.4	1.6	0.9
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0	12.9	4.1
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1	0.4	0.3
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2	0.8	0.7
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6	1.7	1.5
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5	1.4	0.8
बिहार	423,568	18,940,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6	0.9	0.6
सिक्किम	46,013	128,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2	0.8	0.7
अरुणाचल प्रदेश	172,913	261,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9	17.5	13.0
नागालैंड	349,022	399,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3	2.6	2.5
मणिपुर	173,757	507,152	57.8	68.3	32.0	25.1	4.9	1.9	5.3	4.6
मिजोरम	211,626	221,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3	0.9	0.9
त्रिपुरा	259,322	842,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9	0.7	0.6
मेघालय	456,683	538,299	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8	1.4	1.3
असम	887,226	6,367,295	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8	0.6	0.4
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2	1.1	0.8
झारखंड	1,718,359	6,181,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7	0.4	0.4
ओडिशा	2,240,142	9,661,085	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4	1.5	1.3
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9	1.0	0.6
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3	0.8	0.5
गुजरात	1,837,844	12,181,718	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1	2.0	1.4
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.8	0.1
दादर और नगर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0	0.7	0.4
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2	2.8	1.4
आंध्रप्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2	0.5	0.3
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3	0.6	0.4
कर्नाटक	936,995	13,179,911	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2	1.0	0.6
गोवा	33,662	322,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2	1.1	0.5
लक्ष्यद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
केरल	136,006	7,716,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2	0.5	0.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1	1.3	0.6
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1	2.1	0.8

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ठ

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मेला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना		मकान के अंदर स्नानघर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		गन्दे पानी की निकासी से जुड़े हुए (ढकी हुई नाली)	
	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	*14*	*15*
भारत	23,329,105	246,692,667	22.6	46.9	0.1	0.3	77.4	53.1	74.7	49.8	17.3	42.0	6.1	18.1
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	26.7	51.2	5.2	8.9	73.3	48.8	71.1	46.1	23.7	52.4	3.5	12.6
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	62.0	69.1	0.2	0.0	38.0	30.9	36.7	29.7	57.0	67.5	21.5	24.8
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	46.1	65.8	0.1	0.2	53.9	34.2	51.5	33.1	42.5	60.5	14.4	19.0
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	7.9	35.0	0.0	0.0	92.1	65.0	91.7	64.3	7.5	36.8	2.7	10.7
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	35.5	35.6	0.5	1.0	64.5	64.4	62.3	63.0	27.3	29.0	14.7	12.9
बिहार	423,568	18,940,629	13.7	23.1	0.1	0.1	86.3	76.9	85.0	75.8	7.0	11.3	4.4	6.7
सिक्किम	46,013	128,131	85.9	87.2	0.0	0.0	14.1	12.8	12.8	11.3	61.8	65.1	12.1	14.6
अरुणाचल प्रदेश	172,913	261,614	58.4	62.0	0.4	0.4	41.6	38.0	38.8	34.8	24.7	29.0	5.2	6.0
नागालैंड	349,022	399,965	74.8	76.5	0.2	0.2	25.2	23.5	17.8	16.5	51.2	52.4	4.2	4.8
मणिपुर	173,757	507,152	82.3	89.3	0.9	2.0	17.7	10.7	16.4	8.9	27.3	31.1	3.7	4.1
मिजोरम	211,626	221,077	91.9	91.9	0.1	0.1	8.1	8.1	6.6	6.6	65.4	65.2	12.9	13.1
त्रिपुरा	259,322	842,781	63.7	86.0	0.2	0.1	36.3	14.0	30.3	11.5	6.6	18.9	1.7	3.7
मेघालय	456,683	538,299	61.0	62.9	0.4	0.4	39.0	37.1	36.2	34.3	30.7	33.3	4.5	5.7
असम	887,226	6,367,295	43.3	64.9	0.2	0.3	56.7	35.1	54.0	33.2	13.8	24.5	2.0	3.6
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	24.4	58.8	0.3	0.6	75.6	41.2	73.2	38.6	9.6	27.1	3.0	9.2
झारखंड	1,718,359	6,181,607	8.3	22.0	0.0	0.0	91.7	78.0	90.8	77.0	5.2	16.5	1.8	7.2
ओडिशा	2,240,142	9,661,085	7.1	22.0	0.1	0.3	92.9	78.0	91.6	76.6	3.4	14.1	1.1	4.3
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	14.8	24.6	0.0	0.0	85.2	75.4	84.6	74.0	4.1	14.8	1.9	5.3
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	8.5	28.8	0.0	0.0	91.5	71.2	90.9	70.0	5.4	25.8	1.9	9.8
गुजरात	1,837,844	12,181,718	24.3	57.3	0.0	0.0	75.7	42.7	73.5	40.4	19.9	56.5	10.8	37.3
दमन एवं दीव	3,334	60,381	36.9	78.2	0.0	0.0	63.1	21.8	54.1	10.5	40.0	70.7	22.7	39.0
दादर और नगर हवेली	33,367	73,063	16.9	54.7	0.2	0.2	83.1	45.3	80.8	40.0	14.2	51.7	4.2	27.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	30.1	53.1	0.0	0.0	69.9	46.9	59.7	34.0	37.2	64.3	15.7	33.2
आंध्रप्रदेश	719312	12603872	19.1	47.7	0.2	0.1	80.9	52.3	78.1	49.0	35.8	66.2	6.1	16.1
तेलंगाना	840723	8420662	19.9	52.4	0.4	0.3	80.1	47.6	78.0	46.4	37.6	68.6	10.2	29.7
कर्नाटक	936,995	13,179,911	28.7	51.2	0.0	0.1	71.3	48.8	66.9	45.0	56.7	74.8	13.7	26.1
गोवा	33,662	322,813	59.9	79.7	0.0	0.0	40.1	20.3	36.3	16.4	52.2	81.4	17.0	43.7
लक्ष्यद्वीप	10,028	10,703	98.3	97.8	0.0	0.0	1.7	2.2	1.5	1.8	96.6	96.0	10.5	11.4
केरल	136,006	7,716,370	71.4	95.2	0.0	0.0	28.6	4.8	25.7	3.8	41.5	81.2	9.2	25.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	34.7	48.3	0.1	0.1	65.3	51.7	60.3	45.7	34.3	49.9	21.1	25.4
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	88.2	70.1	0.0	0.0	11.8	29.9	11.5	27.5	85.1	63.5	9.5	7.4

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ड

जनगणना की शर्त वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ास्ट				ैबीमकनसमक ज्तपइम			
		कुल मकान	अच्छे मकान	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की प्रतिशतता	मकान में अलग रसोई की प्रतिशतता	कुल मकान	अच्छे मकान	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की प्रतिशतता	मकान में अलग रसोई की प्रतिशतता
00	भारत	246,692,667	53.1	46.9	61.3	23,329,105	40.6	22.6	53.7
01	जम्मू और कश्मीर	2,015,088	54.1	51.2	85.7	262,419	32.8	26.7	73.6
02	हिमाचल प्रदेश	1,476,581	72.4	69.1	88.2	92,017	68.4	62.0	85.4
05	उत्तराखंड	1,997,068	66.8	65.8	70.1	63,322	58.2	46.1	74.3
08	राजस्थान	12,581,303	51.0	35.0	50.8	1,836,014	31.3	7.9	22.1
09	उत्तर प्रदेश	32,924,266	42.8	35.6	40.7	512,649	40.6	35.5	43.0
10	बिहार	18,940,629	36.1	23.1	33.5	423,568	30.6	13.7	34.4
11	सिक्किम	128,131	56.5	87.2	90.2	46,013	54.7	85.9	91.7
12	अरुणाचल प्रदेश	261,614	51.8	62.0	89.2	172,913	54.5	58.4	89.4
13	नागालैंड	399,965	52.4	76.5	96.0	349,022	52.9	74.8	96.8
14	मणिपुर	507,152	54.1	89.3	93.3	173,757	39.2	82.3	88.3
15	मिजोरम	221,077	62.3	91.9	83.8	211,626	62.4	91.9	83.7
16	त्रिपुरा	842,781	54.2	86.0	85.9	259,322	52.7	63.7	75.9
17	मेघालय	538,299	48.1	62.9	90.7	456,683	47.8	61.0	91.2
18	असम	6,367,295	32.8	64.9	88.3	887,226	32.4	43.3	89.4
19	पश्चिम बंगाल	20,067,299	40.9	58.8	60.9	1,273,423	27.5	24.4	48.2
20	झारखंड	6,181,607	43.4	22.0	39.4	1,718,359	36.6	8.3	34.5
21	ओडिशा	9,661,085	29.5	22.0	62.9	2,240,142	19.1	7.1	59.6
22	छत्तीसगढ़	5,622,850	46.6	24.6	56.1	1,747,575	43.1	14.8	54.9
23	मध्य प्रदेश	14,967,597	52.3	28.8	46.8	3,213,683	38.8	8.5	36.6
24	गुजरात	12,181,718	67.3	57.3	72.3	1,837,844	51.2	24.3	65.0
25	दमन एवं दीव	60,381	68.1	78.2	65.9	3,334	57.4	36.9	83.0
26	दादर और नगर हवेली	73,063	66.7	54.7	84.4	33,367	54.4	16.9	84.8
27	महाराष्ट्र	23,830,580	64.1	53.1	72.7	2,445,645	48.0	30.1	60.4
28	आंध्रप्रदेश	12603872	71.1	47.7	55.6	719312	57.7	40.3	19.1
29	तेलंगाना	8420662	67.8	52.4	52.2	840723	58.0	35.7	19.9
30	कर्नाटक	13,179,911	60.1	51.2	89.3	936,995	50.0	28.7	82.8
31	गोवा	322,813	76.1	79.7	92.9	33,662	68.6	59.9	90.2
32	लक्ष्यद्वीप	10,703	78.7	97.8	95.5	10,028	78.9	98.3	96.6
33	केरल	7,716,370	66.3	95.2	96.7	136,006	38.4	71.4	89.6
34	तमिलनाडु	18,493,003	70.2	48.3	76.5	384,713	59.8	34.7	64.3
35	पुद्दूचेरी	301,276	75.0	68.4	77.5	-	-	-	-
36	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	93,376	66.5	70.1	94.1	7,743	86.5	88.2	97.9

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक-4ढ

पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों (सभी) की कुल संख्या			अ.ज.जा के परिवार		
	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर
भारत	46.6	35.8	17.6	19.7	46.7	33.6
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्रप्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर और नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन और दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू और कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखंड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्ष्यद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	14.3	51.0	34.6
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुद्दूचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखंड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक-4ण

वर्ष 2014 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं तथा दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं	अखिल भारतीय कुल का प्रतिशत भाग	अ.ज.जा. की जनसंख्या* (लाख में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान
1	आंध्रप्रदेश	627	5.48	26	23.8	4
2	अरुणाचल प्रदेश#	1	0.01	10	0.1	24
3	असम	1	0.01	39	0.0	-
4	बिहार	77	0.67	13	5.8	10
5	छत्तीसगढ़	721	6.30	78	9.2	9
6	गोवा	6	0.05	1	4.0	14
7	गुजरात	229	2.00	89	2.6	16
8	हरियाणा	0	0.00	0	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	3	0.03	4	0.8	21
10	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	15	0.0	-
11	झारखंड	432	3.77	86	5.0	11
12	कर्नाटक	487	4.25	42	11.5	8
13	केरल	135	1.18	5	27.8	2
14	मध्य प्रदेश	2279	19.90	153	14.9	6
15	महाराष्ट्र	443	3.87	105	4.2	12
16	मणिपुर	2	0.02	9	0.2	23
17	मेघालय	1	0.01	26	0.0	-
18	मिजोरम	1	0.01	10	0.1	24
19	नागालैंड	0	0.00	17	0.0	-
20	ओडिशा	1259	10.99	96	13.1	7
21	पंजाब	0	0.00	0	-	-
22	राजस्थान	3952	34.51	92	42.8	1
23	सिक्किम	10	0.09	2	4.8	12
24	तमिलनाडु	18	0.16	8	2.3	17
25	तेलंगाना	569	4.97	33	17.3	5
26	त्रिपुरा	18	0.16	12	1.5	20
27	उत्तर प्रदेश	24	0.21	11	2.1	18
28	उत्तराखंड	1	0.01	3	0.3	22
29	पश्चिम बंगाल	141	1.23	53	2.7	15
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7	0.06	0.3	24.5	3
31	चंडीगढ़	0	0.00	0	-	-
32	दादर और नगर हवेली#	3	0.03	1.8	1.7	19
33	दमन और दीव	0	0.00	0.2	0.0	-
34	दिल्ली	2	0.02	0	-	-
35	लक्ष्यद्वीप#	0	0.00	0.6	0.0	-
36	पुद्दुचेरी	2	0.02	0	-	-
	अखिल भारत	11451	100.00	1042.8	11.0	-

स्रोत : वर्ष 2014 में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक-4प

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की गरिमा को भंग करने के लिए उन पर किए गए हमले (भा.द.सं. की धारा 354)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं (आई)	पीड़ित (वी)	अ.ज.जा. के प्रति किए गए अपराधों की दर (आर)
1	आंध्रप्रदेश	29	29	1.1
2	अरुणाचल प्रदेश#	0	0	0.0
3	असम	1	3	0.0
4	बिहार	1	1	0.1
5	छत्तीसगढ़	66	71	0.8
6	गोवा	0	0	0.0
7	गुजरात	17	17	0.2
8	हरियाणा	0	0	-
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.0
11	झारखंड	5	5	0.1
12	कर्नाटक	9	11	0.2
13	केरल	26	26	5.4
14	मध्य प्रदेश	442	442	2.9
15	महाराष्ट्र	118	118	1.1
16	मणिपुर	1	1	0.1
17	मेघालय	0	0	0.0
18	मिजोरम	0	0	0.0
19	नागालैंड	0	0	0.0
20	ओडिशा	40	42	0.4
21	पंजाब	0	0	-
22	राजस्थान	51	51	0.6
23	सिक्किम	1	1	0.5
24	तमिलनाडु	0	0	0.0
25	तेलंगाना	41	41	1.2
26	त्रिपुरा	0	0	0.0
27	उत्तर प्रदेश	0	0	0.0
28	उत्तराखंड	0	0	0.0
29	पश्चिम बंगाल	14	14	0.3
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.0
31	चंडीगढ़	0	0	-
32	दादर और नगर हवेली#	0	0	0.0
33	दमन और दीव	0	0	0.0
34	दिल्ली	0	0	-
35	लक्ष्यद्वीप#	0	0	0.0
36	पुद्दुचेरी	1	1	-
	अखिल भारत	863	874	0.8

स्रोत : वर्ष 2014 में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक 5क

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 (सी.ओ. 22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर,उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962 (सी.ओ. 65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1967 (सी.ओ. 78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 (सी.ओ. 88)	23.7.1970	नागालैंड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन)अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र

17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सीओ 111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सीओ 142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1991 (1991 का 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़
23.	उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
24	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार तथा झारखण्ड
25.	संशोधन (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
26.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 02)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कनार्टक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34	आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-5ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो, गदाब, गुतोब, गडाबा, कालायी, गडाबा, परांगी, गडाबा, कठेरा, गडाबा, कापु, डाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, मेनिती, कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुटटा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला, कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश- निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, *तारोंन*
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा	(xii) होंगसुंग	(xxxii) सितल्होउ
2. दिमसा, कचारी	(xiii) हरंखवाल, रंगखोल,	(xxxiii) सुक्ते
3. गारो	(xiv) जोगबी	(xxxiv) थादो
4. हजोंग	(xv) खाओचुंग	(xxxv) थांगनगेऊ
5. हमार	(xvi) खावाथलांग, खोतालोंग	(xxxvi) उइबुह
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्	(xvii) खेलमा	(xxxvii) वाइफेइ
	(xviii) खोल्हू	8. लाखेर
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-	(xix) किपजेन	9. मान (ताई बोलने वाले)
(i) बिआत, बिएत	(xx) कुकी	10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
(ii) चांगसान	(xxi) लेगथांग	
(iii) चोंगलाइ	(xxii) ल्हांगम	11. करबी
(iv) डुंगेल,	(xxiii) ल्होउजेम	
	(xxiv) ल्होउवुन	12. कोई भी नागा जनजाति
(v) गमाल्हू	(xxv) लुपहेंग	13. पावी
(vi) गंगते	(xxvi) मांग जेल	14. सिंथेग
(vii) गुइते,	(xxvii) मिसाओ	15. लालुंग
(viii) हन्नेगं	(xxviii) रियांग	
(ix) हाओकिप, हाउपिट,	(xxix) साइरहेम	
(x) हओलंई	(xxx) सेलनाम	
(xi) हेंगना	(xxxi) सिंगसन	

II.असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन	6. लालुंग	11. हजोंग
2. बोरो, बोरोकचारी	7. मेच,	12. सिंगफो
3. देओरी	8. मिरि	13. खम्पती गारो
4. होजाइ	9. राभा	
5. कचारी, सोनावाल	10. दीमासा	

बिहार

1. असुर, अगारिया	12. गोंड	23. महली
2. बइगा	13. गोरइत	24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
3. बंजारा	14. हो	
4. बाथूडी	15. करमाली	25. मुंडा, पतार
5. बेदिया	16. खारिया, घेलकी खारिया, दुघ खारिया, हिल खारिया	26. ओरान, धानगर (ओरांव)
6. हटा दिया है		27. परहइया
7. बिनझिया	17. खारवार	28. सन्ताल
8. बिरहोर	18. खोंड	29. सउरिया पहारिया
9. बिरजिया	19. किसान, नगेशिया	30. सवर
10. चेरो	20. कोरा, मुडी-कोरा	31. कवार
11. चिक बारिक	21. कोरवा	32. कोल
	22. लोहारा, लोहरा	33. थारू

छत्तीसगढ़		
1. अगारिया 2. अन्ध 3. बैगा 4. भैना	5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो 6. भत्रा 7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया	8. भील मीना 9. भून्जिया 10. बीअर, बीयार 11. बीन्जवार 12. बिरहुल, बिरहोर
1. डामोर, डामारिया 2. धँवर 3. गडाबा, गाडबा 4. गोंड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, लंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कूचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मारिया, दरोई 5. हल्बा, हल्बी 6. कमार	7. करकु 8. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री 9. खैरवार, कोन्दार 10. खैरिया 11. कोन्ध, खोन्द, कन्ध 12. कोल 13. कोलम 14. कोरकू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया 15. कोरवा, कोड़ाकू, पहाड़ी कोरवा 16. मांझी 17. मझवार 18. मवासी 19. मुण्डा 20. नागेसिया, नागासिया 21. ओरान धानका, धानगाड 22. पाओ 23. परधान, पाथरी, सरोती 24. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (प) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा	25. और कोरिया जिले और (पप) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (पपप) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (पअ) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (अ) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (अप) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (अपप) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (अपपप) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील 26. परजा 27. सहारिआ, सहारिया सेहरिया,सोसिआ, सोर 28. साओन्ता, साउन्ता 29. साउर 30. सावार, सावारा 31. सोनर

गोवा		
1. धोदिया 2. दुबला (हलपती) 3. नैकदा (तालविया)	4. सिद्धी (नायका) 5. वरली 6. कुन्बी	7. गवडा 8. वेलिप

गुजरात		
1. बारदा	11. गामित गामता, गावित मावछी, पादवी	23. सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
2. बवाछा, बमाछा	12. गोंड राजगोंड	24. पटेलिया,
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)	13. कथोडी, कतकारी, ढोरकथोडी ढोरकतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी	25. पोमला
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वसावा, वसाए	14. कोकना, कोकनी कुकना	26. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)	15. हटा दिया गया	27. राथवा
6. चौधरी (सूरत और वलसाद जिलों में)	16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा	28. सिद्दी, सिद्दी बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुन्दरनगर जिलों में)
7. चौधरी	17. कुनबी (डांग जिले में)	29. हटा दिया गया
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी	18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका	30. वरली
9. धोदिया, धोदी	19. पधार	31. विटोला, कोतवालिया, बरोदिया
10. दुबला, तलावइया, हलपाती	20. हटा दिया गया	32. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
	21. परघी अदवीचिंचर	33. तडवी भील, बावरा, वसावे,
	22. फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और	34. पदवी

हिमाचल प्रदेश		
1. भोत, बोध	5. कनउरा, किन्नर	9. बेटा, बेडा
2. गद्दी	6. लाहउल	10. डोम्बा, गारा, जोबा
3. गुज्जर	7. पांगवाला	
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा	8. स्वांगला	

जम्मू और कश्मीर		
1. बालटी,	5. छांगपा	9. गुज्जर
2. बेदा	6. गारा	10. बकरवाल
3. बोत, बोतो	7. मोन	11. गद्दी
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, शिन	8. पुरिगपा	12. सिप्पी

झारखण्ड

1.	असुर, अगारिया	14.	करमाली	24.	मुंडा, पतार
2.	बैगा	15.	खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया	25.	उरांव, धानगर (ओरांव)
3.	बनजारा	16.	खारवार	26.	परहया
4.	बठूडी	17.	खोंड	27.	सन्थाल
5.	बेदिया	18.	किसान, नगेशिया	28.	सोरिया पहारिया
6.	बिंझिया	19.	कोरा, मुडी कोरा	29.	सवार
7.	बिरहोर	20.	कोरवा	30.	भूमिज
8.	बिरजिया	21.	लोहरा	31.	कवार
9.	चेरो	22.	महली	32.	कोल
10.	चिक बराइक	23.	मल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया		
11.	गोंड				
12.	गोरइत				
13.	हो				

कर्नाटक

1.	आदियान	18.	कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)	38.	नायकडा, नायक, चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
2.	बरदा	19.	कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि	39.	पल्लियन
3.	बवाचा, बामचा	20.	कट्टूनायकन	40.	पानियां,
4.	भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए	21.	कोकना, कोकनी, कूकना	41.	पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
5.	चेंचू, चेंचवार	22.	कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा	42.	पटेलिया
6.	चौधरा	23.	कोन्डा कापस	43.	रथावा
7.	दुबला, तालविया, हालपति	24.	कोरगा	44.	शोलगा
8.	गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी	25.	कोटा	45.	सोलिगारू
9.	गौड, नाइकपोड, राजगोंड,	26.	कोया, भीने कोया, राजकोया	46.	टोडा
10.	गौडालू	27.	कुड़िया, मेलाकुडि	47.	वारलि
11.	हक्किपिक्कि	28	कुरूबा (कूर्ग जिले में)	48.	वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
12.	हसलारू	29.	कुरूमान	49.	येरावा
13.	इरूलार,	30.	महा मलासर	50.	सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)
14.	इरूलिगा,	31.	मलाइकुडि		
15.	जेनू कुरूबा	32.	मालासर		
16.	काडू कुरूबा	33.	मलायेकान्डि		
17.	कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)	34.	मालेरू		
		35.	मराठा (कुर्ग जिले में)		
		36.	मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)		
		37.	मेडा, मेडारा, मेदारी, गोरिगा, बुरूद		

केरल

1. अदियन, 2. अरान्दन, अरांधान 3. इरावल्लन 4. हिल पुलाया, माला पुलायन कुरन्म्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन 5. इरूलार इरूलान 6. कदार, वायनाड कदार 7. हटा दिया गया 8. कनिकारन, कनिक्कार 9. कट्टूनायकन 10. कोच्चुवेलन 11. हटा दिया गया 12. हटा दिया गया 13. कोरगा 14. हटा दिया गया 15. कुदिया मेलाकुड़ि 16. कुरिच्छान, कुरिचियन 17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, माला कुरूमान	18. कुरूम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान 19. महा मालासर 20. मलाई आर्यान, माला आर्यन 21. मलाई पंडाराम 22. मलाई वेदान, मालावेदान 23. मालाकुरवन 24. मालासार 25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड़कर) 26. मालायरयार 27. मन्नान 28. मराति (कसार गौड जिले के होस दुर्ग और कसार गौड तालुका)	29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन 30. पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान 31. हटा दिया गया 32. हटा दिया गया 33. पानियान 34. उलादन, उलातन 35. उरली 36. माला वेतुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में) 37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान 38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान 39. चोलानैकान 40. माविलन 41. करीमपलान 42. वेटा कुरुमान 43. माला पनिक्कर

मध्य प्रदेश		
1. अगारिया 2. अन्ध 3. बैगा 4. भैना 5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो 6. भथरा 7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया 8. भील मीना 9. भून्जिया 10. बीअर, बीआर 11. बीन्जवार 12. बिरहुल, बिरहोर 13. डामोर, डामारिया 14. धँवर 15. गडाबा, गडबा 16. गोंडय अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धेबा, धुलिया, डोरलो, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया,	17. मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, वादी मरिया, दरोई 18. हल्बा, हल्बी 19. कमार 20. कोरकु 21. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री 22. (हटा दिया गया) 23. खैरवार, कोन्दार 24. खैरिया 25. कोन्ध, खोन्द, कन्ध 26. कोल 27. कोलम 28. कोरकु बोपची, मेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया 29. कोरवा, कोड़ाकू 30. माझी 31. मझवार 32. मवासी 33. हटा दिया गया 34. मुण्डा 35. नागेसिया, नागासिया 36. ओरान, घांका, धांगाद 37. पानिका (छतरपुर पन्ना,	38 रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील) 39. पाओ 40. प्रधान, पठारी, सरोटी 41. हटा दिया गया 42. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया ख(प) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी सिवनी जिलों में (पप) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (पपप) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (पअ) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (अ) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक (अप) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक (अपप) नरसिंहपुर जिला (अपपप) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में ,

43. परजा
44. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
45. साओन्ता, साउन्ता
46. साउर
47. सावार, सावारा
48. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. गोंड, राजगोंड, अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दांन्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   (i) बइते बिएते
   (ii) छंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (iv) डोउन्गेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होनसुंघ
   (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi) खवथलांग, खोथालांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवेन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थागंनगेऊ
   (xxxvi) उईबुह
   (xxxvii) वाइफेई, सहित
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   (i) बइतेथा बिएते
   (ii) छंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (vi) डोउन्गेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होंनसुघ
   (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi) खवथलांग या खोथालांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवेन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थांगनेऊ
   (xxxvi) उईबुह
   (xxxvii) वाइफेई,
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

नागालैंड		
1. नागा	3. कचारी	5. गारो
2. कुकी	4. मिकिर	

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गैदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंधा, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोंरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोधा, नोधा, लोधा
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान		
1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे 2. भील मीना 3. दामोर, दामारिया 4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी	5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त) 6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी 7. कोकना, कोकनी, कुकना 8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा	9. मीना 10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक 11. पटेलिया 12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

सिक्किम		
1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, ट	ारोमोप, योल्मो सहित) 2 लेपचा	3 लिम्बू 4 तमांग

तमिलनाडु		
1. आदियान 2. आरानादान 3. इरावल्लान 4. इरूलार 5. कादर 6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा) 7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में) 8. कनियान, कन्यान 9. कट्टनायकन 10. कोच्चुवेलन 11. कोंडा कापस 12. कोंडारेड्डी 13. कोरगा	14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर) 15. कुडिया, मेलाकुडी 16. कुरिच्छान 17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में) 18. कुरमांस 19. महा मलासर 20. मलाई आर्य 21. मलाइ पण्डाराम 22. मलाई वेदन 23. मलाक्कुरावन 24. मालासर 25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में) 26. मलायेकान्डी	27. मन्नान 28. मुदुगार, मुदुवान 29. मुत्थुवान 30. पल्लेयान 31. पल्लियान 32. पल्लियार 33. पनियान 34. शोलागा 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर) 36. यूराली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो
   गदाब, गुतोब
   गडाबा, कालायी
   गडाबा, परांगी
   गडाबा, कठेरा
   गडाबा, कापु
   गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड,
   कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या
   कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया
   कोन्ध, टिकिरिया कोंध, मेनिती,
   कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया,
   बारतिका, दुलिया, होल्वा,
   सनरोना,
   सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया,
   गुटटा कोया,
   कमारा कोया, मुसारा कोया,
   ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा,
   रश
   कोया, लिन्गधारी, कोया
   (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने
   कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. परजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी धोरा
26. रोना, रेना,
27. सवारस कपू सवारस, मालिया
   सवारस, खुट्टो सवारस,
28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
29. थोटी (अडिलाबाद, हैदराबाद,
   करीमनगर, खम्मम,
   महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा,
   निजामाबाद, वारंगल जिले में)
30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला
   येनादी, मांची येनादी, रेड्डी
   येनादी
31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा
   येरूकुला, कुंचापुरी
   येरूकुला, उप्पु येरूकुला
32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई,
   कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप,
   थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:–
   (i) बालते
   (ii) बेलालहुट
   (iii) छाल्या
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जांगतेइ
   (vii) खोरेंग
   (viii) खेपफोंग
   (ix) कुन्तेइ
   (x) लाइफांग
   (xi) लेन्तई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नामते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रांगचांग
   (xvi) रांगखोले
   (xvii) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

उत्तराखंड		
1. भोटिया 2. बुक्सा	3. जोनसारी 4. राजी	5. थारू

उत्तर प्रदेश		
1. भोतिया 2. बुक्सा 3. जन्नसारी 4. राजी 5. थरू 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)	7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में) 8. सहारिया (ललितपुर जिले में) 9. परहइया (सोनभद्र जिले में) 10. बइगा (सोनभद्रा जिले में) 11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)	12. अगारिया (सोनभद्र जिले में) 13. पतारी (सोनभद्र जिले में) 14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में) 15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल		
1. असुर 2. बइगा 3. बदिया, बेदिया 4. भूमिज 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो 6. विरहोर 7. बिरजिया 8. चकमा 9. छेरो 10. चिक बारिक 11. गारो 12. गोंड	13. गोरइत 14. हाजांग 15. हो 16. करमाली 17. खारवार 18. खोंड 19. किसान 20. कोरा 21. कोरवा 22. लेप्चा 23. लोधाा खेरिया, खारिया लोहार, लोहरा 24. माघ 25. महाली	26. माहली 27. मल पहारिया 28. मेच्छ 29. मरू 30. मुण्डा 31. नागेसिया 32. ओरान 33. परहाइया 34. रभा 35. सन्ताल 36. सउरिया पहरिया 37. सवार 38. लिम्बू (सुब्बा) 39. तमांग

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		
1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल	2. जारवास 3. निकोबारी 4. ओंगेस	5. सेंटाइनलीस 6. शोम पेन्स

दादर व नगर हवेली		
1. धोडिया 2. दुबला हालपति सहित 3. कठोडी	4. कोकना 5. कोली धोर कोलघा सहित	6. नइकदा या नायक 7. वारली

दमन व दीव
संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में : 1. धोडिया, 2. दुबला (हालपति), 3. नइकडा (तालावी), 4. सिद्दी (नायक), 5. वारली

लक्षद्वीप
सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :- लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।
स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक.5 ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश' (तेलंगाना सहित)

1. आचमपेट तालुका के 67 गांव जो निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका		
(1) बालमोर,	(27) अप्पापुर	(53) जगमरेड्डी पाल्लि
(2) कोदनांगोल	(28) मालापुर	(54) पेदरा
(3) बनाल	(29) जलालपैंटा	(55) वेंकेष्ठवरम
(4) बिलाकास	(30) पीमानपेण्टा	(56) चितलाम कुंटा
(5) धारावारभ	(31) रायलेट	(57) लाछमापुर
(6) अप्पाइपाली	(32) वेटीलापाली	(58) उदमेला
(7) रासुल छेरनुव	(33) पातुर बयाल	(59) मारेड्
(8) पुलेछेलमा	(34) भावीपैंटा	(60) इप्पालापाली
(9) मारलापया	(35) नारदी पेंटा	(61) मड्डीमाडाग
(10) बुर्ज गुंडाल	(36) तपासीपेंटा	(62) अक्काराम
(11) अगारला पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(63) अइनोल
(12) पुल्लाइपाली	(38) युल्लुकातरेव	(64) सिद्दापुर
(13) दुक्कान पेंटा	(39) तिम्मारेड्डीपाल्लि	(65) बमानपाली
(14) बिकिट पेंटा	(40) सारलापाल्लि	(66) गनपुरा
(15) कारकार पेंटा	(41) ततिगुण्डाल	(67) मानेवारपल्लि
(16) बोरामाछेरन्वू	(42) इल्पामायेहेना	
(17) येमेलापाया	(43) कोमान पेंटा	
(18) इरलापेंटा	(44) कोल्लामपेंटा	
(19) मुरारदीपेंटा	(45) मानानूर	
(20) तेरकालदारी	(46) माछाराम	
(21) वकारामामिदी पेंटा	(47) मलहामाम्डी	
(22) मेडी मानकल	(48) वेकेटेष्ठवरला बावी	
(23) पंडीबोरे	(49) अमराबाद	
(24) संगरी गुण्डल	(50) तिरमालपुर	
(25) लिंगबोर	(51) उपनुटोला	
(26) रामपुर	(52) मघवनपल्लि	

2. आदिलाबाद तालुका के 72 गांव जो निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका		
(1) मलाइ बोरगोवा	(28) उमारी	(55) खानापुर
(2) अनकानपुर	(29) मदनपुर	(56) खण्डाल
(3) जामुलाद्यारी	(30) अम्बूगांव	(57) तीपा
(4) लोकारी	(31) रूयेअडी	(58) हाती घोता
(5) वेंकेट	(32) सकानपुर	(59) करोदखुर्द
(6) तान्तोली	(33) दादगांव	(60) करोनी बुजर्ग
(7) सीतागोंटी	(34) कसलापुर	(61) सिंगापुर
(8) बुरनूर	(35) डोरली	(62) वुरानपुर
(9) नवगांव	(36) साहाजी	(63) नागराला
(10) पीपलदारी	(37) सांगवी	(64) बोदाद
(11) पारदी बुजुर्ग	(38) खोगदूर	(65) छांदपेल्ली
(12) यापाल गुदा	(39) कोबाई	(66) पीतगेन
(13) छिनछूघाट	(40) पोनाला	(67) येकोरी
(14) वानकोली	(41) छापराला	(68) सादारपुर
(15) कानपा	(42) मंगरोल	(69) वारूर
(16) अवसोदा बुरकी	(43) कोपा अरगूने	(70) रोहार
(17) मलकापुर	(44) सोअनखास	(71) तकली
(18) जारी	(45) खिडकी	(72) रामखाम
(19) पालसी बुजर्ग	(46) खासल खुर्द	
(20) आरिल खुर्द	(47) खासल बुजर्ग	
(21) नन्दगांव	(48) जामनी	
(22) वाघापुर	(49) बोरगांव	
(23) पालसीखुर्द	(50) सयेद पूर	
(24) लिंगी	(51) खारा	
(25) काफर देनी	(52) लोहारा	
(26) रतनापुर	(53) मारीगांव	
(27) कोसाइ	(54) छिछदारी	

3. किनवात तालुका के 72 गांव जो निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी
(2) बोदरी
(3) छिकली
(4) कामताला
(5) घोती
(6) मांडवा
(7) मेरेगांव
(8) मालबोर गांव
(9) पटोडा
(10) दहीगांव
(11) दोमेन घारी
(12) दरसांगी
(13) डिघरी
(14) सिंदगी
(15) कनकवाड़ी
(16) कोपरा
(17) मलाकवाडी
(18) निसपुर
(19) एन्डा
(20) पीपलगांव
(21) बलजा
(22) वारोली
(23) अन्जी
(24) भीमपुर सिरमेती
(25) केरल
(26) कोठारी
(27) गोकुड़ा
(28) गोगरवुडी
(29) मलकापुर
(30) द्योनोरा
(31) रामपुर
(32) पातरी
(33) परोद्यी
(34) बाओथ
(35) दरसांगी
(36) नोरगांव
(37) उनरसी
(38) गोदी
(39) साउरखेर
(40) नायकवाड़ी
(41) सरकानी
(42) वाझेरा
(43) मारदाप
(44) अंजेरखेर
(45) गोण्डवारसा
(46) पलाइगुडा
(47) करालगांव
(48) पाल्सी
(49) पटोड़ा
(50) जवारला
(51) पीपलगांव
(52) कानकी सिंगोरा
(53) डोगरगांव
(54) पीपल सेंद्या
(55) जुरूर
(56) मिनकी
(57) तुलसी
(58) माचौरड़ेर पारधी
(59) मुरली
(60) टाकरी
(61) पारसा
(62) वारसा
(63) उमरा
(64) अष्ठता
(65) हिंगनी
(66) तिमारपुर
(67) बाजरा
(68) बानोला
(69) पाटसोन्डा
(70) धनोरा
(71) साकुर
(72) डिगरी

4. बोथ तालुका के 46 गांव जो निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1)	हतनूर	(19)	तेजापुर	(37)	धर्मपुर
(2)	बाकरी	(20)	गुरूज	(38)	हरकापुर
(3)	पारद्यी	(21)	खाहदीगुडी	(39)	धामपुर
(4)	करतान्डा	(22)	राजुरवाड़ी	(40)	निगनी
(5)	सेरलापाल्लि	(23)	इसपुर	(41)	अजारवजार
(6)	नेरादी-कोन्डा	(24)	घानपुर	(42)	चिन्तलबोरी
(7)	डालीगाओ	(25)	जतेरला	(43)	चिंतलबोरी
(8)	कुनताला	(26)	खान्तेगांव	(44)	रामपुर
(9)	वेंकटपुर	(27)	साउरी	(45)	गंगापुर
(10)	हसनपुर	(28)	इछोरा	(46)	गयात्पाली
(11)	सुरदापुर	(29)	मुतनुर		
(12)	पोलमामदा	(30)	गुडी हाटनूर		
(13)	बाल्हनपुर	(31)	तालमेडी		
(14)	धर्मपुरी	(32)	गेरजाम		
(15)	गोकोड़ां	(33)	छिनछोली		
(16)	भोताई	(34)	सिरछेलमा		
(17)	कोरसेकाल	(35)	मनकापुर		
(18)	पतनापुर	(36)	नारसापुर		

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव

उत्नूर तालुका
उत्नूर तालुका के सभी गांव

6. असैफाबाद तालुका के 86 गांव जो निम्नानुसार हैं:

असैफाबाद तालुका

(1)	राजमपेट	(8)	छाकेनपाल्ली	(15)	ढाबा
(2)	गुंजाला	(9)	जामुलद्यारी	(16)	छोपनगुडा
(3)	इंघानी	(10)	गुडी	(17)	नीमगांव
(4)	समेला	(11)	छोरपाली	(18)	खिरदी
(5)	तेजपुर	(12)	सालेगुदा	(19)	मेटापिपरी
(6)	कन्नारगांव	(13)	बादीगुदा	(20)	साकरा
(7)	कन्टागुडा	(14)	सवाती	(21)	सांगी

(22) देवमुरपाली
(23) खोटरा-रिंगनघाट
(24) निष्ठानी
(25) कोटा परानडोली
(26) मेसापुर
(27) गोइगावं
(28) द्यनोरा
(29) पारद्या
(30) सुरदापुर
(31) केरीनेरी
(32) मुरकीनोनकी
(33) देवापुर
(34) छिन्ताकारा
(35) इहेरी
(36) आरा
(37) दासनपुर
(38) कापरी
(39) बेलगांव
(40) सिरसगांव
(41) मोआर
(42) बादाम
(43) द्यामिरीगुडा
(44) दाल्लनपुर
(45) छालवारडी
(46) इहोरघाट
(47) वाली झारी
(48) साकमगुंडी
(49) आरा
(50) उप्पाल नवगांव
(51) अंकसोरपुर
(52) चिराकुन्ता
(53) इल्लिपिट्टा डोरली
(54) मन्डरन्मेरा
(55) दन्तान्पल्ली
(56) देवदुर्ग
(57) तुनपाली
(58) धांगलेष्ठवर
(59) पादिबान्दा
(60) तामरिन
(61) मलगुण्डी
(62) कन्दन मोओआर
(63) जिओनेना
(64) कुटेदा
(65) तिलानी
(66) कानेपेल्लि
(67) बोरवांउम तेलुन्ड़ी
(68) मौगीलोड़ीगुड़ा
(69) मोइड़ा गुड़ी पेट
(70) चीन्नेदारी
(71) कोइटेलुण्ड़ी
(72) मदुरा
(73) देवैगुड़ा
(74) आरे गुडा
(75) तकेपाली
(76) चोउतेपाली
(77) राने कन्नेपाली
(78) सुंगापुरा
(79) राला सामकेपाल्लि
(80) छोपरी
(81) दोदा
(82) अर्जुनी
(83) सेरवाई
(84) रापाल्लि
(85) टेकमाडवा
(86) मीता अर्जुनी

7. लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव जो निम्नानुसार हैं:

लक्षेतिपेत तालुका

(1) गुदाम
(2) कासीपेत
(3) दांडे पाल्लि
(4) छेलमपेटा
(5) राजमपेट
(6) मुत्तीमपेट
(7) वेंकटपुर
(8) राली
(9) कौवाल
(10) तारापेत
(11) देवपुर
(12) गधापाल्लि
(13) रोतपाल्लि
(14) माझडामारी
(15) द्यर्मारोपेत
(16) वेंकटपुर
(17) चिंतागुडा
(18) मुत्तेमपाली

8. आदिलाबाद जिले के राजूरा तालुका के 58 गांव

राजूरा तालुका

(1) बेंडवी	(21) कानारगांव	(41) कारकी
(2) छिनछोली	(22) छेनाई	(42) नोकारी
(3) गोइगांव	(23) कैरगांव	(43) मनोली
(4) हीरापुर	(24) सामलहीरा	(44) सोनपुर
(5) साकरी	(25) घनोली	(45) इनापुर
(6) बालापुर	(26) मारनगांडी	(46) मानगी
(7) मनोली	(27) येल्लापुर	(47) उपारवाई
(8) अन्तारगांव	(28) काटलबोरी	(48) तुत्ता
(9) विरूर	(29) इसपुर	(49) लकमापुर
(10) डोगरगांव	(30) देवती	(50) किरदी
(11) टिमबेरवाई	(31) पाण्डेरवानी	(51) इनजापुर
(12) सेरसी	(32) वानसारी	(52) जामीनी
(13) बडोरा	(33) पेरदा	(53) हरगांव
(14) व्मरजीरी	(34) वारगांव	(54) छिकली
(15) लाकारकोट	(35) नोकारी	(55) पाटन
(16) डरगांव	(36) मीरापुर	(56) कोसुंडी
(17) किरदी	(37) पारद्यी	(57) कोतारा
(18) सोंदो	(38) कुतोडा	(58) सोनोरली
(19) देवरा	(39) परसेवारा	
(20) खोरुना	(40) मंगलरा	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट	(10) उसू रामपल्लि	(19) दामदा
(2) किस्तामपेट	(11) अरपाल्लि	(20) ढ़ोरपल्लि
(3) तकलपाल्ले छाकलपल्लि	(12) बोपालपट्टम	(21) कानकी गारलापेट
(4) अनाराम	(13) बालासागा	(22) गुदलाबोरी
(5) येपाल्लि	(14) पारघी	(23) गुरूमपेट
(6) कोरसनी	(15) तुमरीहाती	(24) लोमवेली
(7) इसगांव	(16) छिन्तालमानोपाल्लि	(25) मोगुरदागर
(8) छिन्तागुडा	(17) छिन्ताम	(26) विरदान्डी
(9) अंकोरा	(18) गुल्लातालोदी	(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 83 गांव

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा
(2) अंकनगुड्डा
(3) राघवापट्टनम
(4) मेडारमोला
(5) कोएटला
(6) पारसा नागाराम
(7) मुथापुर
(8) मोटलागुड्डा
(9) वेंगलपुर
(10) येलपाक
(11) कानेबोएनपल्लि
(12) मेदाराम
(13) कोंडरेड
(14) छिन्तागुडा
(15) कोंडापारथी
(16) येलसेथिपाल्लि
(17) अल्लामरिघुनपुर
(18) रामपुर
(19) माल्कपल्लि
(20) छेत्ताल
(21) भूपतिपुर
(22) गंगाराम
(23) कन्नइगुडा
(24) राजन्नापेट
(25) भूताराम
(26) अक्केला
(27) सिरवारपुर
(28) गंगाराम भूपतिपुर
(29) पुम्बापुर
(30) रामपुर
(31) अकामपाली
(32) कामाराम
(33) कामसेलिगुण्डम
(34) आष्ठानागुडा
(35) येल्लापुर
(36) अल्लागुड़ा
(37) नरसापुर
(38) पुस्छापुर
(39) भातुपाल्लि
(40) लावनाल
(41) वाड्डगुडा
(42) कोथूर
(43) पेगदापाल्लि
(44) सारवापुर
(45) भुस्सापुर
(46) चेलवाई
(47) रगपुर गोविन्दराओपेट
(48) बालपाली
(49) धुमपालागुड़ा
(50) केलापाली
(51) लखनवरम
(52) परसा
(53) गोनेपाली
(54) पड़गापुर
(55) नरलापुर
(56) कलवापाली
(57) उरातम
(58) कोंडिया
(59) मलयत
(60) अचलपुर
(61) ड़ोल्ड़ा
(62) कमाराम
(63) तादवी
(64) बुदीगुड़ा
(65) बन्नजी
(66) बन्दाम
(67) सेलपाक
(68) कन्तलपाली
(69) सरवाई
(70) गंगागुदा
(71) तुपालकालगुदा
(72) अकुलवारी
(73) धानपुर
(74) शाहपलि
(75) गागपेल्लि
(76) छिन्ना-विओपल्लि
(77) वेकरपुर
(78) नरसापुर
(79) अनवाराम
(80) लिंगाल
(81) बालेपाल्लि
(82) बंडल
(83) धुनमापुर

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव

नरसामपेत तालुका

(1) वेवेल्लि
(2) पोलारा
(3) बाकाछिन्ताफाद
(4) गांजाद
(5) त्रिमागुल्डा
(6) गोपालपुर
(7) खिस्तापुर
(8) तातीनारी वेनपाल्लि
(9) पत्तल भूपति
(10) चन्देलपुर
(11) बत्तालपल्लि
(12) अदवारमपेट
(13) सात्यानगर
(14) दुत्ल
(15) मोथवाडा
(16) मंगालावारपेत
(17) कारलाई
(18) अरकालकुंता
(19) कोदसापेत
(20) गुडेरपाल्लि
(21) मसामी
(22) बत्तवारतीगुदेम
(23) ममीदीगुदम
(24) पंगोन्डा
(25) रोतुराई
(26) सतरेद्दीपाल्लि
(27) कोनापूर
(28) कोंदापुरम
(29) पोगुलापाल्लि
(30) गोविन्दपुरम
(31) माकदापल्लि
(32) पागुलापल्लि
(33) मुराइगुडेम
(34) येलछागुडेम
(35) तुम्मापुरुम
(36) जगांमवारतीगुडेम
(37) रंगामुड़ेम
(38) पेड़ा पल्ली
(39) पेरावरम
(40) कुन्दापाल्लि
(41) नीलापाल्ली
(42) दारावारिनापाल्लि
(43) कारनेगुंड
(44) महादेवागुडेम
(45) मारिगुडेम
(46) जंगनपाल्लि
(47) बवारगुडा
(48) ओआरवाक
(49) गंगारामम
(50) मुछेरला
(51) अमरोन्छा
(52) कामाराम
(53) छिन्टागुंडम
(54) निलावाच्छा
(55) कांगारगिड्डा
(56) मडागुड्डेम
(57) दालुरपेट
(58) कोठागुडेम
(59) कोटापाल्लि
(60) दुर्गाराम
(61) दूबागुडेम
(62) रून्दावाराम
(63) नरसूगुडाम
(64) कोमातलागुडेम
(65) कोटेरवम
(66) सेमर राजपेट
(67) मारेपल्लि
(68) गोआरन्ट
(69) राधियापुर
(70) गजलगुड़ेम
(71) राजवेपल्लि
(72) वोल्लिपाल्लि

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (i)वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र 1 एजेन्सी लक्ष्मीपुरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापुरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा, 2 विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम और कोंडावातिपुड़ी अगाहराम,

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 50) और आंध्र प्रदेश अनुसूचि त क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी.ओ. संख्या 30) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
2. आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात **

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधा वालोद, मांगरोल तालुका
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुका।
3. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
4. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका
5. साबरकांठा जिले के खेडब्रह्मा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

'' गुजरात राज्य के अनुसूचितक्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

' ''' अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क) धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील:

(1)	तारापुर	(19)	सलगांव	(37)	बेतेगांव
(2)	कुन्दन	(20)	खुताद	(38)	वारंगदे
(3)	दहीसर टर्फ तारापुर	(21)	खानीवाड़े	(39)	लालोंडे
(4)	घिवाली	(22)	रावते	(40)	घनेडे
(5)	वावे	(23)	अकोली	(41)	काम्पालगांव
(6)	अक्कारपत्ती	(24)	असेरी	(42)	मान
(7)	कुरगांव	(25)	सोमते	(43)	घानेघर
(8)	पारनाली	(26)	पस्थाल	(44)	वाढ़े
(9)	वेनगानी	(27)	बोइसार	(45)	छारी बुदर्ग
(10)	पठारवाली	(28)	बोरसेती	(46)	बिरवाडी
(11)	नेवले	(29)	महागांव	(47)	काल्लाले
(12)	शिगांव	(30)	किराते	(48)	पादघे (49) पोले
(13)	गारगांव	(31)	वाडे	(50)	नानडोरे
(14)	चिंचारे	(32)	खाडवाने	(51)	गिरनोली
(15)	अकेगावान	(33)	माडवान	(52)	बोरान्डे
(16)	नानीवाली	(34)	विस्थले	(53)	देवखोपे
(17)	अंबेढे	(35)	कोडगांव	(54)	सागवे
(18)	बरहानपुर	(36)	कारसूद	(55)	कोसबाद

(56)	कोकानेर	(86)	साये	(116)	वारखुन्ती
(57)	नागणारी	(87)	तेन	(117)	कामार
(58)	छारी खुर्द	(88)	कारालगांव	(118)	टोकराले
(59)	बेलगांव	(89)	गोवादे	(119)	बन्डाते
(60)	खुताल	(90)	तामसाइ	(120)	जांजरोली
(61)	छिलहर	(91)	दुरवेस	(121)	छाडे
(62)	भोपोली	(92)	धुकतान	(122)	वसारे
(63)	नीहे	(93)	पोछादे	(123)	खादकोली
(64)	दामखाण्ड	(94)	होलाले	(124)	सखारे
(65)	कोंधान	(95)	खामलोली	(125)	रोथे
(66)	आवनधान	(96)	वाहदोली	(126)	लालथाने
(67)	बेगारचीले	(97)	बोत	(127)	नवाजे
(68)	शील	(98)	इम्बूर इराम्बी	(128)	तान्डुलवाडी
(69)	लोवारे	(99)	दानिसारी टर्फ मानोनर	(129)	गिराले
(70)	बंधान	(100)	कुडे	(130)	पारगाव
(71)	नन्द गांव टर्फ मानोर	(101)	गुण्डावे	(131)	नागवे टर्फ-मानोर
(72)	शील शेट	(102)	सीतावली	(132)	उम्बारपदा नानड़ाडे
(73)	कताले	(103)	वेहालोली	(133)	उचावाली
(74)	अम्भान	(104)	सवारे	(134)	सफाले
(75)	वासरोली	(105)	वराई	(135)	सोनावे
(76)	खारशेट	(106)	जानसाई	(136)	माकने कापसे
(77)	मानोर	(107)	खाइरे	(137)	कारवाले
(78)	ताकवाल	(108)	ढेकाले	(138)	वाधिव सरावली
(79)	सवारखण्ड	(109)	गांजे	(139)	पेनान्ड
(80)	नालशेट	(110)	जायेशेते	(140)	कान्डारवान
(81)	केव	(111)	शेलवाडे	(141)	दाहीवाले
(82)	वाकाडी	(112)	वेमूर	(142)	दारशेट
(83)	मासवान	(113)	अम्बादी	(143)	नवगढ़ (घाटीम)
(84)	वान्डीवाली	(114)	नवाली	(144)	उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।
(85)	नेताली	(115)	मोरावाली		

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील					
(1)	दाहीसार	(16)	उसगांव	(31)	अहोले
(2)	कोशिम्बे	(17)	मेघे	(32)	वालिव
(3)	तुलिंज	(18)	वादघर	(33)	सतिवाली
(4)	सकवार	(19)	भीनार	(34)	राजवली
(5)	छिमान	(20)	एम्बोडे	(35)	कोल्ही
(6)	हेडवडे	(21)	कालभोन	(36)	छिनछोती
(7)	काशिदकोपर	(22)	अनदने	(37)	जुचंद्र,
(8)	खानीवाडे	(23)	सायावान	(38)	बापने,
(9)	भालीवाली	(24)	पारोल	(39)	देवदल,
(10)	कावहेर	(25)	शिरवाल	(40)	कामम,
(11)	शिरसाद	(26)	माझीवाली	(41)	सरजामोरी
(12)	मान्धावी	(27)	कारांजोन	(42)	पोमन
(13)	छानदीप	(28)	तिलहर	(43)	शिलोत्तर
(14)	भातने	(29)	धाविव	(44)	ससुनवघर
(15)	शिवनसाई	(30)	पेल्हार	(45)	नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील					
(1)	भिवाली	(11)	चाने	(21)	सूपेगांव
(2)	गनेशपुरी	(12)	असनोली-टर्फ-दुगद	(22)	पिलांजे खुर्द
(3)	वाडावाली वाजरेश्वरी	(13)	दुगद	(23)	पिलांज बुदुर्क
(4)	अकोली	(14)	मनीवाली	(24)	अलखीवाली (25) वाघीवाले
(5)	सवारोली	(15)	वादवाली टर्फ दुगद	(26)	देवहोल
(6)	खतराली	(16)	मालबीडी	(27)	सागोआं
(7)	उसगांव	(17)	मोहिली	(28)	इकसाल
(8)	घोटगांव	(18)	नन्दीथान	(29)	चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे
(9)	वाढ़े	(19)	देपोली	(30)	डूधानी
(10)	वारेथ	(20)	सखरोली	(31)	वापे

(32)	घदाने	(47)	जिदके	(63)	खादकी बुदरूक
(33)	कुंडे	(48)	खारीवाली (49) बासे	(64)	चिम्बीपाडे
(34)	घोतावाडे	(50)	गोंडाडे	(65)	कूहे
(35)	माइडें	(51)	पहारे	(66)	घामने
(36)	करमाले	(52)	सेदगांव	(67)	लाखीवाली
(37)	कांडली बुदर्क	(53)	पच्छापुर	(68)	पालीवाली
(38)	कोल्हे	(54)	गोंड्रवली	(69)	पाये
(39)	कांडली खुर्द	(55)	जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे	(70)	गाने
(40)	दीघाशी	(56)	असनोली–टर्फ–कुडे	(71)	दाहयाले
(41)	नेवादे	(57)	शिरोले	(72)	फिरंगपाडा
(42)	अम्बादी	(58)	दाभाद		
(43)	दालोंड	(59)	महानडुल		
(44)	जाम्भीवाली टर्फ–खाम्बाले	(60)	शिरगांव		
(45)	उम्बारखण्ड	(61)	पिंपल सेठ भुसेठ		
(46)	अशिवाली	(62)	खादकी खुर्द		

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1)	कासगांव	(15)	पारहे	(30)	शेलगांव
(2)	किसाल	(16)	कांडली	(31)	शिरोशी
(3)	वाडावाली	(17)	धासाई	(32)	तालेगांव
(4)	सखारे	(18)	अल्यानी	(33)	फंगालकोशी
(5)	खटालबोर गांव	(19)	पालू	(34)	मेरडी
(6)	अम्बेल खुर्द	(20)	देवघर	(35)	वाल्हीवार
(7)	सयाले	(21)	माढ	(36)	माल
(8)	इंदे	(22)	सोनावाले	(37)	जडाई
(9)	खेडाले	(23)	वेलुक	(38)	अम्बीवाली
(10)	तलवाली–टर्फ–घोराट	(24)	अलावे	(39)	डिंघेपाल
(11)	इकलाहारे	(25)	बरसुंगे	(40)	दीवान पाद
(12)	छफे–टर्फ–खेडुल	(26)	मांडुस	(41)	कोचरे खुर्द
(13)	पिम्पालघर	(27)	खेड	(32)	कोचने बुदर्ग
(14)	देहगांव	(28)	वनोटे	(43)	छोसाले
		(29)	साई		

(44)	खूरल बंगला	(56)	उडालदोहा	(67)	महाज
(45)	नयाहांडी	(57)	महोरांडे	(68)	पडाले
(46)	मोराशी	(58)	टोकवडे	(69)	कोलोशी
(47)	फंगुल गांवाहन	(59)	बालेगांव	(70)	जयगांव
(48)	सवरने	(60)	तलवानी (बडागांव)	(71)	कलामबाद (भोंडीवाले)
(49)	थिताबी–टर्फ–वैशाकहरे	(61)	वैशाखरे	(72)	खेवारे
(50)	कुदशेट	(62)	मनवाली–टर्फ–खेडुल	(73)	दुधानोली
(51)	फंगाने	(63)	पेनढारी	(74)	उमारोली खुर्द
(52)	खपारी	(64)	उमरोली बुदर्क	(75)	खोपीवाली
(53)	हेडावाली	(65)	ओजीवाल	(76)	मील्हे
(54)	कारचोंड	(66)	मंदावत	(77)	गोरखगाद
(55)	जडघर				

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) **पेंट, सुरगाना और कलवान** तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील

(1)	मोखनाल	(17)	वनीखुर्द	(33)	धाउर
(2)	मानवाड	(18)	पिंपलगांवधाम	(34)	उम्बालेबुदुर्क
(3)	डेहारे	(19)	जोरान	(35)	जम्बूतके
(4)	कारंजली	(20)	महाजे	(36)	पिम्पराज
(5)	गंडोले	(21)	सदराले	(37)	नालेगांव
(6)	पलासविहिर	(22)	नालवाडी	(38)	विलवांडी
(7)	वारे	(23)	ओजे,	(39)	रासेगांव
(8)	वनजोले	(24)	गोलसी	(40)	कोछारगांव
(9)	अम्बाद	(25)	जलखंड	(41)	तिलहोली
(10)	वनारे	(26)	निगडोल	(42)	रावलगांव
(11)	तितवे	(27)	कोकोगांवबुर्दक	(43)	डेहरेवाडी
(12)	देवधान	(28)	उम्बारलेखुर्द	(44)	ढागुर
(13)	नानाशी	(29)	अम्बेगांव	(45)	देवसाने
(14)	छारोसे	(30)	छाछदगांव	(46)	सरसाले
(15)	देवघर	(31)	वाघाद	(47)	करांजखेड
(16)	कउदासर	(32)	पोपलवाडे	(48)	पंगलवाडी

(49)	इकलाहारे	(69)	मालेगांव	(89)	माडकीजाम्ब
(50)	चउसाले	(70)	पिम्पराखेड	(90)	पालखेड
(51)	पिम्परीअंचला	(71)	फोपासी	(91)	इन्दोर
(52)	अहिवंतवाडी	(72)	वानीकास्बे	(92)	कोरहते,
(53)	गोलडारी	(73)	संगमनेर	(93)	छिंचखेड
(54)	हास्ते	(74)	खेडले	(94)	टालेगांवडिंडोरी
(55)	कोलहेर	(75)	मवाडी	(95)	अकराले,
(56)	जिरवाडे	(76)	करंजवान,	(96)	मोहाड़ी,
(57)	छामदारी	(77)	डाहेगांव	(97)	पिम्पसालानारे
(58)	मालदुमाला	(78)	वागलूड	(98)	खाटवाड
(59)	मंडाने	(79)	कृष्णगांव	(99)	रामसेज
(60)	कोशिम्बे	(80)	वारखेड	(100)	अम्बेडिंडोरे
(61)	पुनेगांव	(81)	कदवामहालुंगी,	(101)	ढाकम्बे
(62)	पंडाने,	(82)	गांओंडेगांव	(102)	जानोरी
(63)	अंबानेर	(83)	हतनोर	(103)	मानोरी
(64)	चंदीकपुर	(84)	नीलवांडी	(104)	शिवनाई
(65)	भाटोडे	(85)	पिंपलगांवकेतकी	(105)	वारवांडी
(66)	दाहिवी	(86)	राजपुर	(106)	जउलकेडिंडोरी,
(67)	मुलाने	(87)	डिंडोरी		
(68)	कोकनागांवखुर्द,	(88)	जोपुल		

(ii) इगतपुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगतपुरी तहसील

(1)	ढाडोशी,	(14)	दापुरे	(27)	सातुरली
(2)	भीलमाल,	(15)	मेत हुम्बाची	(28)	अवाली डुमला
(3)	पाहिने,	(16)	जारवाड बुदुर्क	(29)	कारहाले,
(4)	जारवाड खुर्द,	(17)	महासुरली	(30)	रायाम्बे
(5)	टाक-हर्षा,	(18)	शेवगेड़ाग	(31)	टाकेड गांव
(6)	असावली हर्षा,	(19)	वानजोले	(32)	मेटेलयाच्ची
(7)	समुन्दी	(20)	देवगांव	(33)	बितुरली,
(8)	खारोली	(21)	अहुरली	(34)	वालविहार,
(9)	कोजोली	(22)	नन्द गांव	(35)	भलवी बुदुर्क
(10)	अवहाते	(23)	वावी हर्षा	(36)	पिंपलगांव भाराटा
(11)	खुशगांव	(24)	नागोसली	(37)	कोपरागांव
(12)	मेतचन्द्रायची	(25)	ढ़ारगांव	(38)	कुरनोली
(13)	अलवांड	(26)	ओडंली	(39)	ढ़ामोली

(40)	वाकी	(58)	कंचनगांव,	(76)	उभाडे (वंजुलवाडी)
(41)	छिनंछाले (खाइरे)	(59)	शेनवार्ड बुदुर्क,	(77)	मेगारे,
(42)	ट्रिंगलवाडी,	(60)	फंगुलगांवन,	(78)	बेलगांव तारहाले ,
(43)	अदवान,	(61)	बोरली,	(79)	धामनगांव,
(44)	अवालखेडे ,	(62)	मानवेदे,	(80)	देओले,
(45)	पारदेरी,	(63)	भवाली खुर्द	(81)	खैरगांव,
(46)	बलायदूरी,	(64)	कालूस्ते,	(82)	पिम्पलगांव मोर,
(47)	खम्बाला,	(65)	जामुन्डे,	(83)	धामिनी,
(48)	टेक घोटी,	(66)	गाहुन्डे,	(84)	अदसारे खुर्द,
(49)	घोटी बुदुर्क	(67)	भारवाज,	(85)	अदसारे बुदुर्क,
(50)	तालगांव,	(68)	कारूंगवादी,	(86)	आछरवाड,
(51)	गिरनार,	(69)	निरपन,	(87)	ताकेट खुर्द,
(52)	तितोली,	(70)	मनिआरगांव,	(88)	ताकेट बुदुर्क,
(53)	बोरटम्भे ,	(71)	अम्बेवाडी,	(89)	खेड,
(54)	तालोशी,	(72)	खाडखेड,	(90)	वारसिंगवे,
(55)	नन्दगांव साडे,	(73)	इन्दोर,	(91)	सोनोशी,
(56)	पिंपरी सेर्दोदीन,	(74)	उम्बारकोन,	(92)	मइदारा धानोशी
(57)	तेलघा,	(75)	सोमाज घादगा ,	(93)	वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1)	साप्टे,	(14)	मेटकवारा,	(27)	काचुरली,
(2)	कोने,	(15)	ब्रहम्णवाडेत्रिम्बाक,	(28)	अरियानेरी,
(3)	खारवाल	(16)	तोआनगान,	(29)	तालेगांवत्रिम्बाक,
(4)	वरासविहिर	(17)	धुंबदी	(30)	पोगलवाडीत्रिम्बाक,
(5)	वघेरा	(18)	बेसे	(31)	वाछोली,
(6)	रोहिले,	(19)	चकोर	(32)	उब्बारांडे,
(7)	नन्दगांव	(20)	अम्बोली	(33)	कालमुस्ते
(8)	गोरथान,	(21)	अम्बाई	(34)	तिम्बार्क(देहात),
(9)	हिरदी	(22)	श्रीरासगांव	(35)	हर्षावाडी
(10)	मालेगांव	(23)	तालवाडेत्रिम्बाक,	(36)	मेटघेराकिलात्रिम्बाक
(11)	वेलुन्जे	(24)	पिम्पलाडत्रिम्बाक,	(37)	मुलेगांव
(12)	गणेशगांववघेरा,	(25)	खामबाले	(38)	लादाची
(13)	पिम्परीत्रिम्बाक	(26)	सापगांव,	(39)	नायकवाडी,

(40)	वेले,	(51)	चांदसी	(63)	दूदगांव,
(41)	सादगांव,	(52)	गंगामहलुंगी	(64)	महिरावनी
(42)	वादगांव,	(53)	जलालपुर	(65)	तालेगांवअंजानेरी,
(43)	मनोली,	(54)	सवारगांव	(66)	जाटगांव,
(44)	ढोडेगांव	(55)	गोवरधान	(67)	सारूल
(45)	दारी	(56)	शिवगांव	(68)	पिंपलाडनासिक
(46)	गिमाते	(57)	पिंपलगांवगरूडेश्वर	(69)	राजोरबहुला,
(47)	दुगांव	(58)	राजवाडी	(70)	दहीगांव,
(48)	देवरगांव	(59)	गंगावारहे,		
(49)	नागलवाडी	(60)	गणेशगांवत्रिम्बाक		
(50)	ओजारखेडा	(61)	गणेशगांवनाशिक		
		(62)	वसाली		

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1)	बोरहाते	(22)	मोरने-दिगर	(42)	तालवेडीगर
(2)	मोहलांगी	(23)	बोरदइवत	(43)	मोरकुरे
(3)	जैतपुर	(24)	भीमखेत,	(44)	किकवारी खुर्द
(4)	गोलवाड	(25)	वाघम्बे	(45)	केलजार
(5)	हतनूर	(26)	मनूर	(46)	ततानी
(6)	मालीवाड	(27)	सालहेर	(47)	भीलडार
(7)	अम्बापुर	(28)	कटारवेल	(48)	किकवारी बुर्दक,
(8)	जाड,	(29)	भीलवाड	(49)	जोरान
(9)	वीसापुर,	(30)	तुनगांव	(50)	साकोड़े
(10)	सहेवार	(31)	दसवेल,	(51)	करांजखेड
(11)	खाराड़	(32)	जाखोड	(52)	डांग सुनडाने
(12)	वाड डिगार	(33)	मुनगासे	(53)	निकबेल
(13)	देवथान	(34)	भावाडे	(54)	बन्धाते
(14)	कोंधाराबाद	(35)	दसाने,	(55)	दाहिन्डुले
(15)	अंतापुर	(36)	मालगांव खुर्द	(56)	सरवार
(16)	रावर	(37)	सालवान	(57)	वाडीचौलहेर
(17)	जामोती	(38)	पिसोर		
(18)	अलिआबाद,	(39)	करसाने		
(19)	अजांडे (20) मुलहर	(40)	विथोड		
(21)	बाबुलने,	(41)	पाठवेडीगर		

3. धूले जिले में निम्न :-

(क) नवापुर, तालोडा, अक्कालकुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील

(1)	छोपाले	(28)	दापुर	(55)	मनजारी
(2)	रोथोड	(29)	रोहन	(56)	मापालगांव
(3)	जामखेल	(30)	जेबापुर	(57)	डांगासेर वाडे
(4)	खरसूवाडे	(31)	अमोड	(58)	बोपखेल
(5)	सुतारे	(32)	किरवाड़े	(59)	शिव
(6)	धानेर	(33)	घोडाडे	(60)	खात्याल
(7)	अमाले	(34)	सुरपान	(61)	वारदोली
(8)	माछमाल	(35)	कोरडे	(62)	काकसाद
(9)	खांडवारे	(36)	वालव्हे	(63)	पानखडे
(10)	रायकोट	(37)	विटावे	(64)	सामोडे
(11)	बुरन्दखे	(38)	कासबे चहेडवैल	(65)	महासदी,परगने पिम्पलनेर
(12)	पानगांव	(39)	बसार	(66)	पिंपलनेर
(13)	लागडवाल	(40)	इसराडे	(67)	चिकासे
(14)	रायतेल	(41)	पेटाले	(68)	जीरापुर
(15)	ब्रहमणवेल	(42)	पिंपलगांव	(69)	कोकनागांव
(16)	आमखेल	(43)	मोहनी	(70)	शेवागे
(17)	जाम्बोरे	(44)	तेम्भे,परगानवारसे	(71)	धामानधार
(18)	वारसस	(45)	शिरसोले	(72)	विरखेल
(19)	जामकी	(46)	उमारपेटा	(73)	पारगांव
(20)	रूनमाली	(47)	मालगांव,परगानवारसे	(74)	मंडाने
(21)	वसखेडी	(48)	खारगांव	(75)	बालहाने
(22)	डामकानी	(49)	कालाम्बे	(76)	देशिरवाडे
(23)	सालटेक	(50)	छोरवाड	(77)	काडयाल
(24)	दाहीवेल	(51)	लखाल	(78)	ढ़ोगाड्डिगार
(25)	भोनगांव	(52)	वारसे	(79)	शेलबारी
(26)	बादगांव	(53)	सेनवाड	(80)	डेगांव
(27)	मेनडान	(54)	कुदासी		

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील

1.	भंगडे	28.	नारायणपुर	55.	ववाद
2.	मंगलूर	29.	धिरासागांव	56.	चाकले
3.	वसलाई	30.	धोकवाड	57.	दहींडुले बुदुर्क
4.	अर्दितारा	31.	बिलाडी	58.	दहींडुले खुर्द
5.	धानोरा	32.	खौराले	59.	अथोरे दिगर
6.	पावले	33.	खामगांव	60.	उमारदे खुर्द
7.	कोठडे	34.	नागासार	61.	चंपाले
8.	उमज	35.	विरचक	62.	अकराले
9.	कोथाली खुर्द	36.	टोकारटेल	63.	वादबारे
10.	वदाजकान	37.	वाघले	64.	अखातवाड़े
11.	निंबोन बुदुर्क	38.	ओजारदे	65.	हटी उर्फ इंडि
12.	जालखे	39.	आस्थे	66.	पलाशी
13.	शिरवादे	40.	थानेपाडा	67.	घुली
14.	रनाले खुर्द	41.	अमरावे	68.	राकसवाडे
15.	नटवाड	42.	पथराई	69.	वाघोडे
16.	करांजवे	43.	धामदाई	70.	पाटोंडे
17.	शेजवे	44.	वारुल	71.	हाल-टर्फ-हवेली
18.	पिंपलोड-टर्फ-धानोर	45.	अदाच्छी	72.	खोडासगांव
19.	लोया	46.	लोंखेडे	73.	शाहदे
20.	वेलावेद	47.	कराजकुपे	74.	शिंडे
21.	वयाहुर	48.	नालवे खुर्द	75.	कोल्डे
22.	धुलवाड	49.	सुंदारदे	76.	भगसारी
23.	गुजर भवाली	50.	नालवे बुदुर्क	77.	धामदोड
24.	गुजर जम्बोली	51.	दुधाले	78.	सवाल्दे
25.	कर्णखेडे	52.	नंदारखे	79.	कोरित
26.	फुलसारे	53.	घने	80.	सुजातपुर
27.	उमरदे बुदुर्क	54.	वसादरे	81.	तिशि
				82.	धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) छिराडे
(9) नागजिरि (वनग्राम)
(10) कुसुमवाडे
(11) नन्दया (वनग्राम)
(12) पिम्परानी
(13) रानीपुर (वनग्राम)
(14) फात्तेपुर
(15) लक्काडोत (वनग्राम)
(16) कोटबन्धानी (वनग्राम)
(17) पिंम्पलोड
(18) कुड्डावाड
(19) लाच्छोर
(20) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(21) शीरूद-टर्फ-हवेली
(22) अमोडे
(23) अलखेड
(24) पाडाले बुदुर्क
(25) बुदिगांवन
(26) उमारती
(27) पिम्पारी
(28) महासवाद
(29) अनकवाडे
(30) सुलवाडे
(31) तवलाई
(32) मुबारकपुर
(33) वेलवाड
(34) कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(35) वाडी
(36) सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(37) थेंगचे
(38) जावाडे-टर्फ-बोआरदी
(39) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(40) बारघे
(41) पारी
(42) कोठाली-टर्फ-हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिखाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) वइजाली
(48) वाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदुर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिगाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(62) बहिरपुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरवेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोगापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड-टर्फ-हवेली
(84) चिखाली खुर्द
(85) भारेटेक
(86) श्रीखेडे
(87) ओजारटे
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे-टर्फ-हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने

(98) अवागे	(113) बोराले	(128) वदाली
(99) तिखोरे	(114) कामरावेद	(129) कोठावाल
(100) उन्तावाद	(115) कहतुल	(130) भुलाने (वनग्राम)
(101) होल	(116) वादछित	(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(102) मोहिडे-टर्फ-हवेली	(117) लोंनढोर	(132) उभादगाद (वनग्राम)
(103) जुनवाने	(118) उधालोड	(133) काकराड खुर्द
(104) लोनखेडे	(119) निम्बोरे	(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(105) तेम्भाली	(120) धांड्रे बुदर्क	(135) मालगांव (वनग्राम)
(106) होलगुजारी	(121) चिरकान (वनग्राम)	(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(107) आसुस	(122) असलोड (नया)(वनग्राम)	(137) शहना (वनग्राम)
(108) बुपकारी	(123) जैनघर	(138) काकरदे बुदुर्क
(109) मलोनी	(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)	(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(110) डोगरागांव	(125) मनमोडया वनग्राम	(140) काटघर
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा	(126) दुतरवेडे (वनग्राम)	(141) निम्बारडी (वनग्राम)
(112) मटकुट	(127) भोगारा (वनग्राम)	

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)	(11) छोन्दी (वनग्राम)	(21) तेम्भा (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)	(12) भुदकी (वनग्राम)	(22) खैरखान (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)	(13) छंदसुरया (वनग्राम)	(23) बोआरदी
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)	(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)	(24) वसारदी
(5) कोडिड (वनग्राम)	(15) काकडामल(वनग्राम)	(25) नन्दारदे
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)	(16) वाकवाड (वनग्राम)	(26) चान्दसे
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)	(17) उमरदा (वनग्राम)	(27) वाडी बुदुर्क
(8) वाघपदे (वनग्राम)	(18) डुराबड्या (वनग्राम)	(28) वाडी खुर्द
(9) सइगारपद (वनग्राम)	(19) मोहिड् (वनग्राम)	(29) जालोड
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)	(20) डोडवाडा (वनग्राम)	(30) अभनापुर खुर्द
		(31) तारहाड
		(32) उखालवाडी

(33) मुखेड	(43) संगवी	(53) महादेव डोन वाड (वनग्राम)
(34) नीमजारी	(44) हाटेड	(54) मालापुर (वनग्राम)
(35) वरजाडी	(45) जेन्दया अन्जान	(55) रोहिजी
(36) वाघबारदा	(46) पलासनेर	(56) भोइती
(37) समरमापद	(47) खाम्बले	(57) अम्बे
(38) लउकी	(48) पानाखेड (वनग्राम)	(58) खामखेडे परगने अम्बे
(39) सूले	(49) खरकुटी (वनग्राम)	(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(40) फत्तेपुर	(50) जोयादा (वनग्राम)	(60) हिगांव
(41) हेदाखेड़	(51) छिलारे (वनग्राम)	(61) वाडेल खुर्द
(42) अरूनपुरी बांधा	(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)	(62) कालापानी (वनग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)	(10) वइजापुर (वनग्राम)(54)	(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)	(11) बोराजन्ती (वनग्राम)	(20) इच्चापुर परगने अड़वाड़
(3) उमारती (वनग्राम)	(12) मालापुर (वनग्राम)	(21) बधावनी
(4) सत्रसेन (वनग्राम)	(13) बोरामाली (वनग्राम)	(22) बधााई
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)	(14) करजाने (वनग्राम)	(23) अनदाने
(6) अंगुरने	(15) मेलान (वनग्राम)	(24) मोहराद
(7) खारया पडव (वनग्राम)	(16) विशनपुर (वनग्राम)	(25) असालवाडी (वनग्राम)
(8) वइजापुर (रेवन्यू)	(17) देवहारी (वनग्राम)	
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(18) देवजिरि (वनग्राम)	

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील

1. मानापुरी	6. हरिपुरा (वन ग्राम)	11. जामन्या (वन ग्राम)
2. टोलाने	7. वाघाजीरा (वन ग्राम)	12. गदरया (वन ग्राम)
3. खालकोट	8. प्रसादे बुदुर्क	13. उसमाली (वन ग्राम)
4. इचकहेडे	9. बोरखेड़े खुर्द	
5. मलोद	10. लांगदा अम्बा	

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील :					
(1)	महुमांडली (वनग्राम)	(8)	छिनछाती	(15)	लाहोर
(2)	पिम्परकुंड (वनग्राम)	(9)	पाल	(16)	कुसम्भे बुदुर्क
(3)	अन्धारमालि (वनग्राम)	(10)	मारवाल	(17)	कुसम्बे खुर्द
(4)	तड्या (वनग्राम)	(11)	जिनसी	(18)	पिम्परी
(5)	निम्नद्या (वनग्राम)	(12)	सहसरालिंग (वनग्राम)	(19)	मोहगांन बुदुर्क
(6)	गारबारदी (वनग्राम)	(13)	लालमाटी (वनग्राम)	(20)	पडाले बुदुर्क
(7)	जानोरी	(14)	अवहोडे बुदुर्क	(21)	महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील					
(1)	तिरधो	(33)	सिगनवाडी राजौर	(65)	गोंडोशी
(2)	पडोसी	(34)	मुरशेट	(66)	खादकी
(3)	महाजुंगी	(35)	शेंडी	(67)	साकिर वाडी
(4)	एकडारे	(36)	समराड	(68)	पचनानी
(5)	संगावी	(37)	भंडारडारा	(69)	छिछावने
(6)	केली रूमहानवाडी	(38)	रानाड बुदुर्क	(70)	पदालने (80)
(7)	बिताका	(39)	रानाड खुर्द	(71)	शेलाद
(8)	खिरवीरे	(40)	मालेगांव	(72)	पिंपरे
(9)	कोम्भालने	(41)	कोहीन्डी	(73)	घोटी
(10)	तहकारी	(42)	दिगम्बर	(74)	पैथान
(11)	सम्सेरपुर	(43)	गुहिरे	(75)	लवाली कोतुल
(12)	सावरगांव पाट	(44)	कतालपुर	(76)	वाघदारी
(13)	मुथालने	(45)	रतनवाडी	(77)	शिलवांडी
(14)	बारी	(46)	मुतखेल	(78)	कोहोने
(15)	वारंधुसी	(47)	तेरूनगांव	(79)	लिवाली ओतुर
(16)	लाडागांव	(48)	राजोर	(80)	तेले
(17)	शेनित	(49)	विथे	(81)	कोथाले
(18)	पाभुलवांडी	(50)	कोटलेम्भे	(82)	सोमलवाडी
(19)	बाभुलवांडी	(51)	कालूगांव	(83)	विहिर
(20)	अंबेवांगन	(52)	जामगांव	(84)	शिंडा
(21)	देवगांव	(53)	शिरपुंजे बुदुर्क	(85)	अम्बित खिंड
(22)	पेंडशेट	(54)	सवारकुटे	(86)	पालसुंडे
(23)	मानहेर	(55)	कुमशेट	(87)	पिसेवाडी
(24)	शेलविहीरे	(56)	शिरपुंजे खुर्द	(88)	फोपसांडी
(25)	पंजारे	(57)	घामनवन	(89)	सातवाडी
(26)	छिनचोंद	(58)	अम्बित	(90)	केली ओतुर
(27)	वाकी	(59)	बालधान	(91)	केली कोतुल
(28)	तितावी	(60)	मानिक ओजार	(92)	खेतवाडी
(29)	पिंपरकाने	(61)	पुरूचवाडी	(93)	इसारथाव
(30)	उदादावाने	(62)	मवेशी	(94)	करांडी
(31)	कोदानी	(63)	शिसवाद		
(32)	घाटघर	(64)	वापजुलसेत		

6. पुणे जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1)	डोन	(20)	पंचाल खुर्द	(39)	राजेवाडी
(2)	पिम्परागान	(21)	महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(40)	सूपेघर
(3)	अघाने	(22)	सवारली	(41)	तालघर
(4)	अहूपे	(23)	मेघोली	(42)	मापोली
(5)	तिरपाड	(24)	वाछापे	(43)	डिम्भे खुर्द
(6)	नहावेद	(25)	साकेरी	(44)	पोखारी
(7)	असाने	(26)	पिमपारी	(45)	गोहे बुदुर्क
(8)	मलीन	(27)	अम्बेगांव	(46)	निगाडाल
(9)	नानावाडे	(28)	जाम्बोरी	(47)	गोह खुर्द
(10)	अमाडे	(29)	कालाम्बाई	(48)	अपाती
(11)	वरसावने	(30)	कोन्ढावाल	(49)	गंगापुर खुर्द
(12)	कोंढारे	(31)	फूलवाडे	(50)	अमोंडी
(13)	आदेवारे	(32)	फलोडे	(51)	कनासे
(14)	बोरघर	(33)	कोलटावाडे	(52)	गंगापुर बुदुर्क
(15)	पाटन	(34)	तेरूनगांव	(53)	सिनोली
(16)	कुसीरे खुर्द	(35)	दिम्भे बुदुर्क	(54)	पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(17)	पंचाल बुदुर्क	(36)	महालुंगे-टर्फ-घोडा	(55)	साल
(18)	कुसीरे बुदुर्क	(37)	राजपुर	(56)	ढाकले
(19)	दिगाद	(38)	छिक्काली		

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1)	छिल्लेवाडी	(23)	हदसर	(45)	वानेवाडी
(2)	अम्बेहवाइन	(24)	देवाले	(46)	अपटाले
(3)	जामभूलसी	(25)	खाइरे	(47)	कोली
(4)	खिरेश्वर	(26)	घाटघर	(48)	शिवाली
(5)	माथालाने	(27)	जलवांडी	(49)	उतचिल
(6)	कोल्हेवाडी	(28)	हिरदी	(50)	बोतारडे
(7)	कोपारे	(29)	उनदेखादेक	(51)	धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(8)	मंडावे	(30)	राजपुर	(52)	भिवांडे बुदुर्क
(9)	सिंगनोर	(31)	खाटकाले	(53)	इंगालून
(10)	आलू	(32)	मणिकोधा	(54)	भिवाडे खुर्द
(11)	खूबी	(33)	खाड कुम्बे	(55)	घंगालडारे
(12)	पिम्पालगांव	(34)	उरसान	(56)	सोनावाले
(13)	कारंजाले	(35)	वेवादी	(57)	ताम्बे
(14)	माछ	(36)	तेजपुर	(58)	हिवारे-टर्फ-मिनहर
(15)	पांगरी-टर्फ-माधा	(37)	फंगलघावन	(59)	हतविज
(16)	कोलवाडी	(38)	छावान्ड	(60)	अम्बे
(17)	परगाव-टर्फ-मोद	(39)	पुर	(61)	पिंपलवाडी
(18)	तालेरान	(40)	खानगांव	(62)	सुकालेवाडे
(19)	सीतेवाडी	(41)	मानकेश्वार	(63)	गोदरे
(20)	वाथाले	(42)	सुरले	(64)	खामगांव
(21)	निमगिर	(43)	अम्बोली	(65)	सोमतवाडी
(22)	अनजानवाले	(44)	शिरोली-उर्फ-कुकादनेर		

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखित :-

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) तकली
(2) पदसा
(3) सायपाल
(4) मुरली
(5) वादसा
(6) कोली
(7) अता
(8) गोण्डेगांव
(9) मदनपुर (महोर)
(10) बोण्डगांव
(11) उमरा
(12) मछन्द्रा पारद
(13) करालगांव
(14) स्वरखेड
(15) डिगडी (कुटेमार)
(16) वाई
(17) हरदाप
(18) नाइकवाडी
(19) हिनगानी
(20) वाजरा
(21) तुलसी
(22) गोंडवासा
(23) अंजानखेड
(24) भोराड़
(25) छोराड़
(26) धनोरा (सिंदखेड)
(27) रामपुर
(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराज बुदुर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदुर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) प्रधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदुर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदुर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपर फोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदुर्क
(151) वागधारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

(क) चिखलाधारा और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धामानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी
17. चिंचाला
18. पान हरकावाला
19. खर्दा (वन ग्राम)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव
32. खारीगांव
33. सराती
34. बुरांडा
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. घानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव
46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछपोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी
57. शिबला
58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बुदुर्क
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी
88. कुंडी
89. मांडिव
90. जुनोनी
91. पाराम्भा
92. पोखरनी (वन ग्राम)
93. पिवारदोल
94. भोराद (वन ग्राम)
95. चिखालदोह
96. मुलगवान
97. भीमनाला
98. चटवान
99. अराइकवाड़
100. गवारा
101. माथार्जुन
102. महदापुर
103. पंधारवानी
104. देमाद देवी
105. मंडवा
106. डोंगारगांव
107. दभाड़ी
108. उमरी
109. मुधाती
110. घ्रसोदी
111. कोडपखिंडी
112. मंगरूल खुर्द
113. मंगरूल बुदुर्क
114. गोपालपुर
115. रामपेठ
116. चालबरडी
117. जामनी
118. शिरोला
119 अदकोली
120. खालकलोह
121. बिरसापेठ
122. मुछी
123. मारकी बुदुर्क
124. मरकी खुर्द
125. गणेशपुर
126. पवांर (वन ग्राम)
127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
128. खेकाड़ी (वन ग्राम)
129. शेकापुर
130. यिओती

(ii) **रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

रालेगांव तहसील :

1.	लोहारा	16.	तेजानी	31.	उमरविहिर
2.	एकलारा	17.	अंजी	32.	अदनी
3.	सोनेर्डी	18.	लोनी	33.	खटारा
4.	वाटक हेर	19.	बोराती (वन गांव)	34.	मुन्जाला
5.	जलका	20.	सुराती	35.	पलासकुन्ड
6.	वामा	21.	खैरगांव कसार	36.	वीर गांव
7.	पिंपारी दुर्ग	22.	वारधा	37.	खेर गांव
8.	मांडवा	23.	भुलगद	38.	देवधारी
9.	कोलवान	24.	पिंपलशेंडा, (75)	39.	सिंगल दीप
10.	शोइत	25.	अतमुर्डी	40.	सोनुर्ली
11.	वरूद	26.	सावरखेड	41.	सिन्दुला
12.	बुकाई	27.	चोंधी	42.	जोतिगदारा
13.	जरगद	28.	वधोडा	43.	साखी खुर्द
14.	खादकी सुकली	29.	खेमकुन्ड		
15.	डोंगर गांव	30.	पार्डी (वन गांव)		

(iii) **केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-**

केलापुर तहसील :

1.	मोदारी	37.	पेधारी	73.	वेदाद
2.	जोगीन कोहला	38.	पिल्पाली	74.	बागी
3.	मीरा	39.	डोंगारागांव	75.	घनमोडे
4.	जीरा	40.	बेथ	76.	नन्दगांव
5.	घोद्दारा (वन गांव)	41.	माले गांव खुर्द (वन गांव)	77.	गणेशपुर
6.	साखी बुदुर्क	42.	हिवारदारी (वन गांव)	78.	टाटापुर
7.	वधोना खुर्द	43.	मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	79.	जुन्जापुर
8.	जोलापुर (वन गांव)	44.	दरियापुर	80.	गेंडवाकाडी
9.	करानी	45.	पिल्वाहरी	81.	चलबर्दी
10.	वधोना बुदुर्क	46.	अर्ली	82.	बेलुरी
11.	तिवसाला (वन गांव)	47.	हिवारी	83.	टादुमारी
12.	कोथाडा	48.	पिंपालशेंडा	84.	बरगांव
13.	सुरदेवीं	49.	कारागांव,	85.	अकोली बुदुर्क
14.	चनई	50.	वाडवत	86.	महानदोली
15.	असोली	51.	खैरी	87.	सखारा
16.	मुहादा	52.	घुवाडी	88.	मराठवाकाडी
17.	कारेगांव	53.	कोंघारा	89.	ढोकी
18.	चिखालदारा	54.	सखारा बुदुर्क	90.	वल्लारपुर
19.	कृष्णापुर	55.	धारना	91.	टोकवनजारी
20.	दाभा	56.	मांगी	92.	वानजारी
21.	मारवा	57.	ढाकी	93.	खारीगांव बुदुर्क
22.	खेरगांव	58.	वायी	94.	टिमभी
23.	वघोली	59.	पिंपालपुर	95.	राधापुर (वन गांव)
24.	कुसलगांव	60.	गणेशपुर	96.	पिखाना (वन गांव)
25.	चोपन	61.	खेरगांव,	97.	वासएरी
26.	मल्कापुर (वन गांव)	62.	पाह	98.	अन्धारवाडी,
27.	केगांव	63.	निलजई	99.	यलापुर (वन गांव)
28.	वाद्नेर	64.	मारगांव	100.	चनाखा
29.	जुली	65.	अभोरा	101.	निमधोली
30.	भाद उमारी	66.	डोंगरगांव,	102.	रूधा
31.	पटोडा	67.	पिंपारी	103.	सुकली
32.	पहापल	68.	खैरगांव		
33.	नगजारी खुर्द	69.	मुची		
34.	बहत्तार	70.	मंगुर्दा		
35.	सुसारी	71.	पन्धारवानी बुदुर्क (वन गांव)		
36.	नईकसुकली (वन गांव)	72.	कोंधी		

(iv) **घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

घतांजी तहसील :

1.	मरवेली	20.	अयाते	39.	चिखालवार्धा
2.	रजुरवाडी	21.	काप	40.	तड़-सवाली
3.	लिंगी	22.	कवाथा बुदुर्क	41.	सफैाल
4.	कोली खुर्द	23.	बिलायत	42.	नागेजरी बुदुर्क
5.	कोली बुदुर्क	24.	खादकी	43.	कवाथा (वन गांव)
6.	रामपुर उन्धार्नी	25.	चिमटा	44.	पारवा
7.	कपाशी	26.	कोपरी खुर्द	45.	मझाडा
8.	डेटोडी	27.	चिंचोली (268)	46.	पार्दी
9.	गुधा	28.	किंधी (वन गांव)	47.	जम्ब
10.	वारूड, (240),	29.	गवारा (वन गांव)	48.	कालेश्वर
11.	जपारवाडी	30.	टिटवी	49.	शेराद
12.	उमरी (242)	31.	मुरादगवन (वन गांव)	50.	धूंकी (वन गांव)
13.	पलोडी	32.	पिंपाल खुटी (वन गांव)	51.	मथानी (वन गांव)
14.	कापरी (244)	33.	खरोनी (वन गांव)	52.	राजागांव (वन गांव)
15.	घोटी	34.	वधोना	53.	खापरी (वन गांव)
16.	बुडाडी	35.	डोर्ली	54.	होनेगांव
17.	मुधाटी (वन गांव)	36.	राहती	55.	गनेडी
18.	जलान्द्री	37.	रासा (वन गांव)		
19.	मनुसधारी	38.	जताला		

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित :-

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1.	नवगांव	22.	मुदजा तुकुम	43.	गजनगुद्दा
2.	चाक चुरचुरा	23.	करूपाला	44.	बनोली
3.	कुराधी	24.	मसली	45.	सूर्यडोंगरी
4.	चाक मउसी	25.	रणभूमि	46.	सलाईटोला
5.	मरमेडी	26.	चन्दाला	47.	विटानटोटा
6.	बोथेडी	27.	रणमोल	48.	पोटेगांव
7.	पेलनदुर,	28.	कुम्भी पत्च	49.	रजोली
8.	गिलगांव	29.	कुम्भी मोकासा	50.	मद्रास
9.	चाक खारपुर्डी,	30.	मादे मुल	51.	जालेर
10.	जपरा,	31.	मारोदा	52.	दैवापुर
11.	चाक धिबाना	32.	कोसाम घाट	53.	रामगाड,
12.	मेरउमबोडी	33.	रायपुर	54.	गावलहेटी
13.	कुरकेडी	34.	रवानजोरा	55.	डेउडा
14.	खुरसा	35.	पेकिनकासा	56.	खरादगुडा
15.	वीजापुर	36.	सवेला	57.	तालकुडा
16.	सोनापुर	37.	सुईमारा	58.	जामगांव
17.	मोंधा	38.	सखेरा	59.	खाडसी
18.	सावरगांव	39.	कर्कजारा	60.	कोरकुटी
19.	कनरी	40.	कन्हलगांव	61.	नागवेली
20.	पुलखाल	41.	केलीगाटा	62.	जालेगांव
21.	मुदजा बुदुर्क	42.	तोहागांव		

(ii) **अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

अरमोरी तहसील :

1.	कोरागांव	26.	चाक केरनाडा	51.	पिसेवाडढ़ा
2.	कालमगांव	27.	लोहारा	52.	परासवाडी
3.	कुरल	28.	चाक सोनपुर	53.	डवाडी
4.	सलेडा तुकाम	29.	हीरापुर	54.	खादकी
5.	सलेडा लाम्बा	30.	डोंगर तमसी	55.	भाकरांडी
6.	कसारी तुकाम	31.	सियानी खुर्द	56.	नरोती मालगुजार
7.	कसारीगांव	32.	चावहेला	57.	कोरेगांव
8.	शिवराजपुर	33.	मोहाताला चाक कुकोडी	58.	वारखेडा
9.	पोटेगांव	34.	मेंधा	59.	खराडी
10.	विहिरगांव	35.	डोंगारतमसी	60.	भंशी
11.	पिंपालगांव	36.	नगरवाडी	61.	डोर्ली
12.	अरात-तोन्डी	37.	चाक नरोती	62.	वनारचुवा
13.	डोंगारगांव (हलाबी	38.	चाक कुरोंडी	63.	जमभाली
14.	प्लासगांव	39.	वाडेगांव	64.	मिंधा
15.	नवारगांव	40.	थोटीबोडी	65.	नारचोली
16.	पनथारगोटा	41.	देलवांडी	66.	खेहारी
17.	मगेवेड़ा	42.	मेनापुर	67.	मारगांव पेच
18.	अर मोरी	43.	कोसारी	68.	मारगांव
19.	सलमारा	44.	मनगोडा	69.	चाक मारगांव
20.	थानेगांव	45.	तुलतुली	70.	चाक चिचोली
21.	पटानवेडा	46.	चकनागारवाही	71.	मुसी खुम्ब
22.	पुरानवैरागड	47.	विहिरगांव	72.	वेलागांव
23.	देउलगांव	48.	कुरांडी	73.	चिचोली
24.	सुकला	49.	उमारी	74.	वानखेडा
25.	मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी	50.	यंगाडा		

(iii) **चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

चामोरसी तहसील :

(1)	सगानपुर	(45)	मांगनेर	(89)	अम्बेला (वनग्राम)
(2)	वनढोना	(46)	छिचपाल्ली	(90)	गोट्टा (वनग्राम)
(3)	गिलगांव	(47)	वानारछुवा	(91)	अडगेपाल्लि
(4)	भिंडी कनाल	(48)	जयरामपुर	(92)	सुरगांव (वनग्राम)
(5)	देटारी	(49)	वाइगांव	(93)	येल्लूर
(6)	चाइट कनवर	(50)	नारायणपुर	(94)	थाकरी
(7)	कलामगांव	(51)	राजौर खुर्द	(95)	राजगट्टा
(8)	कुरूड	(52)	हलदवाही	(96)	लोहरा
(9)	मेलर	(53)	मुधोली	(97)	मुकारीटोला
(10)	कुलीगांव	(54)	कोठारी	(98)	भोलखांडी (वनग्राम)
(11)	नाचागांव	(55)	बम्हनी देव	(99)	हेतलकासा
(12)	बहेडविहिड	(56)	सोमनापल्लि	(100)	बोलपाल्लि
(13)	वालसारा	(57)	कान्हलगांव	(101)	पुलीगुड्म
(14)	चाक विजापुर	(58)	सिंगेला	(102)	कुनगादा
(15)	जोगाना	(59)	बेलगाट्टा	(103)	कुनगाड़ा
(16)	मुरमुरी	(60)	पेठाताला	(104)	कालपुर
(17)	रावनपाली	(61)	छाक पेठाताला सं. 1	(105)	गंगापुर
(18)	सोनापुर	(62)	पारादीदेव	(106)	चंदन खेड़ी
(19)	डरर्ली	(63)	यादापाल्ली	(107)	मालेरा
(20)	रेखागांव	(64)	राजपुर	(108)	बसारवाडा
(21)	यदनूर	(65)	जाम्भाली रिथ	(109)	छपराला
(22)	पेलसानपेथ	(66)	मेटे गुडा	(110)	छइदामपेट्टी
(23)	पन्धारी भटाल	(67)	छाक बेलगत्ता	(111)	मुकाडी (वनग्राम)
(24)	राजनगेट्टा	(68)	मांजी गांव	(112)	सिगनपाल्लि
(25)	चाक अमरगांव न. 1	(69)	मच्छालीगोट	(113)	धामनपुर
(26)	मुतनूर	(70)	छाक माक्केपल्लि सं. 4	(114)	कोठारी (930)
(27)	अबापुर	(71)	दर्पन गुडा	(115)	अम्बाटपाल्लि
(28)	मुरानदेपी	(72)	छाक माके पल्लि सं. 2	(116)	गोमानी
(29)	लिनगुडा	(73)	छाक माकेपल्लि सं. 3	(117)	लागमहेट्टी
(30)	अदयल	(74)	गारांजी	(118)	दामनपुर
(31)	कर्कापल्ली	(75)	छाक मेड आमगांव	(119)	बन्दुकपाल्लि
(32)	चाक कर्कापल्ली	(76)	छाक मेड आमगांव संख्या 1	(120)	कोडीगांव
(33)	जंगामकुरल	(77)	छाक मेड आमगांव संख्या 2	(121)	छिछेला
(34)	फियूजर	(78)	तुमडी	(122)	नागुलवाही
(35)	दिकानी	(79)	रिगाडी	(123)	छितुगुंहा
(36)	चाक मुदोली न. 2	(80)	माकेपाल्लि मालगुजारी	(124)	तुमुगुडा
(37)	लक्ष्मणपुर	(81)	बोरघाट	(125)	माछिनगट्टा
(38)	सगानपुर	(82)	अस्टी नोकेवाडा	(126)	येल्ला
(39)	अम्बोली	(83)	ब्राहमणपेठ	(127)	टिकपाल्लि
(40)	गहुबोदी	(84)	वेंगानूर	(128)	मरपाल्लि
(41)	छाक नारायनपुर संख्या 1	(85)	नोकेवाडा	(129)	जामगांव
(42)	छाक नारायनपुर संख्या 2	(86)	अल्ला पाल्लि	(130)	कुलथा
(43)	राजुर वुदर्क	(87)	रेगेवाही	(131)	रामपुर
(44)	भादविड	(88)	कोलपाल्लि	(132)	लागम छाक

11. चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) परसौदा
(2) रायपुर
(3) खतौडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) खतौडा बुदुर्क
(6) मेंहदी
(7) परदी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रूपापेठ
(14) चनाई बुदुर्क
(15) मांडवा
(16) कनेरगांव बुदुर्क
(17) कथलावौडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवौडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खोदकी
(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदुर्क
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरलो
(55) करगांव खुर्द
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांव्बा
(75) टेका अर्जुनी बुदुर्क
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबापुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोली बुदुर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव
(153) मागी
(154) वांगी
(155) पाढरपुनी
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारूर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्धेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुबाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव
(182) अन्नूर

\# महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा

1.मयूरभंज जिला

2. सुंदरगढ़ जिला

3.कोरापुट जिला

4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील

5.क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।

6. बोधा-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।

7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।

8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।

9.बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

\#\# ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाई गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली कालीवास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

(12) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोढा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसा पंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील
5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड$$

1. रांची जिला	8. सरायकेला-खरसावां जिला	14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
2. लोहरदगा जिला	9. साहेबगंज जिला	15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक
3. गुमला जिला	10. दुमका जिला	
4. सिमडेगा जिला	11. पाकुर जिला	
5. लातेहर जिला	12. जामतारा जिला	
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला	13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें	
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला		

$$ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1. 1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश$$$

1 झाबुआ जिला	11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील	17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।
2 मंडला जिला	12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड	बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और ध ावादिखाना गांव।
3 सरगुजा जिला	13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील	
4 बरवानी जिला	14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड	
5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील	15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड	
6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील	16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड	
7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।		
8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील		
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।		
10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।		

IX. छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला 2. कोरिया जिला 3. बस्तर जिला 4. दांतेवाड़ा जिला 5. कांकेर जिला 6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला- 1, गौरेला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल	7. कोरबा जिला 8. जशपुर जिला 9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड 10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड 11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड	12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड 13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

अनुलग्नक 5घ

अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति (15.01.2015 तक)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्टों प्राप्त हुई					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
3.	गुजरात	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
4.	झारखंड	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
6.	मध्ध प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
8.	ओडिशा	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
9.	राजस्थान	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
10.	तेलंगाना	नव निर्मित राज्य, 2014.15 के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट 13.09.2015 के बाद भी आयेगी					

अनुलग्नक 5ड.

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (15.01.2015 तक)

राज्यों के नाम	आयोजित टीएसी बैठकों की तिथियां	
	2013-2014	2014-15
आंध्र प्रदेश	15.10.2013	रिपोर्ट नहीं की गयी
छत्तीसगढ़	17.07.2013	22.7.2014
गुजरात	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
हिमाचल प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
झारखंड	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
मध्य प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
महाराष्ट्र	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
उड़ीसा	27.07.2013	रिपोर्ट नहीं की गयी
राजस्थान	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
तमिलनाडु*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
पश्चिम बंगाल*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
तेलंगाना	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी

(टिप्पणी: * दर्शाया गया है कि राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र नहीं है)
(एन.आर.: रिपोर्ट नहीं की गयी)

अनुलग्नक-6क

वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान मंत्रालय/विभागवार जनजातीय उप-योजना आवंटन

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	टीएसपी आवंटन (2013-14)	टीएसपी आवंटन (2014-15)	टीएसपी आवंटन (2015-16)
	कृषि मंत्रालय			
1	कृषि एवं सहकारिता विभाग	932.50	953.52	971.71
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	123.00	133.80	133.00
3	कोयला मंत्रालय	31.60	37.15	0.00
	संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
4	दूरसंचार विभाग	14.50	17.50	1.64
5	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	201.00	256.00	172.00
	उपभोगता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
6	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	6.28	4.13	1.12
7	संस्कृति मंत्रालय	28.70	36.70	29.10
8.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	1526.00	1526.00	623.00
8	पर्यावरण और वन मंत्रालय*	16.00	16.00	5.00
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2391.53	2512.89	2013.02
10	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होमियोपैथी विभाग (आयुष)	21.38	21.38	20.16
11	एड्स नियंत्रण विभाग	146.37	0.00	0.00
12	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	35.04	144.00	130.00
	मानव संसाधान विकास मंत्रालय			
13	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	5313.52	5663.80	4297.27
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	1219.59	1267.62	1189.17
15	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	206.95	200.57	176.55
16	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	244.21	273.00	214.27
17	खान मंत्रालय	9.72	21.47	0.00
18	सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	800.00	400.00	400.00
19	पंचायती राज मंत्रालय	37.55	1203.00	0.00
	ग्रामीण विकास मंत्रालय			
20	ग्रामीण विकास विभाग	4452.03	10358.49	2714.37
21	भू-संसाधान विभाग	576.45	375.00	159.97
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
23	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	69.43	78.12	85.04
24	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	46.00	45.20	45.22
25	वस्त्र मंत्रालय	55.57	55.57	42.28
26	पर्यटन मंत्रालय	32.05	47.05	37.00
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय ***	4279.00	4479.00	4792.19
28	जल संसाधान मंत्रालय	19.50	191.58	0.00
29	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1668.70	1730.20	843.51
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय	90.28	101.29	85.30
	कुल	**24594.45**	**32386.84**	**19181.89**

अनुलग्नक-6ख

वार्षिक योजना 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य-वार टीएसपी परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अ.ज.जा. की जनसंख्या की प्रतिशतता (जनगणना 2011)	वार्षिक योजना 2012-13			वार्षिक योजना 2013-14			वार्षिक योजना 2014-15			वार्षिक योजना 2015-16	
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी वास्तविक व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	प्रत्याशित परिव्यय	प्रत्याशित परिव्यय: राज्य योजना परिव्यय	प्रत्याशित परिव्यय: टीएसपी आवंटन	प्रत्याशित परिव्यय	राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	7.00	48935.00	3591.39	2241.76	53000.00	3666.60	2070.68	26672.86	1500.26	NR	34412.47	1904.48
2	असम	12.45	10500.00	72.46	65.50	12500.00	82.00	72.55	14029.00	90.20	NR	15278.01	
3	बिहार	1.28	28000.00	393.86	281.63	34000.00	485.00	434.52	40100.00	508.80	508.80	63039.50	679.13
4	छत्तीसगढ़	30.62	23480.00	7356.00	6177.65	25250.00	7952.17	6946.97	26615.00	9518.57	NR	NR	NR
5	गोवा	10.23	4700.00	566.42	92.19	4715.00	614.47	187.08	4520.48	328.63	NR	NR	NR
6	गुजरात	14.75	51000.00	6682.41	6498.44	59000.00	7236.60	7102.85	71500.00	9038.54	7536.10	79295.00	9690.53
7	हिमाचल प्रदेश	5.71	3700.00	333.00	333.00	4100.00	369.00	369.00	4400.00	395.47	395.47	4800.00	432.00
8	जम्मू और कश्मीर	11.91	7300.00	1254.77	NR	7300.00	1113.55	1113.55	NR	NR	NR	NR	NR
9	झारखण्ड	26.21	16300.00	8199.40	4458.06	16800.00	8474.60	5102.97	26250.00	11680.29	NR	NR	NR
10	कर्नाटक	6.95	42030.01	2075.00	1679.79	47000.00	2354.70	2480.74	6559.78	4315.07	NR	NR	4582.72
11	केरल	1.45	14010.00	325.15	325.15	17000.00	389.85	389.85	20000.00	600.00	NR	NR	NR
12	मध्य प्रदेश	21.09	28000.00	6178.91	5930.89	35500.00	6800.00	6267.45	53512.64	12057.64	NR	NR	NR
13	महाराष्ट्र	9.35	45000.00	4005.00	3065.47	49000.00	3817.34	3713.12	51222.54	4814.92	4090.21	54999.00	5170
14	मणिपुर	35.12	3500.00	1358.53	1566.90	3650.00	1376.28	1280.67	8671.43	3059.68	NR	NR	NR
15	ओडिशा	22.85	17250.00	4316.40	3741.80	21500.00	5134.54	5099.02	37529.28	7884.50	5869.56	44150.00	9134.34
16	राजस्थान	13.48	33500.00	4321.19	3859.15	40500.00	5193.40	4809.55	69820.05	9178.10	NR	71405.78	9886.71
17	सिक्किम	33.80	1877.00	386.66	NR	2060.00	NR	NR	3905.00	NR	NR	NR	NR
18	तमिलनाडु	1.10	28000.00	353.93	267.76	37128.00	496.13	439.77	42185.00	572.93	445.85	55100.00	657.76
									26672.36	4559.81	NR	52374.55	5035.68
19	त्रिपुरा	31.76	2250.00	699.75	740.48	2500.00	NR	NR	2190.62	1396.98	1094.93	2218.58	1841.06
20	उत्तर प्रदेश	0.57	57800.00	38.00	30.26	69200.00	41.50	18.69	113500.00	104.29	NR	NR	NR
21	उत्तराखण्ड	2.89	8200.00	246.38	145.56	8500.00	255.00	90.99	10600.00	318.00	NR	NR	354.37
22	पश्चिम बंगाल	5.80	28000.00	1658.52	1657.52	30314.00	2173.14	2173.14	46290.35	3136.41	NR	NR	NR
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.50	1701.43	226.43	214.53	1867.10	228.79	228.79	5821.00	240.00	175.77	NR	NR
24	दमन व दीव	0.06	568.25	50.29	3.42	630.05	3.90	4.95	2070.07	11.24	NR	NR	NR
	कुल		**505601.69**	**54689.85**	**43376.91**	**583014.15**	**58258.56**	**50396.90**	**714637.46**	**85310.33**			

स्रोत: राज्य सरकारों के राज्य योजना के अनुमोदन पत्र तथा टीएसपी दस्तावेज   # अ.ज.जा. स्वायत्त परिषद सहित (वार्षिक योजना 2012-13 तथा 2013-14 में सं. 7)   एन.आर: रिपोर्ट नहीं किए गए

अनुलग्नक-6ग

वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (23.02.2016) तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	4000.00
2	अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80
3	असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00
4	बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7	गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11500.00
8	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99	444.32
9	जम्मू-कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00
10	झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	8732.66
11	कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	4658.05
12	केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00	748.94	520.44
13	मध्य प्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15
14	महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	12874.00
15	मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	779.40
16	मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	303.02
17	मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	1119.81
18	नगालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93	2067.15	3769.34
19	उड़ीसा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	14000.00
20	राजस्थान	2224.48	2070.00	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	6512.85
21	सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90	370.30	450.30
22	तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40	4050.00
24	त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1250.63
25	उत्तर प्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74
26	उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02
27	पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	6300.00
	कुल योग	30000.00	25270.00	33000.00	38000.00	40000.00	39027.69	33978.41	39910.00	99988.41	108483.48	81999.78	109713.98	113264.14	115874.64

अनुलग्नक-6घ

वर्ष 2002-03 से 2015-16 (23.02.2016 तक) के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (23.02.2016) तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	2080.00
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	3000.00
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10167.89
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10500.00
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	357.00
8	जम्मू-कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00
9	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	7844.00
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50
12	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7728.00	11726.18	9405.92
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00
15	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	13485.02
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10000.00
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.00	3100.00
20	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	1400.07
21	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00
22	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51
23	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6133.00
	कुल	49700.00	46130.00	49700.00	49701.00	59573.91	63179.81	63135.29	48124.00	90169.67	96234.09	85254.35	105000.00	103999.37	99428.38

अनुलग्नक-6ड.

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) के तहत आवंटित, निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15			2015-16	
		आवंटित निधियां	निर्मुक्त निधियां	उ.प्र.प./पी.सी.	आवंटित निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1000.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00
5	छत्तीसगढ़	1000.00	1000.00	637.41	1384.50	1384.50
6	गुजरात	1000.00	1000.00	1000.00	1723.00	1723.00
7	हिमाचल प्रदेश	1000.00	1000.00	398.30	0.00	0.00
8	झारखण्ड	1000.00	1000.00	1000.00	1344.80	1344.80
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10	केरल	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
11	मध्य प्रदेश	1000.00	1000.00	1000.00	1909.28	1909.28
12	महाराष्ट्र	1000.00	1000.00	1000.00	1400.00	1400.00
13	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	490.50	490.50
14	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	766.65	766.65
15	ओडिशा	1000.00	1000.00	1000.00	1650.00	1650.00
16	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	382.43	135.00
17	राजस्थान	1000.00	1000.00	750.00	1046.42	1046.42
18	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
19	तेलंगाना	1000.00	1000.00	1000.00	400.00	400.00
20	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	613.00	613.00
21	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
22	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	2450.00	2450.00
कुल		10000.00	10000.00	8790.71	19972.58	19525.15

अनुलग्नक-6च

वर्ष 2015-16 के दौरान वनबंधु कल्याण योजना के तहत निधियों का राज्य-वार क्षेत्रीय आवंटन

क्र. सं.	राज्य	छात्रवासों तथा विद्यालयों में शिक्षा/ अवसंरचना/ शौचालय	स्वास्थ्य/ खेल/ सुरक्षित पेय जल	स्व-रोजगार/ कौशल विकास/ फलों की खेती/ आजीविका/ डेयरी/ मछली पालन	सिंचाई	संस्कृति/ पर्यटन	निगरानी प्रकोष्ठ/ संस्थान	संपर्क/ बाजार/ बिजली/ स्व-रोजगार
1	आंध्र प्रदेश	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3	असम	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
4	बिहार	0.00	0.00	380.00	110.00	0.00	0.00	210.00
5	छत्तीसगढ़	1384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	290.00	50.00	764.00	400.00	110.00	109.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	झारखण्ड	496.00	107.36	972.00	0.00	0.00	120.00	0.00
9	केरल	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	मध्य प्रदेश	0.00	218.00	944.13	0.00	300.00	0.00	500.00
11	महाराष्ट्र	500.00	400.00	200.00	300.00	200.00	0.00	200.00
12	मिजोरम	0.00	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00	35.00
13	नागालैण्ड	60.75	369.50	100.00	50.00	0.00	0.00	186.40
14	ओडिशा	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
15	राजस्थान	500.00	250.00	420.00	0.00	0.00	0.00	250.00
16	सिक्किम	132.00	40.00	200.00	0.00	10.00	0.00	0.00
17	तमिलनाडु	440.00	188.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00
18	तेलंगाना	0.00	150.00	240.00	0.00	230.00	50.00	0.00
19	त्रिपुरा	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20	उत्तर प्रदेश	0.00	50.00	110.00	0.00	0.00	30.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	735.00	735.00	735.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	कुल	6138.39	3107.86	6333.63	1100.00	1127.00	309.00	2931.40

अनुलग्नक-6छ

शामिल किए जाने वाले केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग-वार मुद्दों तथा परिकल्पित लक्ष्यों/परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम	शामिल किए जाने वाले मुद्दे	उपलब्ध किए जाने वाले परिणाम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	● आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच- स्वास्थ्य केन्द्र तथा डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं जैसे एएनएम, परा-चिकित्सा, आशा आदि की उपलब्धता ● नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को नियंत्रित करना ● मलेरिया की उच्च घटना को नियंत्रित करना ● सिकल सेल एनीमिया का प्रबंधन ● टीकाकरण ● संस्थागत प्रसूति	i. नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में विद्यमान स्तर से 50 प्रतिशत तक की कमी ii. माताओं तथा बच्चों का 100 प्रतिशत टीकाकरण iii. प्रशिक्षित जन्म देखभालकर्त्ता/संस्थागत प्रसूति के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रसूति सुनिश्चित करना iv. प्रसव-पूर्व तथा प्रसव-पश्चात देखभाल में सुधार v. सभी प्रभावित राज्यों में सिकल सेल एनीमिया का प्रभावी प्रबंधन vi. सिकल सेल एनीमिया के लिए स्टैम्प सेल अनुसंधान vii. मलेरिया रोग में विद्यमान स्तर से 50 प्रतिशत तक की कमी viii. स्टाफ/स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की पूर्ति के साथ पूरे देश में कुल 5638 उप-केन्द्रों 1086 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 268 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी को पूरा करना
आयुष मंत्रालय	● आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रावधान ● परंपरागत चिकित्सा तथा जनजातीय स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण ● जनजातीय चिकित्सा को बढ़ावा देना ● योग तथा ध्यान का संवर्धन	● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) तथा जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का प्रावधान ● आयुष स्वैच्छिक संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण ● जनजातीय बहुल क्षेत्रें में औषधियों की जांच करने की प्रयोगशालाओं को स्थापित करना ● जनजातीय चिकित्सा तथा चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का प्रलेखन तथा वैधता ● औषधीय पौधों की खेती का संवर्धन ● जनजातीय विद्यालयों/जनजातीय अधिवासों में योग के लिए प्रावधान

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	● 60 लाख परिवारों की सुरक्षित पेय जल तक कोई पहुंच नहीं है। ● आंशिक हस्तक्षेप के साथ 46 लाख परिवार ● 172 लाख परिवारों के मकानों के अंदर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। ● 190 लाख परिवारों के मकानों के अंदर स्नानघर की कोई सुविधा नहीं है।	● 5 वर्ष के अंदर अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार जिनकी सुरक्षित पेय जल तक पहुंच नहीं है, की कवरेज। ● 5 वर्ष के अंदर आंशिक हस्तक्षेप वाले सभी परिवारों की कवरेज। ● जल की सुविधा के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण। ● प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार के लिए स्नानघर के साथ शौचालय के निर्माण हेतु सहायता। ● जनजातीय विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत तथा नए शौचालयों का निर्माण।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	● संपूर्ण टीकाकरण ● कुपोषण ● आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं	● 0-6 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों का टीकाकरण ● बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण। ● सभी जनजातीय बच्चों के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक/कीटाणुनाशन। ● बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की जांच। ● महिलाओं के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचना।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	● खाद्य सुरक्षा ● कुपोषण	● सभी जनजातीय लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा। ● जनजातीय क्षेत्रों में शीत भंडारण/गोदामों का प्रावधान ● जनजातीय क्षेत्रों में खुदरा दुकानों का प्रावधान।
युवा मामले तथा खेल मंत्रालय	● खेल प्रतिभाओं का पता लगाना/ प्रतिभा की खोज। ● जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाएं प्रदान करना।	● प्रत्येक ब्लॉक में मिनि-स्टेडियम, खेल परिसर तथा प्रशिक्षण जैसी खेल सुविधाएं। ● खेल प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन। ● ईएमआरएस तथा आश्रम विद्यालयों में खेल सुविधाएं प्रदान करना। ● नेहरु युवा केन्द्र के माध्यम से युवा नेतृत्व तथा सामुदायिक विकास संबंधी प्रशिक्षण। ● क्षेत्रों/समुदायों से देशीय खेलों और युवा कला (मार्शल आर्ट) जो विशेष खेल में उत्कृष्टता के लिए या तो आनुवांशिक तौर पर अथवा भौगोलिक तौर पर लाभदायक है, को बढ़ावा देना।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	● खेल सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच तथा उसे बनाए रखना। ● जनजातीय बहुल क्षेत्रें में आदर्श विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करना। ● जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का संवितरण। ● 'स्मार्ट स्कूल'. ● गांव का पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय स्थापित करना। ● संस्कृति विशिष्ट शिक्षण एवं अधिगम सामग्री। ● आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का एकीकरण। ● जनजातीय विद्यालयों मे शौचालय की सुविधाएं।	● प्रत्येक आईटीडीपी/आईटीडीए में नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करना। ● 100: वास्तविक दाखिला। ● अनुसूचित जनजातियों के लिए ड्रॉप आउट के अंतर को कम करना जो विद्यमान जो वर्तमान में 62.4 : (कक्षा I-X) को कम-से-कम सभी अभ्यर्थियों के स्तर अर्थात 47.4: तक लाना। ● प्रत्येक जनजातीय विद्यार्थियों को आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां देना और कीटाणुनाशन करना। ● आईटीडीए में विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण। ● वास्तविक कक्षाकक्ष, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, ई-लाईब्रेरी आदि के लिए सुविधाओं सहित ईएमआरएस का 'स्मार्ट स्कूलों' में परिवर्तन। ● छात्रवृत्तियों का 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ● आश्रम विद्यालयों तथा ईएमआरएस में शौचालयों का नया निर्माण या नवीकरण।
इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	● ई-पुस्तकालय ● प्रौद्योगिकी क्षम शिक्षा। ● विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य द्वारा जनजातीय विकास के क्षेत्र में की गई प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास तथा रख-रखाव। ● सूचना, प्रौद्योगिकी क्षम कौशल विकास।	● वास्तविक सूचना प्रौद्योगिकी क्षम कक्षाकक्षों के साथ सभी ईएमआरएस तथा अन्य विद्यालयों को सक्षम बनाना। ● ईएमआरएस तथा अन्य जनजातीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 100: ई-साक्षरता। ● सूचना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नौकरी-उन्मुख कौशल विकास। ● केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान के माध्यम से जनजातीय कार्यक्रमों की निगरानी हेतु राष्ट्रीय एमआईएस का रख-रखाव।
उच्चतर शिक्षा विभाग	● जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चिकित्सा/ नर्सिंग तथा परा-चिकित्सा/इंजीनियरिंग/ कृषि/ अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ आईटीआइ/ बहु-प्रौद्योगिकी। ● उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए वास्तविक कक्षाकक्ष और बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)। ● प्रशिक्षु प्रशिक्षण। ● महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति। ● प्रौढ़ साक्षरता। ● महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जनजातीय सुविधा केन्द्र।	● प्रत्येक आईटीडीए/आईटीडीपी में चिकित्सा/ नर्सिंग तथा परा-चिकित्सा/इंजीनियरिंग/कृषि/ अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय/आईटीआई/ बहु-प्रौद्योगिकी स्थापित करना। ● प्रत्येक आईटीडीए/आईटीडीपी में उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए वास्तविक कक्षाकक्ष और बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) स्थापित करना। ● छात्रवृत्तियों का 100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ● जनजातीय बहुल क्षेत्रें के महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में जनजातीय सुविधा केन्द्रों को स्थापित करना। ● उच्चतर शिक्षा के लिए जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कोचिंग का प्रावधान। ● अनुसूचित जनजाति के स्नातकों, इंजीनियरों, डिप्लोमाधारकों (तकनीकी) तथा व्यावसायिक 10 जमा 2 पास करने वालों के लिए औद्योगिक व्यवस्थापनों/संगठनों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु अवसरों का प्रावधान।

ऊर्जा मंत्रालय	● 1,75,000 अनुसूचित जनजाति के अधिवासों को क्रियाशील बनाया जाएगा।	● 7000 अनुसूचित जनजाति के अधिवासों को प्रत्येक वर्ष बिजली के मुख्य स्रोत के साथ शामिल किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय	● स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), गांव के संगठन (वीओ), कलस्टर स्तर के परिसंघों का गठन। ● स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के कार्यक्रम। ● स्व-रोजगार तथा प्लेसमेंट के लिए सभी पात्र युवकों का कौशल विकास। ● मछली पालन के लिए परंपरागत जलाशयों का जीर्णोद्धार तथा तालाब का विकास। ● ग्रामीण संपर्क। ● ग्रामीण औद्योगीकरण। ● सभी के लिए आवास। ● अलग-अलग नागरिक अवसंरचना उदाहरण के लिए ग्रामीण हाट, खेल के मैदान, पंचायत अवसंरचना आदि का निर्माण तथा रख-रखाव।	● 5 वर्ष में परिवार में कम-से-कम एक सदस्य को निरंतर रोजगार प्रदान करना। ● 5 वर्ष में एनआरएलएम के माध्यम से 2,50,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन। ● स्व-रोजगार के लिए सभी जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण। ● शुरुआत के तहत गांव के उद्यमियों के लिए उद्भवन सेवाएं प्रदान करना। ● जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रें में प्रमुख कामगारों की 33: तक वृद्धि। ● मनरेगा के तहत पूरे वर्ष में जनजातीय परिवारों के कम-से-कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान करना। ● प्रत्येक वर्ष 3000 डेयरी सहकारिताएं। ● प्रत्येक वर्ष घरेलू मुर्गी पालनधमछली पालन मं 50000 लाभार्थी। ● वर्ष 2016-17 तक जीर्णशीर्ण मकानों वाले 15 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अच्छे मकान प्रदान किए जाने हैं। ● वर्ष 2016-17 तक 5 लाख पीवीटीजी परिवारों के लिए रहने योग्य मकान। ● रहने योग्य मकान वाले एक करोड़ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की 2022 तक अच्छे मकान बनाने के लिए सहायता की जानी है। ● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 250 की जनसंख्या वाले 35,000 अनुसूचित जनजाति के अधिवासों को सभी मौसम वाली सड़क प्रदान की जाएगी। ● दुग्ध मार्गों के साथ जनजातीय अधिवासों को जोड़ना। ● स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों तथा अन्य संस्थानों तक संपर्क सड़क प्रदान करना। ● नक्सल प्रभावित जनजातीय क्षेत्रें में सड़क संपर्क प्रदान करना। ● दिसंबर, 2016-17 तक सभी ग्राम पंचायतों को मोबाईल संपर्क तथा आप्टिक फाइवर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा।

कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	● किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा सुधरी हुई कृषि प्रक्रियाएं प्रदान करना। ● फसल बीमा। ● सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में अंत से अंत तक समाधान। ● कृषीय उत्पादों तथा लघु वन उत्पादों के लिए अग्र पश्च संपर्क। ● खाद्य सुरक्षा, निरंतर आजीविका और कौशल पर धयान देते हुए एकीकृत कृषि विकास। ● एनएचएम के तहत एकीकृत बागवानी विकास। ● मिट्टी के स्वास्थ्य के कार्ड। ● परंपरागत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना।	● सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रें में गुणवत्तापरक बीजों के तंत्र, उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रसार, आईसीटी का उपयोग, आधुनिक तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता, क्षमता निर्माण तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण की अंतर सक्रिय प्रविधियों के लिए सहायता प्रदान करना। ● मौसम आधारित फसल बीमा के तहत जनजातीय किसानों की 100% कवरेज। ● पीएमकेएसवाई के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रें की 100% कवरेज। ● कृषीय उत्पादों तथा लघु वन उत्पाद के लिए अग्र-पश्च संपर्क के विस्तार के लिए जनजातीय लोगों की 100% कवरेज। ● तेल के बीजों, पाम के तेल, दालों, लघु ज्वार बाजरा, शहजन, सब्जियों, परंपरागत अनाज खाद्य पदार्थ तथा अन्य कृषीय विस्तार आदि सहित नकद फसलों के उत्पादन में वृद्धि। ● एनएचएम के तहत रोजगार अवसरों में वृद्धि। ● सभी जनजातीय किसानों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य के कारण का प्रावधान।

मंत्रालय/विभाग का नाम	मुद्दे/लक्ष्य
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	● डेयरी तथा मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन तथा अन्य संब) कृषीय प्रक्रियाओं सहित खेती की प्रक्रिया, बागवानी, सब्जियों की खेती, पशुपालन के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार की जानकारी। ● जनजातीय किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान। ● ग्रामीण किसानों के लिए सुधरी हुई किस्मों के बीज का प्रावधान। ● केवीके के माध्यम से 3,00,000 स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण।
पशुपालन, डेयरी और मछली पालन विभाग	● मवेशी की नस्लों तथा दुग्ध उत्पादन के सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधान (एआई) तथा कीटाणुनाशन कार्यक्रम के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों की 100% कवरेज। ● पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों की 100% कवरेज। ● सभी आईटीडीए और अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चारा विकास तथा पशु धन बीमा। ● सभी आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मछली पालन के विकास के लिए विद्यमान तथा संभावित अंर्तक्षेत्रीय जलाश्यों का विकास। ● मछली पकड़ने के संबंध में डाटाबेस तथा सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय	● पीएमईजीपी के तहत नए स्व-रोजगार उद्यम/परियोजना/सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने सहित आईटीडीए तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए एमएसएमई को ऋण सहायता। ● वाणिज्यिक आय के लिए जनजातीय हस्तशिल्प तथा अन्य कारीगरी का पुनरुद्धार। ● एसएफयूआरटीआई के तहत सुधरी हुई उपस्कर सामान्य सुविधा केन्द्र, व्यापार विकास सेवाओं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा डिजाईन और विपणन सहायता आदि के साथ उन्हें सुसज्जित करते हुए जनजातीय कारीगरों के प्रत्येक कलस्टर के लिए सहायता प्रदान करना। ● टीआरईएडी के तहत जनजातीय महिलाओं की आजीविका के लिए गैर-कृषि कार्यकलापों का विकास। ● आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कृषि उद्योग का विकास।
श्रम और रोजगार मंत्रालय	● आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रें में नई आईटीआई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना। ● आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना, उपस्कर तथा जनशक्ति के संबंध में विद्यमान आईटीआई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। ● 5 वर्षों में गैर-कृषि क्षेत्रों में स्व-रोजगार के लिए 100000 जनजातीय युवाओं के लिए नई प्रौद्योगिकीयों का प्रशिक्षण। ● जनजातीय बच्चों की बाल श्रम की बुराई से सुरक्षा। ● विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले जनजातीय युवकों को कोचिंग-सह-दिशानिर्देश प्रदान करना। ● आरएसआरवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) के तहत जनजातीय लोगों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कवरेज।
वस्त्र मंत्रालय	● 5 वर्षों में स्व-रोजगार के लिए 100000 जनजातीय युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ तुषार तथा मुंगा आदि जैसे वन में पैदा हुई सिल्क के कीड़ों पर ध्यान देते हुए हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन के क्षेत्र तथा रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना।
वस्त्र मंत्रालय	● 5 वर्षों में स्व-रोजगार के लिए 100000 जनजातीय युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ तुषार तथा मुंगा आदि जैसे वन में पैदा हुई सिल्क के कीड़ों पर ध्यान देते हुए हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन के क्षेत्र तथा रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना।
कोयला मंत्रालय	● आजीविका के साथ विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास। ● स्व-रोजगार/रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास सहित जनजातीय विकास गतिविधियों हेतु सीएसआर का उपयोग।
पर्यटन मंत्रालय	● आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मेजबानी तथा पर्यटन गाईड का प्रशिक्षण। ● आईटीडीए तथा अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन/साहसिक पर्यटन का विकास।
खान मंत्रालय	● आजीविका के साथ विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास। ● स्व-रोजगार/रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास सहित जनजातीय विकास गतिविधियों हेतु टीएसआर/सीएसआर का उपयोग। ● वनबधुं कल्याण योजना रणनीति के तहत यथा परिकल्पित जनजातीय विकास गतिविधियों के लिए जिला खनिज परिसंघ (डीएमएफ) का उपयोग।

वित्त सेवा विभाग	● विभिन्न पेंशन/बीमा योजना के तहत शामिल किए गए सभी पात्र व्यक्तियों के रुप में सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय जीवन में सामाजिक सुरक्षा। ● जन धन योजना के तहत जनजातीय परिवारों की 100% कवरेज। ● स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय किसानों को छोटी अवधि के ऋण प्रदान करना।
उद्यमशीलता के कौशल विकास मंत्रालय	● विशेष रुप से वामपंथ उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के पश्चात स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण।
विकलांगता व मामले विभाग	● अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान तथा उनका पुनर्वास ● सहायता यंत्रों के लिए अनुसूचित जनजाति के विकलांग व्यक्तियों की सहायता। ● अनुसूचित जनजाति के विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। ● अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण। ● स्व-रोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता। ● अनुसूचित जनजाति के विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति। ● अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन।
नवीन और नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय	● सभी अनुसूचित जनजातियों के अधिवासों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों विशेष रुप से सौर ऊर्जा से गली में प्रकाश करना। ● प्रत्येक वर्ष 4 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सौर लालटेन/लाईट प्रदान की जाती है। ● 5 वर्ष के अंदर सभी जनजातीय आवासीय विद्यालयों को प्रकाश, कम्प्यूटर तथा गर्म पानी की सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर प्रकाश की सुविधाओं के साथ ऊर्जा प्रदान की जाती है।
दूरसंचार विभाग	● सभी जनजातीय अधिवासों में दूरसंचार/मोबाइल संपर्क प्रदान करना।
शहरी विकास मंत्रालय	● आवश्यकता आधारित अवसंरचना के सृजन के लिए विशेष ध्यान के साथ 667 ब्लॉकों के मुख्यालयों (10000 से कम अनुसूचित जनजाति की वास्तविक जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या के 50% से कम) को विकसित करना।
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	● पूरे देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्यमान तथा संभावित जलाशयों का उपग्रह से 100% मापन तथा राज्य में जनजातीय कल्याण विभागों के काम में आने वाले नक्शों के प्रावधान। ● आधारभूत सुविधाओं, आर्थिक वृद्धि तथा ग्रामीण औद्योगीकरण से संबंधित अवसंरचना विकास के संबंध में जनजातीय बहुल क्षेत्रों की आकाशीय आयोजना।
पर्यटन मंत्रालय	● आईटीडीए तथा अन्य बहुल क्षेत्रों में मेजबानी तथा पर्यटन गाईड का प्रशिक्षण। ● आईटीडीए तथा अन्य बहुल क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन/साहसिक पर्यटन का विकास।
आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	● प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली सभी पात्र अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।
आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	● प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली सभी पात्र अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।
जल संसाधन मंत्रालय	● वाटरशेड प्रबंधन, लघु तथा सूक्ष्म सिंचाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रों को शामिल करना।
भू-संसाधन विभाग	● जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबंधन। ● जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भूमि रिकार्ड प्रबंधन।

अनुलग्नक-6ज

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान निधियों के राज्यवार तथा क्षेत्रवार आवंटन एवं निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	आवासीय विद्यालय में किचन गार्डन/शौचालय/पेयजल/खेल	ईएमआरएस (आवर्ती)	ईएमआरएस (अनावर्ती)	सह शिक्षा विद्यालय/शिक्षा/परिसर/आश्रम	एफआरए	संपर्क/पुलिया/पुल	जल संसाधान विकास/पेयजल	विद्युतीकरण	बाजार/शीत भंडारण/गोदाम/सामुदायिक भवन	छात्रवास	स्वास्थ्य/आंगनबाड़ी/एएनएम/नर्स	वीटीसी/आईटीडीए/टीआरआई/आटीडीपी	डेयरी/मछली पालन/मुर्गीपालन	कौशल विकास
1	आंध्र प्रदेश	569.00	680.00	1200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	300.00	110.80	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	250.00	150.00	0.00	150.00	230.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	800.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1769.50	1568.70	0.00	0.00	0.00	828.78	91.95	0.00	0.00	6144.00	0.00	500.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	1030.00	2168.90	1200.00	2020.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.72	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	300.00	88.20	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जम्मू-कश्मीर	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	300.00	504.00	3000.00	1000.00	0.00	300.00	0.00	400.00	0.00	1892.00	1356.95	450.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	810.00	1400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	600.00	400.00	250.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	केरल	300.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	4000.00	3008.88	7400.00	0.00	15.00	2500.00	0.00	0.00	1482.89	0.00	1621.02	0.00	0.00	0.00
14	महाराष्ट्र	500.00	1083.60	3300.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	666.00	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम		194.29	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.12	0.00	319.00	100.00
18	नगालैंड		200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	238.00	379.00
19	ओडिशा	637.00	2142.00	2500.00	1500.00	110.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5236.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	2378.50	1381.80	300.00	0.00	0.00	267.00	0.00	500.00	0.00	2710.00	300.00	500.00	0.00	0.00
21	सिक्किम	50.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	0.00	352.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23	तेलंगाना	328.00	1272.00	700.00	385.00	0.00	500.00	0.00	90.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	390.20	0.00	819.27	0.00	54.11	211.10	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
25	उत्तर प्रदेश	0.00	25.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	71.39	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	1878.84	1049.00	0.00	1966.90	0.00	286.00	0.00	0.00	260.00	0.00	250.00	348.82	0.00	0.00
कुल		15150.84	18306.51	21700.00	9337.10	535.00	8476.05	1191.95	2874.11	4103.99	19832.00	4657.09	6286.93	707.00	709.00

अनुलग्नक-6 झ

टीएसपी को एससीए के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान निधियों के राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार आवंटन एवं निर्मुक्ति दर्शाने वाले विवरण

क्रम. स.	राज्य	कौशल विकास	बागवानी/फूलों की खेती/रेशम कीट पालन/मधुमक्खी पालन/सब्जियों की खेती/किचन गार्डेन	टीआरआई/ स्वास्थ्य केंद्र/ वीटीसी/आईटीडीए	मुर्गीपालन	मछली पालन	डेयरी/एआई केंद्र	शीत भंडारण/ खाद/बाजार विकास/उत्पादन केंद्र	सड़क/पुल/पुलिया /संपर्क/बांधा/ चाहरदीवारी	छात्रवास/ निगरानी/स्कूल/ सौर विद्युत/ आंगनबाड़ी/शिक्षा	कृषि/लाख/ उपज/सिंचाई	खेल/ सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार/ नेतृत्व	आईएलडी केंद्र	एफआरए/ जलवायु स्मार्ट ग्राम
1														
2	असम	1800.00	400.00	500.00		400.00	1000.00							
3	बिहार	750.00	50.00		200.00		400.00			1000.00				
4	छत्तीसगढ़	1540.00	1151.42	240.00	400.00	1000.00	1500.00	485.00	3200.00	200.00		120.00		
5	गोवा	175.00												
6	गुजरात	500.00	4257.00	713.42			2312.21	400.00					2843.46	500.00
7	हिमाचल प्रदेश	175.00			50.00	15.00	150.00		35.00					
8	जम्मू-कश्मीर	500.00							500.00	900.00	50.00	50.00		
9	झारखंड	900.00	1014.40	360.00	400.00	600.00	1500.00	400.00		894.00	1000.00	1696.00		
10	कर्नाटक	1800.00	600.00	600.00	300.00	100.00	500.00	110.00	400.00					
11	केरल	550.00												
12	मधय प्रदेश	3300.00	1520.58	4400.00		1000.00	4500.00	1321.52	1000.00			1000.00		
13	महाराष्ट्र	1977.18	1320.00							2498.53	2872.20			2150.00
14	मणिपुर	300.00	400.00		300.00	100.00								
15	ओडिशा	2394.59	3195.18		670.00	145.00	2265.37	548.00	1900.00		521.88			
16	राजस्थान	2300.00	697.75	3626.59	200.00	1000.00	1500.00				500.00			
17	सिक्किम	215.00	13.00	10.00			150.00			10.00				
18	तेलंगाना	1300.00	1000.00		200.00	500.00	1000.00							
19	त्रिपुरा	270.00	274.70		56.00	380.00	400.00							
20	उत्तर प्रदेश	290.00	300.00		100.00	200.00	300.00	180.00						
21	उत्तराखंड	369.00												
22	पश्चिम बंगाल	1683.58	400.00	558.00	1000.00	200.00	1500.00			275.00		575.60		25.00
		23389.35	16594.03	11008.01	3976.00	5740.00	19177.58	3444.52	7035.00	8577.53	4944.08	3441.60	2843.46	2675.00

अनुलग्नक-6ञ

टीएसपी को एससीए तथा 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान मुख्य पहलों के लिए पीएसी द्वारा अनुमोदित निधियों की राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कौशल विकास	डेयरी/ मुर्गीपालन/ मछली पालन	बागवानी/रेशम कीट पालन/मधुमक्खी पालन/ सब्जी/किचन गार्डेन	सह शिक्षा/ आश्रम विद्यालय/ छात्रवास/वीटीसी/ चाहरदीवारी/ अतिरिक्त कक्षा/ टीआरआई	संपर्क सड़क/ पुल/पुलिया/बांध
1	असम	1800.00	1400.00	400	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	300.00	400.00	5690.00	2800.00	600.00
3	अरुणाचल प्रदेश	230.00	150.00	300.00	250.00	150.00
4	बिहार	750.00	600.00	50.00	2000.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1540	2900.00	2920.92	7926.66	4028.78
6	गुजरात	500.00	2312.21	5287.00	6000.72	
7	हिमाचल प्रदेश	175.00	215.00	300.00	0.00	35.00
8	जम्मू-कश्मीर	500.00	0.00	0.00	2700.00	625.00
9	झारखंड	900.00	2500.00	1314.40	4506.00	300.00
10	कर्नाटक	1800.00	900.00	1410.00	1000.00	800.00
11	केरल	550.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मिजोरम	100.00	319.00	0.00	0.00	200.00
14	महाराष्ट्र	1977.18	238.00	1820.00	5828.15	1500.00
15	मधय प्रदेश	3300.00	5500.00	5520.58	0.00	3500.00
16	मणिपुर	300.00	400.00	400.00	475.00	0.00
17	नगालैंड	379.00	0.00	0.00	250.00	0.00
18	ओडिशा	2394.59	3080.37	3832.18	7238.00	1900.00
19	राजस्थान	2300.00	2700.00	3076.25	3710.00	267.00
20	सिक्किम	215.00	150.00	63.00	10.00	0.00
21	त्रिपुरा	270.00	836.00	274.70	516.00	819.27
22	तेलंगाना	1300.00	1700.00	1328.00	1400.00	500.00
23	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	290.00	600.00	300.00	1498.43	0.00
25	उत्तराखंड	369.00	0.00	0.00	247.67	0.00
26	पश्चिम बंगाल	1683.58	2700.00	2278.84	3048.72	286.00
	कुल	23923.35	29600.58	36865.87	51905.35	10732.27

अनुलग्नक-6 ट

टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2015-16 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) तथा सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय दर्शाने वाला विवरण

क्रम.स.	राज्य	इएमआरआरएस	सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय	स्वीकृत निधियां (करोड़ रूपए)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	16.00
2.	गोवा	1		12.00
3.	गुजरात	1		12.00
4.	मधय प्रदेश	4		74.00
5.	महाराष्ट्र	3	-	33.00
6.	नगालैंड	2	-	16.00
7.	ओडिशा	5	-	25.00
8.	सिक्किम	1		1.00
9.	तमिलनाडु	0	1	2.00
10.	तेलंगाना	1	0	7.00
	कुल	20	1	210.00

अनुलग्नक -6 ठ

अब तक स्वीकृत एवं कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.2015 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या	कार्यरत ईएमआरएस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	01
3.	असम	02	01
4.	बिहार	02	0
5.	छत्तीसगढ़	16	12
6.	गोवा	1	0
7.	गुजरात	23	22
8.	हिमाचल प्रदेश	01	01
9.	जम्मू-कश्मीर	02	0
10.	झारखंड	15	04
11.	कर्नाटक	18	04
12.	केरल	02	02
13.	मधय प्रदेश	29	25
14.	महाराष्ट्र	14	11
15.	मणिपुर	03	02
16.	मिजोरम	02	01
17.	नगालैंड	03	03
18.	ओडिशा	21	13
19.	राजस्थान	17	09
20.	सिक्किम	03	02
21.	तमिलनाडु	02	02
22.	तेलंगाना	07	06
23.	त्रिपुरा	04	04
24.	उत्तर प्रदेश	03	02
25.	उत्तराखंड	01	01
26.	पश्चिम बंगाल	07	07
कुल		214	139

अनुलग्नक-6 ड

2015-16 के दौरान ईमआरएस के लिए निर्मुक्त निधियों की राज्यवार राशि दर्शाने वाला विवरण (31.12.2015 तक)

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16		
		आवर्ती	अनावर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्तियां
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	680.00	4000.00	4680.00
2	अरुणाचल प्रदेश	100.80	20.00	120.80
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	800.00	800.00
5	छत्तीसगढ़	1725.57	0.00	1725.57
6	गोवा	0.00	400.00	400.00
7	गुजरात	3168.90	1200.00	4368.90
8	हिमाचल प्रदेश	88.20	0.00	88.20
9	जम्मू-कश्मीर	200.00	0.00	200.00
10	झारखंड	504.00	1675.00	2179.00
11	कर्नाटक	1000.00	400.00	1400.00
12	केरल	350.00	0.00	350.00
13	मधय प्रदेश	3008.88	5000.00	8008.88
14	महाराष्ट्र	1083.60	3300.00	4383.60
15	मणिपुर	75.00	125.00	200.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	345.45	0.00	345.45
18	नगालैंड	200.34	0.00	200.34
19	ओडिशा	2142.00	3137.00	5279.00
20	राजस्थान	1381.80	300.00	1681.80
21	सिक्किम	300.00	100.00	400.00
22	तमिलनाडु	352.80	0.00	352.80
23	तेलंगाना	1272.00	700.00	1972.00
24	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
25	उत्तर प्रदेश	208.70	455.99	664.69
26	उत्तराखंड	151.20	47.67	198.87
27	पश्चिम बंगाल	1049.16	0.00	1049.16
कुल		19388.40	21660.66	41049.06

अनुलग्नक-7

दिनांक 31.12.2015 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में प्राप्त दावों की संख्या पर वितरित अधिकार पत्रों प्रतिशत के संबंध में स्थान दर्शाने वाला वितरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	31.12.2015 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.12.2015 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों की से पर वितरित अधिकार पत्रों का प्रतिशत
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल		
1	केरल	36,140	1,395	37,535	24,599		24,599	7,889	65.54%
2	त्रिपुरा	191,376	277	191,653	122,528	55	122,583	65,900	63.96%
3	उड़ीसा	603,271	12,866	616,137	349,400	5,004	354,404	149,575	57.52%
4	झारखंड	80,819	2,734	83,553	41,691	1,434	43,125	25,446	51.61%
5	राजस्थान	69,121	654	69,775	34,956	69	35,025	33,926	50.20%
6	तेलन्गाना	211,698	3,672	215,370	99,486	744	100,230	101,368	46.54%
7	अन्ध्राप्रदेश	400,053	10,959	411,012	167,263	2,107	169,370	165,466	41.21%
8	गुजरात	182,869	7,228	190,097	73,163	3,875	77,038	3,556	40.53%
9	छत्तीसगढ़	860,364		860,364	347,789		347,789	507,907	40.42%
10	मध्य प्रदेश	568,588	40,913	609,501	195,048	21,909	216,957	372,125	35.60%
11	महाराष्ट्र	346,017	7,152	535,169	105,856	3,436	109,292	229,794	30.95%
12	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	42,476	741	43,217	93,762	30.42%
13	असम	126,718	5,193	131,911	35,407	860	36,267	37,669	27.49%
14	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	19.81%
15	तमिलनाडु	18,420	3,361	21,781	3,723		3,723	0	17.09%
16	हिमाचल प्रदेश	5,409	283	5,692	238	108	346	2,162	6.08%
17	बिहार	8,022		8,022	222		222	4,102	2.77%
18	कर्नाटक	366,040	6,208	372,248	8,159	144	8,303	188,943	2.23%
19	उत्तराखंड	182		182			0	1	0.00%
20	अरूणाचल			0			0	0	
21	गोवा			0			0	0	
22	मनिपुर			0			0	0	
23	मेघालय			0			0	0	
24	मिजोरम			0			0	0	
25	नागालैंड			0			0	0	
26	सिक्किम			0			0	0	
27	ऐ और एन इस्लैंड			0			0	0	
28	डामन और डीयू			0			0	0	
29	दादरा और नगर हवेली			0			0	0	
	कुल	4,299,589	114,138	4,413,727	1,669,716	41,329	1,711,045	2,064,536	38.77%

अनुलग्नकः 8-क

2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2013-14			2014-15			2015-16 (31.12.2015 तक)		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	अरूणाचल प्रदेश	846.73	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
2	गुजरात	939.33	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
3	केरल	553.45	4	280	1949.63	6	600	0.00	0	0
4	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	1305.00	बकाया	0	0.00	0	0
5	महाराष्ट्र	0.00	0	0	1031.00	बकाया	0	0.00	0	0
6	मिज़ोरम	2289.44	8	440	0.00	0	0	0.00	0	0
7	नागालैण्ड	810.95	5	500	0.00	0	0	0.00	0	0
8	ओडिशा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
9	राजस्थान	2646.87	17	850	0.00	0	0	0.00	0	0
10	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
11	तमिलनाडु	112.73	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
12	त्रिपुरा	1906.01	10	750	0.00	0	0	0.00	0	0
13	वीरनर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
14	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी उ.प्र.	0.00	0	0	304.99	बकाया	0	0.00	0	0
15	मिज़ोरम विश्वविद्यालय आइजोल	0.00	0	0	195.01	बकाया	0	0.00	0	0
	कुल	**10105.50**	**44**	**2820**	**4785.63**	**6**	**600**	**0.00**	**0**	**0**

अनुलग्नक:8-ख

2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14			2014-15			2015-16 (31.12.2015 तक)		
		राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट
1	आंध्र प्रदेश	371.88	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
2	असम	749.60	1	640	0.00	0	0	0.00	0	0
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
4	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
5	गुजरात	0.00	0	0	1144.48	बकाया	0	0.00	0	0
6	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
7	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	1425.00	बकाया	0	0.00	0	0
8	महाराष्ट्र	2,474.63	8	3700	1000.00	बकाया	0	0.00	0	0
9	ओडिशा	2,091.10	15	4500	0.00	0	0	0.00	0	0
10	सिक्किम	575.28	1	420	0.00	0	0	0.00	0	0
11	त्रिपुरा	954.52	5	1000	0.00	0	0	0.00	0	0
	कुल	7,217.00	30	10260	3569.48	0	0	0.00	0	0

अनुलग्नक: 8-ग

वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14		2014-15		2015-16 (31.12.2015 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	4895.17	229360	5070.01	82091	0.00	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1366.85	630	2.29	630	0.00	0
3	असम	4756.81	102800	1114.00	102800	6748.28	116693
4	बिहार	23.00	6463	23.00	6463	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	1341.47	106231	4066.75	139447	4764.83	148660
6	गोवा	2.00	1332	2.00	1332	0.00	0
7	गुजरात	7138.58	218570	3929.23	218000	5520.40	163989
8	हिमाचल प्रदेश	282.83	5189	237.00	5189	1350.00	8079
9	जम्मू और कश्मीर	177.00	18700	2494.17	21000	2494.17	21000
10	झारखंड	3267.40	72878	4927.23	81768	0.00	0
11	कर्नाटक	3340.76	132376	3691.00	134988	5839.00	140891
12	केरल	625.53	12705	647.00	13225	0.00	0
13	मध्य प्रदेश	5276.71	192437	2385.00	188145	3065.00	197176
14	महाराष्ट्र	11996.04	178146	7451.83	175000	5209.83	175000
15	मणिपुर	6111.01	53965	3615.48	57828	3588.00	66928
16	मेघालय	3438.00	79011	438.00	79011	0.00	0
17	मिजोरम	5393.89	56873	886.00	62410	4927.91	57330
18	नगालैंड	2626.19	39867	2329.59	40133	2646.34	0
19	ओडिशा	3459.87	89115	4512.00	130960	4050.00	165100
20	राजस्थान	2216.02	288020	6440.00	246249	10890.43	275669
21	सिक्किम	845.49	2643	414.00	2705	400.00	3053
22	तमिलनाडु	1436.02	11092	44.00	11092	2266.86	20060
23	तेलंगाना	0	0	2630.94	171329	9650.00	171329
24	त्रिपुरा	1390.99	24270	974.82	22261	1700.00	28374
25	उत्तर प्रदेश	56.00	7500	56.00	7500	0.00	0
26	उत्तराखंड	1086.50	24812	164.00	25269	900.00	27796
27	पश्चिम बंगाल	2277.63	79230	237.00	79230	0.00	0
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.75	28	0.75	28	0.00	0
29	दमन और दीव	10.90	320	1.00	320	0.00	0
	कुल	74839.41	2034563	58784.09	2106403	76011.05	1787127

अनुलग्नकः 8-घ

वर्ष 2012-13 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	छत्तीसगढ़	17.70	140	0	0
2	हिमाचल प्रदेश	0.39	2	0	0
3	राजस्थान	7.18	39	0	0
4	सिक्किम	3.12	16	3.12	16
5	त्रिपुरा	3.12	16	3.12	16
	कुल	31.51	213	6.24	32

नोट : वर्ष 2014-15 तथा चालू वर्ष 2015-16 के लिए राशियां निर्मुक्त नहीं की गई हैं तथा यह प्रक्रियाधीन है।

अनुलग्नकः 8-ड.

2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14			2014-15			2015-16 (31.12.2015 तक)		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या
1	असम	390.51	11	2000	485.70	10	1000	900.00	10	30000
2	मध्य प्रदेश	150.74	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
3	मिज़ोरम	69.68	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
4	गुजरात	0.00	0	0	0.00	0	0	605.56	10	4890
	कुल	610.93	11	2000	485.70	10	1000	1505.56	20	34890

अनुलग्नकः 8-च

2013-14 से 2015-16 (31.12.2015 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14		2014-15		2015-16 (31.12.2015 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	1386.00	75812	1983.00	79602
2	अरुणाचल प्रदेश	218.44	29143	0.00	0	0.00	
3	असम	211.88	12255	0.00	0	0.00	
4	बिहार	0.00	0	688.60	40700	375.00	37095
5	छत्तीसगढ़	0.00	0	3718.00	228626	3607.00	225705
6	गोवा	14.00	1728	0.00	0	0.00	
7	गुजरात	2835.28	265168	3750.00	200000	3745.76	138465
8	हिमाचल प्रदेश	45.73	2124	73.00	3996	96.12	5798
9	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	700.00	37813
10	झारखंड	0.00	0	1613.00	93533	0.00	
11	कर्नाटक	3320.05	84680	0.00	0	0.00	
12	केरल	0.00	0	0.00	0	300.00	30010
13	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	4300.00	364167
14	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0.00	
15	मणिपुर	729.70	27112	496.05	40126	0.00	
16	मेघालय	296.76	10707	0.00	0	0.00	
17	मिजोरम	123.19	3283	0.00	0	0.00	
18	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	851.47	42048
19	ओडिशा	5601.08	221709	4511.00	203301	4900.00	221243
20	राजस्थान	4792.55	1267802	2383.34	187508	0.00	
21	सिक्किम	0.00	0	7.80	408	0.00	
22	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	600.00	15750
23	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0.00	
24	त्रिपुरा	674.33	65690	678.75	44598	0.00	
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	
26	उत्तराखंड	460.20	12255	0.00	0	107.00	10856
27	पश्चिम बंगाल	2620	119856	0.00	0	0.00	
28	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	Grand Total	21943.19	2123512	19305.533	1118608	21565.35	1208552

अनुलग्नक : 9-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी जनसख्ंया का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. बोण्डो गाडाबा 2. बोण्डा पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डा रेड्डी 9. कोण्डोसवारा 10. कुटिया खोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल पहारिया 19. परहाइयास 20. सौरिया पहारिया 21. सावर
3	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिधि 26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा 28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरूम्बा 33. कोरागा
6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. बिरहोर 38. कमार 39. सहरिया 40. हिल कोरबा

7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया(कथोडिया) 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
9	ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोंडो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सौराव 53. लोधा 54. मनकिडिया 55. पौडी भूयान. 56. साउरा 57. चुकटिया भुंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. इरूला 60. कट्टू नायकन 61. कोटा 62. कोरूम्बा 63. पानियान 64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. झरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटेनल 75. शोम पेन

अनुलग्नक 9-ख

2013-14 से 2015-16 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशियों का सारांश दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1	आंध्र प्रदेश	3000.000	2000.000	1320.000
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	75.000	0.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	1422.900	2223.750	1809.630
4	गुजरात	1000.000	1091.000	898.100
5	झारखंड	378.208	301.326	1575.000
6	केरल	600.000	600.000	0.000
7	कर्नाटक	26.679	8.584	836.303
8	मध्य प्रदेश	4500.000	4272.940	2650.000
9	महाराष्ट्र	2610.000	1900.000	0.000
10	मणिपुर	100.000	47.500	50.000
11	ओडिशा	2000.000	2500.000	2789.230
12	राजस्थान	700.000	1500.000	1076.090
13	तमिलनाडु	2026.757	128.349	0.000
14	त्रिपुरा	950.000	826.540	895.560
15	उत्तराखंड	0.000	600.000	793.725
16	पश्चिम बंगाल	1300.000	0.000	447.600
	कुल	**20689.544**	**17999.989**	**15141.238**

अनुलग्नक-10

राज्य जहां जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं एवं उनके पते

क्र. सं.	राज्य	पते
1	असम	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहर नगर, एनः एच-37, कुवाहाटी-781022
2	महाराष्ट्र	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींन्स गार्डन, पुत्रों-411011
3	राजस्थान	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पो. बाक्स. से. 86, उदयपुर-313001
4	पश्चिम बंगाल	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल सरकार, पी-1/4 सीआईटी योजना टप्प्-एम. बीआईपी रोड, कनकुरगाची, कोलकाता-700054
5	तेलंगाना	टीसीआर एण्ड टी आई तेलेगाना सरकार, हैदराबाद-500028
6	छतीसगढ़	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार पं. रक्शिंका शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर-492010
7	गुजरात	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड अहमदाबाद-380014
8	मध्य प्रदेश	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार 35, श्लामला हिल्स भोपाल-462002
9	मणिपुर	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार चिंगमिरांग, इम्फाल-795001
10	झारखण्ड	जनजातीय कल्पान अनुसंधान संस्थान झारखण्ड सरकार भोराबाड़ी रोड, राँची-834008
11	केरल	केरल अ.जा/ अज्जा, अनुसंधान संस्थान तथा विकास अध्ययन संस्थान केरल सरकार कोझीरोड़-673017
12	तमिलनाडु	जनजातीय अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु सरकार राज्य पलाडज्ञ (पीओ) एद्यागामंडलय, नीलगिडी जिला, अटी 643004, (तमिलनाडु)
13	कर्नाटक	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सरकार सं. 15/40, अभिकेतन रोड कुवेन्युनगर, मैसूर-570023
14	ओडिसा	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निस्थान ओडिसा सरकार इकाई-**VIII,** सीआरपी वौराहा भुवनेश्वर-751003
15	आन्ध्र प्रदेश	जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आन्ध्र प्रदेश सरकार दूसरा तल, तेलुगु-समक्षेम भवन, भसब टैंक, हैदराबाद-500028
16	त्रिपुरा	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान त्रिपुरा सरकार लेक चोवेमाहुई, अजरतला, पश्चिम त्रिपुरा-799001

17	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन पोर्ट ब्लयर-744101
18	हिमाचल प्रदेश	जनजातीय अदययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल्स, शियला-171005
19	उत्तर प्रदेश	अजा/ अजजा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खडे कोमती नगर लखनऊ-226010

अनुलग्नक 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)-पुनर्निर्मित बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्ष्य

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि., **आन्ध्र प्रदेश**	3220
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	143
3	अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरूणाचल प्रदेश**	513
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	2110
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	727
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	4247
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	143
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	143
9	गुजरात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	4844
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	214
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ा वर्ग विकास निगम, **जम्मू और कश्मीर**	812
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	4703
13	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	2309
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	143
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	142
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	143
17	मणिपुर जनजातिय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	485

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
18	सबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	5699
19	मेघालय सहकारिता एपैक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	1380
20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	8321
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	285
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	285
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	463
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	463
25	उड़ीसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिडेट, ओड़िशा, **उड़ीसा**	5200
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	5015
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	143
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	428
29	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **त्रिपुरा**	627
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल**	157
31	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	613
32	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	1440
33	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	1440
	कुल	57000

नोट : वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों को कवर करने के लिए कुल लक्ष्य, समझौता ज्ञापन 2015-16 के अनुसार 57000 है तथा यही राष्ट्रीय आवंटित निधियों के आधार पर प्रत्येक एससीए/राज्य को दी गई है।

अनुलग्नक- 12

'जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहयोग' की स्कीम जो कि पहले 'लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान' कहलाती थी, उसको वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान के विवरण

(लाख रु. में)

क्रम संख्या	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16 (31-12-2015 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	120.00	-	-
2	असम	-	-	-
3	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
4	बिहार	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	232.00	-
6	गुजरात	177.00	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
8	कर्नाटक	-	-	-
9	केरल	6.00	206.77	-
10	मध्य प्रदेश	-	-	-
11	महाराष्ट्र	67.07	-	-
12	मणिपुर	-	-	-
13	मेघालय	106.00	-	-
14	उड़िसा	193.00	138.30	-
15	राजस्थान	-	56.00	-
16	त्रिपुरा	54.00	119.93	-
17	पश्चिम बंगाल	231.93	356.00	-
18	मिजोरम	45.00	-	-
19	ट्राइफेड	3431.00	3082.00	30.26
	कुल	1000.00	1109.00	30.26

अनुलग्नक-13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छ:) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायाधिकार क्षेत्र

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय का पता	न्यायाधिकार क्षेत्र
1.	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कोमलेक्स, 52-ए ऐरिया हिल्स, भोपाल-462011, (दूर.-07552576530/ फैक्स-0755-2578272)	म.प्र. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप लंघ राज्य क्षेत्र
2.	एन-1/297, आइ आर सी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (दूर-0674-2551616/ फैक्स-2551818)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी-संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा सं. 101 तथा 102, प्रथम तल, ब्लाक-ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याद्यर नगर, जयपुर-3020523 (दूर.-0141-2236779/ फैक्स-2235488)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ और दमन सभा दीन संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर-26, सेक्टर-2 अवंती नगर पी.ओ. रविग्राम, रायपुर-492006 (दूर.-0771-2443335)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. कोआपेरटिव कालोनी, कदरू, राँची-834002 (दूर.-0651-2341677/ फैक्स-2340368)	बिहार, झारखण्ड, तथा उत्तर प्रदेश
6.	रबेका विला, टेम्पल रोड़, लोवर लाचुमिरा, शिलांग-793001 (दूर:-0364-2504202/फैक्स-2221362)	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड सिक्किम, त्रिपुरा

अनुलग्नक:14-क

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान निधि-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
आंध्र प्रदेश					
1	गुरुकुलाम आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति,(एपीटीडब्यूएआरईआईएस) तेलुगू संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय (18 इकाई)	23859198	0	17940125
2	एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम अभ्युदय सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	1609470	0	0
3	के.एस.आर. मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट हाउस न. 2-1-68/ए, बाजार स्ट्रीट, नैदुपेटा टॉउन और मंडल, एसपीएसआर नेल्लोर (जिला) आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय		0	0
4	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	1860119	0	0
5	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति एट सोमसेखापुरम, नेल्लोर-जिला, आंध्र प्रदेश	10 - बिस्तरों वाला अस्पताल	1369899	1436559	0
6	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला-कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4038435	2006775	0
कुल			28698686	3443334	17940125
अरुणाचल प्रदेश					
7	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3804210	3807450	0
8	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2247523	2236523	0
9	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1580895	1580895	0
10	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई) आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	13695019	9744701	0
11	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और दृश्य-श्रव्य इकाई	23609080	14796206	0

12	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, पो. रामकृष्ण मिशन, जिला पामपुम्पारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	14790305	0	6529628
13	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला- तिराप, पिन कोड-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3654306	5805564	2473905
14	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	0	2357100	0
15	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	3751290	4646925	0
	कुल		67132628	44975364	9003533
असम					
16	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	685350	0	0
17	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी शाखा) असम, ग्राम गंगानगर, जिला चचार, असम	आवासीय विद्यालय	0	1366650	0
18	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द	328500	0	0
19	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	909009	641606	0
20	आर के मिशन सेवाश्रम, आर के मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	1728568	726722	0
21	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	2191500	0
22	श्रीमंत शंकर मिशन, पो. पानीगांव, पो.- पानीगांव जिला-नौगांव, असम 782001	सचल औषधालय	0	704349	0
23	दयानंद सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकाजन, कार्बी, एंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) का एकक दयानंद सेवाश्रम संघ एनइआई बोकाजन कारबी अंगलॉग, असम, बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास (4 इकाई)	6274989	3124598	0
	कुल		9926416	8755425	0
छत्तीसगढ़					
24	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	738180	0	0
25	शिवम छात्रावास शिक्षा सेवा संस्थान, सत्य साई बाबा मंदिर, मोठी तालाब, परम जगदालपुर (बस्तर) छत्तीसगढ़ 494661	आवासीय विद्यालय	157500	0	0

26	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला – बस्तर, छत्तीसगढ	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग + दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों की नई परियोजनाएं और सचल औषधलय	8628222	4943900	0
कुल			9523902	4943900	0
गुजरात					
27	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	0	1413900	706950
28	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय (सह-शिक्षा), सचल औषध ालय (चार)सचल ए.वी. यूनिट	5246350	9249800	0
29	भारत यात्रा केन्द्र पो. डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	0	2642950	0
30	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा -393040, गुजरात	छात्रावास	0	1208790	0
31	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम- ध लसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला – झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	1412752	0
32	श्री धडेला केलवानी मंडल, डाकघर धडेला, जिला दाहोद, गुजरात	छात्रावास	0	0	594458
33	श्री जाला राम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, पो. मेघराज, जिला साबरकंठा, गुजरात	40 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	3600000	0
34	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषध ालय	0	1844035	0
35	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मोल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	3132540	0	0
कुल			8378890	21372227	1301408
हिमाचल प्रदेश					
36	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट – के.गाम्पा, जिला – लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश,	छात्रावास	1208475	1329925	0
37	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3173954	3182288	0
38	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला – लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4088324	4086633	0
39	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट – सिद्धपुर, वाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1219390	1219590	0

40	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5617822	5617995	0
41	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैन्ट, तहसील धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम काजा तह, जिला स्पीति, लाहौल स्पीति	0	1637613	0
कुल			15307965	17074044	0
जम्मू और कश्मीर					
42	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम- गुलाबगढ़ पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1849380	4035911	0
	कुल		1849380	4035911	0
झारखंड					
43	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2110700	2114700	0
44	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द, केन और बम्बू, ए.वी. यूनिट, कताई तथा बुनाई केन्द्र (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	12432125	14717476	0
45	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	3685036	4775285	2698897
46	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2534324	2477522	0
47	आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, पिन-815351, झारखंड	सचल औषधालय	834472	0	420564
48	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	1722497	1962677	0
49	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषध ालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	2672357	5431389	5480800
50	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	50 बिस्तरों वाला अस्पताल ग्राम डुंगरी, ब्लॉक नामकुम	0	9191669	0

51	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	4737793	25055330	0
	कुल		30729304	65726048	8600261
कर्नाटक					
52	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी कालोनी जिला– गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	0	1614392
53	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम – पाथापल्ली, तालुका – बागेपल्ली, जिला – कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3218940	0
54	डॉ. अंबेडकर शिक्षा सोसायटी (आर), मुकाम–नल कुदरे गोमला, नल कुदरे, पिन–577544, चन्नागिरी तालुकर, देवनगिरि जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	0	1609470
55	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय	1363140	0	0
56	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम – चिक्काबलपुर जिला – कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	685350	0	685350
57	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधु गिरि–572132, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर–आवासीय विद्यालय	1647270	681750	1647270
58	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट–गेराहल्ली, तालुका–चिकबालपुर, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	0
59	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला– गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1609470	0
60	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला–देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1546021	1584450	0
61	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	5153940	0
62	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी–तालुक, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1576080	0
63	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला – मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय	8196446	0	6926594
64	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन–571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	0	9443844	4704559
	कुल		16674897	24888744	17187635
केरल					
65	मां अमृतामयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला – कोलाम – 691574 (केरल)	छात्रावास और 10–बिस्तरों वाला अस्पताल	0	3380371	0
66	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट – कलाडी, जिला – एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	1352425	0	1351099

67	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज़ पूजा, केरल	छात्रावास	0	939036	0
68	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	675050	2772493	3018175
69	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट- पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	2826270	2815470	0
70	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला-तिरुअनन्तपुरम, केरल	छात्रावास और सचल औषध ालय	2169258	0	0
	कुल		7023003	907370	4369274
मध्य प्रदेश					
71	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	2152200	0	0
72	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, सरदारपुर, कुकशी, धार, मध्यप्रदेश, (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ इकाई, ठक्कर बापुर, स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055)	आवासीय विद्यालय	0	983140	0
73	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	1474416	0	0
74	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्राम सिधपुर, (डोभ), पो. सेमिरि हरिचंद, तहसील बबाई, जिला हौशंगाबाद, मध्यप्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	897801	0
75	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	0	3292173	0
76	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1160500	0	0
77	पुष्पा कॉनवेंट शिक्षा समिति, सी-537-538, पुष्पा नगर कॉलोनी, भोपाल, 462010 (म.प्र.)	गैर-आवासीय विद्यालय	0	852344	0
78	रामा शिक्षण एवं कल्याण सोसायटी, वरियाईखेड़ा, मुकाम मलीवाया, ब्लॉक रेहती, जिला-सिहोर (म.प्र.), भोपाल	गैर-आवासीय विद्यालय तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	952490	0
79	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	आवासीय विद्यालय (2), कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3) तथा छात्रावास (2)	0	1526953	0
80	दिनदयाल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 7 ई, रामतीरथ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय), सतना परियोजना (मध्यप्रदेश)	आवासीय विद्यालय	1693202	1684611	0
	कुल		6480318	10189512	0
महाराष्ट्र					
81	जय हिन्द मित्र मंडल, कोलहा, जिला फुलबानी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	2228680	0	1823670
82	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय और अवासीय विद्यालय	0	3240540	0

83	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय (वर्ष 2013-14 से आवासीय विद्यालय)	0	1615640	0
84	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	0	2417805	0
85	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेश पुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1615679	0
86	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंद गांव तालुका नंद गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	1616670	0
87	उज्ज्वल रूरल डेपलेपमेंट सोसायटी, पोस्ट नवाड़े, तालुका सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	0	1215497	0
88	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	1616400	0
89	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1788570	0
90	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, एटी-नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1615770	0
91	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, एटी-दथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1502217	1607747	0
92	स्व. यशवंत बलि राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, तहसील इरनडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	934798	1347057	0
	कुल		6282095	19697375	1823670
मणिपुर					
93	आदिमजाति शिक्षण आश्रम, चिंगमिरोंग खोंगनांग अनिकारक, डीएम रोड, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समारक सदन, नई दिल्ली-110055 की इकाई, इम्फाल मणिपुर की शाखा)	छात्रावास	0	987143	982080
94	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी चैम्स कैम्पस कांगला टांबी, जिला सेनापति मणिपुर	छात्रावास	1762830	2638800	0
95	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुख्यालय पिन- 795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1771740	1771470	0
96	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1162890	0	0
97	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	3629993	3633233	0

98	ग्रामीण शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास संगठन (आरईएसईडीओ) मुकाम थंगा तोंगब्राम लिकाई, बीपीओ थंगा, जिला विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	935010	0
99	सियामसिनपाल्पी, (पाइटे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन- 795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6235470	6096150	0
100	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	0	0
101	सोसाइटी फॉर वुमेंस एजुकेशन एक्शन एण्ड रिफलेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थौवल, मणिपुर	सचल औषधालय	0	706950	0
102	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	0
103	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	929430	0	935910
104	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका, जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2648520	2702520	0
	कुल		21381413	21091546	1917990
मेघालय					
105	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, ब्लॉक/मंडल-शिलांग, पो. शिलांग-793003 जिला पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	2448485	0	1666650
106	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और गैर-आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औबधालल, सीटीसी, पुस्तकालय, सचल ए-वी-यूनिट, कनई तथा बुनाई	83343266	67215218	0
	कुल		85791751	67215218	1666650
मिजोरम					
107	मिजोरम मिथाई एसोसिएशन, मर्सी विला, 10-ए, अपर रिपपब्लिक रोड, आईजोल-796012 मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	1775790	1775790	0
108	सोशल गाइडेंस एजेंसी, 6ठा तल, ललत चैम्बर, निकट सोलोमन कैब, तुईक्वल, 'ए' आइजोल-796001 मिजोरम	सचल औषधालय	700533	689040	0
109	थुकटक ननपुईतु टीम, मुआना वेंघ, जुआंगतुई आईजोल-796017 मिजोरम	आवासीय विद्यालय	1550340	1574730	0
	कुल		4026663	4039560	0

नागालैंड					
110	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, की एक इकाई नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई, दीमापुर, (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	0	2172555	0
111	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, पो. बॉक्स नं. 10, पिन-797112, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	1050361	1042882	0
	कुल		1050361	3215437	0
दिल्ली					
112	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	0	1511290	0
	कुल		0	1511290	0
ओडिशा					
113	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	1610594	0
114	अरुण इंस्टीटड्ट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम-अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - देनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	1907370	0
115	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन (एवीए), दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1824752	0	0
116	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	0	2439180	0
117	भैरवी क्लब, लखनपुर, पो सरंगधरपुर, वाया रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	0
118	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1617525	0	1618695
119	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	2245095	2245095	0
120	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	0	2370060	0
121	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	1788993	0	0
122	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	1999530	0	999765
123	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद	0	1065285	1065285
124	रामकृष्ण विवेकानंद वेदान्त आश्रम, मुकाम सरगलांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, ओड़िसा	सचल औषधालय	0	640938	0

125	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय)परियोजना(पदवा, जिला कौरापुट), उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	0	783160	0
126	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला- रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	1054494	1127790	0
127	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	0	6803460	0
128	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2820690	2817180	0
129	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	7250397	0	0
130	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला – जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	3218940	0
131	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ल-110055 का एक युनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	0	1749015	0
	कुल		22221746	30398337	3683745
राजस्थान					
132	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, पो वनस्थली विद्यापीठ, तहसील नेवाई, जिला - टोंक, पिन 304022, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	0	5142300	0
133	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	1579230	0
134	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, आदर्श नगर, रावाभाटा, जलि चित्तौड़गढ़,राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	1609470	0
	कुल		0	8331000	0
सिक्किम					
135	हयूमन डिवलपमेंट फाउंडेशन, जीआरबीए रोड, चोगने तार, गंगटोक, पिन कोड -737 101, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	0	2564384	0
136	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए., ड्रेकचुंग-जोंग-737113 गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2829000	0	0
	कुल		2829000	2564384	0
तमिलनाडु					
137	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), जिला वेल्लोर, तमिलनाडु, पिन-632009	छात्रावास	1103348	1181354	0

138	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	2330550	2328165	0
	कुल		3433898	3509519	0
तेलंगाना					
139	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11-10-635/1, बुरहानपुरा, जिला खम्मम, तेलंगाना-507001	आवासीय विद्यालय	0	2375010	0
140	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट गंग महल कालोनी, दोमलगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	2372423	0	0
	कुल		2372423	2375010	0
त्रिपुरा					
141	खुमपुई बुरूई बोडोल, ग्राम नवचन्द्र ठाकुर पराट, पो कमलघाट, जिला पश्चिम त्रिपुरा (हतकाटा परियोजना, ब्लॉक पदमाबिल, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा)	कताई/बुनाई, हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र	107370	0	0
142	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	1715310	0
	कुल		107370	1715310	0
उत्तर प्रदेश					
143	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	1683981	3927330	0
144	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्था, ग्राम गोबरोल्ला, पो. ध्यानपुर, जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश (बीएजेएसएस की एक इकाई)	आवासीय विद्यालय	0	1582470	1582271
145	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, 7-ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय), लखीमपुर खेरी तथा बलरामपुर की परियोजना	सचल औषधालय तथा छात्रावास	0	1394781	0
	कुल		1683981	6904581	1582271
उत्तराखण्ड					
146	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	3035707	0	0
147	इनफारमेशन टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडिया पो. झाजरा, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड (झाजरा, ब्लॉक साहसपुर जिला देहरादून में परियोजना)	आवासीय विद्यालय	0	225000	0
148	सीमान्त अनुसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	0	1054643	0
149	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	1413900	0	0
150	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, कलसी, जिला देहरादून, उत्तराखंड	दो छात्रवास (कनिष्ठ जाम प्रथमिक)	0	8513133	0

151	सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	4574695	2073960	0
	कुल		9024302	11866736	0
पश्चिम बंगाल					
152	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषध लय	0	2981655	0
153	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	14547200	0	0
154	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	11519709	11394082	0
155	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	0	4315124	4676796
156	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषध लय	3666630	0	1832085
157	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	0	2247364	0
158	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1443510	0
159	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	0	1394638	0
160	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	0	1826250	0
161	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल (रंग घाट पयराडंगा ब्रोंच) (नादिया),	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	0	2587500	0
162	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट/जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	3514005	3489551
163	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	0	706950	706950
164	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	0	1860300	1860381
165	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2356050	2362050	0

166	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1185030	1181790
167	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला – मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	0	4919040	0
168	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल–734318	गैर–आवासीय विद्यालय	924390	914490	0
169	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट– कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला – नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन–743298	छात्रावास	1442579	0	0
170	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला–नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास–सह– आवासीय विद्यालय	1600830	1600830	1604070
	कुल		36057388	45252818	15351623
	कुल योग		397987780	445000000	84428185

अनुलग्नकः 14-क का राज्यवार सारांश

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियो के ब्यौरे

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
1	आंध्रप्रदेश	30710906	3443334	17940125
2	अरुणाचल प्रदेश	67132628	44975364	9003533
3	असम	9926416	8755425	0
4	छत्तीसगढ़	9523902	4943900	0
5	गुजरात	8378890	21372227	1301408
6	हिमाचल प्रदेश	15307965	17074044	0
7	झारखंड	30729304	65726048	8600261
8	जम्मू और कश्मीर	1849380	4035911	0
9	कर्नाटक	16674897	24888744	17187635
10	केरल	7023003	9907370	4369274
11	मध्य प्रदेश	6480318	10189512	0
12	महाराष्ट्र	6282095	19697375	1823670
13	मणिपुर	21381413	21091546	1917990
14	मेघालय	85791751	67215218	1666650
15	मिजोरम	4026663	4039560	0
16	नागालैंड	1050361	3215437	0
17	ओडिशा	22221746	30398337	3683745
18	राजस्थान	0	8331000	0
19	सिक्किम	2829000	2564384	0
20	तमिलनाडु	3433898	3509519	0
21	तेलंगाना	2372423	2375010	0
22	त्रिपुरा	107370	1715310	0
23	उत्तराखंड	9024302	11866736	0
24	उत्तर प्रदेश	1683981	6904581	1582271
25	पश्चिम बंगाल	36057388	45252818	15351623
26	दिल्ली	0	1511290	0
	कुल योग	**400000000**	**445000000**	**84428185**

अनुलग्नक:14-ख

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम		2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
			निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
(क) पेशेवर कोचिंग संस्थान					
1	**गुजरात**	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 101/102, सत्यम मॉल, नियर कामेश्वर हाई स्कूल, स्टेरेल्लिटी अहमदाबाद-380015	12.97	0.00	0.00
2	**केरल**	सेशन ऐकडमी पट्टम, तिरूवनंतपुरम, केरल	2.75	0.00	0.00
3	**मणिपुर**	वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडौंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	14.84	12.08	0.00
4	**मध्य प्रदेश**	कोठारी इंस्टीच्यूट, 7, शिलवासा पैलेस, राजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश	21.32	0.00	0.00
5	**राजस्थान**	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमु हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	17.00	0.00	0.00
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	17.70	0.00	0.00
		बीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकफाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	31.84	0.00	0.00
कुल योग			**118.42**	**12.08**	**0.00**

अनुलग्नक:14–ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
1	गुजरात	1297000	0	0
2	केरल	275000	0	0
3	मध्य प्रदेश	2132000	0	0
4	मणिपुर	1484000	1208000	0
5	राजस्थान	6654000	0	0
कुल		11842000	1208000	0

अनुलग्नक:14-ग

2013-14 से 2015-16 के दौरान 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) **(31 इकाई)**	0	5207920	193107731
	कुल	0	5207920	193107731
अरूणाचल प्रदेश				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग, जिला–वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश में परियोजना	1295053	4271709	0
	कुल	1295053	4271709	0
छत्तीसगढ़				
3	विवेकानन्द इंस्टीट्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	4407038	3925448	0
	कुल	4407038	3925448	0
गुजरात				
4	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	143104706	192194624	168077278
5	लोक निकेतन, पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंथा, पिन-385 001, गुजरात	2581507	544789	0
6	श्री जीवनदीप एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, शिवरत्न कॉम्पलेक्स, दातर रोड, कादियावाड, जुनागढ़, गुजरात (छात्रावास तलाल, ब्लॉक ताला, जिला जुनागढ़)	313250	0	0
7	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट पो. सनाली, तहसील दंता जिला-वनसकंथा, गुजरात	0	1479812	0
	कुल	145999463	194219225	168077278
झारखण्ड				
8	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	0	4442520	0
	कुल	0	4442520	0
मध्य प्रदेश				
9	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, निकट ज्ञान मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	5905810	0	0
10	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, राणापुर, ब्लॉक राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजनाएं)	1106670	3580963	0
11	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल -462038 भोपाल, मध्य प्रदेश	0	8268370	0

12	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक परिसर)	4612000	9973240	0
13	म.प्र. ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेन्शियल एंड आश्रम एजूकेशलन सोसाइटी, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश (13 परियोजनाएं)	31172132	18675490	0
14	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	2208884	4801047	0
15	पुष्पा कंवेन्ट एजुकेशन सोसाइटी, पटेल नगर, ब्लॉक गौराडोंगरी जिला, बैतुल-462010, पुष्पा नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	0	2496430	0
16	पाण्डेय शिक्षा समिति, गांव बाम्राहा, साथा, मध्य प्रदेश	2156000	0	0
17	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला- झाबुआ, म.प्र.	2573904	5386648	0
18	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी, पिन-486661, मध्य प्रदेश	10728459	0	0
19	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	3817720	3921040	0
20	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहदोल, मध्य प्रदेश	4312000	0	0
	कुल	68593579	57103228	0
महाराष्ट्र				
21	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, तालुका सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र (ग्राम-पंखेड़ा, तालुका-सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र में छात्रावास परियोजना)	1805200	1805200	0
22	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, तालुका-सकरी, पिन-424310, जिला धुले महाराष्ट्र (छात्रावास परियोजना)	1806200	0	0
23	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील-डेगलूर, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र (ग्राम मेंढकी, ब्लॉक-माहोर, जिला-नांदेड, छात्रावास परियोजना)	0	1795200	0
24	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	5862400	0	0
	कुल	9473800	3600400	0
ओड़िसा				
25	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट- करमुल, जिला धेनकनाल, ओडिशा	3583650	0	0
26	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	0	3002700	0
27	कस्तूरबा गांधाी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल शाखा, पो.-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, ओडिशा	1806800	0	0
28	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	0	2823712	0
29	मर-म्यूनिंग आश्रम, अरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कोरापुट, ओडिशा	2246200	2246200	0
30	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजना)	137932242	0	0

31	प्रकल्प, पोस्ट- ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा	0	4794249	0
32	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, जिला- रायगाडा, ओडिशा	2173442	0	1950678
33	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	2894600	0	0
34	सोसायटी फॉर नेचर एण्ड हेल्थ एजूकेशन (एसएनईएच), प्लॉट नं.-एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	5702500	5822500	0
35	श्री रामाकृष्ण आश्रम, बादारोहिला, पोस्ट-कडालिमुंडा, जिला-आंगुल, पिन-759126, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	5916300	0	0
36	सर्वोदय समिति, ग्राम/पोस्ट कोरापुटः पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	0	2999100	0
37	होली होम-डाईनमुडां छाक (महाराष्ट्र), पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	0	4819200	0
	कुल	162255734	26507661	1950678
राजस्थान				
38	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरि, सै.न. 4, उदयपुर-313002, राजस्थान	3003600	2032549	0
39	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर, उदयपुर, राजस्थान	3820180	3479770	0
40	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	4152800	4152800	0
	कुल	10976580	9665119	0
तेलंगाना				
41	तेलंगाना ट्राइबल वेल्फेयर रेजिडेन्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	0	41056770	48075810
		0	41056770	48075810
	कुल योग	403001247	350000000	411211497

अनुलग्नक:14-ग का राज्यवार सारांश

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों ब्यौरे

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
1	आंध्रप्रदेश	0	5207920	193107731
2	अरुणाचल प्रदेश	1295053	4271709	0
3	छत्तीसगढ़	4407038	3925448	0
4	गुजरात	145999463	194219225	168077278
5	झारखंड	0	4442520	0
7	मध्य प्रदेश	68593579	57103228	0
8	महाराष्ट्र	9473800	3600400	0
9	ओडिशा	162255734	26507661	1950678
10	राजस्थान	10976580	9665119	0
11	तेलंगाना	0	41056770	48075810
कुल		403001247	350000000	411211497

अनुलग्नक:14-घ

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत निधि पोषित गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
असम				
1	डॉ अंबेडकर मिशन, ग्राम-धोपतारि, पो-चंगसारि, पिन-781101, जिला कामरूप, असम	0	4112000	0
2	ग्राम विकास परिषद, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव, असम	4296000	0	0
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीटयूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	3120000	3120000	0
	कुल	7416000	7232000	0
कर्नाटक				
4	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवेनगिरि	5388000	6360000	0
	कुल	5388000	6360000	0
मेघालय				
5	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरिंतिंग, शिलांग - 793021	4896000	3044800	0
	कुल	4896000	3044800	0
नागालैंड				
6	विटोले वूमन सोसायटी, बेलोव पुटोनुओ नर्सिंग होम, नई मार्केट रोड, कोहिमा-797001, नागालैंड	0	9144000	0
7	वूमेन वेलफेयर सोसायटी, पो.-अटोइजु, जून्हेबोटो, नागालैंड	0	1248000	0
	कुल	0	10392000	0
तमिलनाडु				
8	भाराथीयार माक्कल नलवालू संघम, 82, सनयासी कुंडु एक्सटेनशन, किचीपालायाम, सलेम-636015	9375300	0	0
	कुल	9375300	0	0
	कुल योग	27075300	27028800	0

अनुलग्नक:14-घ का राज्यवार सारांश

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015 तक)
1	असम	7416000	7232000	0
2	कर्नाटक	5388000	6360000	0
3	मेघालय	4896000	3044800	0
4	नागालैंड	0	10392000	0
5	तमिलनाडु	9375300	0	0
	कुल योग	27075300	27028800	0

अनुलग्नक : 15-क

वर्ष 2013-14 से 2015-16 (31.12.2015) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2013-14		2014-15		2015-16 (31.12.2015 तक)	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	524.68	44.60	475.78	516.63	556.78	25.057
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	1149.85	364.36	1182.06	111.52	958.30	208.62
	उप जोड़ (I. II)	1674.53	408.96	1657.84	628.15	1515.08	233.68
	उपर्युक्त I और II के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		24.42		37.89		16.53
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1050.00	106.84	1039.61	46.10	988.51	54.18
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	1097.14	140.04	1133.15	113.48	1118.37	74.70
	कुल (I से IV)	3821.67		3830.60	787.73	3621.96	362.56
	उपर्युक्त I से IV के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		11.49		20.56		10.00

अनुलग्नक 15-ख

वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल*	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाए**											
1	कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	0.00	0.90	0.19	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	49.56	2.54
2	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**	एनजीओ योजना के साथ शामिल										
3	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	एनजीओ योजना के साथ शामिल										
4	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26	0.00
5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को सहायता की योजना के साथ शामिल										
6	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास**											
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
	राज्य	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	9.46	151.04	6.26
7	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	0.00
8	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31	0.00

9	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73	0.00
10	विश्व बैंक परियोजना- जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00
11	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
12	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
13	वन बंधु कल्याण योजना	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.10	1.35	2.50	10.95	135.94	8.05
14	**अनुसंधान सूचना जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य**											
	अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
	सूचना एवं मास मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्कृष्टता केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय उत्सव का आयोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान (3601)	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	2.187	7.94	27.54
15	राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
16	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना	67.48	0.00	35.88	0.00	49.28	34.98	04.00	17.00	208.62	958.30	21.38

	प्रशासनिक व्यय (अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
ग	**ब्लॉक अनुदान**											
17	टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता	30.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	3.53	14.00	54.18	988.51	5.48
18	संविधान के अनुछेद 275(1)के तहत सहायता अनुदान	0.00	14.00	7.79	3.03	11.19	21.69	4.50	12.50	74.70	1118.37	6.68
	कुल	97.48	16.90	52.20	3.20	62.47	59.77	13.38	57.15	362.557	3621.96	10.00

* अनतिम (पीएण्डएओ के अनुसार)

अनुलग्नक:16

वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	2015-16 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2015 तक प्राप्त लक्ष्य
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	30.00	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित वास्तविक परिसंपत्तिया (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2014 तक एएमएसवाई के तहत 687 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 2.78 करोड रु. स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय/छात्रावास का निर्माण जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा शौचालय सहित स्वच्छता के उपाय	1250.00	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) घटकवार वास्तविक परिसम्पतियां/ सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्टेयर में; (ख) वाटरशेड विकास/मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्टेयर में; (ग) पशुपालन-संख्या में; (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्टेयर में अथवा खरीदे गए लघुवन उत्पादों की प्रमात्रा; (ङ) वन ग्रामों का विकास; (च) उद्यमशीलता का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या; (छ) सभी घटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; लक्ष्य एवं परिणाम राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के प्रकारों पर निर्भर होंगे और परिणाम सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/ कार्यान्वयन के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।	परियोजना 50% दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने के साथ अनुमोदित एवं स्वीकृत हैं। परीक्षण के समय परियोजना की प्रस्तावों की जांच तथा प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 994.28 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं।

3	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम	• कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम • सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय/छात्रावास का निर्माण • जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा शौचालय सहित स्वच्छता के उपाय • एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1367.00	चूंकि निधियन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतर को भरने के लिए तथा प्रशासन के स्तर सुधार के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता के अधिकारों सहित परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करते समय, ध्यान केंन्द्रीत होना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार से नियोजित की जाएं कि महत्वपूर्ण लाभ महिलाओं के लिए लक्षित हो।	परियोजना 50% दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने के साथ अनुमोदित एवं स्वीकृत हैं। परीक्षण के समय परियोजना की प्रस्तावों की जांच तथा प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 31.12.2014 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 924. 65 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	1023.36 (अम्ब्रेला योजना के सामान्य घटक)	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1787127 प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए 760.11 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए है, जिसमें अध्ययनों के सभी ग्रुपों में 536138 प्रत्याशित महिला लाभार्थियों के लिए 266.08 करोड़ रू शामिल हैं।
5	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना		विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कक्षा 9 तथा 10 पास कर ली है	1208552 अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों के लिए 215.65 करोड़ रू का अनुदान राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों को जारी किए गए जिसमें 83.47 करोड रू 422993 अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए है।
6.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	113.48	(i) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	छात्रावासों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों के लिए 0.00 करोड़ रुपए शामिल हैं

7.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	वर्ष 2015-15 के दौरान (31.12.2015 तक) 104 शैक्षणिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 25770 लड़कियों को कवर किया गया है और 41.12 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।
8.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान	जनजातियों के द्वारा दौरों का विनिमय	28.50	जनजातीय द्वारा यात्रा के आदान-प्रदान की उपयोजना दस व्यक्तियों के प्रत्येक समूह में कम से कम पांच को शामिल करने के लिए है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा के टीआरआई में जनजातियों की यात्रा के आदान-प्रदान के लिए 31.12.2015 तक निधियां निर्मुक्त की है।	2015-16 के दौरान, इस उद्देश्य के लिए राजस्थान (3.83 लाख), मध्य प्रदेश (9.00 लाख) तथा त्रिपुरा (6.00 लाख) को निधियां जारी की गई।

अनुलग्नक-17

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) नेत्रहीन अध्येताओं के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
समूह-I, II	240
समूह-III	200
समूह-IV	160

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर अधिकार और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता, नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग अध्येता दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (घ) में प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान :

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह का वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। उक्त अधिनियम के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है;

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कोलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह अंगरक्षण भत्ता।

(ख) से (घ) में दिए गए प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त से उपचारित विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

निजी असहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है:

असहायित गैर-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपये में)
1) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
2) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अन्दर है, में नहीं रहते हैं।	160
3) गंभीर रुप से विकलांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
4) सैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रुप से गंभीर विकलांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत है।	160
5) मानसिक रुप से कमजोर तथा मानसिक रुप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणी: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

अनुलग्नक : 18-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
1.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एसजी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23073708
2.	श्री पी.के. साहू	अवर सचिव (सीपीएण्डआर)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073709
3.	श्री के. चन्द्रसेकर	अवर सचिव (शिक्षा)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23387187
4.	श्री असगर अली	अवर सचिव (पीसीएण्डजीए)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
5.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (एनजीओ)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
6.	श्री पी.के. साहू	अवर सचिव (अनुसंधान/मीडिया)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
7.	श्री डी.एन. मण्डल	उप निदेशक(सांख्यिकी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182153
8.	श्रीमती रीमा शर्मा	अवर सचिव (प्रशासन/एचएलसी)	कमरा सं. 400, बी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23386980
9.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073708
10.	श्री यू.के. कर	अवर सचिव (एफआरए)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182429
11.	श्री शिवदर्शन कोरी	सहायक निदेशक (राजभाषा)	कमरा सं. 216-जे, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23383728
12.	सुश्री पूर्णिमा टुडू	अवर सचिव (सीएण्डएलएम-II)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182089
13.	सुश्री एल रामदीनी रेनथलई	सहायक निदेशक (आर्थिक)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182823
14.	श्री धीरज चंद्र रे	अनुसंधान अधिकारी (सीएंडएलएम-1)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23383461

*** अद्यतन**

अनुलग्नक : 18-ख

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम और पता	दूरभाष संख्या/ईमेल	प्रभाग/अनुभाग
1	श्री एम. दिलीप कुमार	उपसचिव कमरा सं. 416, 'बी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073706	प्रशासन/पीसी/जीए/सतर्कता/राजभाषा/एचएलसी (केवल अनुसूचीकरण)
2	श्री एस.एम. सहाय	निदेशक कमरा सं. 736, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073176 sm sahai@nic.in	एसजी/एफआरए
3	श्री एस. दास	निदेशक कमरा सं. 212, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387396 subrata.d@nic.in	एनजीओ
4	श्री बिस्वरंजन सस्माल	निदेशक कमरा सं 401'बी' विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली	23070508	सीएण्डएलएम/अनुसूचीकरण
5	श्री गोपाल साधवानी	उप सचिव कमरा सं. 218-ए, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383965 sadhwani.gopal@nic.in	सीपीएण्डआर/आरएण्डएम
6	सुश्री निवेदिता	उप सचिव कमरा सं 412 'बी' विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली	23383965 nivedita13@nic.in	शिक्षा
7	श्री रूपक चौधरी	उप सचिव अगस्त क्रांति भवन, भी. काजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23386893 r.chaudhari@nic.in	सीएण्डएलएम (अनुसूचीकरण तथा कार्यबल के अलावा)/सभी नीतिगत मुद्दे
8	श्रीमती शायला टाइटस	उप सचिव कमरा सं. 216, जे.डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387444 s.titus@nic.in	आईएफडी
9	श्रीमती हनी सीएच (अतिरिक्त प्रभार)	निदेशक (आर्थिक) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182814 ch.honey@nic.in	आर्थिक
10	श्रीमती हनी सी.एच	निदेशक (सांख्यिकी) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182814 ch.honey@nic.in	सांख्यिकी

*** अद्यतन**

अनुलग्नक 19क

लेखक-परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिसकी कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है

क्र.स.	वर्ष	पैरा/पीएसी की से जिनका कृतकार्रवाई नोट लेखा परीक्षा द्वारा विवीक्षा उपरांत जमा कर दिया गया है।	लेखक परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिसकी कृत कार्यवाई टिप्पण लंबित है विवण			
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया कृत कार्रवाई टिप्पण	भेजी गई किन्तु अवलोकनों के बाद लौटाई गई कृत कार्रवाई टिप्पणियों की संख्या एवं जिनकी लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुती के लिए प्रतीक्षा गत है।	भेजी गई किन्तु लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकनों के साथ अविवीक्षित/नहीं लौटाई गई कृत कार्रवाई टिप्पणियों की संख्या	एटीएन की संख्या जिनकी अंतिम विवीक्षा हो चुकी है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं की गई है।
1.	1999	-	-	1	-	-
2.	2002	-	-	-	-	-
3.	2003	-	-	-	-	-
4.	2005	-	-	-	-	-
5.	2006	-	-	-	-	-
6.	2007	-	-	-	1	-
7.	कुल	-	-	1	1	-

अनुलग्नक-19ख

2015 की रिपोर्ट संख्या 33-8 दिसंबर को संसद में प्रस्तुत जनजातीय उप-योजना का लेखा-परीक्षा निष्पादन

टीएसपी निधियों को चिन्हित करने के नियम एवं निर्मुक्तियां

यह दिया गया था कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग की निमुक्ति विभागों द्वारा किए गए आवंटनों के साथ सुमेलित नहीं थी। 2011-12 से 2013-14 के दौरान ये एसपी निधियों की निनुक्ति 13138.05 करोड़ रु. कम थी।

(पैरा 3.2 तथा (ख))

जनजीतीय रणनीति तथा कार्यक्रमों के अनुसार, टीएसपी अवधारण्य जनजातीय बहुत राज्य जैसे अरूपणाचल प्रदेश, मेघालय राज्या जहां जनजातीय जनसंख्या कुल आबादी की 60 प्रतिशत से अधिक है। वहां लागू नहीं है।

(पैरा 3.3 (क))

लेख परीक्षा ने पाया कि टीएसजी के 326.21 करोड़ उन राज्यों को जारी किए गए थे जहां जनगणना 2011 के अनुसार अजजा आबादी अनुपस्थित थी एवं इस प्रकार टीएसपी घटक उनमें लागू नहीं थे।

(पैरा 3 ख)

62 मामलों में 433.09 करोड़ की निधि नियम 2015(2) के जी एफ आर प्रावधानों के उलट वर्ष के अंत (मार्च) में जाते किए गए थे।

(पैरा 3.4)

निधियों के लेख/उपयोग का संख्यारक तथा टीएसपी निधियों के अव्यपगत पूल का निर्माण

राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय द्वारा कुल निर्मुक्त निधियों के लिए प्राप्त किए गए थे ना कि मद वार निर्मुक्तियों के अनुसार परिणाम स्वरूप टीएसपी के तहत निधियों के वास्तविक उपयोग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(पैरा 3.5 तथा 3.6)

अनुसूचित जनजातीय के विकास के लिए योजना लागू करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित की जाने वाली टीएसपी निधियों के अव्यगत पूल में वितीय वर्ष के अंत में बची हुई टीएसपी निधियों के हस्तांतरण के लिए योजना आयोग के दर्शानिर्देश (2010)इसके जाऐ होने के चार वर्षों के बाद भी लागू नहीं किए गए।

(पैरा 3.7)

लेख परीक्षा ने राज्यों में सचयनित योजनाओं के टीएसपी निधियों के वितीय प्रबंधन में कई कमियों-पाई जैसे टीएसपी निधियों पृथक लेखा का रखरखाव नहीं कसा केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्मुक्ति में कमी/विलंब, टीएसपी निधियों के उपयोग नहीं करने कम उपयोग करना आदि।

(पैरा 3.8)

राज्यों में टीएस पी का कार्यान्वयन

जनजातीय कार्य मंत्रालय दिशानिर्देश के तहत आवश्यक केन्द्रीय मंत्रालय विभागों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल नहीं रहा है।

(पैरा 4.2)

महत्वपूर्ण कमियों शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों के तहत पाय चयनित योजनाओं के कुछ मूतभूत घटकों के कार्यन्यवन में पाई गई जैसे स्कूल यूनिफार्म वितरित नहीं करना, बालिकाओं के लिए आदर्श समूत विद्यालय स्थापित नहीं करना या अग कार्य नहीं करना, मूलभूत सुविधाओं की कमी, रसोई व भंडारभृह नहीं होना, अनाजों का कुप्रबंधन, आयात अवसंरचना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)/ ब्लाक शिक्षक शिक्ष संस्थान (बाईट) स्थापित नहीं करना। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जानकारी य अभाव, आर्याप्त शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों भी पाई गई।

(पैरा 4.5)

निगरानी एवं मूल्यांकन

केन्द्रीय स्तर पर निगरानी असंतोपजनक थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाबजूद, पूर्व में नंवबर 2005 में स्थापित समर्पित टीएसपी इकाई योजना आद्योग के कार्यरता नहीं थे। 256 चिह्नित मंत्रालय/विभागों में से केवल दो विभागों में तिमही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कवाई।

(पैरा 5.2)

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम 3 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए।

2 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला ''आदिशिल्प''

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
www.tribal.gov.in
www.tribal.nic.in

मुद्रक : अरावली प्रिन्टर्स